छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा पंचदश सत्र

शुक्रवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022

(अग्रहायण 11, शक सम्वत् 1944)

[अंक 02]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 02 दिसम्बर, 2022

(अग्रहायण 11, शक सम्वत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

समय :

11:00 बजे **<u>जुलाई, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों के संकलन का पटल पर रखा जाना</u>**

अध्यक्ष महोदय :- जुलाई, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सचिव, विधानसभा, सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधानसभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 13-ख की अपेक्षानुसार जुलाई, 2022 सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र शुरू हो रहा है । इस सत्र के बारे में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है फिर आपसे मेरा एक औचित्य का भी प्रश्न है । उसको सुन लीजिये क्योंकि यह पूरे सत्र के ऊपर है और इस सत्र में जो राजनीतिक तौर पर आसंदी का या इसका उपयोग किया जा रहा है इस पर आपकी व्यवस्था आये क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्य लगातार गिर रहे हैं । यदि आप मुझे अनुमति दें तो फिर मैं अपनी बात कहूं ।

अध्यक्ष महोदय :- इसको प्रस्तुत कर लेने दीजिये फिर मैं अनुमति देता हूं ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्र शुरू हो रहा है । अब सत्र शुरू हो जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- अभी तो इसको हो जाने दीजिये न । मैं आपको अनुमति देता हूं

समय :

11:00 बजे **<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं तथा उनके उत्तरों का संकलन</u>**

अध्यक्ष महोदय :- नियम 267 "क" अधीन जुलाई, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- मैं, नियम 267 "क" के अधीन जुलाई, 2022 सत्र में सदन में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11:02 बजे **कार्यमंत्रणा समिति का अठारहवां प्रतिवेदन**

अध्यक्ष महोदय :- कार्यमंत्रणा समिति की बैठक गुरूवार, दिनांक 1 दिसम्बर, 2022 में लिये गये निर्णय अनुसार वित्तीय, विधायी एवं अन्य कार्यों पर चर्चा के लिये उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारण करने की सिफारिश की गई, जो इस प्रकार है :-

1. **वित्तीय कार्य**	**निर्धारित समय**
वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा, मतदान एवं तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन विचार एवं पारण ।	3 घंटे
2. **विधि विषयक कार्य**	
(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022	2 घंटे
(2) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022	1 घंटा
3. **शासकीय संकल्प पर चर्चा के लिये**	1 घंटा

4. समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि वर्तमान सत्र की अवधि में वृद्धि करते हुए आगामी बैठकें सोमवार, दिनांक 2 जनवरी, 2023 से शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी, 2023 तक रखी जायें ।

अध्यक्ष महोदय :- अब इसके संबंध में श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11:03 बजे **<u>सभापति तालिका की घोषणा</u>**

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की नियमावली के नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन मैं निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये नाम-निर्दिष्ट करता हूं :-

1. श्री सत्यनारायण शर्मा
2. श्री धनेन्द्र साहू
3. श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह
4. श्री शिवरतन शर्मा
5. श्री लखेश्वर बघेल

समय :

11:03 बजे **<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>**

<u>लोक लेखा समिति का इक्यानबेवां से एक सौ एकवां तक 11 प्रतिवेदन</u>

श्री अजय चंद्राकर, सभापति :- अध्यक्ष महोदय, मैं लोकलेखा समिति का इक्यानबेवां से एक सौ एकवां तक 11 प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप अपनी बात कह सकते हैं ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- भैया आप गुस्से में क्यों पढ़ते हैं ? आप धीरे-धीरे पढ़िए न

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय ।

समय :

11:04 बजे

अध्यक्ष महोदय :- मैंने विधानसभा की नियम-प्रक्रिया तथा संचालन संबंधी नियमावली के नियम-65 के उप-नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक-24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ लोकसेवा अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण संशोधन विधेयक, 2022 (क्रमांक-18) सन् 2022 तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 क्रमांक-19 सन् 2022 की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज ही पुर:स्थापन, विचार एवं पारण की अनुमति प्रदान की है । मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

पृच्छा

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ एक विशेषाधिकार भंग की नोटिस दी है। आप पूरी नोटिस को पढ़ेंगे, मैं उसके अंश को पढ़ देता हूं। क्योंकि आई.एन.सी. छत्तीसगढ़ के ट्वीटर एकाउंट पर पूर्व में ही सत्र आहूत करने संबंधी निश्चयात्मक तिथि प्रसारित करने तथा संविधान के मूल अवधारणा व माननीय अध्यक्ष के सभा के कार्यों का पूर्व प्रचारित व प्रसारित करना सदन की अवमानना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसमें और बता देता हूं। 12 बजकर 16 मिनट में उन्होंने ट्वीट किया। मेरे पास ट्वीट की कॉपी भी है कि हम इस आशय में आदिवासियों के साथ हैं । उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री, भूपेश बघेल जी के ऊपर कुछ बोलूंगा नहीं। उनके विदुर जी इधर बैठे हैं। वे बतायेंगे कि विशेष सत्र होता है या नहीं होता है और विशेष सत्र में विषय केन्द्रित रहते हैं, जिसे आप विशेष सत्र बोलते हैं, उसमें मैं बाद में बात करूंगा, पर मुख्यमंत्री जी ने भी..।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- चन्द्राकर जी, विदुर जी मत कहो। विदुर जी सही सलाह देते थे। शकुनी।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आपको वो नहीं कह सकता।

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- वो तुम्हारे सामने बैठे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के संसदीय ज्ञान पर कुछ नहीं कहना चाहता। वे अपनी गरिमा का खुद ख्याल रखें। उसके जिम्मेदार वे हैं, मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा, पर उन्होंने भी 9 बजकर 3 मिनट में यह लिखा कि इसके लिए हमने सत्र आहूत करने का आग्रह किया है। गवर्नर का 4 बजकर 58 मिनट में आया। मैंने इस विषय में आपसे बात की। अब आप चाहें तो सदन के सामने इस फाइल को रख सकते हैं कि आमंत्रण के लिए आपने कितने बजे दस्तखत किया? अब दूसरी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 दिसंबर, 2022 माने आप कल का देख लीजिए कि शासकीय कार्य, शासकीय कार्य लिखा है। आज की कार्यसूची में विषय आया है, जिसमें आपने शिथिलीकरण दिया है। माननीय मोहन मरकाम जी को यह कैसे पता चल गया कि सत्र इस दिन आहूत होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे पता चल गया कि यह सत्र इस दिन आहूत होगा और इस विषय पर आहूत होगा।

श्री कवासी लखमा :- यह क्या कह रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- आपका समय आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, छोड़िए। खत्म करने दीजिए।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, सबको मालूम होता है। पूरे सदन को मालूम होता है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- अच्छा, लखमा को सारी बात समझ में आ रही है। उनको नहीं आ रही है। लखमा जी सब विषय को समझ रहे हैं। ये समझने को तैयार नहीं हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय :- मैंने एक विशेषाधिकार भंग की नोटिस दी है। आज तक विधान सभा आहूत करने की प्रक्रिया में किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य ने ऐसी पोस्टिंग नहीं की है और खासकर किसी मुख्यमंत्री ने तो कभी नहीं की है। इसलिए मैं चाहता हूं कि विशेषाधिकार भंग के मामले में आप अभी तत्काल चर्चा करवाकर व्यवस्था दें, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। सदन का राजनीतिक दुरूपयोग हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया न। आपने एक ही बात कही है, इसलिए..।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक औचित्य का प्रश्न है। आप दोनों में साथ-साथ दे दीजिएगा। यह विषय आपके लिए है। आपने अनुसूची में संकल्प पर एक घंटे का समय दिया है। कौन सा विधेयक है, वह अभी वितरित नहीं हुआ है। कब पुर:स्थापित होगा? कब पास होगा? और वह संकल्प सूची में आ गया। साहब, कार्यसूची नहीं आया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास में पहली बार हो रहा है। जो घटा नहीं है, उसे आपने पहले घटा दिया। मेरा आपसे आग्रह है कि यह तत्काल विलोपित होना चाहिए और यदि इन्हें राजनीति करना इतना जरूरी है तो आप जो सत्र एक्सटेंड कर रहे हैं, आप उसमें चर्चा कीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात, इस विधान सभा में जितने भी विशेष सत्र कहते हैं तो वे सत्र हुए हैं चाहे बोनस के लिए सत्र हुआ हो या गांधी जयंती के लिए सत्र हुआ हो। वह विषय केन्द्रित रहा है। ये पिछले दरवाजे से आपने एक्सटेंड कर दिया। अभी आपने घोषणा की। यदि आप आरक्षण के लिए विधेयक ला रहे हैं, हम बिल में बहस करेंगे और समर्थन भी देंगे। गुण-दोष में चर्चा होगी, लेकिन इसमें यह अनुपूरक बजट कैसे आ गया? यह विशेष सत्र या तथाकथित सत्र हो रहा है, उसका विषय यह कैसे बना? मैं आपसे विशेषाधिकार भंग पर चर्चा चाहता हूं। इस पर तत्काल व्यवस्था हो। ऐसा कभी नहीं घटा है। संकल्प अभी अनमेच्योर है। विधेयक अभी बंटा नहीं है। चर्चा हुई नहीं है। पारण हुआ नहीं है, उसे शामिल करने का संकल्प आ गया। विशेष सत्र के नाम पर और भी बिजनेस आ गये। यह कभी नहीं हुआ, इस पर तत्काल आपकी व्यवस्था आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय अजय चन्द्राकर जी, आपके द्वारा माननीय सदस्य श्री मोहन मरकाम के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना मुझे प्राप्त हुई है, जो मेरे समक्ष विचाराधीन है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय..।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इस पर तत्काल निर्णय लेना चाहिए।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। आप सभापतीय व्यवस्था पढ़वा लीजिए, अपने समय में माननीय भूपेश बघेल जी ने और माननीय रविन्द्र चौबे जी ने भी आसंदी की व्यवस्था पर पुनर्विचार की मांग की है । आपके कार्यकाल में आज तक हमने अन्य विषयों में तो विशेषाधिकार भंग की सूचना दी, किंतु यह विधान सभा की सीधी-सीधी अवमानना है । आप अपनी व्यवस्था में पुनर्विचार करते हुए इस पर तत्काल चर्चा करवाएं, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अजय चन्द्राकर जी ने आपसे प्रिविलेज मोशन पर तत्काल चर्चा कराने की बात की । आसंदी से व्यवस्था आ गई, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अजय चन्द्राकर जी ने आपको विदुर कहा है । विदुर की भूमिका में रहो, अन्य किसी भूमिका में मत आओ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- अब, अजय जी ने क्या कहा, आपने क्या कहा, उस पर मैं अभी नहीं जाना चाहता ।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं, विदुर कहा तो विदुर की भूमिका में रहो, अन्य किसी भूमिका में मत आओ ।

श्री रविन्द्र चौबे :- मेरी बात तो सुन लीजिए । अध्यक्ष जी, कल कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थे, आप उसमें थे या नहीं, यह आ जानें । लेकिन नये माननीय नेता प्रतिपक्ष कल मौजूद थे, जिन विषयों पर चर्चा होनी है, वे कार्य मंत्रणा समिति से तय होकर यहां आया है । आपने कैसे कह दिया ? आपने विशेष सत्र की बात कही, कल तक तो यह बातें थीं कि यह विशेष सत्र हमने आरक्षण के मुद्दे पर ही बुलाया है । आपने प्रश्न कर दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को ...।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या विशेष सत्र होता है, या आप अपनी बात को सुधारेंगे ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय मुख्यमंत्री जी से आपने पूछ दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कैसे मालूम ? सत्र आहूत करने की प्रक्रिया, मैं समझता हूं कि 15 साल आपके सामने बेंच में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी बैठे हैं । वे भी 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे । सत्र कैसे आहूत किया जाता है, सदन के नेता को मालूम होता है या नहीं होता है, मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया को आप भलीभांति जानते हैं । अध्यक्ष महोदय, आखिरी बात कहना चाहूंगा कि पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए यह सदन बुलाया गया है, क्या इस पर आपको आपत्ति है । आपको विरोध है, आपको क्या तकलीफ हो रही है ? पहली लाईन से ही आप आपत्ति कर रहे हैं । अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल उचित नहीं है । जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह सत्र आहूत किया गया है, हम उसकी पूर्ति चाहते हैं । हम तो आपसे चाहेंगे कि यह आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए, आप क्यों इस पर बहस कराते हैं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के खड़े होने पर)

श्री अजय चन्द्राकर :- नेता जी, आखिरी में बोलबे न तैं हा ।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, यह क्या बात है, नेता प्रतिपक्ष को बैठा रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह बात तोला समझ नइ आही, बइठ ।

श्री अमरजीत भगत :- दिक्कत तो यही है कि लखमा जी सारी बातों को समझ रहे हैं और अजय जी के समझ में ही नहीं आ रहा है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी...।

अध्यक्ष महोदय :- क्या प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जो बात माननीय ने कही है, आप सुन लीजिए ऐसी बहस कम होती हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- उसको थोड़ा संक्षिप्त में करिये ना ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मुख्यमंत्री जी को मालूम है, सरकार की सहमति से होता है । सदन इसके लिए हो रहा है, आपने यह बातें कही है । सरकार ने जो जानकारी भेजी है उसमें कहीं पर नहीं लिखा है कि आरक्षण के लिए होगा । आप देख लीजिए यह पेपर सरकार की ओर से आया है । दूसरी बात, अध्यक्ष जी, जो आपने कहा प्रिविलेज के बारे में इन्होंने एक लाईन नहीं कही ।

अध्यक्ष महोदय :- बोला है, बोला है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- तीसरी बात, यदि कार्य मंत्रणा समिति में कुछ बातें हुई हैं और उन्हें प्रकाश में लायी जाती हैं तो उन्हें सुधारा भी गया है । ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं सुधारा गया है । आप मुझे यह बताइए, मैंने औचित्य के दो प्रश्न कहे, जब आपने कहा कि यह सदन आज आरक्षण के लिए बैठा है । हम भी तैयार हैं, बहस करेंगे, समर्थन भी देंगे लेकिन अनुपूरक बजट ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी यह बताइए कि आप आरक्षण के पक्ष में हो या विपक्ष में हो ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें अनुपूरक बजट कहां से घुसा ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आप 13 परसेंट के पक्ष में हो या 16 परसेंट के पक्ष में हो यह बता दीजिए, शिव डहरिया जी ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 16 परसेंट से घटाकर 12 परसेंट आप लोगों ने किया है, शर्म करो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें अनुपूरक कहां से घुसा और संकल्प, अभी मैच्योर हुआ ही नहीं है तो संकल्प आएगा कैसे ? यदि कोई गलती हो गई है, गलती हो जाती है, स्वाभाविक है, यह कोई बड़ी बात नहीं है । उसको बाद में भी लिया जा सकता है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो काम किया था उसको सुधारने का काम हम कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट माननीय । आपके विशेषाधिकार के बारे में मैंने व्यवस्था दे दी है कि मेरे पास विचाराधीन है । दूसरा, यहां जो भी आया है वह कार्य मंत्रणा समिति के निर्णय के पश्चात आया है । कार्यमंत्रणा समिति के निर्णय के बाद यहां आया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा का सवाल है। आप इस पर चर्चा करवाईए। हम उस पर पुनर्विचार जानना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप आसंदी की व्यवस्था में प्रश्न कर रहे हैं और आप बात भी कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको किताब दिखाऊं क्या ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आपका नाम दर्ज हो गया है। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप क्यों बात नहीं कर रहे हैं। आप आरक्षण पर चर्चा नहीं चाहते क्या ?

श्री अजय चंद्राकर :- आपने आसंदी की व्यवस्था पर पुनर्विचार मांगा है। मैं आपको किताब दिखाऊं क्या ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे बढ़िए। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप आरक्षण पर चर्चा नहीं चाहते क्या ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय...।

अध्यक्ष महोदय :- आपका प्वाईंट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कतई उचित नहीं है। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- मुख्य मुद्दा से मत भटकाईए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्वाईंट ऑफ आर्डर है क्या ?

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आज हम लोग आरक्षण पर बात करने आये हैं। मुख्य मुद्दा से मत भटकाईए। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप आरक्षण के खिलाफ हो, लज्जा करो।

श्री अमरजीत भगत :- यह लोग आरक्षण के विरोधी हैं, इनकी बौखलाहट दिख रही है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- प्वाईंट ऑफ आर्डर है क्या ?

श्री अमरजीत भगत :- छत्तीसगढ़ के लिए सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिन है। खुश होना चाहिए। बौखलाहट किस बात की है ?

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तक आरक्षण कहां था?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- तोर कमेटी के रिपोर्ट ला तो पुटप नई करिस। ऐला तै का जानबे। आपको लज्जा आनी चाहिए। आपकी कमेटी की रिपोर्ट को डॉ. साहब ने पुटप ही नहीं किया। इसलिए आरक्षण कम हुआ। (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- मैं उसको नहीं बोल रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने ही तो लिखा था कि 50 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए। आपकी कमेटी ने पुटप नहीं किया। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों को मौका मिला था, आप लोगों ने क्यों नहीं किया।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका रिपोर्ट पुटप ही नहीं किया, यह क्या बात करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- डहरिया जी, प्लीज। अमरजीत जी, प्लीज। बैठिए-बैठिए। एक मिनट, ननकीराम जी सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, सुन लेते हैं। सुन लीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन था, जब आरक्षण के संबंध में था तो एक अध्यादेश जारी था। कोर्ट में जाने की क्या जरूरत है? आप यह बात दीजिए, मेरा आदमी कोर्ट में नहीं गया है, इनके आदमी कोर्ट में गये हैं। कोर्ट में समय भी बर्बाद हुआ, विधानसभा का भी समय बर्बाद हुआ, पैसे भी बर्बाद हुआ। मेरा 50 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने कभी भी इतना बड़ा आंदोलन नहीं देखा था। वह आंदोलन हुआ। किसके कारण हुआ ? यह आपके कारण हुआ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह आपके कारण हुआ। आपका रिपोर्ट पुटप नहीं किये।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इनकी कमेटी की रिपोर्ट देख लीजिए। (व्यवधान) एक तरफ कहते हैं कि 32 प्रतिशत आरक्षण चाहिए और दूसरी तरफ कहते हैं कि 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वह भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण आंदोलन हुआ, आप यहां घड़ियाली आंसू मत बहाईए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए। आगे बढ़ने दीजिए। समय का ख्याल रखिए, आगे बढ़ने दीजिए। एक मिनट में अपनी बात रखिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी..।

श्री ननकीराम कंवर :- मेरी बात हो गयी क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- हो गई ना।

श्री ननकीराम कंवर :- नहीं हुई है, मेरे को बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आदिवासी हूं...। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपकी आवाज को उन लोगों ने बंद किया है, हम लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं। इन लोगों ने नहीं सुना, उनको बताओ। आपकी रिपोर्ट को प्रस्तुत नहीं किया।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों को तो करने का मौका दिए थे। आपको जनता ने 15 साल मौका दिया था।

श्री ननकीराम कंवर :- हम गलत कर गये उसको सही नहीं कर सकते ? जब एक अध्यादेश था तो कोर्ट क्यों गये। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत किया था, उसको हम लोगों ने ठीक किया है। आपकी रिपोर्ट को तो प्रस्तुत नहीं किया। आप उसके बारे में क्यों नहीं बोलते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, बैठिए।

श्री अमरजीत भगत :- आज अगर सदन की कार्यवाही में जो व्यवधान करेगा, उसको आरक्षण विरोधी माना जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- सब लोग सुन लिए। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह ननकीराम कंवर जी की रिपोर्ट है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उसमें आपने व्यवस्था दी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि प्रस्ताव जो है, वह सरकार के माध्यम से जाता है, वह हम भी स्वीकार करते हैं। सरकार में जब मंत्री लोग शपथ लेते हैं तो गोपनियता की शपथ लेते हैं। आपने सत्र बुलाने का प्रस्ताव भेजा तो मोहन मरकाम जी को कैसे जानकारी हो गयी कि यह प्रस्ताव पारित होने वाला है। अब वह अपने ट्वीटर में डाल रहे हैं। यह सरासर विधानसभा का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय :- उस पर तो बहस हो गयी। चलिए-चलिए हो गया। इसमें व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- कांग्रेस का जो अध्यक्ष है, वह ट्वीटर पर डाले। अपने फेसबुक एकाउंट पर डाले। प्रस्ताव पारित करना, यह सरासर अपमान है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, यह हर बात गलत ही बोलते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ई-बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री ने अभी कहा, इस प्रश्न को उठाया था कि यह आरक्षण के लिए है तो यह वित्तीय अनुपूरक कहां से आ गया ? उन्होंने अभी कहा है, अभी सत्र बुलाया है, उसके लिए कहा है। वित्तीय अनुपूरक ...। (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं पढ़ रहा हूं। मुझे सदन को यह सूचित करना है कि आगामी वित्तीय सत्र में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट ई बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाना प्रस्तावित है। सभा में आवश्यक तकनीकी व्यवस्थाएं यथा समय की जाएगी, मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय अजय चंद्राकर जी ने व्यवस्था और औचित्य का प्रश्न उठाया। उन्होंने जो विशेषाधिकार दिया था, उसको आपने अमान्य कर दिया।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसको अमान्य नहीं किया। वह विचाराधीन है।

श्री रविन्द्र चौबे :- बहस कर रहे हैं। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- इन्हें क्या हो गया है ?

श्री नारायण चंदेल :- विचाराधीन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब अधिसूचना...।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, आपको बहुत-बहुत बधाई हो। आप नेता प्रतिपक्ष बनकर पहली बार भाषण दे रहे हैं लेकिन आप इसको घुमाने की कोशिश मत कीजिए। आप आरक्षण को पारित होने दीजिए।

श्री अजय चंद्राकर :- आप यह बात अपने मुख्यमंत्री जी से कहिये क्योंकि यह विशेषाधिकार में है।

श्री अमरजीत भगत :- आप आरक्षण को पारित होने दीजिए। विशेषाधिकार की बात मत कीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- तुमन दोनों झन पड़ोसी हवव। दोनों झन पड़ोसी हवव।

श्री नारायण चंदेल :- अमरजीत जी।

श्री अमरजीत भगत :- आदिवासियों को 32 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत, ए.सी. को 13 प्रतिशत और गरीब (ई.डब्ल्यू.एस.) वालों को 4 प्रतिशत आरक्षण पर आज मुहर लगने वाला है। आप बीच में व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, आप भी पिछड़ा वर्ग हों। आप ला पूरा प्रदेश देखत हैं। आप भी पिछड़ा वर्ग हों, एखर खातिर आपसे निवेदन है कि ऐला पास होन दों। आप भी पिछड़ा वर्ग हों।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री कवासी लखमा :- क्या आप खुद के लिए शुरू कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- नेता जी।

श्री अजय चंद्राकर :- जितना टोकना है टोकने दीजिए न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तो यह परंपरा ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- जस्ट अ मिनट। एक मिनट। नेता प्रतिपक्ष जी पहली बार अपने पद के साथ खड़े हुए हैं। उन्हें पहले अपनी व्यवस्था, विचार व्यक्त करने दीजिए। चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- हम बधाई दिये हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम खड़े होकर उनको बधाई दिये हैं कि वह पहली बार बोल रहे हैं। इस औधे के साथ जिम्मेदारी के लिए बधाई दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, टोका-टाकी मत कीजिए। प्लीज, समय का अभाव है इसलिए आप लोग टोका-टाकी मत कीजिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी कह रहे हैं कि हम एक महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा करने वाले हैं लेकिन इस कार्य संचालन संबंधी पुस्तक में कहां पर लिखा है कि विशेष सत्र होगा ? सत्र कभी विशेष नहीं होता बल्कि सत्र तो आहूत होता है। विशेष सत्र एक भाषा है।

श्री कवासी लखमा :- भाषा ही तो है।

श्री नारायण चंदेल :- पहली बात यह है कि इसमें नियम-प्रक्रिया में कहीं पर भी विशेष सत्र का उल्लेख नहीं है। दूसरा विषय यह है कि माननीय अजय चंद्राकर जी ने इस बात के औचित्य का प्रश्न उठाया। वास्तव में यह गंभीर विषय है। जब अधिसूचना जारी नहीं हुई कि विधानसभा का सत्र कब से कब तक आहूत होगा तो फिर मोहन मरकाम जी ने उसके पहले अपने फेसबुक में उसको सार्वजनिक कैसे कर दिया ? यह गंभीर विषय है और इसलिए अजय चंद्राकर जी ने सदन के अंदर इस बात का उल्लेख किया है। हमारा आपसे यह आग्रह है कि 5 दिसम्बर को भानुप्रतापपुर का उप चुनाव होने वाला है।

अध्यक्ष महोदय :- अभी 5 दिसम्बर को होने वाला है ?

श्री नारायण चंदेल :- जी। क्या आपने चुनाव आयोग से इस संबंध में सलाह-मशवीरा किया था कि हम विशेष सत्र बुला रहे हैं ? 19 सितम्बर को माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया। अक्टूबर निकल गया, नवम्बर निकल गया तो फिर 2 महीने 10 दिन तक यह सरकार क्या कर रही थी ? अगर हमारे आदिवासी भाइयों की।

श्री अजय चंद्राकर :- किस संबंध में विचार कर रही थी ?

श्री नारायण चंदेल :- आपको एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और सामान्य वर्ग की चिंता थी और उनके आरक्षण की चिंता थी कि हमको आरक्षण को फिर से 32 प्रतिशत करना है तो यह सरकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थी ? माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 महीने 10 दिन गुजर गये। यदि आपको इसकी चिंता रहती तो आप तत्काल अध्यादेश लाते और अक्टूबर, नवम्बर में विशेष सत्र बुलाते। ऐसा कौन-सा

पहाड़ टूट गया कि आपको अभी सत्र बुलाना पड़ा ? 5 दिसम्बर को भानुप्रतापपुर का उप चुनाव है और आप इस आरक्षण को राजनीति से जोड़ रहे हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बार-बार भानुप्रतापपुर का जिक्र क्यों कर रहे हैं ? क्या आप भानुप्रतापुर उप चुनाव से डर रहे हैं ?

श्री कवासी लखमा :- हां।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, मैंने इसलिए कहा कि 5 दिसम्बर को उप चुनाव है तो फिर आपने 1 और 2 दिसम्बर को सत्र क्यों बुलाया ?

श्री रविन्द्र चौबे :- आरक्षण का लाभ केवल भानुप्रतापपुर को नहीं बल्कि पूरे प्रदेश को मिलने वाला है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जरा यह बतायें कि इनका प्रत्याशी कौन है ?

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि 8 तारीख को मतगणना है। 8 दिसम्बर को। आप 9 तारीख को सत्र बुलायें और 9 तारीख को इस पर चर्चा करा लें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता आंदोलित हैं और वह सड़क पर आ गई हैं तो उनको कैसे शांत किया जाए ? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय भूपेश बघेल जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप 9 तारीख को इस पर चर्चा करा लें। आप इसको आगे बढ़ा दें। यह आपका अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है। धन्यवाद। आपने अच्छा विचार व्यक्त किया इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री अमरजीत भगत :- यदि ऐसा करेंगे तो आप लोगों को आरक्षण विरोधी माना जाएगा और पहला दिन नेता प्रतिपक्ष जी का है।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- आप बैठिये। मुझे बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भूपेश बघेल :- आपकी कृपा होगी तो मैं बोल लेता हूं ?

श्री अजय चंद्राकर :- नहीं, मैं तो मंत्री जी को बचा रहा था।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री कवासी लखमा :- आप बीच में मत टोकना।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11:25 बजे **वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन**

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आज शुक्रवार दिनांक 02 दिसम्बर, 2022 की ही तिथि निर्धारित करता हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे पुनर्विचार के लिए आग्रह किया था। आपसे पुनर्विचार के लिए आग्रह इसलिए किया था कि आपके पास इतनी सारी विशेषाधिकार की सूचनाएं लंबित हैं कि हम लोग ही भूल जायेंगे। हमने पहली बार तो आसंदी के लिए लगाया था। दूसरी बात, हर बात में नियमों का शिथिलीकरण, वह पिछले दरवाजे से, वह बात कुछ कर रहे हैं और पिछले दरवाजे से अनुपूरक ला रहे हैं और आप इसमें भी शिथिलीकरण कर रहे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप लगातार आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि 09 तारीख को इस पर विस्तार से चर्चा कर लें। दूसरी बात, आपने विशेष सत्र बुलाया है और विशेष सत्र में कोई विषय अंकित नहीं था कि हम विशेष सत्र किस बात को लेकर बुला रहे हैं ?

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी बस को मालूम था।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें कोई विषय की जानकारी नहीं थी। विशेष सत्र मे सामान्य रूप से यह परम्परा नहीं होती है। विशेष सत्र एक दिन का होता है और इस विशेष सत्र में अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया गया है, फिर विनियोग पर चर्चा होगी। अभी तक अनुपूरक टेबल नहीं हुआ था, हमें यहां आने के बाद जानकारी मिली। हमारा कोई भी सदस्य तैयारी नहीं करके आया है कि आखिर अनुपूरक में क्या है ? हम क्या बातचीत करेंगे, हम क्या चर्चा करेंगे ? सामान्य रूप से सदन की ऐसी परम्परा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात पर कडी आपत्ति करते हैं, विरोध करते हैं। हम अनुपूरक की चर्चा में भाग नहीं लेंगे, हम बहिर्गमन करते हैं।

समय

11.26 बजे **बहिर्गमन**

शासन द्वारा अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत करने के विरोध में

(श्री नारायण चंदेल, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन किया गया।)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय

11.27 बजे **शासकीय विधि विषयक कार्य**

(1) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

(2) छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

11.30 बजे **<u>वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान</u>**

अध्यक्ष महोदय :- अब अनुपूरक मांगों पर चर्चा होगी । परम्परानुसार सभी मांगें एक साथ प्रस्तुत की जाती है और उस पर एक साथ चर्चा होती है । अत: मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहूंगा कि वे सभी मांगे एक साथ प्रस्तुत कर दें ।

मैं, समझता हूँ कि सदन इससे सहमत होगा ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूँ कि-

दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या- 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, तिरानवे हजार,आठ सौ बत्तीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ-

अध्यक्ष महोदय :- चर्चा करें । मोहन मरकाम जी ।

श्री मोहन मरकाम (कोंडागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-2023 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, तिरानवे हजार,आठ सौ बत्तीस रूपये इस सदन से मांग की गई है । छत्तीसगढ़ के विकास, छत्तीसगढ़ की प्रगति के लिये सदन से मांग की गई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसका समर्थन करते हुये इस सदन से निवेदन करता हूँ कि इसकी अनुमति प्रदान की जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कहेंगे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष की हालत क्या है, यह दिखाई दे रहा है । आज विशेष सत्र आहूत किया गया और इसमें द्वितीय अनुपूरक भी लाया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा । द्वितीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2022-2023 के मुख्य बजट में कुल प्रावधान 1 लाख 4 हजार करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

2904 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 4,338 करोड़, प्रथम एवं द्वितीय अनुपूरक सहित 1 लाख 11 हजार 242 करोड़ का बजट आकार है । द्वितीय अनुपूरक में कुल व्यय 4,338 करोड़, राजस्व व्यय 3,749 करोड़, पूंजीगत व्यय 589 करोड़ । वर्ष 2022-2023 के मुख्य बजट राजकोषीय घाटा 14,600 करोड़, वर्ष 2022-2023 के लिये जीएडीपी 4 लाख 38 हजार 478 करोड़, द्वितीय अनुपूरक सहित राजकोषीय घाटा 19,941 करोड़ ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के वर्तमान वित्तीय स्थिति वर्ष 2022-2023 के बजट में राजस्व प्राप्तियां 44,500 करोड़ अनुमानित है, जिसके विरूद्ध अक्टूबर माह तक 25,228 करोड़ प्राप्त हो चुके हैं । अत: राजस्व में वृद्धि के प्रयासों के फलस्वरूप इनमें और वृद्धि की संभावना है । जबकि वहीं केन्द्र सरकार से राजस्व प्राप्तियां 44,573 करोड़ अनुमानित है, जिसके विरूद्ध अक्टूबर माह तक सिर्फ 21,332 करोड़ ही प्राप्त हुये । इससे स्पष्ट है कि केन्द्र की तुलना में राज्य के राजस्व प्राप्तियां 18 प्रतिशत अधिक है । गत वर्ष के बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं कड़े अनुशासन से वर्ष 2021-2022 में 4,642 करोड़ का राजस्व आधिक्य बनाये रखने में सफल रहे हैं । इस वर्ष के अक्टूबर माह तक 898 करोड़ का अधिक राजस्व बना हुआ है । इससे स्पष्ट है कि राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है एवं हमारे द्वारा प्रदेश के किसानों, मजदूरों, महिलाओं एवं आम नागरिकों को दी जा रही आर्थिक सहायता एवं जनकल्याण की योजनाओं के कारण उनके आय तथा क्रय क्षमता में वृद्धि हुई है जो राज्य के बेहतर राजस्व प्राप्तियों में परिलक्षित हो रही है । चालू वर्ष के प्रथम आठ माह में अप्रैल से नवम्बर तक हमने बाजार से कोई ऋण नहीं लिया है, जबकि पड़ोसी राज्यों में कई-कई बार लोन ले चुके हैं । जबकि नवम्बर माह तक 6000 करोड़ से अधिक का पूंजीगत व्यय राज्य के संसाधनों से किया जा चुका है । इससे राज्य के सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को फसल का समेकित दाम उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेती की लागत कम करने का यथासंभव प्रयास किया गया है। हम न केवल समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं बल्कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के माध्यम से किसानों की खेती की लागत वहन करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड़ 9 हजार के मान से आदान सहायता दी जा रही है। इस राजीव गांधी किसान न्याय योजना अंतर्गत अनुपूरक में 950 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। (मेजों की थपथपाहट)

इसी प्रकार खेती में किसानों को सहयोग करने वाले कृषि मजदूरों को भी राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 7 हजार रूपये अनुदान दिया जा रहा है। इस अनुपूरक में 129 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

पांच नवीन जिलों, सक्ती, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिलों में नवीन उप संचालक कृषि कार्यालय की स्थापना की जायेगी। इसके लिये अनुपूरक में 165 नवीन पदों के सृजन सहित आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

पांच नवीन जिलों, सक्ती, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी, एवं खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिलों में नवीन उप संचालक उद्यानिकी कार्यालयों की स्थापना की जायेगी। इसके लिये अनुपूरक में 154 पदों के सृजन सहित आवश्यक प्रावधान किया गया है।

पांचों नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय कोतवा, सीतापुर, चिरमिरी, रामानुजगंज तथा चपका में स्थापना की जायेगी। तीन नवीन कृषि महाविद्यालय, प्रतापपुर, शंकरगढ़, पखांजूर में स्थापना की जायेगी। नगरीय क्षेत्र के लिये सबके लिये आवास, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत सात सौ करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 70 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन योजना अंतर्गत 28 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नगरीय निकाय के जल आवर्धन हेतु 20 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नगरीय निकायों को स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क की राशि से अनुदान हेतु 60 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन अंतर्गत राज्यांश 300 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सौर सुजला योजना अंतर्गत सोलर कृषि पंपों की स्थापना हेतु अनुपूरक में 105 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। 05 एच.पी. तक के कृषि पंपों को नि:शुक्ल विद्युत प्रदाय हेतु इस अनुपूरक में 112 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 400 यूनिट तक के बिजली बिल हॉफ योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत देयकों में राहत हेतु इस अनुपूरक में 31 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। स्टील उद्योगों के उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत देने हेतु 57 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में लोक सेवा आयोग एवं व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा परीक्षाएं आयोजित की जाती है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये, लिये जाने वाले परीक्षा शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य शासन द्वारा आयोग को 2 करोड़ 50 लाख और मंडल परीक्षाओं के आयोजन होने पर व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु 10 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

राज्य में 15 नवीन शासकीय, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें 07 सामान्य क्षेत्र में, महाविद्यालय, लोहाण्डीगुड़ा, नांदघाट, दाढ़ी, देवरबीजा, सक्ती, बाजार अतरिया, जालबांधा तथा आदिवासी क्षेत्र में आठ महाविद्यालय, घोटिया, रघुनाथ नगर, रनहद, धनोरा, कुटरू, छोटे डोंगर, धवकपुर, कोड़ी बचरा, खोले जायेंगे। इस हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किये गये हैं।

राज्य में पांच नवीन शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय की स्थापना की जायेगी। इसमें 03 आदिवासी क्षेत्र में, चिरमिरी, बगीचा, मरवाही तथा सामान्य क्षेत्र में थान-खम्हरिया तथा पथरिया में खोले जायेंगे। इस हेतु अनुपूरक में आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

प्रदेश में 06 स्थानों पर नवीन आई.टी.आई. की स्थापना की जायेगी। इसमें आदिवासी क्षेत्र में पांच, सामरी, धनोरा, बिहारपुर, शिवनंदनपुर तथा छोटे डोंगर तथा सामान्य क्षेत्र में तोरला विकासखण्ड अभनपुर जिला रायपुर में खोली जायेगी। इस हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई कैंपस में 100 सीटों की कन्या छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिये अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय दुर्ग में सहायक प्राध्यापक के 40 पदों का सृजन किया गया है। शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय महासमुंद में ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा। 7 पूर्व माध्यमिक शालाओं का हाईस्कूल एवं 9 हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। 2 पूर्व माध्यमिक शालाओं, 09 हाईस्कूलों एवं 36 हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवनों का निर्माण किया जाएगा। ग्राम तोरला हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी में उन्नयन किया जाएगा। पूर्व माध्यमिक शाला सुलेंगा, जिला नारायणपुर को हाईस्कूल एवं शासकीय हाईस्कूल गढ़िया, विकासखण्ड लोहाण्डीगुड़ा जिला बस्तर को हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन किया जाएगा। शहीद गेंदसिंह जी की आदमकद प्रतिमा का निर्माण डोंडी तथा पखांजूर में उनकी स्मृति में निर्मित स्मारक भवन के मरम्मत हेतु अनुपूरक में 22 लाख 83 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर में शहीद वीरनारायण सिंह जी के स्मारक, संग्रहालय भवन निर्माण के लिए 1 करोड़ 85 लाख का अतिरिक्त, यह पहले बजट में है ही। इसके अतिरिक्त 1 करोड़ 85 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। मुंगेली के लालपुर में गुरूघासीदास जयंती स्थल के सौन्दर्यीकरण हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। पाटन एवं रायपुर में एक-एक बालक एवं कन्या नवीन प्रयास आवासीय विद्यालय की स्थापना हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। रायगढ़ में 200 सीटर नवीन प्री एवं पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास, साल्हेवारा में 50-50 सीटर नवीन पोस्ट मेट्रिक अनुसूचित जाति, जनजाति बालक एवं कन्या छात्रावास, बालोद में एक, बस्तर क्षेत्र में 05, सरगुजा क्षेत्र में 04, बालक एवं कन्या नवीन प्री-मेट्रिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति छात्रावास का निर्माण किया जायेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना अंतर्गत इस अनुपूरक में 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना अंतर्गत 250 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। मितानिन कल्याण निधि अंतर्गत इस अनुपूरक में 25 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु इस अनुपूरक में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं, जो मैं सदन में उपस्थित

माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा। माना में 30 बिस्तर का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन करते हुए 66 पदों का सृजन, 30 बिस्तर अस्पताल साजा, जिला बेमेतरा को पुन: संशोधित करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य साजा में 37 पदों का सृजन, छुईखदान, गंडई, धमधा, तीमगढ़ एवं कोंटा में 50 बिस्तर अस्पताल हेतु कुल 105 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है, नारायणपुर में 50 बिस्तर मातृ शिशु अस्पताल की स्थापना, ग्राम नवागांव में उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुटरू, आवापल्ली, परपोड़ी, रामगढ़,आमाबेड़ा, बड़े डोंगर, मारो में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन हेतु 259 पदों का सृजन, केसरा, बोरेंदा, उदरगढ़, पथराटोली, बासनवाही, बारगरी एवं भैंसापुर में नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन की स्थापना हेतु 14 पदों का सृजन किया गया है। उपस्वास्थ्य केन्द्र गोरिया एवं कंदईबहार के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उन्नयन हेतु 24 पदों का सृजन किया गया है। चंदुलाल चन्द्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय दुर्ग के भवन मरम्मत कार्य हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

वन एवं आवास पर्यावरण, छत्तीसगढ़ प्रतीकात्मक वन रोपण निधि पैम्पा अंतर्गत 300 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। तेन्दूपत्ता संग्रहण सामाजिक सुरक्षा योजना अंतर्गत 16 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी कार्पोरेशन लिमिटेड को 100 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों को अनुरक्षण हेतु 100 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत राज्यांश की पूर्ति हेतु 6 करोड़ 49 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 8 करोड़ 40 लाख का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सबल योजना अंतर्गत 20 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वन स्टाप सेंटर सखी के संचालन एवं भवन निर्माण हेतु 12 करोड़ 60 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ योजना अंतर्गत 3 करोड़ 30 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। वीरांगना अवंति बाई लोधी स्मृति पुरस्कार हेतु 3 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। महिला हेल्प लाईन 181 के संचालन हेतु 60 लाख रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सरगुजा में नारी निकेतन भवन निर्माण हेतु आवश्यक प्रावधान किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य युवा महोत्सव वर्ष 2022-23 के आयोजन हेतु 3 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। खेल एवं युवक कल्याण संस्कृति विभाग, राज्य में ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने की दृष्टि से राज्य में ...(जारी)

श्री चौधरी

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चौधरी\02-12-2022\a19\11.45-11.50

(पूर्व से जारी) श्री भूपेश बघेल :- प्रतियोगितों के लिए तैयार करने की दृष्टि से राज्य में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए अनुपूरक में 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु इस अनुपूरक में 5 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में निर्मित राज्य मार्ग, मुख्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य भी प्राथमिकता से किया जायेगा। इस हेतु अनुपूरक में 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राज्य में अधोसंरचना विकास के कार्यों को गति प्रदान करने की दृष्टि से 47 शहरी एवं ग्रामीण सड़कों तथा पुल-पुलियों का निर्माण किया जायेगा। इसके लिए अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में उद्योगों के अधोसंरचनात्मक विकास एवं उन्नयन हेतु अनुपूरक में 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। नवीन औद्योगिक केन्द्र की स्थापना हेतु अनुपूरक में 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। छुईखदान में सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु अनुपूरक में 1 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को प्रोत्साहन करने हेतु नागरिकों को ऐसे वाहनों के क्रय पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। इससे शहरी क्षेत्रों में प्रदूषण की कमी होगी तथा पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। इस हेतु अनुपूरक में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य में सड़क मार्ग में सामान परिवहन एवं ओवरलोडिंग की समस्या के समाधान हेतु वेवब्रिज की स्थापना की जायेगी। इसके लिए अनुपूरक में 6 करोड़ 34 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्य के रीजनल कनेक्टिविटी योजना अंतर्गत निर्मित विमानतलों जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरण क्रय हेतु 8 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अन्योदय अन्न योजना अंतर्गत चना प्रदाय करने हेतु अनुपूरक में 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। राईस फोर्टीफिकेशन योजना हेतु इस अनुपूरक में 34 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वधान किया गया है। 700 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में नाबार्ड की सहायता से गोदामों का निर्माण किया जा रहा है। इस हेतु 70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

राज्य पुलिस एवं न्याय प्रशासन के अंतर्गत प्रदेश में 7 नवीन अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय की स्थापना बकावंड, छिंदगढ़, आवापल्ली, धौरपुर, शिवरीनारायण, रामानुजनगर और डौंडी में तथा 11 नवीन तहसील कार्यालयों की स्थाना करपावन, आमाबेडा, कोयलीबेड़ा, बांदे, भटगांव, जगरगुंडा, दोरनापाल, घुमका, चन्द्रपुर, कापू एवं पचपेड़ी में की जायेगी। इस हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। जिला दुर्ग में संयुक्त जिला कार्यालय भवन एवं कलेक्टर भवन उन्नयन कार्य हेतु अनुपूरक में 2 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5 नवीन जिला में संयुक्त जिला कार्यालय भवनों का निर्माण किया जायेगा, इस हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। केन्द्र पोषित, पीड़ित

क्षतिपूर्ति योजना में अनुपूरक में 17 करोड़ 37 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। बस्तर क्षेत्र में नक्सली उन्मूलन हेतु गठित डिस्ट्रिक्ट स्ट्राईक फोर्स के लिए 3736 नवीन पदों के सृजन हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। 07 नवीन पुलिस चौकी की स्थापना कोलेन्हझरिया, उपरकछार, तेरजू, सकर्रा, सिवनी, कोड़गार, खोर्री एवं दंतेवाड़ा में नवीन महिला थाना की स्थापना, नांदगुर एवं सरोना में 02 नवीन पुलिस थाना की स्थापना तथा नवीन जिला खैरागढ़, छुईखदान में पुलिस अधीक्षक कार्यालय, पुलिस लाईन की स्थापना की जायेगी। इन सभी के लिए 672 पदों के सृजन सहित अनुपूरक में 60 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के लिए स्थापना अनुदान मद हेतु अनुपूरक में 4 करोड़ 50 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के कम्पयूटरीकरण हेतु अनुपूरक में 1 करोड़ 70 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उच्च न्यायालय आवासीय परिसर एवं न्यायिक अधिकारियों के आवासगृहों में निर्माण कार्य हेतु अनुपूरक में 1 करोड़ 15 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। 5 नवीन जिलों में जिला कोषालय की स्थापना हेतु अनुपूरक में आवश्यक प्रावधान किया गया है। पत्रकारिता प्रजातंत्र के चौथे स्तम्भ के रूप में जानी जाती है। कोविड के आपदा समय में पत्रकार साथियों के असामयिक निधन के कारण उनके प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का संवेदनशील निर्णय हमारी सरकार द्वारा लिया गया। इस हेतु अनुपूरक में 40 लाख रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेशवासियों के कल्याण एवं उनको शासन, प्रशासन द्वारा बेहतर सुविधाओं के साथ-साथ जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनके घरों तक पहुंचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। यह अनुपूरक हमारे छत्तीसगढ़वासियों के लिए उनकी सरकार से अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति का एक और माध्यम है। अत: मेरा सदन से विनम्र अनुरोध है कि 4337 करोड 76 लाख रुपये के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित किया जाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

श्री जयप्रकाश

Jaiprakash\02-12-2022\a20\11.50-11.55

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 79 एवं 81 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर चार हजार तीन सौ सैंतीस करोड़, पचहत्तर लाख, तरानवें हजार, आठ सौ बत्तीस रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री भूपेश बघेल।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

11:51 बजे

शासकीय विधि विषय कार्य

(1) छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) का पुर:स्थापन करता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के पुर:स्थापन पर मेरी आपत्ति है। इसके पुर:स्थापन पर आपत्ति लेने का हमको अधिकार है। अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- Just minute.

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस विधेयक के पुर:स्थापन पर आपत्ति लेने का हमको अधिकार है।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष महोदय, विधेयक पुर:स्थापित हो।

श्री भूपेश बघेल :- अब ऐसी क्या बात कर रहे हैं भाई। आप लोग तो बहिगर्मन कर दिये थे।

अध्यक्ष महोदय :- आपके नेता जी बजट का बहिष्कार करके चल दिये हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उन्होंने बजट का बहिष्कार किया, विनियोग विधेयक का नहीं किया है। विनियोग विधेयक पर हम आ गये हैं। विनियोग विधेयक अलग है और बजट प्रस्तुत करना अलग है। आप तो विद्वान हैं। आप तो लोक सभा में भी रहे हैं। आप केंद्रीय मंत्री और राज्य के मंत्री भी रहे हैं।

श्रम मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- बृजमोहन भाई, उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई है।

श्री भूपेश बघेल :- दोनों की एक साथ चर्चा हुई है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे को मालूम है कि गाड़ी कितनी आगे बढ़ी है और कितनी नहीं बढ़ी है। कितनी अवैधानिकता चल रही है, यह हमको भी मालूम है।

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अच्छा, आप आसंदी को आरोपित कर रहे हैं। यह क्या चल रहा है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ऐसा है माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप तो बहुत विद्वान हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- अति विद्वान।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चलिये, अति विद्वान हैं। कोई भी विधेयक प्रस्तुत होने के पहले दो दिन पूर्व वितरित होनी चाहिए। वितरित होने के बाद दो दिन पहले ..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप तो यहां नहीं थे। आप दो दिन कहां थे?

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री भूपेश बघेल :- बृजमोहन जी, ऐसा है कि जब आप आयेंगे तभी से सवेरा होगा और जब नहीं आयेंगे तो सवेरा नहीं होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- निश्चित रूप ये जब जागे तभी से सवेरा है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- आप जब आयेंगे तब (व्यवधान) कबूल है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं चाहूंगा कि विनियोग विधियेक या कोई भी विधेयक प्रस्तुत होने के लिए दो दिन का समय देना चाहिए। अगर यह तरीके से होगा तो क्यों नहीं चलेगा?

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, हमर बृजमोहन अग्रवाल जी के बात हर ओ मरे म मेछा उबकाय कस हे।

अध्यक्ष महोदय :- यादव जी, बैठिये। चलिये, आपको जो कहना है कह दीजिये। मैं सुन रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, अभी भी नेता प्रतिपक्ष जी को बोलने देने के लिए यह दोनों लोग तैयार नहीं हैं। वह भाई कमेंट किया और यह उनका बोल रहे हैं। थोड़ा उनसे सीखिये। आपकी पार्टी ने उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है, उसका मतलब वह चुपचाप बैठे हैं। फिर बदल जायेगा क्या? अब यह मौका मिलने वाला नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लखमा जी, ऐसा है कि मुझे जो चाहिए वह मैं ले लूंगा। आप चिंता मत करिये।

श्री कवासी लखमा :- आप नहीं ले रहे हो। खेल खत्म हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार कोई भी विधेयक प्रस्तुत करने के लिए दो दिन पूर्व उसकी सूचना देनी चाहिए। दो दिन पहले उसको बताना चाहिए। आपको सदन में यह बताना चाहिए था कि मैंने नियमों को शिथिल कर दिया और मैं शिथिल करके इसको ले रहा हूं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- सर, यह तो बाद में आये हैं। इनको पता ही नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं।

श्री रामकुमार यादव :- 2 घंटा बाद म आथे। छत्तीसगढ़ी म अइ ला कइथे कि मरे मा मेछा उबकाय।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विनियोग विधेयक, विधेयक legislative assembly है और legislative assembly में इतनी कौन सी महत्वपूर्ण बात हो गई कि जिसमें इस विधेयक को आप यदि स्थगति करके भी रहे हैं तो ऐसी क्या आवश्यकता है? यह regular पत्र में भी आ सकता है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- पेपर में छपनी चाहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, हम यह चाहते हैं कि माननीय अध्यक्ष जी यह बता दीजिये कि इसकी necessity है, यह जरूरी है। इसके बिना सरकार की काम नहीं चलेगी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, बता चुके हैं। आप तो अभी आये हो। पहले से बता चुके हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- भैया, स्थगित करने से नहीं होगा। स्थगित करना क्यों जरूरी है?

श्री कवासी लखमा :- आपके नेता को पहले मालूम नहीं था क्या? आप अपने नेता जी से पहले पूछो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्योंकि विधान सभा नियम, कायदे-कानूनों से चलती है। आपने यदि स्थगित भी किया है, इसको छूट भी दी है तो उसका कारण क्या है? इसकी क्या आवश्यकता है? क्या इस अनुपूरक बजट के बिना सरकार नहीं चलेगी ? पब्लिक एक्सचेकर का खर्चा नहीं हो पायेगा ? अगर यह जरूरी है, आप इन शब्दों का उपयोग कर लें तो हम इसके लिये तैयार हैं कि इसके बिना सरकार नहीं चलेगी तो आप इस बात को बता दें । मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए कि मैंने नियमों को शिथिल क्यों किया है ? इसका कारण क्या है ? नेसेसिटी क्या है? सरकार को लिखकर देना चाहिए कि इसकी नेसेसिटी इसलिये है और इसलिये हम विनियोग विधेयक बिना किसी नियम, कायदे-कानून को तोड़कर, [xx] [1] करके और उसके बाद हम ला रहे हैं, यह आप बोल दें उसके बाद हम तैयार हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोल दीजिये ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो माननीय बृजमोहन जी ने कहा कि [xx] करके तो उसको तो आप पहले विलोपित करा दीजिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये कर दिया । चलिये, आगे बढिये ।

श्री अजय चंद्राकर :- हम उसको साबित कर देंगे ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा अजय भाई आपने 5 साल गेप किया है । माननीय बृजमोहन जी तो पूरे 15 साल आदरणीय डॉ. साहब की सरकार में वरिष्ठ मंत्री थे, अब अनुपूरक क्यों लाया जाता है तो सरकार में आपने भी कई बार अनुपूरक लाया है । उन्होंने कहा न कि क्यों जरूरी है इसको सरकार को लिखकर देना चाहिए तो आपने 15 साल सरकार चलायी है । अनुपूरक लाने के लिये क्या जरूरी है यह आप खुद समझते हैं । कभी आसंदी से इस तरीके से शिथिल होता है तो सरकार लिखकर दे, ऐसी तो कभी परंपरा रही नहीं है ।

श्री अजय चंद्राकर :- परंपरा तो नहीं है लेकिन आप नयी-नयी परंपरा बना रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अजय जी, ऐसा नहीं है ।

[1] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आज की कार्यसूची में यह बात उठायी थी कि आपने विशेष सत्र किसके लिये बुलाया, बिजनेस क्या कर रहे हैं, पारित नहीं हुआ उसका संकल्प ला रहे हैं ऐसा कभी हुआ है तो आप बता दीजिये । आप दो विशेष सत्र के नोटिफिकेशन को देख लीजिये कि क्या चर्चा हुई है तो इसलिये आप परंपरा-नियम की बात मत करिये, आपको शोभा नहीं देता है । (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- चर्चा से तो आप भाग जाते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- आप ऐसे-ऐसे काम कर रहे हैं । यह सब लिखा जायेगा, यह प्रोसिडिंग कहीं बाहर नहीं जायेगी । आप इस बात को ध्यान रखना । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप चर्चा तो करते नहीं हैं, आप खुद भाग जाते हैं और फिर बहस करते हैं । आपके पास दूसरा कोई काम नहीं है ।

संसदीय सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्री से संबद्ध (डॉ. (श्रीमती) रश्मि आशिष सिंह) :- यह भी रोज लिखा जा रहा है कि सेम डे वीआरएस देकर और सेम डे मुख्य चुनाव आयुक्त बना देते हैं, यह भी लिखा जा रहा है ।

श्री अजय चंद्राकर :- आप इस बात को ध्यान रखना कि यह प्रोसिडिंग जिंदा रहेगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री जी आप विद्वान हैं । मैं आपसे इस देश के इतिहास में लोकसभा में या राज्यसभा में या किसी भी विधानसभा में पिछले छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद, मध्यप्रदेश राज्य बनने के बाद विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके लाया गया हो यह आप बता दें । बाकी चीजें आती हैं, सामान्य कानून आते हैं लेकिन विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके लाया गया हो यह आप बता दें । मैंने लाईब्रेरी से रिकॉर्ड निकलवाया है उस रिकॉर्ड के बाद विनियोग विधेयक क्योंकि विधानसभा का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि विधेयकों को पारित करना और कानून बनाना और विनियोग विधेयक से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता । विनियोग विधेयक को पास करने के लिये बहुत सारे अधिकार अध्यक्ष को भी दिये गये हैं परंतु विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके लाया जायेगा । पब्लिक एक्सचेकर को खर्च करने के लिये विधानसभा को महत्व नहीं दिया जायेगा यह आज तक नहीं हुआ है कि विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके लाया गया हो ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, पूर्व में भी ऐसे अवसर आ चुके हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं, अवसर दिखा दें । मुझे बता दें । पूर्व में ऐसे अवसर विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल कर...।

अध्यक्ष महोदय :- अनुपूरक का उपस्थापन, मांगों पर चर्चा एवं मतदान के पश्चात्...।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहता हूं । मैं अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- विधेयक पुर:स्थापित कर उस पर विचार एवं पारण हो चुका है । माननीय मुख्यमंत्री जी आप चर्चा करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता हूं कि विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके कभी लाया गया हो, यह आप मुझे बता दें कि देश के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में, राज्य के इतिहास में । आप मुझे बता दें तो मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है, बतायेंगे ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा लग रहा है कि ये आरक्षण विधेयक आने नहीं देना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण मिले ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप विधेयक पहले लाते, आप अनुपूरक पहले क्यों लाये हो ? आपके लिये आरक्षण जरूरी नहीं है । (व्यवधान) आपके लिये भ्रष्टाचार करना जरूरी है । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- अग्रवाल जी मेन काम ला बाद में किये जाथे ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

समय :
12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- माननीय बघेल जी, पारित करने के लिए कहिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2022 (क्रमांक 20 सन् 2022) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।
(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय भूपेश बघेल जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कुछ नहीं होता। भेड़िया धसान नहीं होगा। भेड़िया धसान नहीं होगा। बहुत विद्वान संसदीय कार्य मंत्री जी हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- अति विद्वान।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, आरक्षण का इतना विरोध मत करो।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें पुर:स्थापन के समय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। पुर:स्थापित हो जायेगा तो उसका मतलब नहीं होगा। इनकी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आप इनकी बात सुन लीजिए। मेरी बात सुन लीजिए न।

अध्यक्ष महोदय :- सुन तो रहा हूं। पहले आप दोनों तय कर लीजिए कि पहले कौन बोलेगा। आप पहले दोनों तय कर लीजिए कि पहले कौन बोलेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने हाथ उठाया है।

अशासकीय/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं न। आप दोनों तय कर लीजिए कि पहले कौन बोलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने तो तय किया हुआ है। आप तो सुनने को तैयार नहीं हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज इनका असली चेहरा समझ में आयेगा।

अध्यक्ष महोदय :- आप दोनों एक साथ बोलना चाह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप सुनने को तैयार नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने आपसे कहा, आप नहीं सुन रहे हैं। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये।)

श्री अजय चन्द्राकर :- आप सुन लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सुन तो रहा हूं। (व्यवधान) प्लीज देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा होनी है। पूरे प्रदेश की ही नहीं, देश की नजर इस तरफ है। आप अपने व्यवहार को संयमित रखिए और विधेयक पर चर्चा होने दीजिए।

श्री अमितेश शुक्ल :- आरक्षण का विरोध न करें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पुर:स्थापन के समय मैं अपनी बात करना चाहता था और यह सिर्फ आपके ऊपर निर्भर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- पुर:स्थापन के समय तो बहिर्गमन कर दिये थे।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आज इनका असली चेहरा समझ में आ जायेगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय लोकतंत्र में parliamentary की supremacy होती है। हम इनकी किसी भी आपत्तियों के बावजूद भाग लेंगे और समर्थन भी करेंगे। ये करते रहें, लेकिन जो कानून की बात है, जो प्रक्रिया की बात है, वह आग्रह हम आपसे कर रहे हैं। आज 2 तारीख है। 5 तारीख को भानूप्रतापपुर का उपचुनाव है। आप सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था हैं और ऐसी संवैधानिक संस्था हैं, जिसको अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अच्छा, आप भानूप्रतापपुर चुनाव से डर रहे हो क्या?

श्री अजय चन्द्राकर :- अकल की बात समझ में नहीं आयेगी। आपको अकल की बात समझ में नहीं आयेगी। बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- चन्द्राकर जी, ये 95 पेज का जो फैसला आया है, उसे तो पढ़कर आये हैं न।

श्री अजय चन्द्राकर :- सबको पढ़ेंगे। अभी सबको बोलेंगे। चिंता मत करो।
कहीं जाने अनजाने में आप निर्वाचन आयोग से सलाह ले लीजिए कि हमारा आज का जो पारण है, वह कहीं चुनाव को प्रभावित करेगा या नहीं। आज आपने व्यवस्था दी है कि मैं सत्र को 02 से 06 तक भी लूंगा। राज्यपाल महोदय, सरकार के हाथ से अब विषय निकल चुका है। विषय आपके हाथ में है कि

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

इसका परीक्षण करके आप 09 तारीख को, 10 तारीख को, 15 तारीख को जिस दिन भी चाहें वह आपके हक में है कि ऐसा हुआ है, मैं इस विषय को इतने तारीख तक स्थगित करता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- केवल एक लाइन में बात कीजिए कि आप आरक्षण के पक्ष में हैं या नहीं हैं? महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा है और आप आरक्षण के पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं, यह आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- समय आने पर सबका उत्तर दूंगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आप आरक्षण के पक्ष में हैं या खिलाफ में हैं, आप अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करिये । पहले ही आग्रह कर दिया गया है कि महत्वपूर्ण विषय आ रहा है, व्यवधान उत्पन्न न करें, इसके बाद भी आप उसमें व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, अब यह आपके अधिकार में है कि हम आरक्षण दें, जितना देना है उतना दें, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूं । मैं आपकी सुप्रीमेसी में बात कर रहा हूं, कहीं जाने-अनजाने में हम कोई गलत लेजिसलेशन तो नहीं कर रहे हैं । हम निर्वाचन आयोग से पूछ लें, यदि जरूरी है तो हम 6 तारीख को 9 तारीख को या 2 से 6 जनवरी तक कभी भी बैठ सकते हैं । (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- जान बूझकर व्यवधान मत करिये । आपकी करतूतों का, 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पाप किया है, आदिवासियों को धोखा दिया । हम लोग उसको धोने जा रहे हैं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- जब दोनों पक्ष सर्वसम्मति से पास कर रहे हैं तो मतदाता उसको समझेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ।

श्री रामकुमार यादव :- अजय चन्द्राकर जी अउ बृजमोहन जी किताब ला दिखाथे, जइसने संविधान के किताब ला बाबा साहब अंबेडकर नइ, इही मन लिखे हे ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह सदन नियम, कानून, कायदे, परम्परा से चलता है । मैंने आपके सामने एक प्रश्न उठाया कि देश के इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में, राज्य सभा के इतिहास में, मध्यप्रदेश के इतिहास में अगर कभी विनियोग विधेयक नियमों को शिथिल करके..।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब तो पुर:स्थापित हो गया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हो जाने दो, लेकिन हमको सवाल उठाने का अधिकार है । ऐसा कोई भी कानून क्या हम बना सकते हैं जो संविधान के विरूद्ध हो, यदि कोई कानून संविधान के विरूद्ध हो तो क्या हमको बनाने का अधिकार है ? हम आरक्षण का समर्थन करते हैं, आप 100 प्रतिशत लाओ, हम समर्थन करेंगे लेकिन नियम, कायदे, कानून से लाओ, प्रक्रिया का पालन करो । क्या आपको यह अधिकार है कि संविधान के विरूद्ध कानून बनाएं ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष जी, ट्रेन छूटकर दूसरे स्टेशन पहुंच चुकी है तब ट्रेन रोकने के लिए चैन खींच रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इस देश में दो ही तरीके से कानून बनते हैं । या तो पार्लियामेंट के ज़रिये या सुप्रीम कोर्ट के डिसिजन के ज़रिये । देश के 9 जजों की संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया, वह देश की आज तक की सबसे बड़ी संविधान पीठ बनी थी और उस संविधान पीठ ने जो निर्णय दिया, उस निर्णय के विरोध में हम कोई कानून इस सदन में ला सकते हैं क्या ? छत्तीसगढ़ की विधान सभा की परम्पराएं हैं यहां की परम्पराओं को पूरा देश मानता है । आज हम लोकतंत्र की हत्या करने वाली परम्परा यहां पर स्थापित कर रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण के खिलाफ में मत बोलिए ना ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं आरक्षण के पक्ष में ही बोल रहा हूं । आप यह विधेयक मगरमच्छ के आंसू बहाने के लिए ला रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण विधेयक पेश हो चुका है । अब जो बोलेंगे उसे माना जाएगा कि आरक्षण की खिलाफत कर रहे हैं । आरक्षण विरोधी माना जाएगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- वह तो मैं अपने भाषण में बोलूंगा । मैं तो अपने भाषण में आप लोगों को [XX][2]। (व्यवधान) क्या इस देश की 9 जजों की संविधान पीठ के द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध आप कोई प्रस्ताव यहां पर ला सकते हैं । क्या आपको अधिकार है ? कानून दो तरह से बनते एक लोक सभा से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से । अगर उसके विरोध में आप कोई कानून ला रहे हैं ।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष जी, इन्होंने जो [XX] बोला है, उसको विलोपित कर दीजिए ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- राज्य के हितों के लिए ला रहे हैं । राज्य सरकार को अधिकार है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हम अपनी जनता के हित में हमारा कानून बनाना चाह रहे हैं, आप क्यों रोक रहे हो ? (व्यवधान) प्रदेश की विधान सभा प्रदेश की जनता के लिए ला सकती है । संविधान में लिखा हुआ है, संविधान पढ़ो ।

श्री रामकुमार यादव :- तुमन 15 साल नइ करेव, तेला हमन करके दिखात हन। इतना दिन ले पिछड़ा वर्ग ला 14 परसेंट मा रोक कर रखे रहेव ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- और कितना शोषण करेंगे आप लोग ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी नियम प्रक्रिया में ही लिखा हुआ है कि "उसमें तथ्य के ऐसे विषय का उल्लेख न होगा जिस पर न्यायिक विनिश्चय लंबित हो अथवा किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी सांविधिक न्यायाधिकरण, सांविधिक प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किये गये आयोग या जांच न्यायालय के

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सामने लंबित हो ।" छत्तीसगढ़ की सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई है । जब छत्तीसगढ़ की सरकार स्वयं सुप्रीम कोर्ट गई है तो फिर उस विषय का निर्णय हम कैसे कर सकते हैं। क्या इनको स्रपीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है, क्या इनको हाईकोर्ट पर विश्वास नहीं है, क्या इस देश की संविधान पीठ पर विश्वास नहीं है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, एक कानूनी अड़चन दिखाकर आदिवासियों का हक लूटना चाहते हैं। अग्रवाल साहब, क्या आप आदिवासियों का हक लूटना चाहते हैं ? आपने वर्ष 2012 से लेकर 2018 तक पूरे छत्तीसगढ़ पर नियम कानून की अड़ंगाबाजी करके चकमा दिया। फिर एक चकमा देना चाहते हैं। आपने हाईकोर्ट का चक्कर कटवाकर आदिवासियों को धोखा दिया और फिर यह कानूनी अड़चन से धोखा देना चाहते हैं। बृजमोहन जी, आपका हस्ताक्षर है, आपने ही इसे किया था। आपने ही वर्ष 2012 में तय किया था, यह आपके और ननकीराम कंवर साहब का हस्ताक्षर हैं।

श्री अमरजीत भगत :- जो इस प्रकार के बात कर रहे हैं, (व्यवधान) पूरा अध्ययन करेंगे, उसके सामने आएंगे। प्रदेश में जनता की सुविधानुसार (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- हाईकोर्ट में पहली रिट किसने फाईल की है, यह देखिए।

श्री रामकुमार यादव :- जब ले माननीय मुख्यमंत्री जी आरक्षण दे हे, तब ले ए मन आए, बाएं, साय हो गेहे।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कौन-कौन आरक्षण को रोकना चाह रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आप अपनी पूरी बात कहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल साहब, यह हस्ताक्षर है या नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 16 नवंबर 1992 को इंद्रा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच बैठी। उस बेंच ने एक निर्णय दिया। उसके आधार पर कानून बना। क्या हमको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरोध में हमारे केन्द्र के कानून के विरोध में यहां पर कानून लाने का अधिकार है ? मैं यह चाहूंगा कि आप उसके बारे में निर्णय दे दें तो हम तैयार हैं। मैं मान लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं इस चर्चा में भाग लूंगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उसमें थोड़ा ठीक से पढ़िए, 50 प्रतिशत से ज्यादा कर रहे हो तो तथ्य देना पड़ेगा। यह लिखा हुआ है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- बाकी राज्यों के बारे में भी पढ़िए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत व्याख्या कर रहे हैं। इंद्रा साहनी केस में लिखा है कि आप 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दे रहे हैं तो उसके लिए तथ्य प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास तथ्य हैं।

श्री रामकुमार यादव :- पूरा प्रदेश के विधान सभा में पारित होए हे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। चौबे जी।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत व्याख्या कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, 27.04.2010 को विधि मंत्री जी ने (व्यवधान) माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, पुन्नूलाल मोहले जी, ननकीराम कंवर जी, रामविचार नेताम जी, (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, अगर मंत्री लोग इस प्रकार से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर कैसे चलेगा ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको बता रहा हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- पूरी प्रक्रिया से करेंगे। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य, श्री ननकीराम कंवर जी द्वारा खड़े होने पर)

श्री बृहस्पत सिंह :- काका ये आपका उपयोग कर रहे हैं, आप सावधान हो जाईए। ये लोग आपका उपयोग कर रहे हैं।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ यही कहना है कि इन्होंने जो बोला है कि आप लोगों को [XX][3] उसको विलोपित कर दें। (हंसी)

श्री ननकीराम कंवर :- [XX] तो हो गए और क्या रखा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अच्छा, [XX] नहीं करेंगे, खाली कपड़े उतारेंगे।

श्री अमितेश शुक्ल :- अध्यक्ष जी, इस तरह की असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, भाषा को तो मैं देख लूंगा, आवश्यक होगा तो मैं विलोपित कर दूंगा। चलिए, माननीय चौबे जी आप बोलिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, आज माननीय अजय जी और माननीय बृजमोहन जी, आरक्षण पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पेश विधेयक है, इसमें चर्चा से भागना क्यों चाहते हैं। आप हर बार कह रहे हैं कि हम समर्थन भी करेंगे लेकिन आप इंद्रा साहनी प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय के जजों के फैसले को आप यह सब बहस का मुद्दा क्यों बनाना चाह रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। यह आपके इस किताब में लिखा है। आप इसको भी नहीं मानेंगे क्या ? सरकार अपनी मनमानी करेगी क्या? कोई नियम कायदे कानून संविधान

---

[3] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

पर विश्वास नहीं करती क्या ? संसदीय कार्य मंत्री जी, आपकी तो यह ड्यूटी है कि आप नियम कायदे कानून संसदीय परंपरा, संसदीय ज्ञान का पालन करवाएं।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह नियम कानून दिखाकर आदिवासी लोगों का आरक्षण लूटना चाहते हैं क्या ?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के....।

श्री अजय चंद्राकर :- आप संसदीय कार्य मंत्री हैं। आप भाषण के बजाय नियम प्रक्रिया में बहस करिए। यह इमोशनल बात हम भी अभी करेंगे। जब बहस शुरू होगी तो पहले बात करेंगे। आपका संदर्भ क्या है, वह रखिए।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप आरक्षण में चर्चा चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बिल्कुल चाहते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप समर्थन देना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप नियम के तहत पारित करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप उसको विधानसभा में रोकना क्यों चाहते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- आप नियम के तहत पारित करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्यगण आप सीधे-सीधे बात मत करिए। आप मेरे माध्यम से बात कीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- चंद्राकर जी, बृजमोहन जी, आरक्षण लागू होने से पेट दर्द हो रहा है क्या ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हमको चिंता इस बात की है कि इस छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक चुनाव के लिए नियम विरूद्ध कानून बनाएंगे, दो मिनट में सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगा, दो मिनट में हाईकोर्ट में उड़ जाएगा। क्या एक चुनाव जीतने के लिए संविधान की धज्जियां उड़ायेंगे ? क्या एक चुनाव जीतने के लिए विधानसभा का अपमान?...(व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके सूत्रों के ऊपर यह प्रश्नचिन्ह लगा रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय में चर्चा होगी। आज यहां पर आरक्षण का विषय आ रहा है तो इनको क्या दिक्कत है?

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग छत्तीसगढ़ की जनता को कब तक सड़क पर बैठाएंगे?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या चुनाव जीतने के लिए इस संविधान को मजाक का विषय बनाएंगे?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां के एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और पिछड़े वर्ग, यह लोग आरक्षण से नहीं उठ पाते। इस प्रकार से व्यवधान करना कदापि उचित नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि यह जो नियमों के विरूद्ध यहां पर विधेयक ला रहे हैं और आरक्षण जो है वह छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा मुद्दा है। केवल लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बुलावे में डालने के लिए और एक चुनाव में केवल वोट लेने के लिए क्या हम छत्तीसगढ़ के लाखों लोगों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं? यह खिलवाड़ होगा और हम यह खिलवाड़ होने से रोकना चाहते हैं इसलिए हम चाहते हैं कि नियम-कायदे से यह कानून आए। हम आपसे यह चाहते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन जी, आपसे आग्रह है कि आप...(व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं।...(व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण को रोकना नहीं चाहिए। पारित को पारित होने दें।

अध्यक्ष महोदय :- आप नेता जी को सुनिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी को पूछ ही कौन रहा है ? यह लोग उनको नेता जी मान रहे हें या नहीं मान रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग नेता जी को सुनिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह लोग नेता जी को नेता जी नहीं मान रहे हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम यह मानते हैं कि यह महत्वपूर्ण बिल है और सार्थक चर्चा के बाद और तथ्यों के साथ में हम इस आरक्षण का समर्थन भी करेंगे लेकिन माननीय बृजमोहन जी ने जो प्रश्न उठाया कि हमें आपसे, आसंदी से व्यवस्था चाहिए। जब छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण के विषय को लेकर स्वयं सुप्रीम कोर्ट में गई है तो क्या हम इस सदन में उस विषय पर चर्चा कर सकते हैं ? पूरा सदन यह जानना चाहता है तो क्या आप पूरे सदन का ज्ञानवर्धन करेंगे ? क्या आसंदी से इस पर कोई व्यवस्था आएगी ? यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला विचाराधीन है तो क्या यह सदन उस पर चर्चा करेगा ? आप हमें यह बता दीजिए, फिर हम सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाएंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष जी, विधेयक अब इनके हाथों में है। जिन बिंदुओं को लेकर हम माननीय उच्चतम न्यायालय में गये हैं और जिन बिंदुओं पर माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया है क्या उन बिंदुओं और इस विधेयक के बिंदुओं को आप एक मानते हैं ? माननीय बृजमोहन जी छत्तीसगढ़ में जिस इन्द्रा साहनी प्रकरण का उदाहरण दे रहे थे, उसमें कहा गया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है कि यदि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की आवश्कता है तो तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार अपने कानून के आधार पर ऐसा कर सकती है इसलिए हम कर सकते हैं। कर्नाटक ने किया है, तमिलनाडू ने सेड्यूल-9 में शामिल करके किया है। (मेजों की थपथपाहट) छत्तीसगढ़ भी उसी दिशा में जा रहा है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप आरक्षण के विरोध में क्यों इस विधेयक को पारण होने से टालना चाहते हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- कतई नहीं, कतई नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं है ? आप सुप्रीम कोर्ट गये हैं न ? आपको क्या हड़बड़ी है ? यदि आपको यह बता दें।...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, आप बहुत विद्वान हैं क्या आपको इस सदन पर विश्वास नहीं है ? क्या आपको इस सदन पर भरोसा नहीं है ?

श्री ननकीराम कंवर :- दोनों तथ्य अलग-अलग हैं और दोनों विषय अलग-अलग हैं।

श्री अमरजीत भगत :- क्या आप ... विरोध कर रहे हैं?...(व्यवधान)

श्री विनय कुमार भगत :- आप लोग पिछली बार विधानसभा में गलत किये थे, उसके कारण से नहीं हुआ है। हम लोग उसमें सुधार करना चाहते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उनको अधिकार से वंचित करना चाहते हैं।

श्री संतराम नेताम :- यह बिल आदिवासियों के हितों के लिए है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय बृजमोहन जी, आपसे आग्रह है, पुन: आग्रह है और बार-बार आग्रह है।...(व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल जी, टी.वी. चैनलों के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही हैं।

श्री विनय कुमार भगत :- माननीय अग्रवाल जी, आप लोग जो गलती किये हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने जो घड़ियालू आंसू बहाया है न, उसको प्रदेश की जनता देख रही हैं।

श्री विनय कुमार भगत :- आप जो सदन में गलत रिपोर्ट पेश किये हैं उसके कारण से हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- क्या आपको कुछ और बोलना है ?

श्री बृहस्पत सिंह :- आप इस विधेयक का विरोध करने के लिए क्या बोल रहे हैं ?

श्री अमरजीत भगत :- आपसे बार-बार आग्रह है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ए मन आरक्षण के विरोध में कहात हैं, पूरा देश अउ पूरा प्रदेश देखत हैं। आरक्षण के विरोध में कहात हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर यहां के आरक्षित लोगों को उनके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं ? क्या आप यही करना चाहते हैं?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। प्लीज, आप बैठिये। आप क्या कह रहे हैं?

श्री अजय चंद्राकर :- हम लोगों के आरक्षण आरक्षित हैं। हम भी आरक्षित हैं और वह भी आरक्षित हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चंद्राकर जी, ओ चंद्राकर जी, आप मेरी ओर देखकर बात कीजिए। प्लीज-प्लीज।

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण का विरोध न करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप उनको वंचित क्यों करना चाहते हैं ? सुप्रीम कोर्ट का हवाला दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग शांति बनाये रखें। चलिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- बिल्कुल गलत बात है। आप लोग छत्तीसगढ़ के लोगों का धोखा देना बंद कीजिए। आप बहुत धोखा दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बृजमोहन जी को सुन रहा हूं, मुझे उनको सुनने दीजिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर।....(व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह कुतर्क कर रहे हैं उसको क्यों सुना जाए? यह कुतर्क कर रहे हैं उसको क्यों सुना जाए ? यह गलत तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठिये तो सही। मुझे सुनने दीजिए न।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था आ जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी व्यवस्था।....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सुनने दीजिये न, मुझे सुनने दीजिये, मुझे किसकी बात सुनना है, मैं समझता हूं। please, please आप बैठ जायें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, वह आपकी व्यवस्था बदल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। अरमजीत जी, please बैठ जाईये। आपको जो कहना है, वह कहिये न।

लालजीत सिंह राठिया :- बृजमोहन जी का कहना है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण किया जाना उचित नहीं होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाह रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ये है कि [XX] [4] जी निर्देश का पालन कर रहे हैं, आरक्षण का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उनको कहने दीजिये न।

श्री बृहस्पत सिंह :- [XX] पूरे देश में घूम-घूमकर बोल रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए और ये उसी का पालन कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX] कहां से आ गये ? वे इस सदन के सदस्य हैं क्या ? नागपुर के फरमान का पालन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं उसको विलोपित कर दूंगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- ये छत्तीसगढ़ को धोखा देना चाहते हैं। आरक्षित लोगों का अधिकार लूटना चाहते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन जी का आरक्षण के खिलाफ बोलना, यह उनका मूल उदेद्श्य है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी ..(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनको बोलने दीजिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का लाभ मुझे भी मिलेगा, उनको मिलेगा।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप थोड़ा ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं।

लालजीत सिंह राठिया :- आप लोग कहां थे ? संविधान किसने बनाया ? डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया। हमारी सरकार ने बनाया है। आरक्षण का नियम हम लोगों ने बनाया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, ..।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। माननीय चन्द्राकर जी, आपकी उत्तेजना का असर ननकीराम कंवर जी तक जा रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं उत्तेजित नहीं हूं। आपको यह बता दूं, अब आप किसी बात को कहेंगे तो ये किसी बात को कुतर्क कह देते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी उत्तेजना का असर ननकीराम जी तक जा रहा है। वह भी उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं कभी उत्तेजित नहीं होता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इनको बोलने दीजिये।

श्री ननकीराम कंवर :- उधर वाले ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। क्योंकि हम तो अपनी बात बोल रहे हैं।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- तै सियान हो गय हस, ज्यादा झन जान।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं कहां उत्तेजित हो रहा हूं। आप लोग बोलते हो, आप एकदम विद्वान हो।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, हम विद्वान हैं, लेकिन आपकी बात को आपके पार्टी वाले नहीं सुन रहे हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन संशय में है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि नियम और प्रक्रियाओं को रौंदते हुए चर्चा मत करायें। आसंदी की व्यवस्था आ जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- हम लोग भी यही कोशिश में हैं कि चन्द्राकर जी और बृजमोहन जी, दोनों आपको नेता मान लें। क्योंकि ये लगातार दो-ढाई साल तक कौशिक साहब को नेता मानने से मना किया।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ..।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, वह आपका जवाब दे रहे।

श्री नारायण चंदेल :- मेरी पूरी बात आ जाये, फिर मुख्यमंत्री जी जवाब दे दें।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने मुझे अवसर दिया, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं, आप मेरी पूरी बात सुन लें।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमने तो आपसे व्यवस्था मांगी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आप लोगों को सुनकर ही तो व्यवस्था दूंगा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यदि आप लोग चर्चा नहीं करोगे तो छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि ..., माननीय मुख्यमंत्री जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक बार मेरी बात सुन ले।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- सुन तो रहे हैं, आप ही लोगों की बात सुन रहे हैं और मुझे जवाब देने के लिए बोला गया है। आपने सवाल किया है तो आसंदी ने जवाब देने के लिए कहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे अवसर दिया है, एक बार मेरी बात सुन लें।

श्री भूपेश बघेल :- अच्छा, नेता जी भी बैठ जाये ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण हो।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX][5] लगातार वहां से देख रहे हैं कि कौन आरक्षण का विरोध कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसलिए इनको बोलना मजबूरी है। [XX] वहां से टी.व्ही. चैनल से देख रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लक्षदीप में 100 प्रतिशत आरक्षण है, मेघालय में 80 प्रतिशत आरक्षण है। मिजोरम में 80 प्रतिशत आरक्षण है। नागालैण्ड में 80 प्रतिशत आरक्षण है, लेकिन यह संविधान के अन्तर्गत है। हमारे यहां आरक्षण 78 प्रतिशत नहीं, 100 प्रतिशत करें। परन्तु हम, नियम, कानून-कायदा, संविधान के अन्तर्गत करेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग, सबको इसका फायदा मिलेगा। अगर हम कानून के विरूद्ध, नियमों के विरूद्ध जाकर आरक्षण करेंगे तो फायदा नहीं मिलेगा।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आप लोगो ने तो नियमों के विरूद्ध किया था। उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो आरक्षण का नियम लाया था, उसको हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। आप लोग गलत नियम कानून बनाये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप शांत रहिये।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा नारेबाजी की गई)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, मैं खड़ा हूं, लखमा जी मैं खड़ा हूं। मैंने अभी अग्रवाल जी को सुना है। उनको जो संदेह था, मैंने उस पर मंत्री जी से बात की। उनको फिर से संदेह है, आदरणीय धर्मजीत सिंह को संदेह है, मैं उनको सुनूंगा, फिर मुख्यमंत्री जी का सुनूंगा, उसके बाद आप लोग चर्चा करेंगे। इसलिए चर्चा होने दीजिये, बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि आज तीन महीने हो गये हैं । पूरे छत्तीसगढ़ के ...(व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- बोल चुके हैं और क्या बोलेंगे, अध्यक्ष महोदय । इनका तो सुन चुके हैं ना । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप उनको सदन से बाहर कर दीजिए ना । मंत्री हैं । (व्यवधान)

श्री ननकीराम कंवर :- सीनियर विधायक हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय व्यवहार तो उसकी पूंजी है । (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पिछले तीन महीनों से छत्तीसगढ़ में कॉस्टिट्यूशनल ब्रेक डाऊन है । पी.एस.सी. की भर्तियां रूक गई है, सरकारी भर्तियां रूक गई है...। (व्यवधान)

---

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- वह इसलिए आप लोगों के कारण, आप लोगों ने जो आरक्षण....। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप लोग आरक्षण की बात कर रहे हो, इसीलिए तो चाह रहे हैं । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- आप लोगों ने 50 प्रतिशत लिखकर दिया था । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ की जनता को लाठी दिया, डंडा दिया, मारा, शोषण किया, अभी फिर विरोध कर रहे हैं । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं के कारण सब हुआ है। डॉ. रमन सिंह जी जो नियम लाये थे, उनके कारण हुआ है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आदिवासियों को मारा, डण्डा दिया, हाथ पैर तोड़े, अभी फिर विरोध कर रहे हैं । 15 साल तक लॉलीपाप दिखाये । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- यह आदिवासी विरोधी है माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पिछड़ा वर्ग विरोधी है अध्यक्ष महोदय । यह नहीं चाहते कि अनुसूचित जाति को आरक्षण मिले ।

श्री सौरभ सिंह :- यहां तो जब आपका विरोध होता था तो चुप्पी बांध लिये लिये थे। जब आपका विरोध होता था ।

श्री कवासी लखमा :- यह आदिवासी विरोधी है । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती)लक्ष्मी ध्रुव :- नकाब निकल गया । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- बृजमोहन जी, एक मिनट ।

श्री कवासी लखमा :- गरीब लोगों का विरोध करना बंद करो । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :-दादी मेरी बात सुन लो ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात हो गई । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- यह तो आरक्षण का बृजमोहन अग्रवाल से बड़ा विरोधी है । यह सबसे बड़ा पिछड़े वर्ग के आरक्षण का विरोधी है । अनुसूचित जाति के आरक्षण का विरोधी है । आदिवासियों के आरक्षण का विरोधी है । यह सबसे बड़ा विरोधी है, बृजमोहन से भी बड़ा विरोधी है । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, यह आरक्षण की बात कर रहे हैं, मैं इनसे प्रश्न करना चाह रहा हूँ, आरक्षण के मुद्दे को लेकर कुणाल दुग्गा, के.पी.खाण्डे, पद्मा मनहर, हाई कोर्ट में गये और उसके चलते वर्ष 2012 में आरक्षण के आदेश को निरस्त किया । (व्यवधान) पद्मा मनहर उपाध्याक्ष है । जो-जो लोग आरक्षण के खिलाफ कोर्ट में गये, उनको पदों में बिठाने का काम आपने किया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- धर्मजीत सिंह जी ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आपने गलत आरक्षण नियम लागू किया था । इसीलिए हाई कोर्ट ने स्टे दिया । हाई कोर्ट ने आपके आरक्षण नियम को निरस्त किया । उसके लिये आप लोग जिम्मेदार है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ।

श्री धर्मजीत सिंह :- बोल लो । मैं आपकी ही बात कह रहा था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आप बोल लिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी...। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हो गया ना बृजमोहन जी और कितना बोलेंगे सर? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये ना । बोलिये ना क्या बोलना है । मैं सुन रहा हूँ ना । आप बोलेंगे और वह जवाब देंगे । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- सदन के टेम ल बरबाद तुमन मत करव ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपको तो विरोध करना ही नहीं चाहिये । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, डेढ़ घण्टे से आरक्षण के विरोध में खड़े हुये हैं । डेढ़ घण्टे से आरक्षण के खिलाफ बोल रहे हैं । ये अनुसूचित जाति के विरोधी हैं । आदिवासियों के विरोधी हैं, पिछड़ा वर्ग के विरोधी हैं ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अनुसूचित जाति के ...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय जस्ट ए मिनट । अगर वह डेढ़ घण्टे से खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं तो उसको दुनिया देख तो रही है ना । आपको क्या आपत्ति है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- आपत्ति है, ये कुछ भी उल्टा-सीधा बोलते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं । इसमें आपको क्या आपत्ति है । आप चुपचाप बैठिये । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- नियम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए है ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये ना । उनको अपनी बात कहने दीजिए । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- नियम कानून के खिलाफ बोल रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनको अपनी बात कहने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि हम चाहते हैं कि ...। (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- फिर वही च वही बोल रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सुनो तो क्या बोल रहे हैं । यहीं तो तुमको सुनना है। वह क्या बोल रहे हैं, यही तो सुनना है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- ब्रेक डाऊन हो गया है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अग्रवाल जी । आप खत्म करिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मुझे तो कभी-कभी कोफ्त होती है। इस सदन में हम लेजिसलेशन पर चर्चा नहीं कर सकते । यह हंसी उड़ाते हैं, यह मजाक उड़ाते हैं, इस सदन में कानून की बात आनी चाहिये । आपका भी संरक्षण मिल रहा है । क्या हम इस सदन में कानून की बात नहीं करेंगे । हम लेजिसलेशन की बात नहीं करेंगे । हम इस सदन में क्या मांग करेंगे । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे आग्रह करना है कि विरोध करना बंद करें । आप विरोध करना बंद करें । आरक्षण विधेयक पर चर्चा होने जा रहा है, उसे पारित कर रहे हैं । आरक्षण विधेयक को पारित करें । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत प्लीज बैठ जाओ यार ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं यहां पर कानून की बात कर रहा हूँ, लेजिसलेशन की बात कर रहा हूँ, संविधान की बात कर रहा हूँ, पिछले तीन महीनों से पूरे छत्तीसगढ़ में कांस्टिट्यूशनल ब्रेक डाऊन है । छत्तीसगढ़ के नवजवान को नौकरी नहीं मिल रही है । (व्यवधान)

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- यह तो आपके आरक्षण नियमों के कारण हुआ है । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- किस मुंह से कह रहे हो । चपरासी तक को नहीं भरे हो । व्यवधान रोक कर रखे हो । प्रमोशन नहीं दिये हो । (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- इसमें संविधान की बात कहां है अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 100 प्रतिशत आरक्षण ..(व्यवधान) सुने ला समझ ले ना ।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- (व्यवधान) 100 प्रतिशत आरक्षण के..(व्यवधान)। समझ लेना।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- हां, मैं सुन रहा हूं। आप बोलिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के विषय में एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ है। उसमें किसी के संग कोई विरोध कहीं पर भी नहीं है। सारे लोग चाहते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सवर्ण लोगों को आरक्षण मिले। लेकिन मैं यह पहली बार देख रहा हूं और कुछ दिनों से यह देख रहा हूं कि यदि प्रतिपक्ष कोई प्रश्न उठाना चाहता है या किसी तकनीकी बिंदु पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता है तो 2-3 मंत्री खड़े होकर डिस्टर्ब करते हैं, जो काम 10 मिनट में हो सकता है, उसको जबर्दस्ती 2 घंटे खींचा जा रहा है, यह एक परंपरा बन चुकी है और आप वहां से देख भी रहे हैं, यह तो उचित नहीं है। विपक्ष का धर्म है, वह अपनी बात कहेगा, सत्ता पक्ष का धर्म है कि वह उसे सुने और जब उनका वक्त आयेगा तो वह अपनी बात बोल सकते हैं। यहां

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर तो ये बोलना ही मुश्किल कर दिये हैं। आप समझ भी नहीं पाते हैं हल्ला-गुल्ला में, कि हम लोग क्या बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत कह रहे हैं, अध्यक्ष जी बिल्कुल समझते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के खिलाफ कोई बात नहीं सुनी जायेगी।

श्री धर्मजीत सिंह :- आरक्षण के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है।

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण पारित कराया जायेगा। आप बाकी विषय में खूब हस्तक्षेप लगाईये, हम सुनेंगे। लेकिन आरक्षण..(व्यवधान)।

श्री धर्मजीत सिंह :- कौन खिलाफ है? क्या आप बस आरक्षण के ठेकेदार हो? हम सब उसके जिम्मेवार है। दूसरी बात,...।

श्री अमरजीत भगत :- आखिर आप आरक्षण को क्यों पारित नहीं होने देना चाहते हैं? आखिर आप आरक्षण को क्यों पारित नहीं होने देना चाहते हैं?

श्री धर्मजीत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिये, आप पहले सत्ता पक्ष को नियंत्रित करें। इस महत्वपूर्ण विषय पर गंभीर चर्चा होगी। दूसरी बात यह है ...।

श्री अमरजीत भगत :- एक-दो महीने से सत्ता गोपनीय है, बाकी काम रूका हुआ है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- भैया, लोरमी में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, उसका ध्यान रखिये।

श्री अमरजीत भगत :- आप क्यों पारित नहीं होने देना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि यह पारित हो तो एक स्वर में उसको समर्थन दीजिये।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जब चर्चा होगी तब आप जवाब देना, हम बोलेंगे। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो प्रश्न उठाया और इस सदन में, इसके पहले भी हम लोगों ने सुना था कि Sub judice मामले पर चर्चा नहीं हो सकती। आप आसंदी से निर्णय करिये कि हां इस पर चर्चा हो सकती है चाहे सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग हो, तब भी चर्चा हो सकती है, आप यह क्लीयर कर दीजिये। आसंदी का निर्णय हमको मानना होगा। लेकिन हमको अपनी आपत्ति भी दर्ज न कराने दिया जाये और उसको बहुमत के दम पर डिस्टर्ब करें, यह उचित नहीं है। यह प्रस्ताव पास होगा, हम समर्थन देंगे, इस प्रदेश के आदिवासियों, अनुसूचित जातियों का हित संवर्धन करेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम जो बिंदु उठाना चाहते हैं, आपकी तरफ से उसका Clarification तो आना चाहिये और आप सत्ता पक्ष को थोड़ा नियंत्रित करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- धर्मजीत भैया, आपत्ति करके आरक्षण का विधेयक क्यों रोकना चाहते हो?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पुन: आग्रह, आपसे पुन: आग्रह है कि आप आरक्षण के खिलाफ एक शब्द न बोले। पूरा प्रदेश देख रहा है, आपको भी वापस जाना है। अपने क्षेत्र में लोगों के सामने फिर आना है..(व्यवधान)। आरक्षण के खिलाफ जो बात करेगा, पूरा प्रदेश देख रहा है। आपसे पुन: आग्रह कि आप इसको पारित कर दें।

संसदीय सचिव (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष जो सुप्रीम कोर्ट की बात बोल रहे हैं। आप विधेयक का विरोध कर हैं, आप यह चाहते हैं या नहीं कि विधेयक यहां पारित हो, आप यह भी बताईये?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहते हैं, 100 प्रतिशत चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री द्वारिकाधीश यादव :- आप फिर सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों ला रहे हैं? आप स्पष्ट कीजिये कि विधेयक पारित करवाना चाहते हैं या नहीं?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे यह निवेदन है कि माननीय बृजमोहन जी ने जो प्रश्न उठाया और धर्मजीत जी ने जो बात कही लेकिन यह गलत परंपरा की शुरूआत हो रही है कि जब भी हमारे कोई वरिष्ठ सदस्य बोलते हैं तो शासन के मंत्रियों द्वारा उठकर उनको डिस्टर्ब करना, व्यवधान उत्पन्न करना। हिंदुस्तान के किसी विधान सभा में यह प्रक्रिया नहीं है। विपक्ष का अधिकार है कि अपनी बात को मजबूती के साथ, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ रखना।

संसदीय सचिव (सुश्री शकुंतला साहू) :- संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है इसीलिये तो भारत जोड़ो की पदयात्रा हो रही है। (मेजों की थपथपाहट)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आरक्षण का समर्थन करेंगे। लेकिन मैं आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि यह सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट में गयी है तो इसी विषय को लेकर तो आपसे, आसंदी से व्यवस्था आ जाये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, लेकिन, किंतु और परंतु कहना चालू हो गया, शुरू कर दिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- जनता अपने अधिकारों के लिये आत्मनिर्भर है...। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- आसंदी से व्यवस्था आ जाये। ननकीराम जी, ननकीराम जी। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप चुनाव आयोग से परामर्श करिये और 8 दिसंबर को भानुप्रतापपुर की मतगणना है। आप 9 दिसंबर को सदन बुला लीजिये, हम इस पर चर्चा करके इसको पारित करेंगे।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- किसी भी तरह बात को टालना है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हमारी मेजॉरिटी है, हम सक्षम है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी हो जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- अभी तक नहीं हुआ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, बस दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आगे बढ़ा जाये। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठ जाईये। आप ही के कारण यह सब हो रहा है, प्लीज। सुनने दीजिये। आप बैठ जाईये, प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता रहा था कि लक्ष्द्वीप में 100 प्रतिशत है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, वह चौबे जी के कहने से ही उठेंगे, बैठेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये। आप बात करिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह हमारे नेता है..।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये। 1.5 घण्टे से क्या विरोध हो रहा है, उसको भी तो नोट होने दीजिये। आप क्यों गड़बड़ा रहे हो?

श्री अमरजीत भगत :- माई डियर फ्रेंड...।

अध्यक्ष महोदय :- आप यह सब रहने दीजिये, प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट, माननीय शिव डहरिया जी के खड़े होने पर कहेंगे तो हम आपकी तरफ भी आ जायेंगे। आप क्या धमकी दे रहे हो?

श्री ननकीराम कंवर :- आप लोग आरक्षण विरोधी हो, क्या तमाशा कर रहे हो? बोलने दो, चलने दो न।

श्री शिवरतन शर्मा :- यह कहेंगे तो हम आपकी तरफ भी आ जायेंगे, क्या यह धमकी दे रहे हो ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आ जाओ, आ जाओ उठकर अंदर...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज।

(12.35 से 01.22 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही।)

समय :
1.22 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ...।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अब चर्चा शुरू करिये। कृपया चर्चा शुरू होने दीजिए। श्री अजय चन्द्राकर जी ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक पर बोलना है?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- जी।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजन अवकाश नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि सदन सहमत है?

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है। कृपया सुविधा अनुसार भोजन ग्रहण करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने संशोधन दिया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने संशोधन दिया होगा तो उसमें आएगा। आप चर्चा शुरू करें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर चर्चा कैसे शुरू होगी ?

अध्यक्ष महोदय :- जब आपकी बारी आएगी तो आप करियेगा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संशोधन को स्वीकार कर लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप संशोधन स्वीकार कर लें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संशोधन खण्डों में होगा, अभी कैसे स्वीकार करें ?

अध्यक्ष महोदय :- आप बारी आने दीजिए। अजय चन्द्राकर जी, आप चर्चा शुरू करें।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन तीन महीनों में हम पर बहुत आरोप लगाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पाप को साफ करेंगे। माननीय विधायकों ने कहा कि आप लोगों ने गलत तरीके से, मैं तो आपको कहूंगा कि इस विधान सभा में पारित 2022 के विधेयक के बारे में यदि ऐसी बात बोली जा रही है तो इस सदन की अवमानना है। अब मैं दु:ख के साथ यह कह रहा हूँ। आपको इस सदन की गरिमा के बारे में कई बार ध्यान आकर्षित किया। आपने उसमें कोई व्यवस्था नहीं दी। यह मेरा व्यक्तिगत तौर पर दु:ख है। मैं आपसे आग्रह करके, इस बारे में भी विचार करूंगा कि मैं किसी तरह के बिजनेस विधान सभा की गरिमा के संबंध में लगाऊं या नहीं लगाऊं ? यह मैं आपसे चर्चा करके पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो पार्टी यह आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से किया। क्या विधान सभा में पारित बिल गलत होता है क्या ? यह वर्ष 2012 में पारित हुआ, वह गलत है क्या? वह सर्वसम्मत बिल था। यह मुख्यमंत्री जी की भाषा है। यह संसदीय कार्य मंत्री जी की भाषा है। इसमें पारित बिल को गलत बताया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय,

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जो पार्टी विरोध कर रही है वह आरक्षण के समर्थन में कब थी ? कोई इतिहास बता दें ? यदि आरक्षण, वर्ष 1902 में सबसे पहले जब यह कुछ नहीं था। साहू जी महाराज जी, उसमें ब.स.पा. वाले बात करते हैं। मैं भी ज्योतिबाई फुले हो, शिक्षा की बात हो, इसमें मैं भी उनका कोई विरोध नहीं करता । पूना एक्ट में गांधी जी की ओर से मदनमोहन मालवीय जी ने और बाबा साहब अंबेडकर ने दस्तखत किया। कांग्रेस कहां पर थी? माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद जो संविधान सभा बनी, वह सभी दलों की, छत्तीसगढ़ की ओर से यदि सोहन पोटई जी थे तो वह कांग्रेस के नहीं थे। वह राजवाड़ों के प्रतिनिधि थे। मैं बाबा साहब अंबेडकर के साथ व्यवहार बता दूं। कांग्रेस ने उनको संविधान सभा में नहीं भेजा था।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आप नाम को सुधार लीजिए। सोहन पोटाई नहीं, रामप्रसाद पोटाई।

श्री अजय चन्द्राकर :- रामप्रसाद पोटाई। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, अंबेडकर जी को कांग्रेस ने संविधान सभा में नहीं भेजा था। वह बंगाल से मुस्लिम लीग के समर्थन में संविधान सभा में पहुंचे थे। वह पहली बार जब बंबई से चुनाव लड़े तो नेहरू जी उनके विरूद्ध प्रचार में गये थे। उप चुनाव भंडारा में जब वह चुनाव लड़े तो नेहरू जी उनके विरोध में प्रचार करने गये थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र भारत में..

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : आप क्या इधर-उधर की बातें कर रहे हैं?

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आप कहेंगे तो मैं बैठ भी सकता हूं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप सिर्फ अनुकूल बात सुनना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये न, आप मेरी तरफ देखें। मेरी बात सुनें। बाकी तरफ कान में ठेंठा लगा लीजिए। उनको बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जो चाहें मुझे बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप मेरी तरफ देखकर बोलिये न। आप दूसरों की बात मत सुनिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1953 में काका कालेकर की कमेटी गठित हुई। नेहरू जी ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। यह इतिहास कह रहा है, मैं नहीं कहता। 1977 में सबसे पहले कर्पूरी ठाकुर जी ने 30 प्रतिशत और 3 प्रतिशत का आरक्षण दिया। जब सब क्षेत्रों में यह मांग उठने लगी तो विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल आयोग मोरार जी देसाई सरकार ने बनाया। वर्ष 1980 में उन्होंने प्रतिवेदन दिया, उसमें 27 प्रतिशत की अनुशंसा थी। आप अति विद्वान हैं, बिना एडजेक्टिव के मैं आपका अभिनंदन नहीं कर सकता हूं। आप सुनिये न, बिना एडजेक्टिव लगाये, अति आपका अभिनंदन नहीं कर सकता। आप एक मात्र विद्वान, सलाहकार हो। यदि विनियोग आया होता तो आपके बहुत सारे भ्रम को तोड़ देता। जो डीप स्टेट है न, समानांतर सरकार जिसको बोलते हैं, वह सरकार चला रही है, आप कहीं नहीं हो, आप भ्रम में हो कि मैं मंत्री हूं। मैं आपका भ्रम तोड़ देता। आप क्यों नहीं लाये ?

आपात सत्र होता है। संविधान में आपात सत्र का उल्लेख है। उसमें प्रश्नकाल भी होता है। कौल एण्ड शकधर की किताब में पढ़ लीजिए, प्रश्नकाल का उल्लेख है, वह कभी स्थगित नहीं हुआ है। प्रश्नकाल या हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, उसको आप अपना बिजिनेश करने के बाद हनन क्यों किये ?

उद्योग मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष जी बोल रहे हैं कि आप मेरी तरफ देखकर बोलिये। आप कहां मान रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप इनको खड़े करो तो ठीक से आपत्ति लें तो मजा भी आयेगा। इसलिए कि मैं तेलीबांधा से व्ही.आई.पी. चौक की सड़क का उल्लेख न कर सकूं। आप समझ रहे हैं न। ऐसे अन्यान्य मामले हैं। जो क्वीन्स क्लब है, उसके गोलीकांड का उल्लेख न कर सकूं। ऐसे लोग सरकार चलाते हैं। आपने हिम्मत है, आप जांच करवा सकोगे। इसलिए आपने रोका। इसलिए आप विरोध को नहीं करने देते, तथ्यपूर्वक बातों को नहीं सुनने देते। जाईये, अभी वह उखड़ रही है। मैं उस सड़क को रोज देखता हूं। आप पूरी कहानी पढ़ लीजिए। यदि नहीं हो तो आप ई.ओ.डबल्यू. जाकर देख लीजिए। वहां पर कैसा खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार का [XX][6] है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको विलोपित किया जाये। तथ्यविहीन बात कर रहे हैं। इस प्रकार की बात करना अनुचित है।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप विलोपित करवाने की बजाय जांच की मांग करिये।

अध्यक्ष महोदय :- जो भी अनुचित होगा, मैं विलोपित कर दूंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 1980 में जब इंदिरा गांधी जी आईं, मंडल आयोग डस्टबिन में गया। वर्ष 1990 में नरसिंहराव जी ने उसको लागू किया। इस बीच में एक बड़ी घटना घटी। अर्जुन सिंह जी ने महाजन आयोग बनाया। छत्तीसगढ़ के लोग भी उसमें सदस्य थे। शायद आप भी उस समय विधायक थे। छत्तीसगढ़ से माननीय श्री बैजनाथ चंद्राकर जी, टेटकू राम साहू जी भी उस आयोग में सदस्य थे। मण्डल आयोग में सिर्फ reservation नहीं था। अति विद्वान मंत्री यदि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को पूरा पढेंगे तो बिना reservation के भी जो तथ्य उसमें दिखाये गये हैं, वह यदि आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए और ओ.बी.सी. या 8 लाख के क्रीमीलेयर हैं, उसके लिए यदि लागू कर दें तो पूरा कल्याण हो जायेगा। दुर्भाग्य यह है कि वह राजनीति है। राजनीति क्यों है? श्री मनोज सिंह मण्डावी जी का निधन हुआ। मैं उनको शहीद मनोज सिंह मंडावी बोलूंगा। 16 अक्टूबर को उनका निधन होता है और कोर्ट का फैसला 19 सितंबर को आया था, जिसका उल्लेख माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने किया। अब नेता प्रतिपक्ष जी ने उसका उल्लेख कि 2 महीने तक सरकार क्या कर रही थी? यदि आदिवासियों के हित में काम करती तो ordinance ला सकती थी। हम कैसे उनकी रक्षा करेंगे? एक मात्र वक्ता, संसदीय ज्ञाता, आपका सबसे ज्यादा सम्मान करने वाला व्यक्ति माननीय मोहन मरकाम

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

जी क्या बोलते हैं कि हम रक्षा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बड़े-बड़े वकील खड़ा करेंगे। अभिषेक मनु सिंघवी खड़े होंगे, कपिल सिब्बल खड़े होंगे। और कौन लोग खड़े होंगे? हम लोग सब बेवकूफ हैं। इसको हम नहीं समझते कि आप किसलिए वकील खड़े करेंगे, क्या करेंगे? जो वैधानिक कार्रवाई है, उसकी प्रक्रिया पुष्ट हो। तो उसमें बात करने के बजाय अति विद्वान संसदीय कार्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी की क्या भूमिका थी, इसको मैं नहीं बोलूंगा। मैं आपसे हाथ जोड़ कर माफी मांग लेता हूं। आपका काम सदन को उत्तेजित करना है। यही आपका आजकल legislation है। आपको बता दूं, आपका अभिनंदन करते हुए बाल रहा हूं कि हवा में इधर-उधर उड़ना, हवा के हिसाब से बहना, यह कचरों का काम है। आप जैसे जीवंत आदमी का काम नहीं है। आप ध्यान रखिये कि मैं जीवंत बोल रहा हूं। आप जो legislation कर रहे हैं, यह proceeding कभी नष्ट नहीं होगी। आप संकल्प ला रहे हैं। आपसे हम सीखें। आप विशेष सत्र बुलाकर अनुपूरक पास कर रहे हैं। अब हम कुछ प्रक्रिया उठायें तो आपने फौज बना रखी है। उधर से उत्तेजित होते हैं कि जाओ, जाओ, सामने जाओ। हमारे कान हैं, हमारे आंख हैं, हमने देखा है, हमने सुना है कि किसके द्वारा कहा गया और सारे लोगों ने देखा और सुना है। खैर छोड़िये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। देश में जो हुआ, वह हुआ। इस बीच इंदिरा साहनी का मामला आ गया। इंदिरा साहनी मामले में बृजमोहन जी ने सही कहा। उसके अतिरिक्त मैं 9वीं अनुसूची में संकल्प में बात करूंगा। अभी तो सूत-कपास लट्ठम-लट्ठी है न। संकल्प पास नहीं हुआ है। वाह रे legislation। संकल्प आ गया और अध्यक्ष जी, आपने भी स्वीकार कर लिया। अब चार साल तक यह सरकार सो रही थी। तीन साल तक जोगी जी का शासन था। उस समय के अति विद्वान मंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, आदिवासियों के पक्ष में नारा लगाने वाले जो बैठे हैं। मैं भी आरक्षण का अधिकारी हूं और आप भी हैं। कोई ऊंची आवाज से सहानुभूति नहीं मिल जाती। आप यह बतायें कि उस समय कितना प्रतिशत आरक्षण लागू था? मैं बैठ जाता हूं, आप बताईये कि कितना प्रतिशत आरक्षण लागू था? आप क्या कर रहे थे जब आपकी तीन साल सरकार थी? मध्यप्रदेश ने जो किया, उसको हमने स्वीकार कर लिया। उस समय आदिवासी नहीं दिखे, उस समय ओ.बी.सी. नहीं दिखे, उस समय एस.सी. नहीं दिखे। आपके हल्ला करवाने से इनके आवाज में दम आ जायेगी। आपके कृत्य बताते हैं कि आप गंभीर नहीं थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा से कानून पास हुआ कि 58 प्रतिशत आरक्षण देंगे। पास हुए कानून की आलोचना करते हैं कि सही ढंग से लागू नहीं किया गया। legislation के अलावा हमारे पास और क्या सही ढंग होता है? कोर्ट में गये। कोर्ट में कौन लोग गये, कांग्रेस के उपकृत लोग। जो बार-बार खड़े होने वाले यहां के मंत्रीगण हैं, उनको चार साल बाद भी अभी तक पता नहीं है कि वे मंत्री बन गये हैं। अति विद्वान संसदीय कार्य मंत्री उनको सिखाने की जहमत भी नहीं उठाते, यह याद कराने की जहमत नहीं उठाते कि आप मंत्री हैं। यह हैं कुणाल शुक्ला जी। मैं आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि विधान सभा के अंदर में नहीं हैं। मैं उल्लेख भर कर रहा हूं। उल्लेख किया जा सकता

है, आरोपात्मक उल्लेख नहीं किया जा सकता है । दूसरे हैं के.पी. खाण्डे । दोनों कांग्रेस से उपकृत हुए हैं । आरक्षण के विरोध में हाईकोर्ट गये, यही लोग गये । इन्हीं के फैसले पर आया । उपकृत कौन किया ? ये हल्ला बिग्रेड जो है, माननीय रविन्द्र चौबे जी की हल्ला ब्रिगेड उस समय मुंह सीलकर बैठी थी । माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना था, हमारे हितों का कुठाराघात करने वाला आदमी यह है ।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन लोग गये थे । भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के संबंध में जो अवैधानिक संशोधन लाया था । अनुसूचित जातियों का आरक्षण 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किये थे इसीलिये इन लोग गये थे, इनके खिलाफ गये थे और कोर्ट ने इनके आदेश को निरस्त किया है कि इनका आरक्षण संशोधन विधेयक गलत था, संवैधानिक नहीं था इसीलिये उन लोग गये थे । यह गलत बात करके यहां पर उन लोगों को आरोपी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद आरोपी हैं । इन्होंने अनुसूचित जातियों का आरक्षण कम किया है ।

श्री अजय चंद्राकर :- महोदय, अब आप भाषा देख लीजिये । आप उनकी भाषा देख लीजिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको भाषण का समय दे दीजिये । हम आपसे फिर आग्रह करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के उकसावे पर वे हमारे सिर पर बैठने के लिये आ रहे थे और फिर वही स्थिति आप चाहते हैं, आप उनको थोड़ा नियंत्रित करिये । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो गलत बात है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या यह भाषा चलेगी ? (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप गुमराह न करें । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप उनको नियंत्रित करिये । अगर हमारा कोई सदस्य भाषण दे रहा है । माननीय विधायकगण बोलें तो हमको समझ में आता है । अगर मंत्री इंटरप्ट करे तो यह अच्छी बात नहीं है और उस घटना के कारण हम क्यों चुप हैं ? हम इसलिये चुप हैं क्योंकि आप नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं । हम इसलिये चुप हैं कि आपका नियंत्रण समाप्त हो गया है । मुख्यमंत्री जी उसको बोलते हैं कि जाओ-जाओ उधर । वे बोलते हैं कि मुझे नेता आदेश देंगे तो मैं आपके सिर के ऊपर आकर बैठ सकता हूं । हम अब इसमें चर्चा नहीं करना चाहते । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आप इधर-उधर की बात कर रहे हैं, सीधे आरक्षण पर बात की जाये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपने ईशारा किया कि जाओ । (व्यवधान) आपको ईशारा दिया है । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप धक्का-मुक्की करोगे तो उधर भी जा सकता हूं, क्यों नहीं जा सकता ? (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सीधे पारित किया जाये । ये इधर-उधर की बात कर रहे हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शांति से बैठिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सीधे विषय पर आयें, गुमराह न करें । इतिहास सब लोग जानते हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अजय जी अपना भाषण कर रहे हैं और भाषण में जो भी विषय रख रहे हैं उस पर सत्तापक्ष को बोलने का अवसर मिलेगा । बृजमोहन जी ने अपनी बात रखी लेकिन उसका जवाब तो आया नहीं । हम कोई औचित्य का प्रशन लगायें । किसी बिंदु पर पाईंट ऑफ ऑर्डर के लिये बोलें तो उसका जवाब आना चाहिए तो उसका जवाब तो आया नहीं अब हमने आरक्षण पर बात रखनी शुरू कर दी तो जब आरक्षण पर हमने बोलना शुरू किया तो मुझे लगता है कि शिव डहरिया जी को अपनी सीट छोड़कर नहीं आना चाहिए । अभी उसको कैमरे में दिखवा लीजिये । आप कैमरे में दिखवा लीजिये । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैंने कहा कि आते हैं तो दिक्कत क्या है ? उधर आउंगा तो दिक्कत क्या है ? (व्यवधान) मेरा अधिकार है, मैं वहां भी जा सकता हूं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल उचित नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी देख रहे हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आपका बहुमत है तो क्या आप दबा लेंगे ? इस सरकार में इतना दम आ गया है कि हम कम सदस्य हैं तो हमें बोलने का अवसर भी नहीं मिलेगा । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय आपको तो हटा दिया है । (व्यवधान) आपका तो कोई सुनना नहीं चाहता है इसीलिये आपको हटा दिये हैं । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग देख चुके हैं कि आप अपने विभाग के उत्तर में क्या बोलते हैं, पलायन करते हैं । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपको सुनना नहीं चाहते हैं इसीलिये तो इन लोगों ने आपको हटा दिया है । आपका सुनना नहीं चाहते हैं इसीलिये आपको हटा दिया । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डहरिया जी बैठिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- आप आरक्षण के ठेकेदार नहीं हैं । आप लोग ठेकेदार होते तो आज ऐसी नौबत नहीं आती । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग आरक्षण का विरोध करने के ठेकेदार हो । (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- आरक्षण का विरोध करने का ठेका आप लोगों ने ले लिया है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये कौशिक जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धरमलाल कौशिक :- जनता सब जान रही है कि आपका चेहरा कैसा है, कथनी और करनी कैसी है ? (व्यवधान)

अमरजीत भगत :- देश आजाद हुआ तब भी कांग्रेस ने आरक्षण जारी किया और आज भी आरक्षण कांग्रेस जारी कर रहा है । (मेजों की थपथपाहट) आप तो रोकने का काम कर रहे हैं, आप लोगों को पूरा प्रदेश देख रहा है इसलिये हम आग्रह कर रहे हैं कि इधर-उधर की बात न करके इसको पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- अमरजीत जी आपका नाम भाषण में है । आप अपनी बात अपना भाषण करते समय कह लीजियेगा । जो सदस्य इधर से बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिये । मैंने देखा है कि अभी वे बोल रहे थे तो माननीय डहरिया जी खड़े हुए। आप क्यों बैठ गये? आप क्यों बैठे? जस्ट मिनट। इसको अंग्रेजी में यील्ड (yield) करना बोलते हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी..।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, आप मेरी बात सुन लें। मैं खड़ा हूं। मैं खड़ा हूं। अंग्रेजी में इसे यील्ड (yield) करना बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, नहीं मालूम। अगर आपको हिन्दी का शब्द मालूम होगा तो बता दीजिए। जब आप किसी की बात को यील्ड (yield) करते हैं और बैठ जाते हैं तो सामने वाले को बात करने का अधिकार बनता है। यदि आप यील्ड (yield) नहीं करते, आप बोलते रहते तो सामने वाले की या किसी की भी हिम्मत नहीं कि वह आपको हस्तक्षेप कर सके। प्लीज अगर सामने वाला खड़ा है, उसे कहने दीजिए। आप अपनी बात कहते रहिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष जी, बहुत बार।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अब, ये क्यों खड़े हो गये हैं। दो झने एक साथ क्यों खड़े हो गये हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब ये मंत्री बैठे-बैठे बोल रहे हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- दो झने एक साथ खड़े हो गये हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- कहीं पर भी आपने आचरण में टिप्पणी की है तो जितने भी आचरण हैं, वह हमारे लिए ही है साहब।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, आप लोग अपनी बात करते-करते इतनी तल्लीन हो जाते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। आप अपनी-अपनी बात करते समय इतनी तल्लीनता में खो जाते हैं कि मेरे ऊपर भी आरोप लगा देते हैं। मेरे ऊपर आसंदी के ऊपर आरोप लग जाता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- स्पीकर साहब, हमारी ही गलती है। हमारी ही गलती है। हम आपके ऊपर आरोप नहीं लगाते। सारी गलती हम लोग करते हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- मैं सभी तरफ की बात कर रहा हूं। शांति से बात कर रहा हूं। चलिए, नेता जी।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना था। हमारे सदस्यों ने आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, गतिरोध के बाद में हमारे माननीय सदस्य ने चर्चा प्रारंभ की और अच्छे वातावरण में चर्चा प्रारंभ हुई है और उसके बाद में बीच-बीच में अनर्थक टोका-टाकी बिना मतलब के टोका-टिप्प्णी, जिसका कोई अर्थ नहीं है, चर्चा से लेना देना नहीं है। आसंदी को ऐसे लोगों को प्रताडित करना चाहिए। मेरा आग्रह है।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष जी, महू एक ठोक गोठियात रहव हमर माननीय नेता जी के बारे में, ज्ञान मारे ज्ञानी ला अउ ज्ञान गोला ठहराये हो अउ मुरू के मारे टेंपा तो मुड़ कान फूट जाये हो। ये आज हमने देखत रहन ददा हो। ये दशा ला (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत सारी व्यवस्था, बहुत सारे प्रीविलेज नोटिस सबके बाद अभी एक ठोक व्यवस्था दी, हम आज तक के 4 साल के इतिहास में 17 दिसंबर तक हो जायेगा, सारी गलती हम लोगों ने की है।

अध्यक्ष महोदय :- उसे 18 दिसंबर कर लीजिए न।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं, सारी गलती हम लोगों ने की। सत्तारूढ़ दल के मंत्री की नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं कहां बोल रहा हूं आपने गलती की। आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, आप अगर चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा नहीं हो तो हम सर्वसम्मति से पारित कर देते हैं। बिना चर्चा के आप पारित करवा दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- हां, सर्वसम्मति से कर दीजिए। हम भी तो वही चाहते हैं कि सर्वसम्मति से हो जाये। आप लोग विरोध क्यों कर रहे हो? हम तो चाहते हैं कि आप सर्वसम्मति से कर दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष भी चाहता है कि सर्वसम्मति से कर दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- बड़ा अच्छा भाषण सुना रहे हैं। चन्द्राकर जी, आप अच्छी बात कर रहे हैं। आप करते रहिए। आपको किसी ने मना नहीं किया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, अच्छी बात करने लायक अब नहीं बोलता, आप फिर कहेंगे। सरकार ने यह कहा कि ननकीराम कंवर जी की कमेटी की सी.एस. कमेटी को दमदारी से नहीं रखा गया। ननकीराम जी की कमेटी ने क्या कहा है, 4 साल हो गया आपने उसी गेप के कारण, वह तो चल रहा था, आपने स्थगन के लिए भेजा। हमने भी भेजा, उस समय नहीं गया था वर्ष 2012 के पहले। आपने स्थगन के लिए भेजा, स्थगन मिल गया। कोई भी त्रुटि रही होगी, सभी जगह जो स्टेट पढ़

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे थे उसके अतिरिक्त सभी स्टेट में मैं संकल्प के समय बोलूंगा, सबके सब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन वह प्रक्रिया पूरी नहीं सुनी गई। बृजमोहन जी और मैंने जिस बात को उठाया, उस बात के लिए उसको सरकार टेबल करे। मुख्यमंत्री जी ने जब कहा है कि ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता की कमेटी की बात नहीं मानी गई तो क्या ननकीराम जी ने कहा है, उसे टेबल करना चाहिए। मानी गई है या नहीं मानी गई है, उसमें झलकता है या नहीं झलकता है, उसके बाद आलोचना करें। सभी माननीय सदस्यों को टेबल होने के बाद सर्व हो जायेगी। दूसरी बात, सी.एस. की कमेटी ने क्या कहा, उस बात को टेबल करें। सबको पत्ता मिलेगा। स्वस्थ बहस होगी। आप यहां तो टेबल कर नहीं पा रहे हैं, बाहर में लंबी-लंबी हांक रहे हैं। वकील खड़े करेंगे। दम से नहीं रखा गया। पाप धायेंगे। क्या पाप धोयेंगे? क्या योगदान है आपका आरक्षण में? अध्यक्ष महोदय, फिर छविराम पटेल की अध्यक्षता में क्वांटीफायबल डाटा आयोग बना । क्वांटीफायबल डाटा आयोग अगर गंभीर होता तो 10 बार कार्यकाल नहीं बढ़ाना पड़ता । 10वां कार्यकाल 31 दिसम्बर तक था । जब माननीय मेरे मित्र स्वर्गीय मनोज मंडावी जी का निधन होता है तो आयोग से गन प्वाइंट पर बंदूक टिकाकर रिपोर्ट ली जाती है । मिस्टर पटेल आप अभी रिपोर्ट एडमिट करिये, हम तत्काल सत्र बुलाएंगे । आप ऑर्डिनेंस भी ला सकते थे ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, गन प्वाइंट पर रिपोर्ट ली गई । आप उसका सबूत दीजिए । आप भी सबूत दीजिए ।

श्री बृहस्पत सिंह :- ऐसे लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है, ऐसा आरोप लगा रहे हो । आप इतने विद्वान हैं उसके बाद भी ऐसा कर रहे हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने नाम दिया है तो मेरी बात का खंडन करियेगा ।

श्री बृहस्पत सिंह :- खंडन की बात नहीं है, विलोपित करिए, उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं आरोप नहीं लगाता । वह कोई न्यायिक आयोग नहीं है, वह एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना है । यदि विधान सभा में आपके कहने से बना होता, यदि सदन में घोषणा हुई होती तो मैं आरोप नहीं लगाता, उसकी रिपोर्ट टेबल होती । हम यह नहीं जानते कि उस आयोग के गठन के आदेश में यह कहीं पर लिखा है कि उसकी रिपोर्ट विधान सभा में टेबल की जाएगी । जो संस्थाएं बनती हैं, जो आयोग बनते हैं, उनमें यह लिखा रहता है कि इसकी रिपोर्ट विधान सभा में टेबल की जाएगी । आज बहस शुरू हुई उसके बाद भी उसकी रिपोर्ट टेबल नहीं की गई । उससे क्या लिख्वाया गया, आगे मैं इस बात को बोल देता हूं सर्वसम्म्त कर लें और बढ़ा लें, माननीय मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं कि मैं 81 प्रतिशत देना चाहता हूं । किसने आपको मना किया है कि आप 81 प्रतिशत मत दीजिए ? आपके हल्ला ब्रिगेट कहां हैं, अतिविद्वान् मंत्री विदुर जी ? किसने मना किया अभी चर्चा चल रही है अभी 81 प्रतिशत का संशोधन ले आइए हम समर्थन कर रहे हैं । राजनीति करने के लिए लिख

दिया गया और कह दिया गया कि मैं विशेष सत्र बुला रहा हूं । आपको जो करना कर करिये । जितनी गरिमा गिराना है, गिराइए । क्वांटीफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट आपने सबमिट नहीं की ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह जो विधेयक प्रस्तुत् किया गया है इसके उद्श्यों, कारण एवं कथन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा गठित क्वांटीफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य की लोक सेवा में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व एवं असाधारण स्थिति के कारण आरक्षण प्रावधान लगू करने के लिए विधेयक प्रस्तावित है । जब विधान सभा के पटल पर जो विधेयक रखा गया है उसके उद्देश्य एवं कारण में लिखा गया है तो क्वांटीफायबल डाटा की जो रिपोर्ट है वह तो हमारे सामने आना चाहिए जिस पर हम चर्चा कर सकें, जिस पर हम बहस कर सकें, आप इस बात का निर्देश दे दीजिए । अभी चर्चा चल रही है क्वांटीफायबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट है वह सदन में रखें तब तो हम चर्चा करेंगे, यह विधान सभा की प्रॉपर्टी है और विधान सभा की प्रॉपर्टी में इस बात का उल्लेख किया गया है और क्वांटीफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत नहीं हुई है, जो कि प्रस्तुत होनी चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल कहां थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैंने जो मुद्दा उठाया है वह कानूनी मुद्दा है । क्वांटीफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट हमारे सामने आए, उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री कवासी लखमा :- 15 साल क्या कर रहे थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- दादी, ये तुम्हर सरकार मे आए हे, हमर सरकार मे नइ आए हे । अभी आए हे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- ओखर संग का बहस करबे, मान ले जो बोलत हे सही हे । अध्यक्ष महोदय, अब तीन परिस्थितियां बनती हैं । ये सरकार नीति शून्यता की शिकार है । वे तीन परिस्थितियां कौन-कौन सी हैं ? पहला, आज का विधेयक कि हम 76 परसेंट देंगे । मुख्यमंत्री जी के हल्ला ब्रिगेड वाले जब इतनी लम्बी लम्बी बात कर रहे हैं तो जब बोलने के लिए खड़े होंगे तो यह बताना पड़ेगा कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगा तो, नहीं लेगा तो संकल्प पर यह बात होगी, तो भी मैं 32 प्रतिशत आरक्षण एस.टी. को दूंगा, एस.सी. को 16 परसेंट दूंगा, चूंकि मैं ओ.बी.सी. कोटे से हूं, मैं राजनीतिक दल से जुड़ा हूं इसलिए मैं अपना स्वतंत्र दृष्टिकोण नहीं रखता । मेरी योग्यता है, मैं उसमें चुनता हूं । मेरी योग्यता है, यदि परीक्षा देता तो मैं उसमें पास होऊंगा। मैं उस लाईन का आदमी हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट घोषणा करना चाहिए। दूसरी बात, दूसरी स्थिति क्या है,

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विद्वान सदस्य बोलते हैं कि मैं परीक्षा देता तो आरक्षण का लाभ नहीं लेता। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको बात करने दीजिए। आप अपनी बात रखिए, प्लीज। (व्यवधान)

डॉ विनय जायसवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मतलब सारे के सारे जो ओ.बी.सी. हैं, वे अयोग्य हैं। माननीय अजय चंद्राकर जी बहुत विद्वान सदस्य हैं।

श्री अमरजीत भगत :- इनकी भावना स्पष्ट झलक कर आ रही है कि ये आरक्षण के पक्षधर नहीं हैं।

डॉ विनय जायसवाल :- लेकिन आप अगर बहुत ज्यादा योग्य हैं तो क्या छत्तीसगढ़ के पूरे के पूरे जो ओ.बी.सी. वर्ग के लोग हैं, वे अयोग्य हैं। क्या वे यह कहना चाहते हैं ? ये पूरे के पूरे ओ.बी.सी. वर्ग के उपर एक प्रश्नचिन्ह खड़े कर रहे हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- आप योग्य हो या अयोग्य हो, मैं यह नहीं जानता, मैं योग्य हूं, मैं यह जानता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आगे बढ़िए।

श्री अमरजीत भगत :- Dr. vinay is literate person his dr.

श्री रामकुमार यादव :- This is clear. (हंसी) ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी स्थिति यह बनती है कि सुप्रीम में 58 प्रतिशत को लागू करवाने के लिए गयी है। क्या इस विधेयक के पारित होने के बाद कल यह सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपने अपील को वापस लेगी ? तीसरी बात, क्वांटीफायबल डाटा आयोग में यहां पर टेबल नहीं हुई है, मेरे सूत्रों से जो मुझे पता है, जो मैंने गन प्वाईंट बोला। यदि 50 प्रतिशत की स्थिति बनती है तो क्या किया जाए ? तो क्या किया जाए ? 31 प्रतिशत एस.टी., इसलिए आपको बोलना पड़ेगा कि आपने क्वांटीफायबल डाटा आयोग को लिखवाया है। 40 से 41 प्रतिशत, 45 प्रतिशत ओ.बी.सी., आप अभी से क्वांटीफायबल डाटा आयोग का क्या करेंगे ? यदि उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करेंगे तो फिर आपको उसको स्पष्ट करना पड़ेगा। यह तीन स्थितियां हैं। चौथी बात, कल गवर्नर महोदया ने कहा है कि मैं कल स्वीकृति दूंगी तो मुख्यमंत्री जी को अपने भाषण में यह बोलना पड़ेगा कि मैं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का इंतजार नहीं करूंगा, कल मैं 76 प्रतिशत के हिसाब से रोस्टर जारी करूंगा। कल रोस्टर जारी करूंगा तब यह सरकार का जो नाटक चल रहा है,..। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने EWS 10 प्रतिशत को वैध ठहराया, उस 10 प्रतिशत को इन्होंने 4 प्रतिशत कर दिया। अब मैं उसका कारण बता देता हूं। जयराम नरेश जी का एक बयान आता है कि हम 10 प्रतिशत EWS का समर्थन करते हैं। एक सहयोगी दल एन.के.स्टालिन प्रमुख यह बोलते हैं कि यह सामाजिक न्याय की धारणा के खिलाफ है, हम इससे सहमत नहीं हैं। दूसरे दिन जयराम नरेश जी का बयान आता है कि हम स्टालिन के बयान से सहमत हैं, हम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे। तीसरी स्थिति बनती है कि कांग्रेस की एक नेत्री जया ठाकुर, मैं आपको यह पेपर दिखा दूंगा कि कहां का है। जया ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जाती है, साहब 10 प्रतिशत EWS को दिया गया है, उसको न दिया जाए तो कांग्रेस तो शुरू से इस

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

मामले में असमंजस में रही, उनका कोई स्टैंड नहीं रहा। क्या सामाजिक न्याय कांग्रेस का नारा नहीं है, जो सामाजिक न्याय स्टालिन ने कहा ? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके बाद आप इस घटना की पृष्ठभूमि में चलिए। मैं मनोज मंडावी जी को प्रणाम करता हूं, असली शहीद हैं। मैंने आपसे कहा कि जो सुप्रोमेसी होती है, वह पार्लियामेंट की होती है, गवर्नर के हाथ से बात निकल गयी, सरकार के हाथ से बात निकल गयी, हमको जाने अनजाने में यह ठहराया गया जब यह तकनीकी बात हमने आपसे पूछने की कोशिश की तो हम तथाकथित रूप से आरक्षण विरोधी हो गये। वह पार्टी हमसे कह रही है, जिसका इतिहास में आरक्षण से कभी लेना-देना नहीं रहा। हमने कहा कि आपकी सुप्रोमेसी है, 5 तारीख को वोटिंग है, क्वांटीफायबल डाटा आयोग तत्काल जमा करवाया गया। तत्काल अधिसूचना जारी करवाई गयी। आपात सत्र में कभी भी प्रश्नकाल स्थगित नहीं होते हैं। आप इतिहास देख लीजिए, उसमें प्रश्नकाल हुए हैं लेकिन उसको भी स्थगित किया गया। एक बिजनेस जोड़ दिया। एक विधेयक पारित नहीं हुआ है और आपने उसको शिथिल किया और उसको बिना पारित किये, बिना स्वरूप में आये संकल्प लगा दिया गया। हमने ऐसा लेजिस्लेशन कभी नहीं देखा। अब एक स्थिति यह हो गई और दूसरी स्थिति यह है और जिसकी बात हम सुबह कर रहे थे कि पी.एस.सी. की वर्ष 2021 की परीक्षा पूरी हो चुकी है। यहां बड़े-बड़े चिंतक-विचारक हैं। मुख्यमंत्री जी को आज अपने भाषण में बोलना चाहिए कि वर्ष 2021 की परीक्षा पूरी हो चुकी है उसमें कौन-सा रोस्टर लागू होगा और जो परीक्षाएं स्थगित हैं उसको वह कल बताएंगे कि कल यह रोस्टर लागू होगा और उसमें परीक्षाएं होंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल-मिलाकर सारी नियम-प्रक्रियाओं और सारी संसदीय परंपराओं को ताक पर रख कर पार्श्विक बहुमत के आधार पर और यदि मैं सबसे ज्यादा दु:खी हूं और हम कहीं पर भी विकर सेक्शन समाज की मुख्य धारा में न आएं, उसके विरोधी नहीं हैं और कोई भी विरोधी नहीं हैं। आप संविधान सभा की पूरी बहस को पढ़िये कि संविधान में आरक्षण कितने दिनों के लिये था।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से अनुरोध है कि आप यह बोल दें और कमिटमेंट कर दें कि आप इसके बाद कोर्ट नहीं जाएंगे। आप बोल दीजिए कि आप इस आरक्षण के खिलाफ नहीं जाएंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं उन लोगों का उत्तर दूंगा, जिसका खुद का विवेक है। जो माननीय रविन्द्र चौबे जी के उधार के विवेक में खड़े होते हैं, मैं उनका उत्तर तो दूंगा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? मैं इस बात से दु:खी हूं कि आरक्षण के नाम पर इस बिल के बाद और इस बिल के पहले मैंने जो तीन स्थितियां कही और परीक्षाओं पर जो बात कही और जो मुझे कह रहे हैं कि हम कोर्ट में नहीं जाएंगे तो कोर्ट में जाने वालों को तो आपने सम्मानित किया है। उस समय विरोध करने और सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी? (शेम-शेम की आवाज)

समाज से ज्यादा जरूरी आपकी कुर्सी थी। आपको मंत्री पद प्रिय था। उनको यह बोलना चाहिए कि हम मंत्री पद के कारण विरोध नहीं कर पाये। वैसे द्रोहियों को, आरक्षण द्रोहियों को कांग्रेस ने सम्मान दिया ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमन कांग्रेस वाले मन सिखोए बुद्धि अउ पलोए पानी में विश्वास नहीं राखन। हमन अपन में रहिथन।

श्री अमरजीत भगत :- आपका लक्षण ठीक नहीं लग रहा है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के द्वारा नेतागिरी हो रही है। आज जब मुख्यमंत्री जी का भाषण होगा तो यह लागू होगा और मैं रोस्टर भी कल जारी करूंगा और परसों से परीक्षाएं शुरू होंगी। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है। स्कूल, नर्सिंग कॉलेज में जितनी प्रवेश स्थगित हैं उनमें इसके आधार पर प्रवेश होगा। मैं चाहता हूं कि वह घोषणा करें। मैं आपसे अंतिम बात अपील करते हुए मनोज मण्डावी जी को मैं श्रद्धा से नमन करता हूं, चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने तत्काल चुनाव करवा कर नये आरक्षण के स्वरूप के लिए मार्ग प्रशस्त किया। यह सरकार विश्वास खो चुकी है। इस सरकार के पास अब एक ही हथकण्डा है कि अभी जिला बनाएंगे, तहसील बनाएंगे। अब यह चुनाव आयोग जाएंगे, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप ए.जी. से या चुनाव आयोग से परामर्श लीजिए। आप इसको 6 तारीख, 8 तारीख या 9 तारीख के बाद कीजिए। आप इसका परीक्षण करवाइये कि कहीं हमसे धोखे से गलत तो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने कहा, supremacy पार्लियामेंट की होती है। आपने उसमें संज्ञान नहीं लिया या आप लेंगे, इसको आप जानिये।

श्री अमरजीत भगत :- आप इतना लंबा खींच रहे हैं। इधर-उधर अटकाने की बात है।

श्री अजय चंद्राकर :- दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है और वह मेरे आइडियल है इसलिए उनको समर्पित कर देता हूं। माननीय रविन्द्र चौबे जी को इतिहास याद रखेगा कि वर्ष 1971 के बहुमत में लेजिस्लेशन का उनका रवैया क्या था? वर्ष 1971 के बहुमत में क्या था? विपक्ष के नेता थे, तब क्या था और जब आप पहली बार मंत्री थे, तब क्या था? यह संख्या बल रोज बदलती है। बड़े-बड़े लोग इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गये। यह जो नजीर टाइप हो रही है और जो लिखा जा रहा है वह आपको माफ नहीं करेगा। आप इस बात को ध्यान रखियेगा। राजनीति हम नहीं कर रहे हैं। हम समर्थन कर रहे हैं, राजनीति तो आप कर रहे हैं। आप मुझे उदाहरण बता दें। दोनों नोटिफिकेशन देख लें। एक विषय पर चर्चा होगी। आपने अनुपूरक लगा दिया। जो विधेयक मेच्योर नहीं हुआ है उसके लिए आपने कह दिया कि इसको नौवीं अनुसूची में जोड़ा जाए। क्या बात है! मैं आपका अभिनंदन करता हूं। जिस तरह से आप फ्लोर मैनेजमेंट कर रहे हैं उसके लिए तो मैं भाजपा विधायक दल को और नेता प्रतिपक्ष जी को आमंत्रित करूंगा कि आपका सम्मान होना चाहिए कि जो आपने ऐसा-ऐसा करके खड़े करवाकर मंत्री पद की गरिमा को बढ़ाया है, आपको उसके लिए भी अभिनन्दन करता हूं। आज की घटना किसी ने मानी हो

या ना मानी हो, किसने कहा उधर जाओ, उधर जाओ, यह सबने देखा है और सबने सुना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे आग्रह करते हुए कहना चाहता हूं कि आज के बाद से यदि आप अनुमति देंगे तब लेजिसलेशन की बात करेंगे, नहीं तो आप क्रूर बहुमत में बोलिये कि इसको बिना बहस के पारित करना है, हम उसके लिए तैयार हैं, हम इस क्रूर बहुमत का सम्मान करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यदि किसी विषय में बहस नहीं होती है, तो मैं आपका व्यक्तिगत रूप से सभी विषय में बहुत सम्मान करता हूं, हमने जितनी नोटिस दी हैं, यदि इनको बुरा लगता है तो हम वापस ले लेंगे। कांग्रेस पार्टी के पेज में यह दिखता है कि विधानसभा कब आहुत की जाये, यदि आप इस प्रक्रिया सही मानते हैं तो मैं उसको वापस ले लूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागाव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब द्वारा छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या के अनुपात में यहां के रहवासियों को आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय माननीय भूपेश बघेल साहब ने लिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर यहां के रहवासियों को हक और अधिकार देने का निर्णय लिया है तो माननीय भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम देखते हैं और इतिहास साक्षी भी है, जब-जब आरक्षण की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग विरोध करते हैं, आरक्षण को बदलने की बात करते हैं। [XX][7] के लोग, भारतीय जनता पार्टी को लोग देश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता देख चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का यहां इस सदन में जो व्यवहार देखने को मिला, वही कहीं न कहीं आरक्षण विधेयक को रोकने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी का चाल और चलन पूरे देश के सामने उजागर हुआ है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX] को विलोपित करवाईये।

अध्यक्ष महोदय :- (सिर हिलाकर सहमति दी गई)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जनता के सामने उजागर हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता के सामने किस मुंह से कहेंगे। आज छत्तीसगढ़ के जो बहुसंख्यक हैं, 32 प्रतिशत आदिवासियों को, अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत और अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग के लोगों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

आरक्षण देने की बात कह रहे थे तब से भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता कहते हैं कि इनकी गलतियों के कारण न्यायालय ने आरक्षण रद्द कर दिया है। इन्होंने दो-दो कमेटियां बनाई थी, ननकीराम कंवर जी की और सी.एस. की कमेटी बनाई थी। इन्होंने उच्च न्यायालय के सामने एफिडेविट के साथ तथ्यों के साथ नहीं रखा। आज उसी का परिणाम है कि आज आरक्षण कम हुआ। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि ये सन् 2004 से 2012 तक सरकार में रहे हैं। उन्होंने क्या किया ? सन् 2004 से सन् 2012 तक अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, आदिवासियों को 20 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों को 14 प्रतिशत आरक्षण दिया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज और हमारे स्व. मनोज मण्डावी जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, वह 19 मार्च, 2012 को जेल भी गये थे, हमारे कई नेता जेल गये। तब आदिवासी समाज और अन्य समाज के दबाव के कारण आनन-फानन में निर्णय लिया। सन् 2013 में चुनाव होना था, आनन-फानन में निर्णय लिया गया और आरक्षण को बढ़ाया था। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। जो संविधान की बात कहते हैं, न्यायालय की बात कहते हैं, उच्चतम न्यायालय की बात कहते हैं, राज्य सरकार को भी नियम बनाने का अधिकार है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में निवासरत् है । इन वर्गों के कल्याण एवं हितों का संरक्षण आवश्यक है । भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) एवं अनुच्छेद 335 और राज्य सूची 2 की प्रविष्ट क्रमांक 41 के अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान करने के लिये राज्य शासन सक्षम है । संविधान में संशोधन कर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है । माननीय अध्यक्ष महोदय जी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण अधिनियम 1994 (क्रमांक 21) में संशोधन करते हुये उपयुक्त आरक्षण निर्धारित करना आवश्यक है, इसीलिए इस सदन में इस विधेयक को लाया गया है । मान्ननीय अध्यक्ष जी, अगर हमारी सरकार ने इस विधेयक को लाया है, सोचसमझकर लाया गया है, ताकि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में जाये तो उसका कैसे जवाब दो, हमारी सरकार ने इसके लिये तैयारी की है । माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विद्वान सदस्यों ने लगातार बात कही है । अजय चन्द्राकर जी ने अपनी बातें कही है, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बातें कही है । माननीय अध्यक्ष जी, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है । 15 साल में केवल 9 बार ही पी.एस.सी. की भतियॉ की गई । अर्थात 6 साल पी.एस.सी. की भर्तियां नहीं हुई । माननीय अध्यक्ष जी, यह भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र है । कहते कुछ हैं, मुंह में राम, बगल में छुरी, यह भारतीय जनता पार्टी का फितरत है । माननीय अध्यक्ष जी, लगातार हमारी सरकार कानूनी पहलुओं पर काम कर रही है । देश में आजादी के बाद संविधान बना है । देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर जी ने संविधान बनाया । संविधान बनाकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, उन वर्गों का विशेष ख्याल किया,

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

आजादी के बाद लगातार हमारी सरकारों ने इन वर्गों को आरक्षण देने की व्यवस्था की । आज आर.एस.एस. के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को बदलना चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सदस्य, आज जो विधेयक आया है, उसका विरोध कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, आज कहीं न कहीं हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, इन वर्गों का विशेष ख्याल करके आरक्षण दे रही है । माननीय अध्यक्ष जी, संविधान में जो प्रावधान किये गये हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के संबंध में भारतीय संविधान में वर्णित महत्वपूर्ण प्रावधानों को इस सदन में रखना मैं समझता हूँ कि जो विपक्ष के साथी हैं, उन बातों को जो उठा रहे हैं, उसे मैं इस सदन में रखना चाहता हूँ । भारत के संविधान में उपरोक्त वर्गों के व्यक्तियों को शासकीय नियोजन में उचित स्थान, प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिये, जो समय-समय में हुये, जिसका उल्लेख निम्न अनुछेदों में स्पष्ट रूप से की गई है, जिसका उल्लेख यहां किया जाना उचित होगा । यह कि- दिनांक 26-1-1950 से लागू भारतीय संविधान में आरंभ से ही अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये विशिष्ट उपबंध वर्णित है और समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिये आयोग गठित किया जाना प्रावधानित है । अनुच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेंषण के लिये आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है ।

समय :
2.09 बजे **(सभापति महोदय (श्री धनेन्द्र साहू) पीठासीन हुये)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों से संबंधित संविधान में प्रायोजनों के लिये राष्ट्रपति या किसी राज्य के लिये राज्यपाल से परामर्श करने के बाद उस राज्य या केन्द्रशासित क्षेत्रों के संबंध में अनुसूचित जातियों और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जातियों के संबंध में तत्संबंधी प्रावधान विद्यमान है । समय-समय में इन जातियों में शामिल होने या अपवर्जित किये जाने के संबंध में संसद की विधि द्वारा अधिसूचित किये जाने का प्रावधान विद्यमान है । संविधान के भाग 3 मूल अधिकारों के संबंध में विशेषकर अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साथ ही विशेषकर अनुच्छेद 16(4), 4(क), 4(ख) के विद्यमान मूल अधिकारों के साथ ही भाग चार के राज्य की नीति के निदेशक तत्व के संबंधित विभिन्न प्रावधानों के अनुक्रम में विशेष अनुच्छेद 40 के अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य दुलर्भ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के परिपालन में अविभाजित मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, जो संविधान में प्रावधान था, उन्हीं के तहत हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्रावधान किया है, जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को लागू करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

माननीय सभापति महोदय, तात्कालिन सरकार जब मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ था तो 18.01.2012 के पूर्व तक शासकीय सेवा में जो आरक्षण का प्रतिशत था, अनुसूचित जाति के लिये 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 20 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 14 प्रतिशत, कुल 50 प्रतिशत आरक्षण था। उसी ढंग से 2001 की जनगणना के अनुसार, भारत सरकार के आदेशानुसार जनगणना की कार्यवाही संपादित हुई तब जनगणना के आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मित एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालयीन पत्र दिनांक 05.07.2005 के अनुसार भारत गणराज्य के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिये भारत सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें विभागों एवं निगम में संबंधित ग्रुप 'सी' एवं ग्रुप 'डी' पदों के लिये आरक्षण का प्रतिशत आनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया, संबंधित अंश इस तरह है, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति के लिये 12 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिये 32 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 6 प्रतिशत आरक्षण किया गया।

माननीय सभापति महोदय, 1981 के जनगणना के अनुसार 1993 में जो जनसंख्या के आधार पर आनुपातिक रूप में 1985 से पहले निर्धारित किया गया था, 1993 में अधिकतम 27 प्रतिशत आरक्षण की सीमा निर्धारित किये जाने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इन तीनों वर्गों के लिये कि किसी भी स्थिति में 50 प्रतिशत की सीमा में ही आरक्षण रखे जाने का निर्णय लिया गया, इसीलिये 2001 की जनगणना को ध्यान में रखकर आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, जो बातें आयी, 2001 की जनगणना में, उसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जनसंख्या 02 करोड़ 08 लाख 33 हजार 308 थीं, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या 24 लाख 18 हजार 722 मतलब 11.60 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 66 लाख 16 हजार 556, मतलब 31.75 प्रतिशत, चूंकि भारत सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.11.1992 को निर्मित इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, अन्य प्रकार के अनुसार 50 प्रतिशत की अधिक सीमा, आरक्षण निर्धारित किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण निर्धारित किया गया।

माननीय सभापति महोदय, जो बातें आयी, तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा 18.01.2012 को जारी किया गया, जिसके अनुसार निपूर्व निर्धारित 01.07.1994 के प्रभावशील आरक्षण प्रतिशत को तात्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निम्नानुसार संशोधित किया, जिसमें एस.सी. को 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत, एस.टी. को 32 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग को 14 प्रतिशत किया। जबकि हमारी सरकार ने जो विधेयक लाया है, जनसंख्या के अनुपात में उनका हक मिलना चाहिये। पिछली सरकार ने जो आरक्षण 12 प्रतिशत किया था। अनुसूचित जाति का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर, 13 प्रतिशत किया। अनुसूचित जनजाति वर्ग को 32 प्रतिशत किया और अन्य पिछड़े वर्ग को

27 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। तात्कालीन सरकार के निर्णय को हाईकोर्ट में कई याचिकाओं के माध्यम से चैलेंज किया गया था। तात्कालीन सरकार वर्ष 2012 से 2018 तक सरकार में रही। मगर वर्ष 2012 से वर्ष 2018 के बीच उन्होंने जो दो समितियां गठित की थी, उन समितियों की सिफारिशों को एफिडेविट के माध्यम से हाईकोर्ट में बताना था, तात्कालीक कारणों को बताना था कि इन-इन वर्गों की जनसंख्या यह-यह प्रतिशत है। इसलिए हम उन वर्गों को सम्मान देते हैं, हम उन वर्गों को लाभ देना चाहते हैं इसलिए उन्होंने नहीं किया। छत्तीसगढ़ की जनता उसी का खामियाजा भुगत रही है और वर्ष 19.02.2022 को निर्णय आता है तात्कालीन सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो निर्णय था, उस निर्णय को रद्द करती है। अब चूंकि माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर से 19.02.2022 को निर्णय आया है उसको रद्द किया है तो कहीं न कहीं उन वर्गों को लाभ देने, ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए हमारी सरकार ने किया है। एक विद्वान सदस्य माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी और अजय चन्द्राकर जी इंदिरा सहाने के निर्णय के बारे में कह रहे थे, मैंने उनकी रिपोर्ट को अध्ययन किया है और मैं आपके सामने इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इंदिरा सहाने प्रकरण, इंदिरा सहाने बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया आपसे संबंधित डब्ल्यू टी.सी 0930/1990 प्रकरण में जो प्रथमत: 2, 3, 5, 7 एवं 9 जजों की बेंच द्वारा 16.11.1992, पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के भारत सरकार के आदेश को उचित ठहराया गया। उनमें यह प्रतिपादित किया गया कि पिछड़ा वर्ग जो की सामाजिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। भारत सरकार की सेवाओं के लिए 27 प्रतिशत का आरक्षण निर्धारित होगा। उसके संबंध में निम्न बातें स्मरणीय हैं। वर्ष 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब पिछड़े वर्गों की कोई ऐसी सूची उपलब्ध नहीं थी। जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के मुकाबले कम पिछड़े हुए हैं, पिछड़े हुए हैं जाना जा सके। भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के तहत पहला पिछड़े वर्ग आयोग का गठन 29.01.1953 को किया गया। जिसमें kaka kalelkar commission के नाम से जाना जाता है। उक्त गठित आयोग के द्वारा 30.03.1955 को केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें 2 हजार 399 पिछड़ी जातियों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग होना बताया गया। आयोग ने इस प्रतिवेदन को वर्ष 1961 में इसलिए निरस्त कर दिया कि भारत में जातीय विहीन समाज बनाना है या कि लंबी अवधि के पश्चात् जब जनता दल की सरकार श्री मोरार जी देसाई के प्रधानमंत्री काल में 01.01.1979 को दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग सीबीसी मण्डल के अध्यक्ष में गठन किया गया। जिसका उद्देश्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप पिछड़े वर्गों की पहचान करना और उन्हें शासकीय सेवा में स्थान देने हेतु आरक्षण देना, उक्त आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट वर्ष 1980 को सौंपी और पिछड़ा वर्ग को शासकीय सेवा में स्थान दिया गया। जनता पार्टी टूट गई और मण्डल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की गई। उसके बाद तात्कालीन व्ही.पी. सिंह जी की सरकार बनी और तात्कालीन व्ही. पी. सिंह जी की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन वापस दिया। उसके

बाद पी.व्ही. नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी। पी.व्ही.नरसिंह राव सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत कैसे आरक्षण देना है, तात्कालीन केन्द्र में बैठी पी.व्ही.नरसिंह राव सरकार ने उसको आत्मसात किया और पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। तब 1990 में आयोग की अनुशंसा पर प्रावधानित 27 प्रतिशत आरक्षण को माननीय उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। तब तात्कालीन प्रधानमंत्री पी.व्ही.नरसिंह राव जी द्वारा एक अन्य आदेश जारी किया गया। जिसके अनुसार सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के मापदंड आर्थिक पिछड़ेपन को भी शामिल करते हुए 37 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया। जब माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन 5 जजों की बैच के बाद 9 जजों की बैच में संदर्भित किया गया। 9 जजों की बैच के द्वारा 6-3 के बहुमत से, जिसकी अध्यक्षता तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जा रही थी, दिनांक 16.11.92 को निर्णय दिया गया, जिसमें दो महत्वपूर्ण बातें अत्यधिक गौर करने योग्य हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह स्वीकार किया गया कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का आशय क्रमश: क्रीमीलियर और नान क्रीमीलियर से है। भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नई दिल्ली के द्वारा क्रीमीलियर से संबंधित परिपत्र क्रमांक 36222/22/93/एस.सी.टी.सी. दिनांक 08.09.1993 के अनुसार वार्षिक आय 01 लाख से अधिक तथा समय-समय पर अन्य आफिसर्स मेमोरेंडम के माध्यम से निम्नानुसार वार्षिक आय में बढोत्तरी हुई है। तदैव दिनांक 09.03.2010 में वार्षिक आय ढाई लाख, तदैव दिनांक 14.10.2008 में साढ़े 04 लाख, तदैव दिनांक 27.05.2013 में 06 लाख, तदैव वर्ष 2018 में 08 लाख वार्षिक आय में बढोत्तरी हुई है। यह आय सीमा निर्धारित की गई। सुप्रीम कोर्ट की 09 जजों की बेंच ने 06-03 के बहुमत से जो निर्णय लिया । आखिर वह जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन वर्गों को भी हम 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था। मंडल कमीशन की जो सिफारिशें हैं, उस मंडल कमीशन की सिफारिशों के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी पिछड़े वर्गों को हम 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। यह हमारी माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है। माननीय सभापति महोदय, यह बातें आती हैं कि इंदिरा साहनी प्रकरण के अनुसार 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण नहीं होना चाहिए। यह निर्णय है। चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, महाराष्ट्र हो, इन राज्यों की सरकारों ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने की व्यवस्था की है। 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की स्थिति में तमिलनाडु सरकार द्वारा अपनाई गई संवैधानिक प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी इस सदन में मैं आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। तमिलनाडु राज्य में 1921 से पहले पिछड़े वर्ग की अनेक समस्याओं का इतिहास रहा है। लेकिन भारत के संविधान के अस्तित्व में आने के बाद में समय-समय में आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाते-बढाते 1993 की स्थिति में तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण हो गया था। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति के लिए 18 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 01 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 50

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

प्रतिशत, कुल 69 प्रतिशत। स्वाभावित तौर पर आरक्षण का प्रतिशत वहां की कुल जनसंख्या के अनुसार अनुपातिक रूप से निर्धारित किया गया था, लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार एवं अन्य के WP(C) No. 930/1990 (Air 1993 SC 477) में 9 जजों के पीठ के द्वारा दिनांक 16.11.1992 को जो निर्णय पारित किया गया, उसके अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के प्रावधानों के तहत लोक नियोजन सरकारी सेवा चाहे वह केन्द्र शासन या राज्य शासन या उसके उपक्रमों के मामले में आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा। उपरोक्तानुसार माननीय उच्चतम न्यायलय के निर्णय के अनुसार तमिलनाडु सरकार के शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक सत्र 1993-94 में प्रवेश का मामला मद्रास उच्च न्यायालय में आने से सरकार के 69 प्रतिशत आरक्षण को लागू होना मानते हुए आगामी शैक्षणिक सत्र 1994-95 के लिए 50 प्रतिशत का आरक्षण अनिवार्य मान्य किया गया। तमिलनाडु सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मद्रास के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर कर निवेदन किया गया कि सरकार के पूर्व की भांति आरक्षण 69 प्रतिशत को Re-affirmed किया जाये ताकि पिछड़े वर्ग के उन्नति व विकास सुनिश्चित हो सकें, तब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश पारित किया गया कि शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उक्तानुसार पारित अंतरिम आदेश की स्थिति में और विशेषकर अपने तमिलनाडु राज्य में पिछड़े वर्गों की हितों की रक्षा करने की गंभीर प्रयास में विधान सभा का विशेष सत्र दिनांक 09.11.1993 को आहूत किया गया, जिसमें सर्व सम्मति से पास किया गया। माननीय सभापति जी, भारत सरकार से अनुरोध किया जाये कि तमिलनाडु में सरकारी सेवा एम्स शैक्षणिक संस्थाओं में 69 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाए। तमिलनाडु सरकार के द्वारा सर्वदलीय बैठक भी आयोजित की गई, जो दिनांक 26.11.1993 को आहूत की गई। इस बैठक में यह अर्ज किया गया कि सरकार में 69 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करने में कोई शक शुबह नहीं होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का विलंब भी नहीं होना चाहिए और 69 प्रतिशत आरक्षण की निरंतरता राज्य के पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आवश्यक है।

माननीय सभापति जी, विधान सभा द्वारा विशेष सत्र में जो विधेयक तैयार किया गया, वह Tamilnadu Backward Classes, ST&ST (Reservation of seat in education institution & appointment or post in the services under the state) विधेयक, 1993 और इस विधेयक को भारत सरकार को माननीय राष्ट्रपति के विचार और मंजूरी के लिए भेजा गया, जैसा कि भारतीय संविधान के अंनुच्छेद 31(c) में वर्णित है।

उपरोक्तानुसार मामला अत्यधिक संवेदनशील और अति महत्व का होने से केन्द्रीय गृह मंत्री जी के द्वारा राजनीतिक दलों के साथ दिनांक 13.07.1994 को तमिलनाडु सरकार के द्वारा प्रेषित विधेयक के संबंध में विचार-विमर्श किया गया और सर्व सम्मति से तय किया गया कि इस विधेयक

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर महामहिम राष्ट्रपति से अनुमति, सहमति, मंजूरी ली जानी चाहिए तदानुसार महामहिम द्वारा दिनांक 19.07.1994 को अपनी सहमति, मंजूरी दे दी गयी । (मेजों की थपथपाहट) जो प्रस्ताव तमिलनाडू सरकार ने भेजा था । केंद्र सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी ने उसको मंजूरी दे दी । महामहिम राष्ट्रपति द्वारा एसेंट दिये जाने पर विशेष सत्र में तैयार विधेयक अधिनियम 1993 को एक्ट नंबर - 45 of 1994 दिनांक 19.07.1994 के रूप में अधिसूचित किया गया । यह कि उक्त अधिनियम की धारा जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 (सी) अनुच्छेद 38 व अनुच्छेद 46 को आकर्षित करता है ।

माननीय सभापति महोदय, यह कि उक्त अधिनियम भारतीय संविधान के अध्याय-4 में वर्णित राज्य के नीति-निदेशक, सिद्धांतों...।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय सभापति महोदय, तमिलनाडू से लेकर सारा मंडल आयोग से लेकर सब आ गया है, अब टेबल करवा दीजिये । हम लोग उसको वैसे ही पारित कर देंगे ।

श्री मोहन मरकाम :- आप बोल रहे थे न तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके विद्वान सदस्य अजय चंद्राकर जी और बृजमोहन अग्रवाल जी आपत्ति कर रहे थे न तो मैं संविधान की पूरी बातें बता रहा हूं । जो जानकारी होनी चाहिए । यह हमारे इस सदन की जो बातें हैं, यहां की जो संपत्ति है, यहां के रिकॉर्ड में आयेगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार में किन कारणों से इन वर्गों को लाभ दिया है । आपको जानकारी होनी चाहिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- मोहन जी, उसको न रिकॉर्ड में लाने के लिये टेबल करवा दीजिये । एक भी लाईन नहीं कटेगी, कॉमा भी नहीं कटेगा । रिकॉर्ड में आ जायेगा ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आज हमारी सरकार ने सोच-समझकर यह विधेयक लाया है । यह कि उक्त अधिनियम भारतीय संविधान के अध्याय-4 में वर्णित राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों के अनुपालन और अनुक्रम में खासकर अनुच्छेद-38 एवं 39-सी और 46 को प्रभावी बनाने के लिये इस अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 39-सी के तहत् अधिनियमित हुआ है जिसमें संविधान के अनुच्छेद-14 और 19 के तहत् किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती अगर इस अधिनियम के तहत् छत्तीसगढ़ सरकार भी पास कर सकता है तो यह सुप्रीम कोर्ट में भी इस कानून के तहत् इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता । (मेजों की थपथपाहट) अतएव इसमें 9वीं अनुसूची में डालने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया ताकि यह कानून किसी के द्वारा चुनौती न दी जा सके और उसमें मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है जो कि संविधान के भाग-3 में खासकर अनुच्छेद-15 और 16 में दर्शाया गया है जिसमें अनुच्छेद 31-बी के तहत् संरक्षण प्रदान करता है । आज हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार इन वर्गों की चिंता करती है, अगर आज विधेयक लाया है तो सोच-समझकर लाया गया है । इन वर्गों के हितों की रक्षा करेंगे । भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 सालों तक रही है । वर्ष 2004 से 2012 तक आपने आदिवासियों को ठगने का काम किया है । मात्र 20

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

परसेंट दिया, पिछड़े वर्गों को मात्र 14 परसेंट दिया । आज हमारी सरकार पिछड़े वर्गों को 27 परसेंट, आदिवासियों को जनसंख्या के अनुपात में 12 परसेंट देना चाहती है तो आपको पेट में तकलीफ हो रही है । आप किसके ईशारे पर काम कर रहे हैं । आर.एस.एस. वाले जो संविधान बदलना चाहते हैं, आप उनके कारण हो-हल्ला करते हैं।

मानननीय सभापति महोदय, आज पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चूंकि जब ये अपने क्षेत्र में जायेंगे न तो देखेंगे कि इनका हश्र क्या होगा ? ये अपने-अपने क्षेत्रों में जाने के बाद देखेंगे । आज इस पवित्र सदन में हमारी सरकार की नीयत साफ है, अगर हमारी सरकार हक-अधिकार देना चाहती है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, अगर आपकी नीयत साफ है तो 13 से 16 प्रतिशत उसको आरक्षित कर देते । आपकी नीयत तो दिख रही है ।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी सरकार ने 16 से 12 किया है । आप भी उस समय सरकार में थे । आप यह क्यों भूल रहे हैं ? आप उस समय मंत्री थे न । आप उस समय मंत्री थे, डॉ. रमन सिंह के सामने आपका मुंह नहीं खुल रहा था । आपने उस समय 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मोहन मरकाम जी, अभी आपने कहा कि आरक्षण का स्लैब कुछ कारणों से घटते-बढ़ते रहता है।

श्री मोहन मरकाम :- हम जनसंख्या के अनुपात में 12 से 13 प्रतिशत कर रहे हैं। आप उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे न। डॉ. रमन सिंह के सामने मुंह नहीं खुलता था। वर्ष 2012 में मंत्री थे। वर्ष 2008 से वर्ष 2013 तक स्वास्थ्य मंत्री थे। मुंह खोलना बंद था। आज कहीं न कहीं हमारी सरकार इसमें काम कर रही है। माननीय सभापति जी, आज का दिन इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा कि आज छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली कोई सरकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी।

सभापति महोदय :- हो गया न। वे पूरा कर रहे हैं न।

श्री मोहन मरकाम :- भारत सरकार, राष्ट्रपति जी के द्वारा..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मोहन मरकाम जी। मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी बारी थी तो हमने बड़े ही ध्यान से सुना।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भैया, जब आपको नहीं टोका तो आप क्यों टोक रहे हो?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। आप यह देखिए कि मैंने भी पेपर रखा था। मैं ऐसे देखकर रख देता था। हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं। परंपरा है, आप देख-देख कर पढ़ते रहते हैं और यदि देख-देख कर पढ़ना है..।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- संविधान में इसके लिए व्यवस्था है। अगर आपको तकलीफ है। आप कुरूद जाना। आपको कुरूद की जनता बतायेगी। आपने आदिवासियों का, पिछड़े वर्गों के आरक्षण का विरोध किया है। आपको अगली बार कुरूद की जनता बतायेगी। आपने पिछड़े वर्गों का और आदिवासियों के आरक्षण का विरोध किया है। आपको कुरूद के पिछड़े वर्ग की जनता बतायेगी। आप शांत रहो। आपको कुरूद की जनता बतायेगी।

श्री अजय चन्द्राकर :- लड़बे का कुरूद ले। आजा फिर। कुरूद ले करवा दे, मैं आथों फिर।

सभापति महोदय :- कृपया शीघ्रता से पूर्ण करिए। पौन घंटे हो गये हैं। कृपया पूर्ण करें।

श्री मोहन मरकाम :- साहब, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। ये संविधान की कुछ बातें हैं, इन्हें मैं रख रहा हूं। यहां की जो परिपाटी कि हमारी सरकार ने किन-किन नियम प्रक्रियाओं के तहत यहां के लोगों को आरक्षण देने की व्यवस्था की है, इन नियम प्रक्रियाओं को मैं इस सदन में रखना चाहता हूं। माननीय सभापति जी, भारत सरकार राष्ट्रपति जी के द्वारा चूंकि पूर्व में ही तमिलनाडु सरकार के विधेयक को सहमति मंजूरी प्राप्त हो गई है, उसके आलोक में है।

श्री अमितेश शुक्ल :- अजय भाई ज्ञान की बात है। ज्ञान की बात कर रहे हैं। ज्ञानवर्धक है।

श्री मोहन मरकाम :- ज्ञान की बात सुनिए। नियम प्रक्रियाओं की बात कह रहे हैं न। हम नियम प्रक्रियाओं के तहत बात कर रहे हैं तो आज कहीं न कहीं हमें लगता है। आज हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज हम इस सदन के सदस्य हैं। आज हमारे 30-32 आदिवासी समाज के विधायक हैं। एस.सी. वर्ग के हमारे विधायक हैं। सरकार में मंत्री हैं। आज अपने आपको गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम उस विधान सभा के सदस्य थे। हमारे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय हुआ है और इन वर्गों को हमारी सरकार ने आरक्षण दिया है। माननीय सभापति जी, आज हमें लगता है कि कहीं न कहीं आज हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का चाल-चरित्र आज देश के सामने आ गया है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज यहां जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो हमारी सरकार की नीयत है, जो जनसंख्या के अनुपात में उन्हें 4 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। पिछड़े वर्गों के लिए सरकार ने एक आयोग गठित करके जनसंख्या की गणना की है जो भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन सरकार नहीं कर पायी। माननीय सभापति जी, आज खुशी होती है। अपने आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आज इस सदन से इतिहास साक्षी बनेगा और इस सदन में हम यह आरक्षण विधेयक पास करेंगे। आज कहीं न कहीं हमें लगता है कि माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का ऐतिहासिक निर्णय है जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को उनका हक और अधिकार देने का निर्णय ऐतिहासिक निर्णय है। मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। (मेजों की थपथपाहट)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सभापति महोदय :- माननीय श्री ननकीराम कंवर जी।

श्री रामकुमार यादव :- बबा, पाय लगी ।

श्री ननकीराम कंवर (रामपुर) :- खुश रहो ।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली तो गोठ न नइ मानिस, उहू ला कहिबे ।

श्री मोहन मरकाम :- मेरे पास रिपोर्ट है ।

श्री कवासी लखमा :- सही सही बोलना ।

श्री ननकीराम कंवर :- तुम लोग वह काम कर लेते तो इस विधेयक को लाने की जरूरत नहीं थी । सुन लो, हर बात में बोलने से योग्यता नहीं बढ़ती । यह विधान सभा की परम्परा नहीं है कि कोई बोले तो उसमें टोकाटाकी करें । आप बहुत योग्य हैं, बहुत पुराने विधायक हैं इसलिए मैं आपको स्पेसीफिक टिप्पणी दे रहा हूं । विद्वान हैं, सब हैं, आपके क्षेत्र के लोग आपको वोट देते हैं, आप विद्वान् हैं भाई । इसमें मुझको कुछ नहीं कहना । माननीय सभापति जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर उसका जवाब दे देंगे तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा । मुख्यमंत्री जी और संसदीय कार्यमंत्री जी में तालमेल नहीं है । दोनों लड़ते हैं । यह बताइए कि जब एक अध्यादेश जारी है तो कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी और कोर्ट ने फैसला दिया तो अपील करने की क्या जरूरत थी ? विद्वान् संसदीय कार्यमंत्री जी हैं, मैं साले साहब का भी सम्मान करता हूं और मुख्यमंत्री जी का तो सम्मान करता ही हूं । अगर नहीं करूंगा तो उनकी बहन मुझे घर से निकाल देगी। या तो दोनों में तालमेल नहीं है क्योंकि जब अध्यादेश में आदिवासियों को 32 परसेंट मिल रह है तो कोर्ट में जाकर, कोर्ट से क्या फायदा दिया ? कांग्रेस पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बबा, आज अजय चंद्राकर जी हा माननीय चौबे जी ला विदुर कहिस ।

श्री ननकीराम कंवर :- मैं दूसरे का विरोध नहीं करता भाई । अपनी बात को बोल रहा हूं, उसका जवाब दे दें तो अच्छी बात है । अगर जवाब नहीं देंगे तो यह सरकार नाकारा है ।

श्री रामकुमार यादव :- जवाब तो, तोर सरकार तोला 15 साल मा नइ दे पाइस ।

श्री ननकीराम कंवर :- जब एक अध्यादेश जारी है तो अध्यादेश जारी करके ही आरक्षण कर देते, कोर्ट ने तो खारिज कर दिया ना । फिर अपील में जाने की क्या जरूरत है, यह बता दीजिए ? उन्होंने तो यह नहीं कहा कि जारी अध्यादेश या जो चल रहा है वह गलत है ठीक है उसको खारिज कर दिया । तो आपने 32 परसेंट को तो खारिज करवाया ना, इसका जवाब दीजिए (शेम शेम की आवाज़) । ठीक है, मैं आदिवासी आदमी हूं, कम जानता हूं । यह बता दीजिए अब गैर आदिवासी, जिनका आपने जोड़ा है, उसको जोड़कर विधान सभा में पास करवा देते तो हम लोग पास नहीं करते । आज हम विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए खड़े हैं । मेरे सब साथी आपके समर्थन में ही बोलेंगे, लेकिन माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी इस बात का जवाब दे दीजिए । आप उसमें जोड़कर पास करते तो हम आपकी प्रशंसा

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

करता, इसलिए कि मेरे साले लोग अच्छा काम कर रहे हैं । लेकिन आपने विधान सभा का समय ज़ाया किया है, पब्लिक का कितना खर्चा हुआ, आपके विधायक नहीं गए होंगे, मैं उसके विरोध में गया था, मेरे क्षेत्र के और पार्टी के सभी आदिवासी विधायकों ने इसका विरोध किया था । आपके कारण किया ना, खर्च किसका हुआ पब्लिक का हुआ और आपका भी हुआ होगा । कोर्ट में गए तो किसका खर्चा हुआ, मेरे साले साहब का हुआ, आपका हुआ, व्यय तो पब्लिक का हुआ ना । यह क्यों हुआ बता दीजिए ? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा । यानी गलत काम के लिए आप कोर्ट भी जा रहे हैं। वाहवाही लूटने के लिए कोर्ट गए क्या? कि 32 परसेंट या 15 परसेंट या 10 परसेंट को हम ज्यादा करेंगे । अरे, ज्यादा कर देना था, बम्पर मैजोरिटी है आपकी। आप सही काम तो करना नहीं चाहते । वाहवाही ऐसे ही नहीं मिलेगी। अभी आने वाले चुनाव में वर्ष 2023 में देख लीजिए। कितना भ्रष्टाचार है। मैंने पहले ही समय में कहा था, अधिकारी अपने विभाग को ठीक कर लें। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि न मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। आपके विभाग में किसमें दम है बताईए। मैं कहता हूं आज अगर सरकार बन जाए, प्रधानमंत्री जी की यह बात मैं लागू करूंगा। मैं अपनी बात बोल रहा हूं। आज भी ननकीराम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि पांच पैसे को कोई गलत काम किया हो या विभाग से कोई गलत काम करवाया हो। जितने भी मंत्री हैं, मैंने जिन विभागों में काम किया है, आप उसके अनुरूप काम कर लीजिए। माननीय कृषि मंत्री जी, कृषि में सकल घरेलू उत्पाद कितना है ? मेरे समय में मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत था। आपके राज में किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, जहां कांग्रेसीराज हो। अगर पांच साल में गृह विभाग में अपराध में कमी हुई हो तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। आप बता दीजिए। मैं उनका चरण छूने जाऊंगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग सरकार बनने से रोक नहीं सकते। आप लोग बहुत गलत काम कर रहे हो। आदिवासी को शराब बनाने की छूट है, 20 हजार, 25 हजार रूपये लेते हैं नहीं तो जेल भेज देते हैं। आपके कौन से मंत्री हैं, मैं जो बतला रहा हूं उसको बता दीजिए। मैं सब विभाग का बोल रहा हूं। मध्यप्रदेश में जनशक्ति विभाग में मैं मंत्री थी, एम.ए.सी.टी. कॉलेज में जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी भी पढ़े हैं। मैं उनको कहता था, अब एम.ए.सी.टी. में रैगिंग बंद हो गयी। मेरे आने के पहले कभी भी समय पर परीक्षा नहीं होती थी, वह होना शुरू हो गया। आप रिकॉर्ड देख लीजिए। मैं यही निवेदन कर रहा हूं कि थोडा़ सा ईमानदारी से काम कर लीजिए। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो विधायक हो, ईमानदारी से काम करते हो लेकिन मैं मंत्रियों से निवेदन करूंगा। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूं। सभापति महोदय, कोई भी दिन ऐसा नहीं है कि मुझको थाने से एक गाड़ी छुड़ाना पड़ता है, एक आदिवासी को दारू बनाने के लिए छुड़ाना पड़ता है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कहा है, याद होगा। यह शराब बनाने वालों को छूट दिये हो, वह गलत किये हो। जिस भी सरकार ने दिया है। जो शराब बनाते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उसी विभाग के हैं, आप एक बात बता दीजिए कि आपने अभी तक रेत घाट को ठेका क्यों नहीं दिया है ? अपने लोगों को पालने के लिए ठेका नहीं

दिया है। मतलब वे अवैध काम करें। कोई गरीब आदमी घर बना रहा है और उसके लिए एक ट्रेक्टर बालू ले जाए तो उसको पकड़िए और जेल भेजिए। यह कल परसों की घटना है। मैं यहीं था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- ये आरक्षण वाला में दारू के मामला कहां आ गे ?

श्री ननकीराम कंवर :- मैं कभी गलत नहीं बोलता। आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मंत्री जी उत्तर देंगे। जो तू-तू, मैं-मैं हुआ था, वह आप दोनों के कारण हुआ था। यह विधानसभा में आप दोनों का ही गलत आचरण है। मैं नहीं बोल सकता लेकिन माननीय अध्यक्ष जी को बोलना था कि आप बैठ जाईये। मैं जिस समय भाषण दे रहा था, आप उस समय भी खड़े हो गये थे।

श्री रामकुमार यादव :- बाबू जी, बहुत सीनियर हे, बाबू जी जब बोले तो बीच में आने का नहीं।

श्री ननकीराम कंवर :- जब कोई भी विधायक बोलते हैं तो हमको बीच में बोलना ही नहीं चाहिए। अगर उत्तर देने वाले मंत्री हैं तो उनके पूरे भाषण को सुनकर उत्तर देना चाहिए। वह उसकी जवाबदारी है। क्योंकि मैं माननीय अध्यक्ष के उपर तो आरोप नहीं लगा सकता। वह हमसे ज्यादा समझदार हैं। माननीय सभापति जी, मैं अपनी गलती जरूर मानता हूं कि हमने 12 साल से अध्यादेश जारी करने के बाद विधेयक नहीं बनवाया, पास नहीं किया। यह हमारी गलती है। लेकिन आप अगर गलती करेंगे तो हम बोलेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कितने दिनों तक विपक्ष में थे। आपने माननीय मुख्यमंत्री जी को किसी भी दिन टोका था या किसी विधायक को सभा में कहा था। आप 32 प्रतिशत को पास क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं थी ? तो इसलिए चूंकि हमने विधेयक पेश किया था। इसलिए हम सब साथी आपको समर्थन करते हैं और हम इस विधेयक को पास करेंगे। लेकिन कुछ कमियां हैं उसको आप देख लीजिए। क्या आप इसका जवाब देंगे कि आप किसी आदमी को हाईकोर्ट क्यों भेजें? आप उस व्यक्ति को पुरस्कार दिये, पुरस्कार। आप उसको हटाइये। यदि आप उसको हटा सकते हैं तो मैं समझता हूं कि मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया और यदि नहीं तो आप गलत काम करने के लिए पुरस्कार देते हैं और आपने इसलिए गलत किया क्योंकि इतना समय नहीं लगता। आज और कल में कितना खर्चा होगा? वह भी खर्च नहीं होता। ऐसा लगता है कि आप गरीबी रेखा के नीचे आ गये हैं। न तो आप मजदूरों को पेमेण्ट कर पा रहे हैं, न सड़क बना सक रहे हैं और न ही सड़क बनाने के लिए जमीन खरीद सक रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, थोड़ा-सा क्योंकि मैं बोल रहा हूं या आप गलत खर्चा करते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट गये हैं। फोकट में तो वकील नहीं आएगा न? आपके अटार्नी जनरल क्या-क्या होते हैं? मैं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं गया हूं इसलिए मुझे याद नहीं होगा। उसका पैसा कहां से जाएगा? उसमें खर्च हुआ न? सरकार का पैसा खर्च हुआ। आप हाईकोर्ट क्यों गये? जब इसको पास ही करना था तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गये? आप इसका जवाब जरूर देंगे। खैर, अभी वह सुन तो रहे होंगे। आप सरकार या पब्लिक के पैसे का जो दुरूपयोग कर रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं इसलिए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय :- जी, धन्यवाद। संतराम नेताम जी।

श्री मोहित राम (पाली-तानाखार) :- माननीय सभापति महोदय, एक मिनट। मैं हमारे सम्माननीय ननकीराम कंवर जी को धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप में एक सच्चाई झलकती है। इस सच्चाई के साथ मैं सिर्फ आपको ही धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपकी भाजपा पार्टी वाले सच्चाई की बात कम करते हैं और झूठी बात ज्यादा करते हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि मैं आपके कोरबा जिले का विधायक हूं और आपका बच्चा हूं। धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री संतराम नेताम (केशकाल) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक-18 सन् 2022) हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा लाया गया है वास्तव में हम हमारे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और जो स्वर्ण वर्ग के गरीब तबके के लोग हैं उनको 4 प्रतिशत आरक्षण देने जा रहे हैं इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और हमारी सरकार को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं और इस विधेयक का भी स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास एक आंकड़ा है। सन् 1994 में आप जो आरक्षण दिये थे उसमें तृतीय और चतुर्थ वर्ग के लिए 16 प्रतिशत और प्रथम और द्वितीय वर्ग के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण। अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत और 18 प्रतिशत आरक्षण दिये थे। हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 प्रतिशत और प्रथम और द्वितीय वर्ग के लिए 14 प्रतिशत आरक्षण दिये थे। अभी वर्ष 2011 में भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो आरक्षण दी थी उसमें अनुसूचित जनजाति के लिए 12 प्रतिशत, जिसमें हमारे विधेयक में 13 प्रतिशत का प्रावधान रखा गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आपने भी 32 प्रतिशत दिया और हम भी 32 प्रतिशत का प्रावधान रखे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने पिछड़े वर्ग के लिए एक बड़ा काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011 में इन लोगों ने जो आरक्षण दिया था उसमें पिछड़े वर्ग को 14 प्रतिशत और अभी हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार सीधे-सीधे 27 प्रतिशत आरक्षण दी है। हमने पिछली बार पिछड़े वर्ग को देखा था। हमारे बस्तर में भी बहुत-से हमारे पिछड़े वर्ग के साथी रहते थे। वह बहुत आंदोलन किये। इनकी सरकार में रहते चारामा से लेकर रायपुर तक बहुत-सी पद यात्रा की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। यह हमारी सरकार की सोच है। यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है जिन्होंने एक बड़ा दिल दिखाकर सीधे 14 से 27 प्रतिशत आरक्षण किया। आप में वह दम नहीं था। आप में वह विल पॉवर नहीं था कि आप पिछड़े वर्ग के प्रति करें। जब आप देखते हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा एक आदिवासी परिवार के बाद यदि कोई दूसरे नंबर पर है तो वह पिछड़े वर्ग के परिवार हैं। वह

आपके लिए क्या सोचते हैं? आज आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। सभापति महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे, विपक्ष के लोग कह रहे थे कि विधेयक इसलिए लाया गया है क्योंकि भानुप्रतापपुर में चुनाव हो रहा है। आप अपना इतिहास देख लीजिये। हम बस्तर में रहते हैं, वहां 70 प्रतिशत आदिवासी समाज के लोग रहते हैं। हमको उनके बीच में रहना, हमारे बंगले में, हमारी घर में और हमारे आने-जाने के रास्ते में आकर कहते हैं कि आप विधायक हो, आप विधानसभा जाकर क्या करते हो ? आप आरक्षण के बलबूते, हमारे समाज के बलबूते विधायक बनकर गये हो, आखिर आप क्या करते हैं ? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीतिक चाल से मेरे विधायक निवास को घेरने आये थे कि आपने 32 प्रतिशत आरक्षण को क्यों खत्म कर दिया ? केवल राजनीति करने के लिए आये थे। मैं वहां उस दिन निवास में था। मैंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों का स्वागत किया। चाय, नाश्ता और खाने की व्यवस्था कराया। मैं तो उनको जवाब देना चाह रहा था कि आपने क्या किया ? यहां पर सम्माननीय ननकीराम कंवर जी का बयान आया, मैं अपने भाषण के पहले उनको सुन रहा था। सभापति महोदय, उन्होंने बड़े दु:खी मन से कहा कि मेरी बात को नहीं सुना गया, मेरी रिपोर्ट को नहीं देखा गया। मैं यहां पर एक पेज दिखाना चाहता हूं कि उसमें 6 लोगों के हस्ताक्षर हैं, इन्होंने यह लिखा है, हस्तलिपि में यह लिखा गया कि 50 प्रतिशत से ज्यादा किसी भी वर्ग को आरक्षण नहीं देना चाह रहे हैं। आज हमारे मुख्यमंत्री जी 76 प्रतिशत आरक्षण दे रहे हैं। 32 प्रतिशत आदिवासी, 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. और 13 प्रतिशत एस.सी. तथा 4 प्रतिशत सामान्य वर्ग के कमजोर लोगों को आरक्षण दे रहे हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए ऐसा दिन कभी नहीं आ सकता है।

सभापति महोदय, बार-बार भानुप्रतापपुर की बात करते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं और आप देख भी रहे होंगे कि बस्तर में हमारे समाज के लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे। आर्थिक नाकाबंदी कर रहे थे। कोण्डागांव, नारायणपुर, भानुप्रतापपुर के बार्डर में चक्का जाम कर रहे थे। लोग अपने खेती-किसानी के दिन में भी काम को छोड़कर सड़क पर आ गये थे। आदिवासियों के दु:ख-दर्द को देखते हुए आज यहां पर यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। माननीय सभापति महोदय, राजनीति करना चाहिए। अभी माननीय अजय चन्द्राकर जी कह रहे थे कि मेरी योग्यता है, मैं योग्यता के बल पर सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन आप विद्वान हो, महान हो, पंडित हो, सब कुछ हो। मैं समझता हूं कि इस विधानसभा में हम सब लोगों से ज्यादा संसदीय ज्ञान उनको है। वह जितना मेहनत करते हैं, वास्तव में उसका प्रस्तुतीकरण भी करते हैं। परन्तु वह एक जगह चूक जाते हैं। आज क्या हो रहा था, आप देखे होंगे। उधर से और इधर से व्यवधान हो रहा था,लेकिन यह नहीं होना चाहिए। परन्तु माननीय सभापति महोदय, आप यह सोचिये कि जो पिछड़े वर्ग के लोग, जो अजय चन्द्राकर जी के समाज से आते है, वे गरीब लोग जो हमारे यहां रहते हैं, उनके बारे में कौन सोचेगा ? वे पिछड़ा वर्ग के लोग, जो आंदोलनरत हैं, जो आंदोलन करते हैं, हमको सहयोग करते हैं।

समय :

2.58 बजे **(सभापति महोदय (श्री लखेश्वर बघेल) पीठासीन हुए)**

सभापति महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस विधेयक से किनको फायदा होगा। उस प्राधिकरण में हमको फायदा मिलेगा, एक कम्पनी में लाभ मिलेगा, विश्वविद्यालय में लाभ मिलेगा, निगम-मण्डल में इस आरक्षण का लाभ मिलेगा। सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि उनका रहन-सहन, इनका वातावरण, इनके घर का वातावरण, इनकी आर्थिक स्थिति, इनकी जो सामाजिक स्थिति है, उसमें बदलाव होगा। हम लोग चाहते हैं कि ..।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, सीधा-सीधा बोलो कि भानुप्रतापपुर उप चुनाव में भी लाभ मिलेगा, इसलिए सब कर रहे हैं। घुमा-फिराकर क्यों बात कर रहे हो ?

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, यही शर्मा जी, हमारे बस्तर के प्रभारी रहे हैं। हमारे आदिवासी समाज को भड़का रहे थे कि आप लोग लड़िये, पूरे गांव के लोग लड़िये। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। क्या समाज निर्णय करता है ? ये राजनीति के लोग समाज में जाकर कोई सामाजिक निर्णय नहीं करते हैं। हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग समाज में जाकर निर्णय नहीं कर सकते हैं। समाज वाले केवल समाज की व्यवस्था बनाते हैं। वहां का निर्णय करते हैं, उनकी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करते हैं ना कि उनको चुनाव लड़ाया जाये। हमने समाज वालो को वहां भी कहा है, यदि आपको निकालना है तो संतराम नेताम को निकालो, मोहन मरकाम को निकालो, केवल राजनीति करने के लिए वहां समाज के लोगों को इनके माध्यम से भड़काया जा रहा है । आर्थिक फायनेंस किया जा रहा है । कांग्रेस पार्टी चार चुनाव जीत चुकी है । पांचवा चुनाव में सरकार के कामकाज करने का तरीका, किसानों के लिये, बेरोजगारों के लिये, मजदूरों के लिये, यह जनता देख रही है । 80 प्रतिशत किसान आज खुश हैं । 2640 रूपये के आपके भड़काऊ भाषण से भानुप्रतापपुर प्रभावित नहीं होना है । हम विधायक हैं, कुछ काम करना चाहिये ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम जी, यह 20 प्रतिशत क्यों नाराज है ?

श्री संतराम नेताम :- ऐसा है केशव चन्द्रा जी, मैं कहना चाहता हूँ कि भानुप्रतापपुर हम लोग 50 हजार मतों से जीतेंगे । सरकार की सोच, उनके काम करने का तरीका, मैं यही कहना चाहता हूँ कि कोई वर्ग नाराज नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- संतराम जी, आपके घर का 50 परशेंट नाराज है, ध्यान रखना । घर जाकर पूछना ।

श्री संतराम नेताम :- सभापति महोदय, मैं तो यही कहता हूँ कि हम विधायक बनते हैं, विधायक के क्या-क्या दायित्व हैं, विधायक को अपने क्षेत्र में क्या काम करना चाहिये, विधान सभा में क्या करना

चाहिये, प्रशासन में हमको क्या पकड़ बनाना चाहिये, यह विधायक को अच्छी तरह जानना चाहिये । सभापति महोदय, अगर 90 विधायक यहां काम करेंगे, यह आदिवासियों के लिये हैं, यह अनुसूचित जनजातियों के लिये है, यह पिछड़ा वर्ग के लिये है, यह गरीब तबके के लिये है, उसे ऊपर उठाने के लिये है, हमको वह काम करना चाहिये । सभापति महोदय, मैं कह सकता हूँ कि एक बड़ा काम अच्छा हुआ है, मैं पढ़ रहा था कि संभाग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर जो आरक्षण, क्या अच्छा विधेयक है सभापति महोदय । सभापति महोदय, बीजापुर में 84 प्रतिशत लोग हैं । जब तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदोन्नति की बात होगी, वहां पर वेकेंसी निकलेगा, वहां के लोगों को 84 प्रतिशत, यह सबसे बड़ा विधेयक है । वह बीजापुर के लिये, सुकमा में 64 प्रतिशत, कोंडागांव में 65 प्रतिशत, सभापति महोदय, यह देख लीजिए । इसमें एक अच्छा नियम यह बनाया गया है, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के प्रतिशत के अनुसार जितनी जनसंख्या है, उतना उनको आरक्षण । अनुसूचित जनजाति के लिये जनसंख्या के अनुसार, अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जनसंख्या के आधार पर, किन्तु 27 प्रतिशत से ज्यादा, नहीं होना चाहिये । सभापति महोदय, क्या व्यवस्था है । पिछड़े वर्ग को वहां पर प्रतिबंध किया गया है, 27 से ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन एस.सी. और एस.टी. के लोगों के लिये बस्तर जैसे अंचलों में, सरगुजा जैसे अंचलों में एक ऐसा व्यवस्था विधेयक आ रहा है, यह आदिवासी परिवार के लोग, आदिवासी युवा लोग देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देंगे। दिल से देंगे । इस प्रकार की व्यवस्था आज तक हमने नहीं देखी है । एक बड़ा काम इसमें यह है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये, जो जनसंख्या के आधार पर है, किन्तु अधिकतम 10 प्रतिशत से अधिक वह सवर्ण वर्गों के लिये भी बनाया गया है । एक बहुत अच्छा विधेयक, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लाया गया है, हमारे साथियों के कारण मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जैसे इन लोग कह रहे हैं कि 2 महीना 10 दिन क्यों लग गया । सभापति महोदय, 2 महीना 10 दिन इसलिये लगा कि मैं अपने विचारों से कह सकता हूँ कि जिस प्रकार से जल्दबाजी में कोई भी लिया गया निर्णय, यदि आपके पास तथ्य नहीं है, आपके पास प्रमाण नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संगठन के लोग, हमारे सामाजिक नेता लोग, बहुत ही गहन अध्ययन करके तमिलनाडु का दौरा किये हैं, वहां जाकर देखे हैं, वहां पर 69 प्रतिशत हुआ है, 9 वीं अनुसूची हमारे राष्ट्रपति जी ने आज शामिल भी कर लिया है, पारित भी हो गया है, यह गहन अध्ययन के लिये हुआ है । सभापति महोदय, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाता है, कोई भी निर्णय लेना है, सोचसमझकर दस्तावेज के साथ, तथ्यात्मक जानकारी के साथ पेश होना चाहिये । तब माननीय न्यायालय, चाहे वह हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे और भी न्यायालय हो, इसमें हमको परेशानी न हो, किस कारण से थोड़ा लेट हुआ है । इनका बार-बार आरोप केवल भानुप्रतापपुर की ओर है, भानुप्रतापपुर ऐसा नहीं है, सभापति महोदय । अभी 12 में 12 सीट और आने वाले समय में 2023 में कह सकता हूँ कि जिस हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, आदिवासियों के लिये काम कर

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

रहे हैं, मैं पेसा कानून की बात करूंगा, पेसा कानून 1996 में लागू था, लेकिन नियम कोई नहीं बनाया । इसे छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार, कांग्रेस की सरकार है, जो आज यह नियम बना है और मैं यह कह सकता हूं कि आज हमारे बस्तर में ग्राम सभा हो रही है। जो जल, जंगल, जमीन की बात करते हैं, वह अधिकार उन आदिवासियों को मिला है, यह हमारी सरकार की ताकत है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच है, ऐसा होना चाहिये। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आपने मुझे समय दिया, इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय सभापति महोदय, आज का दिन शायद पूरे देश के इतिहास के लिये, हमारे संविधान के लिये, हमारे कानून के लिये, हमारे Legislation के लिये काला दिन होगा। आप सभापति है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, आदिवासी देख रहे हैं। सबसे काला दिन आपका होगा।

श्री रामकुमार यादव :- वह सिर्फ आपके लिये है, हमर बर नहीं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- विधायक महोदय, इतना गलत शब्द मत निकालिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं।

श्री कवासी लखमा :- 08 तारीख को पता चलेगा किसका काला दिन होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम चाहेंगे कि यह सर्वसम्मति से पारित हो, पर क्यों? आपने अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत से 13 प्रतिशत क्यों कर दिया? क्यों डहरिया जी, क्यों चुप बैठे हो?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने तो 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया था। हम लोगों ने 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- सबके साथ न्याय होगा। जनसंख्या जितनी है, उसके अनुसार आरक्षण मिलेगा। सबके साथ न्याय हो रहा है, न्याय।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- आपको तो मेडल मिलना चाहिये, माननीय शिवकुमार डहरिया जी को तो मेडल मिलना चाहिये, 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत कर दिये। 16 प्रतिशत (व्यवधान) आपको मेडल मिलना चाहिये।

श्री कवासी लखमा :- तुम्हारा काला दिन होगा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- हम आरक्षण का न्याय प्रदान कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- सभापति महोदय, माननीय शिवकुमार डहरिया जी को मेडल देना चाहिये। वह आरक्षण 12 प्रतिशत से 13 प्रतिशत कर दिये,16 प्रतिशत नहीं किये।

सभापति महोदय :- बैठिये, प्लीज बैठिये।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री रामकुमार यादव :- ये 16 प्रतिशत ला बार-बार पूछत हस, हमन ला झन पूछव, ओला चंद्राकर जी ला पूछव।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जनजाति को 16 प्रतिशत करने में क्या दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी? सरकार को इसका जवाब देना चाहिये। यह कौन-सा नया काम कर रहे हैं? मेरे पास 2011 का विधेयक है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- वोट नहीं देंगे, यह जनसंख्या के आधार पर हो रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 2011 में भारतीय जनता पार्टी ने भी विधेयक लाया था।

श्री कवासी लखमा :- नकली।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नकली तो तुम हो। तुमको भानुप्रतापपुर से भगा दिया, लोगों ने हल्ला किया। क्यों किया?

श्री कवासी लखमा :- 08 तारीख को पता चलेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हां, पता चलेगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- बचाव के लिये बहन सावित्री को सामने आना पड़ा, नहीं तो तुम तो निकल नहीं पा रहे थे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, यह कानून बनाने वाली संस्था है। क्या हम संविधान के विरूद्ध कानून बनायेंगे? क्या हम एक छोटे से चुनाव के लिये पूरे प्रदेश की जनता का समय बर्बाद करेंगे? क्या एक छोटे से चुनाव के लिये हम संविधान के नियमों को तोड़ेंगे? हम चाहते हैं कानून लाये, हम चाहते हैं कि 32 प्रतिशत आरक्षण दें, हम चाहते हैं कि 27 प्रतिशत आरक्षण दें, हम चाहते हैं कि 16 प्रतिशत आरक्षण दें परंतु उसके लिये पुख्ता व्यवस्था होना चाहिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- लेकिन आपने जो काला दिन बोला इसको वापस लेना चाहिये, यह बहुत गलत बात है। आपने जो काला दिन कहा, यह घोर आपत्तिजनक है।

सभापति महोदय :- प्लीज।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- काला दिन, इस देश के संविधान के लिये है, काला दिन, इस सदन के लिये है, काला दिन, इस देश के उन महापुरूषों के लिये है, जिन महापुरूषों ने कहा था कि यह देश ..(व्यवधान)।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह हमारे आदिवासियों के लिये बहुत अच्छा दिन है। हमारे आदिवासियों के लिये ऐतिहासिक दिन है।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, प्लीज बैठिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- एस.टी., एस.सी. और ओ.बी.सी. के लिये यह ऐतिहासिक दिन है।

सभापति महोदय :- बैठिये, बैठिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल जी, आप बहुत विद्वान है।

सभापति महोदय :- बृहस्पत सिंह जी, प्लीज बैठिये।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़ के निवासी खुश हो रहे हैं।

एक माननीय सदस्य :- माननीय सभापति महोदय, यह आदिवासियों के लिये एक ऐतिहासिक दिन है। यह इतिहास के पन्ने में लिखायेगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, यह क्या हो रहा है? इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है और सदन का वातावरण इस प्रकार का बना है। आप नियंत्रित करिये। आप सदन को नियंत्रित करिये।

श्री बृहस्पत सिंह :- (व्यवधान) देख रही है। (व्यवधान) और आरक्षण को काला दिन कहना बड़े अफसोस की बात है।

सभापति महोदय :- प्लीज, बैठिये।

श्री नारायण चंदेल :- सभापति महोदय, सदन को नियंत्रित करिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, 17 दिसंबर 2011 को इस सदन में एक विधेयक पारित हुआ। जिस विधेयक में 32 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजाति के लिये था। आप कौन-सा बड़ा भारी काम कर रहे हैं? यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। यहां पर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं। आप जरा बताईये 32 प्रतिशत आरक्षण को 20 प्रतिशत कम करने के लिए ....।

श्री कवासी लखमा :- जरा बताओ ?

श्री लालजीत सिंह राठिया :- यह किसने किया ?

सभापति महोदय :- माननीय राठिया जी बैठिए।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप लोगों ने ही किया होगा।

सभापति महोदय :- माननीय राठिया जी, बार-बार टोका-टाकी न करें।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी जो बैठे-बैठे टिप्पणी कर रहे हैं, यह उचित नहीं है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2011 से लेकर, 2022 सितम्बर तक 32 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा था। वह कौन है जो हाईकोर्ट गया, उसको किसने चेयरमेन बनाया? क्या मैंने बनाया? आप जवाब दें? इनके पास कोई जवाब है? अरे भईया, मेरे आदिवासी विधायक, मेरे पिछड़े वर्ग के विधायक जरा आप सुन लें, समझ लें। फिर कोई हाईकोर्ट जाएगा, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- साहब, इसके बाद कोई हाई कोर्ट नहीं जाएगा।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- विधायक महोदय, आपने 9 वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं करवाया?

सभापति महोदय :- माननीय बृहस्पत सिंह जी, आप बैठिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अग्रवाल साहब, अगर आप इस बात को कह रहे हैं तो बोलिए,आपकी बात बता दूं। आप ही के हस्ताक्षर हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं है ? भईया, पाण्डे जी कौन है? अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हाई कोर्ट कौन गये थे? यह कुणाल शुक्ला कौन है? उन्हें कबीर पीठ का अध्यक्ष किसने बनाया? क्या मैंने अध्यक्ष बनाया? यह भूपेश सरकार नहीं, यह ठगेश सरकार है। यह सबको ठग रही है।

श्री लालजीत सिंह राठिया :- आप लोग तो 2100 रूपये देंगे, 300 रूपये देंगे। आप लोगों ने तो ठगा था।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक चुनाव को जीतने के लिए, यहां इस चुनाव में इनकी यूं-यूं हो रही है। (हाथ से ईशारा करते हुए) यूं-यूं ।

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय सभापति जी, ये यूं-यूं का मतलब बतायें?(हंसी)

श्री रामकुमार यादव :- जर्सी गाय देबो कहेव रहेव, भानुप्रतापपुर के मन हा तुमन ला खोजत हे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मुख्यमंत्री जी जाते हैं । वह बोलते हैं कि आदिवासी समाज के लोग समाज का काम करें, चुनाव नहीं लड़े। आप लोग चुनाव लड़कर क्यों आये हो ? यह आदिवासी विधायक क्यों चुनाव लड़कर आये हैं ? क्या इस देश में लोकतंत्र नहीं है। आदिवासी समाज को धमकी देते हैं। इस देश के 120 करोड़ मतदाताओं में से सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। क्या इसके लिए, आदिवासियों को धमकी देने के लिए विधेयक लाये हैं ? अरे, माननीय रविन्द्र चौबे जी आप इतने भोले मत बनिए। आपकी भी यूं-यूं हो रही है। (हंसी)

श्री अमितेष शुक्ल :- माननीय सभापति जी, ये यूं-यूं बताना पड़ेगा, यह यूं-यूं क्या है ? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, पंडित लोग ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं। सबके सामने सही बात को बोलते हैं, परन्तु उनको कष्ट होता है कि हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी भी उनके सामने एक शब्द नहीं बोल पाते। यह क्या हो रहा है ? एक छोटे से चुनाव के लिए हम हमारे महापुरूष, संविधान निर्माता, हमारा संविधान, हमारे नियम कार्य प्रणाली हम सब को तोड़ देंगे। इस सदन में एक संकल्प भी लाया जा रहा है। मुझे मालूम है मैं चेयर पर आरोप नहीं लगाना चाहता। हमारी नियम प्रक्रियाओं में है कि जो चेयर है उसको मुख्यमंत्री की सलाह से बिजनेस तय करना होता है। उनकी मजबूरी है कि कानून के विरूद्ध होने के बाद भी वह इस प्रस्ताव को यहां पर लाये हैं। क्या कोई भी विधेयक बिना राज्यपाल के दस्तख्त के पारित हो जाएगा ? यह आपने संकल्प में लिखा है "यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिए पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण)(संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची-9 में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है" आप अनुरोध कैसे कर सकते हैं ? माननीय राज्यपाल महोदया जी के दस्तख्त नहीं हुए, पारित नहीं हुआ। जब तक माननीय राज्यपाल महोदया जी के दस्तख्त नहीं होगा, क्या यह विधेयक का रूप ले लेगा ? क्या यह पारित हो जायेगा ? यह legisation assemgly है या कोई मछलीबाजार है, चूं-चूं का मुरब्बा है ? जब हम संविधान की बात करते हैं तो हमारे विद्वान सदस्य लोग खड़े होकर मजाक करते हैं। मैं तो आपको कहना चाहता हूं कि ये ठकेश तुमको ठग रहा है। एक बार हाईकोर्ट में जाकर 27 प्रतिशत आरक्षण रूकवा दिया, एक बार हाईकोर्ट जाकर 32 प्रतिशत आरक्षण रूकवा दिया। फिर 32-27-13 प्रतिशत करके फिर रूकवा देगा। जब भारत के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिए।

श्री संतराम नेताम :- माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदया जी ने खुद बोली हैं कि आप भेजिये, मैं उसको पास कर दूंगी। इसमें और क्या दिक्कत है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि सामान्य वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलना गलत नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में जो प्रोविजन किया है वह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लिए किया गया है। उसमें कोई संशोधन नहीं हो रहा है। यह उससे अलग है। मैं उसके कानून और नियमों को भी बता सकता हूं। क्या जो गरीब हैं, विपन्न हैं, जिसके पास खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है, जिसके घर में कोई नौकरी में नहीं है, जो परेशान है, जो आत्महत्या कर रहा है, क्या उसको इस देश में, प्रदेश में अधिकार नहीं है ? मैं आपको यह quantifiable data के बारे में बताना चाहता हूं कि यह कितना फर्जी बना है। रायपुर शहर के ब्राम्हणपारा में पिछड़े वर्ग की सूची बनी, उस पिछड़े वर्ग की सूची में अल्पसंख्यक के 500 नाम जोड़ दिये गये और उनको बता दिया गया कि ये पिछड़े वर्ग के हैं। वहां की पार्षद पूरे डाटा लेकर नगर निगम की सभा में गई, उसने डाटा रखा कि मेरे वार्ड में तो एक भी अल्पसंख्यक नहीं है, यह 500 कहां से आ गये ? शायद चीफ सेकेटरी साहब को मालूम होगा, नगरीय प्रशासन मंत्री जी को मालूम होगा। कैसे quantifiable data बन रहा है ? माननीय अजय चन्द्राकर जी ने ठीक कहा। अगर ये हमारा सामान्य सत्र दिसंबर में होने वाला था, आप इसको दिसंबर में पूरी तैयारी करके, केन्द्र सरकार के साथ पत्राचार करके, संविधान पीठ के निर्णयों की समीक्षा करके ले आते, जैसा तमिलनाडु ने किया वैसा हम भी क्यों नहीं करवा सकते तो इसमें आपको क्या दिक्कत थी ? एक छोटा सा एक विधानसभा का 05 तारीख को चुनाव है। लोकतंत्र को नष्ट और भ्रष्ट करके आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। सर्व आदिवासी समाज आपके विरोध में खड़ा हो गया।

श्री संतराम नेताम :- वह आप लोग करवा रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हॉ, हॉ, आपसे भी हम ही करवा रहे हैं। यह सब आदिवासी विधायक हैं। मोहन मरकाम जी ने कहा कि आदिवासियों को बृजमोहन अग्रवाल जी साथ में ले रहे हैं। मैं तो मानता हूं कि मोहन मरकाम जी भी मेरे साथ हैं और संतराम नेताम जी भी मेरे साथ हैं। मैं किसी को अलग नहीं मानता। हम लोगों ने मध्यप्रदेश जैसी बड़ी विधान सभा में काम किया है। माननीय सभापति महोदय, जिस दिन हाई कोर्ट ने निर्णय पारित किया, उसके दूसरे दिन अध्यादेश जारी करके आप यह क्यों लागू नहीं कर सकते थे ? पिछले 03 महीने से छत्तीसगढ़ के 01 लाख से ज्यादा नौजवान जो परीक्षा दे चुके हैं, जिनका सलेक्शन हो चुका है, वह नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहा है। पी.एस.सी. में परीक्षायें होनी हैं, पुलिस की भर्ती होनी है। यह सरकार कंगाल सरकार है, ठनठन गोपाल सरकार है। इस सरकार के पास में कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। यह सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। यह सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ करना चाहती है, आदिवासियों के साथ में खिलवाड़ करना चाहती है। उनको मालूम है कि हम कुछ भी कर लेंगे तो हाई कोर्ट में स्टे हो जायेगा, हमको भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा पैसा बच जायेगा। इसलिए इस विधेयक को लाया है। लोगों को बोल रहे हैं कि हमने विशेष सत्र बुलाया है। आपने नोटिफिकेशन में कहीं लिखा है कि विशेष सत्र बुलाया है। आप सब लोग भी भाषण में बोल रहे थे कि विशेष सत्र है। मैं मोहन मरकाम जी का भाषण सुन रहा था। क्या आपने राज्यपाल जी नोटिफिकेशन पढा है ? मैं आपको पढ़कर बता दूं।

श्री कवासी लखमा :- जब मोहन मरकाम जी बोल रहे थे तो उस समय आप कहां गये थे ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं था, उनको सुन रहा था। तब तो मैं बोल रहा हूं। उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी नहीं है कि यह विशेष सत्र है .. (जारी)

श्री जयप्रकाश

Jaiprakash\02-12-2022\d20\3.20-3.25

पूर्व से जारी (श्री बृजमोहन अग्रवाल) :- उस नोटिफिकेशन में कहीं पर भी उल्लेखित नहीं है कि यह विशेष सत्र है। इस सत्र की क्या जरूरत थी?

श्री शिवरतन शर्मा :- उनका क्या दोष है? जितना लिखकर दिये, उतना पढ़ दिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- विशेष सत्र, विशेष सत्र। जरा बताईये कि कहां है विशेष सत्र ?

श्री धर्मजीत सिंह :- यह कल जाकर भानुप्रतापपुर में उल्टा-सीधा यही भाषण देने के लिए यहां बोल रहे हैं। भानुप्रतापपुर में विशेष सत्र, ये सत्र, वो सत्र।

श्री रामकुमार यादव :- ओसना नोहय हे ठाकुर साहब। जब ले माननीय भूपेश बघेल जी आरक्षण ला देथे न, तब ले तुमन के सबके बुद्धि आय, बाय, साय हो गे हे।

श्री कवासी लखमा :- धर्मजीत जी, मैं भी बाल रहा हूं कि मोहन मरकाम जी के साथ-साथ चुनाव लड़ा, उसमें भी यही (व्यवधान)।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास राज्यपाल जी का पत्र है, उसको मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। मुझे आपको सादर सूचित करना है कि राज्यपाल महोदय ने दिनांक 09.11.2022 को सहर्ष निम्नलिखित आदेश दिया है कि भारत के संविधान अनुच्छेद 174 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अनुसुईया उइके, राज्यपाल छत्तीसगढ़ एतद् द्वारा इस राज्य की विधान सभा को गुरूवार, 01 दिसंबर, 2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से विधान सभा भवन, रायपुर में समवेत् होने के लिए आमंत्रित करती हूं। इसमें कहां लिखा है विशेष सत्र? आप कौन सा एहसान कर रहे हो आदिवासियों पर? कौन-सा एहसान कर रहे हो पिछड़े वर्ग पर? कौन-सा एहसान कर रहे हैं अनुसूचित जाति वर्ग पर? कौन-सा एहसान कर रहे हो EWS पर? कौन सा एहसान कर रहे हो? यह सरकार विधान सभा से भागने वाली सरकार है, यह सरकार लोकतंत्र की हत्या करने वाली सरकार है। मुझे मालूम है कि इनको दिसंबर में शीतकालीन सत्र नहीं बुलाना है, क्योंकि इनको मालूम है कि शीतकालीन सत्र होगा तो [xx][8], हम सरकार के भ्रष्टाचार को बतायेंगे, हम सरकार के अनाचार को बतायेंगे। मुख्यमंत्री जी बड़ी-बड़ी बात करते हैं। जरा मुख्यमंत्री जी और मोहन मरकाम जी बताईये कि क्या ब्रम्हानंद नेताम जी आदिवासी नहीं हैं?

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति जी, बृजमोहन जी उल्टा-सीधा सुना रहे हैं। वह सरकार के कपडे उतरेंगे, सरकार को [XX] करेंगे बोले हैं, उसको निकालिये।

श्री अजय चंद्रकार :- लखमा जी, लखमा जी। ओ दादी जी। (हंसी)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- क्या ब्रम्हानंद नेताम आदिवासी नहीं हैं? क्या आदिवासी नौजवान नहीं है? आपकी सरकार चार साल से है। आप जरा बतायें मुझे, आपकी सरकार है, आपका एस.पी. है, आपका कलेक्टर है, आपका थाना है।

श्री कवासी लखमा :- सभापति महोदय, वह जिसका नाम ले रहे हैं, उसका नाम यहां से हटा दिया जाए। वह जो दोषी व्यक्ति का नाम ले रहे हैं, उसको हटा दिया जाए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- राष्ट्रीय कांग्रेस है। क्या राष्ट्रीय कांग्रेस इतनी कमजोर हो गई है कि उसके नोमिनेशन में आपत्ति नहीं ले सकत थी, उसके नोमिनेशन रिजेक्ट नहीं करवा सकती थी? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं बलात्कार। मुख्यमंत्री जी, जब तक कोई कोर्ट सजा नहीं दे देता है तब तक वह बलात्कारी नहीं होता है। मोहन मरकाम जी, मैं आपको कहानी बताता हूं।

संसदीय सचिव (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- सभापति महोदय, मैं बृजमोहन भैया से पूछना चाहता हूं कि यदि आपात कायम हुआ है तो उसको आरोपी आपके दल या आप नहीं मानते क्या?

सभापति महोदय :- विषय पर आईयेगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मैं विषय पर बोल रहा हूं। यह विधेयक क्यों लाया गया है, मैं इस पर बोल रहा हूं।

---

[8] [xx] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा मोबाईल देखकर बोलने पर)

श्री कवासी लखमा :- सभापति जी, विधान सभा में मोबाईल देखकर बालने पर शोभा नहीं देता। अग्रवाल साहब, आपका दायरा खत्म हो गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अब इनके जो त्रि-सदस्य जी हैं। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी को इतनी भी जानकारी नहीं है कि जो अपराधी लड़की हैं, उसका नाम हमको नहीं लेना चाहिए।

श्री बृहस्पत सिंह :- मोबाईल देखकर बात करना आपत्तिजनक है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कोई आपत्तिजनक नहीं है। अनुसंधानकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि पर्यवेक्षण एवं प्रतिवदेन 02 में दिये गये निर्देशों को कांड दैनिकी में दर्ज न किया जाए।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप पढ़ कुछ रहे हैं, लेकिन मोबाईल में दिख कुछ रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- कांड दैनिकी में अंकित नहीं करेंगे, अन्यथा आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सभापति महोदय :- प्लीज, विषय पर आईये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति महोदय, मैं विषय पर बोल रहा हूं।

श्री कवासी लखमा :- मुंह में देखकर बोलो।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- नहीं तो आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कांड दैनिकी में जो उल्लेख किया गया है, उसको डायरी में दर्ज न करें। यह मैं नहीं बोल रहा हूं। वहां का पुलिस...। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज, मोबाईल को रख दीजिये ।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप कहां झारखंड की ओर भटक गये ? वह तो झारखंड का है, यह छत्तीसगढ़ का मामला नहीं है । वह तो झारखंड का मामला है, आप कहां छत्तीसगढ़ में भटक गये ? आप छत्तीसगढ़ की बात उठाईये न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मोबाईल का उपयोग बात करने के लिये, घंटी बजने के लिये नहीं है परंतु किसी जानकारी के लिये उपयोग करने पर प्रतिबंध नहीं है । मुझे मालूम है, आपको बताया जा रहा है ।

सभापति महोदय :- बताने की बात नहीं है । प्लीज विषय पर आईये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं विषय पर ही आ रहा हूं । यह सरकार इस विधेयक को लाने के लिये क्यों मजबूर हुई है ? पूरा आदिवासी समाज आपसे इसका बदला लेगा कि आपने एक सीधे-सादे, मैं तो अपनी पार्टी के लोगों को बोल रहा था ।

श्री मोहन मरकाम :- बृजमोहन जी, 8 तारीख का इंतजार कर लीजिये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति महोदय, मैं तो अभी पार्टी के लोगों को बोल रहा था कि ये अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का विधेयक ला रहे हैं और एक अनुसूचित जनजाति के नौजवान को बदनाम करने का काम कर रहे हैं । हमको विधानसभा का बहिष्कार करना चाहिए ।

श्री मोहन मरकाम :- आपको कोई नहीं मिला तो आपने एक बालात्कारी को टिकट दिया है । यह पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है । वहां की जनता आपको जवाब देगी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपके खिलाफ महिला आयोग ने नोटिस भेजा है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- कोई नोटिस नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे पास उसकी कॉपी भी है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपसे ज्यादा हमको भी नियम, कानून-प्रक्रिया मालूम है। हमको भी मालूम है कि नियम-प्रक्रिया क्या होती है ? (व्यवधान) क्या आपके कहने से होगा ?

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिये । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट की गाईड-लाईन हमको भी पता है कि नियम-कानून क्या होते हैं । आप कितना भी हो-हल्ला कर लो, कांव-कांव कर लो लेकिन भानुप्रतापपुर में कोई सुनवाई नहीं होना है ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- बृजमोहन भैया, आप कहां-कहां घूम रहे हैं ? आप सीधे विषय में आईए न । क्या आप समर्थन में हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, मंत्री जी । (व्यवधान)

श्री उमेश पटेल :- समर्थन में हैं तो बोलिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अपनी गलतियों को छिपाने के लिये अब तो आप गले तक फंस गये हैं । क्या करें ? (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- मोहन मरकाम जी चरित्र प्रमाण-पत्र दे रहे हैं । भारतीय विवाह कानून में कितनी पत्नियॉ एलाउ हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपको बताने की जरूरत नहीं है । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- कितनी पत्नियां एलाउ हैं एक पत्नि, दो पत्नि, तीन पत्नि ? (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आपको 8 तारीख को पता चल जायेगा कि आपकी क्या स्थिति होने वाली है ? क्या स्थिति होने वाली है वह आपको 8 तारीख को पता चल जायेगा । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहन मरकाम :- छिपने के लिये जगह नहीं है । आप लोगों ने एक बालात्कारी को टिकट दिया है । बेटी बचाओ-बेटी बचाओ का नारा देते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- एकाध और बनाकर लाओ । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- मरकाम जी प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं था । ये गले तक फंस गये हैं । अब उगलते बनता है और न ही अंदर करते बनता है । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- चलिये, प्लीज बैठिए ।

श्री अजय चंद्राकर :- अनुमति नहीं है, नहीं तो एकाध और बना लेते । (व्यवधान)

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- क्या करेंगे वह 8 तारीख को पता चलेगा । आप देख लीजियेगा कि भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होता है ?

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- क्या हश्र होता है वह देख लीजियेगा । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- सभापति जी, यह आरक्षण की बात है । चुनाव की बात नहीं है इसलिये आरक्षण की बात करिये । (व्यवधान)

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, हमर जो नेता प्रतिपक्ष है । मैं हा ओकर प्रणाम करत हंओं । ओ हा छत्तीसगढ़िया आदमी हे तेकर बर एक ठन कहावत हे । एमन जब ले आरक्षण होए हे न तब ले ऐमन, एक ठन छत्तीसगढ़ी में कहावत हे ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, आरक्षण के नाम पर इनका इतना विरोध हो रहा है । इनका चाल-चरित्र सामने आ गया है । आज चाहे बृजमोहन अग्रवाल जी हों, चाहे अजय चंद्राकर जी हों इनको छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है । इनका चाल-चरित्र सामने आ गया है । ये किन कारणों से विरोध कर रहे हैं ? (व्यवधान) ये आरक्षण का विरोध कर रहे हैं ।

सभापति महोदय :- प्लीज बैठिए । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय सभापति महोदय, शुरू से ही चाहे अजय चंद्राकर जी हों, बृजमोहन जी हों आरक्षण का विरोध कर रहे हैं । आज छत्तीसगढ़ की महान जनता देख रही है और अजय चंद्राकर जी जायेंगे तो वहां की जनता उन्हें बतायेगी ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय सभापति जी, एक मिनट । एक छत्तीसगढ़ी में कहावत है । जइसे-जइसे एमन गोठियावत जात हे, ऐमन फंसत जात हे। आरक्षण के विषय में एमन कछु गोठियाए सकत नइ हे । छत्तीसगढ़ी में एक कहावत हे कि का कहत का होगे अउ दोनों कुला में घाव होगे । एमन बुरी तरह फंस गे हे ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

सभापति महोदय :- चलिये, बैठिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- ये संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ बोलेंगे या नहीं बोलेंगे।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- भैया, आप तो एक ही चीज बोल दीजिए कि आप समर्थन में हैं या नहीं हैं।

सभापति महोदय :- मंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हम इसके समर्थन में हैं।

श्री मोहन मरकाम :- समर्थन में हैं या नहीं हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हैं।

श्री मोहन मरकाम :- हैं या नहीं हैं?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हैं।

श्री मोहन मरकाम :- तो विरोध क्यों कर रहे हैं। समर्थन में हैं या नहीं हैं, ये बता दो। ये बोलिए न कि समर्थन में हैं या नहीं हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण बनाने में आपकी सहमति है या नहीं है, आप यह बता दीजिए।

सभापति महोदय :- बांधी जी, बैठिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अनुसूचित जाति के आरक्षण में 13 से 16 प्रतिशत करने में आप सहमत हो या नहीं हो, इतना बता दीजिए। (व्यवधान)

सभापति महोदय :- बांधी जी, बैठिए। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी तक चुप रहेस। (व्यवधान)

श्री धर्मजीत सिंह :- आपने ही तो बोला है कि हम चाहे जितना आरक्षण कर दें, मान्य होगा। 16 प्रतिशत के लिए भी बोलिए न। अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण करने के लिए बोलिए।

सभापति महोदय :- मंत्री जी, प्लीज बैठिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं इस बात का उल्लेख इसीलिए कर रहा हूं। मैंने प्रारंभ में कहा कि आज जब हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं तो उस चर्चा का मुख्य कारण हमारे शरदकालीन सत्र में यह आता। पूरी तैयारी के साथ आता तो अच्छा होता, परंतु यह आज जल्दबाजी में क्यों लाया गया। कांग्रेस का हर नेता मोहन मरकाम जी कह रहे थे कि विशेष सत्र, कहां लिखा है विशेष सत्र? किसने लिखा है विशेष सत्र? आपको अनुसूचित जनजाति की इतनी चिंता थी तो पहले सप्लीमेंट्री बजट क्यों लाये? सबसे पहले विषय आना था, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण। आपने उसे क्यों बाद में

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

लाया? क्योंकि आपको पैसा मिलेगा तो उसमें आपके जेब में भी कुछ जायेगा। इसलिए उसकी चिंता ज्यादा है।

श्री कवासी लखमा :- आपके जेब में है?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे जेब में पहले से है। मुझे जरूरत नहीं है। (हंसी)

श्री कवासी लखमा :- 15 साल का है।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- 15 साल तक का है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 15 साल का नहीं, मेरे जेब में मेरे बाप दादाओं के जमाने से है। मैं जिस दिन से पैदा हुआ हूं, उस दिन से मेरे जेब में है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है और आप लोग भी जानते हैं कि मैं 15 साल मंत्री रहा हूं। 17 साल मध्यप्रदेश में भी मंत्री रहा हूं। भैया, जब मैं भोपाल में 15 साल विधायक था न तो मैं स्कूटर में चलता था, ऑटो में चलता था। आज आप लोग विधायक बनते ही बोलेरो में चलते हैं, इनोवा में चलते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अग्रवाल साहब, जब छत्तीसगढ़ नया बना था..।

श्री अजय चन्द्राकर :- इलू का मतलब आई लव यू। (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, जब छत्तीसगढ़ नया बना था, पहला बजट कितने का था?

श्री शिवरतन शर्मा :- अभी बृजमोहन अग्रवाल जी बोले कि इनोवा में चलते हैं। अभी ई.डी. की कार्रवाई के बाद बहुत लोग परेशान हैं कि अभी डीजल का पैसा नहीं मिल रहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैं पूछ रहा हूं कि छत्तीसगढ़ बनने के बाद जब पहला बजट पारित किया था तो कितने का था? 5 हजार करोड़ का। आज कितने हजार करोड़ पहुंच गया।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय सभापति जी, मैं जिस बात को कह रहा हूं कि आखिर इतनी जल्दबाजी में यह विधेयक, ये संकल्प क्यों लाया। पूरी तैयारी के साथ में क्यों नहीं लाया? हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के वनवासी परेशान हैं, आदिवासी परेशान हैं, पिछड़ा वर्ग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। मैं भी भानूप्रतापपुर में हूं। 142 डॉक्टरों की वहां पर भर्ती होनी थी, वह भर्ती रूक गयी। क्यों रूकी? मेडिकल कॉलेज में अनुसूचित जनजाति के 250 बच्चों की भर्ती होनी थी, वह रूक गयी। क्यों रूकी? अनुसूचित जनजाति के 60 बच्चों की भर्ती होनी थी, क्यों रूकी?

श्री कवासी लखमा :- अभी होगा।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसके लिए कौन दोषी है?

श्री कवासी लखमा :- 15 साल में क्यों नहीं किये?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 15 साल चल रहा था। आपको मालूम नहीं है।

श्री कवासी लखमा :- 15 साल में क्यों नहीं किये। हम लोग 4 साल में कर रहे हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, आई लव यू। (हंसी)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग यदि इसे कंप्लीट कर दिये रहते तो आज आरक्षण की नौबत आती ही नहीं, न बिल आता। आप लोगों को मौका मिला था, उसे कंप्लीट कर लेना था।

श्री धरमलाल कौशिक :- दादी, छाछ है या पैकेज है।

श्री अजय चन्द्राकर :- दादी, छाछ है या पैकेज है।

श्री शिवरतन शर्मा :- पैकेज में छाछ ही है।

श्री अजय चन्द्राकर :- असली माल धमतरी में जा रहा है दादी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- ननकीराम कंवर जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट में मैं गया हूं कि छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार गई है, आप यहां कानून पास कर रहे हैं, आपने सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस क्यों नहीं ली ? अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके विरूद्ध आ जाएगा तो क्या या कानून लागू हो पाएगा ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय वर्डिक्ट होता है । कानून दो ही प्रकार से बनते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट बनाती है या संसद में या विधान सभा बनाती है । सुप्रीम कोर्ट ने यदि आपके खिलाफ निर्णय दे दिया तो इस कानून का क्या होगा । कहां जाएगा यह कानून, कैसे लागू होगा ?

श्री द्वारिकाधीश यादव :- सुप्रीम कोर्ट इस कानून को सही भी तो बता सकता है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- भारतीय संविधान में संसदीय प्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय किया गया है, यह बात पता होना चाहिए ।

श्री कवासी लखमा :- अग्रवाल साहब, लोक सभा में गांधी को निकाल दिये ना, तो सोमनाथ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया था, उसमें क्या बोला था, आपको पता है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- सभापति जी, मैं उसी बात पर चर्चा कर रहा हूं आज जो विधेयक लाया गया है, जो संकल्प लाया गया है । मैं तो आपसे भी चाहूंगा आप ज़रा सचिवालय से पूछ लें, वह आपको जानकारी दे दे कि जिस विधेयक के ऊपर राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किया है, क्या वह विधेयक पारित माना जाएगा, क्या उस विधेयक के समर्थन में हम संकल्प ला सकते हैं । क्या हमारी विधान सभा में नियम, कायदे, कानून, संविधान की रक्षा नहीं करेंगे । आपने 78 परसेंट आरक्षण लाया, मैंने बताया कि कुछ राज्यों में 100 प्रतिशत भी है, कुछ राज्यों में 80 प्रतिशत भी है । आप अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण लाइए, आप गरीबी रेखा से नीचे वालों का 10 प्रतिशत लाएं, हम उसका भी समर्थन करेंगे । हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित करेंगे । परंतु इसको पूरी तैयारी के साथ में कि हमारे प्रदेश की अनुसूचित जाति के साथ, अनुसूचित जनजाति के साथ हमारे पिछड़े वर्ग के साथ, हमारे ई.डब्ल्यू.एस. गरीबों के साथ में, कोई जवाब है आपके पास, क्या गरीब इस प्रदेश का नागरिक नहीं है ? जिसके पास कुछ भी नहीं है क्या उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए । जब भारत की केन्द्र सरकार ने लोक सभा में कानून बनाकर 10 प्रतिशत आरक्षण किया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ठीक है, यह अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को प्रभावित नहीं करता है । यह संविधान के

नियमों के तहत् है । आपने इसमें ई.डब्ल्यू.एस. का आरक्षण 10 प्रतिशत क्यों नहीं किया । अनुसूचित जाति के लिए आपसे 16 प्रतिशत क्यों नहीं किया ? आप क्या करना चाहते हैं ? आप सिर्फ यह करना चाहते हैं कि भानुप्रतापपुर चुनाव 5 तारीख को हो जाए, फिर उसके बाद भले ही यह रद्द हो जाए । इससे उनको कोई मतलब नहीं है ।

सभापति महोदय:- प्लीज समाप्त कीजिए । 35 मिनट हो गए हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 35 मिनट में 20 मिनट तो ये लोग खा गए । अगर इंटरप्ट नहीं होता तो शायद 20 मिनट में समाप्त कर देता । मैं आपसे इस बात का आग्रह करते हुए पूरे प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूं, हमारे पूरे अनुसूचित जाति, जनजाति, हमारे पिछड़े वर्ग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि भूपेश बघेल की सरकार चार से केवल ठगने का काम कर रही है । नवजवानों के साथ मजाक करने का काम कर रही है, उनको गुमराह करने का काम कर रही है । उनके साथ विश्वासघात करने का काम कर रही है । आप एक छोटे से चुनाव के लिए सारे नियम, कायदे, कानून तोड़ देते हैं । आप नियम परम्पराओं को तोड़ देते हैं, संविधान का अपमान करते हैं, आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा । ये लोग बार बार खड़े होकर बोल रहे हैं ।

श्री कवासी लखमा :- 8 तारीख को पता चलेगा कि कौन माफ करेगा ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता । वहीं के आदिवासियों ने दादी को भगाया है, विरोध किया है । अगर वह सावित्री मंडावी नहीं आती तो दादी के कपड़े नहीं बचते ।

श्री अमितेश शुक्ल :- बृजमोहन भाई, आज आप कपड़े फाड़ने की बात बहुत कर रहे हैं ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- इसीलिए माननीय सभापति महोदय, मैं तो इस विधेयक का समर्थन करते हुए, इस बात की मांग करते हुए, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए, गरीबी रेखा से नीचे EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण दिया जाए और इसके पुख्ता इंतजाम किये जाएं कि हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में फिर से हमारा विधेयक रोक न दिया जाए और क्या इस बात की समीक्षा की जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार गयी है, अगर उसमें निर्णय हमारे विपरीत होता है तो हमारे इस विधेयक का क्या होगा, हमारे इस संकल्प का क्या होगा, क्या हम यहां पर जो करने जा रहे हैं, वह नियम कायदे कानून के लिए करने जा रहे हैं या सिर्फ 5 तारीख को होने वाले भानुप्रतापपुर उप चुनाव के लिए करने जा रहे हैं ? क्योंकि जो कानून बनता है, वह मेरे पास में जानकारी है। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अभी तक 520 विधेयक कानून बनाये गये हैं। 152 नये कानून विधेयक लाये गये हैं। 368 कानून संशोधन में शामिल किये गये हैं। आज जो कानून पेश किया जा रहा है, यह खाली अपनी राजनैतिक दुकान सजाने के लिए भानुप्रतापपुर चुनाव के लिए यह विधेयक पेश किया जा रहा है। 4 साल से जो हजारों पद खाली पड़े हुए हैं, उनको भरने में सरकार नाकाम रही है और हमारा अनुसूचित जनजाति वर्ग पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं, उस आंदोलनरत अनुसूचित जनजाति को गुमराह करने के लिए, पूरा पिछड़ा

वर्ग आंदोलनरत है, उसको गुमराह करने के लिए, पूरा अनुसूचित जाति वर्ग आंदोलनरत है, उसको गुमराह करने के लिए पूरे नौजवान आंदोलनरत हैं, उनको गुमराह करने के लिए और मुझे तो कभी-कभी यह भी लगता है कि कहीं विधानसभा को भी तो गुमराह नहीं किया गया है। गलत जानकारी देकर यह प्रस्तुत तो नहीं किया जा रहा है और इसलिए इसके पारित होने के बाद हम सर्व सम्मति से पारित करेंगे, हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। परंतु विधान सभा इसकी समीक्षा कर ले, हम कहीं गलत तो नहीं करने जा रहे हैं। आने वाला समय कहीं हमको यह नहीं कहे कि हमारी उपस्थिति में सब गलत निर्णय हुए, इसलिए हम इन सब बिन्दुओं के उपर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं। माननीय सभापति जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

वाणिज्य कर (आबकारी) मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- माननीय सभापति महोदय, छत्तीसगढ़ बने हुए 22 साल हो गए हैं, साढ़े 22 साल होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व की सरकार, यह हिन्दुस्तान की पहली सरकार होगी। आज का दिन हमारे कमजोर वर्ग के लिए, आदिवासी के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, कमजोर वर्ग के सामान्य लोगों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। यह 15 साल के पाप को हम लोग दो महीने से भुगत रहे हैं। चीट भी मेरा पट भी मेरा। अभी दोनों महापुरूष बोल रहे थे। वह जनता देख रही है। छत्तीसगढ़ के लोग, आदिवासी लोग, सबसे ईमानदार होते हैं, गरीब वर्ग के लोग ईमानदार होते हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग ईमानदार होते हैं। रूस में लड़ाई चल रही थी, हमारे प्रदेश में आदिवासी नृत्य हो रहे थे। जैसे ही आदिवासी लोग एयरपोर्ट में उतरे, जाते समय और आते समय, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोलते आ जा रहे थे। बृजमोहन अग्रवाल जी, उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। यह छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। बस्तर की मुर्गा लड़ाई में भी कभी ऐसा नहीं होता है, इधर आओ, इधर आओ। इनको पेट में इतनी पीड़ा हो रही है कि आदिवासियों को 32 प्रतिशत आरक्षण क्यों मिले। इनकी आका जो नागपुर में बैठी है, उनकी राह पर चलने वाली पार्टी आरक्षण के विरोधी हैं। इनका आका कहता है। यह उसी का रोल कर रहे थे। इसको पूरी दुनिया जानती है। शुरू में एक आदमी आया और वह इधर का किया और ऊपर का किया। इनको बार-बार केवल भानुप्रतापपुर की याद आ रही है। इनको ब्रम्हानंद नेताम याद आ रहे हैं। उनको झारखण्ड की पुलिस ढूंढ रही है और वह इनको याद आ रहे हैं। हम लोग यह सब चुनाव के लिए नहीं करते हैं। आदिवासी लोग परेशान थे। इनके पाप को पूरी दुनिया जान रही है। यह लोगों को उचका रहे थे। चक्काजाम करो। विधायक के घर में जाओ। यह लोग एक-एक विधायक के घर नहीं गये। हम लोग भी नहीं डरे। जिस विधायक के घर गये उनको हम लोग समझायें। वह लोग हमको बताये कि बी.जे.पी. वाले भेजे हैं, आर.एस.एस. वाले भेजे हैं। वह उनके कारण परेशान थे। यह लोग उनको परेशान करना चाह रहे थे। शांत छत्तीसगढ़ को भड़काने का काम कर रहे थे। आदिवासियों को भड़काने का काम

कर रहे थे। हमारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी शुरू से बोल रहे हैं कि डॉ. भीमराम अंबेडर जी द्वारा हिंदुस्तान के लिए बनाये गये कानून और संविधान को मैं तोड़ने नहीं दूंगा। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी आजादी के पहले और आजादी के बाद से हमेशा आदिवासियों के साथ खड़ी है। वह आदिवासियों के साथ थी लेकिन इन्होंने 15 सालों में तोड़ने और तोड़-मरोड़ करने का काम किया।

माननीय सभापति महोदय, अभी यहां पर ननकीराम दादा ने एक-दो बात कही। इनकी जो रिपोर्ट थी उसमें इनके मुख्यमंत्री जी ने पता नहीं क्या किया? उसके कारण यह उत्पात मचा है। आज हमें इस बात की खुशी है कि सरगुजा, बस्तर से लोगों का फोन आ रहा है कि कितने बजे होगा? यह बिल 2 बजे पास होना था लेकिन इनको तो टाइम पास करना था। इनको तो केवल सपना देखना था। मैं सबसे पहले तो बृजमोहन अग्रवाल जी को चुनौती देता हूं। वह 15 सालों तक मंत्री थे और मैं एक छोटे-से गांव में पैदा हुआ हूं। मैं गोदी खोदा हूं और तेंदू पत्ता तोड़ा हूं। यह तो सोने के चम्मच से खाना खाये होंगे। यह बड़े घर में पैदा हुए होंगे, लेकिन मैं गोदी खोदा हूं, मुर्गा बाजार किया हूं और ताड़ी कांटा हूं। मैं इतनी मेहनत के बाद यहां पर पहुंचा हूं। भानुप्रतापपुर में मेरा और इनका कुश्ती चल रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस पवित्र सदन में बोलता हूं कि यदि वास्तव में यह जनता के हितैषी हैं तो यदि 8 तारीख को चुनाव का परिणाम कांग्रेस के पक्ष में नहीं आएगा तो मैं इस सदन में नहीं आऊंगा, नहीं तो वह नहीं आएंगे। इनको केवल बोलना है। यह सदन और छत्तीसगढ़ के लोग केवल विधानसभा, विधानसभा।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप ऐसा मत कीजिए। आप सदन में आइये।

श्री कवासी लखमा :- माननीय सभापति महोदय, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ने यह तय किया है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज आदिवासी के वर्ग के लिए 32 प्रतिशत और हमारे पिछड़े वर्ग के लिए 14 प्रतिशत करने वाले इन लोगों को बोलने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग भी आदिवासियों के साथ जीता है। यह कुम्हार, कलार, यादव लोग सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव और सरगुजा के उसी जंगल में रहते हैं। वह क्या पाप किये थे कि आप उनके लिए 14 प्रतिशत आरक्षण किये थे? इतने दिनों में 15 सालों में उनको 27 प्रतिशत आरक्षण नहीं मिला। आज उन गरीब लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। उनको 32 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। यह विधेयक इस सदन से पास होगा। आज छत्तीसगढ़ के लोग भूपेश बघेल की सरकार की तरफ और आपकी विधानसभा की तरफ देख रहे हैं लेकिन आते वक्त इस विधेयक को बिगाड़ने का काम, हाथ-पैर हिलाने का काम। इधर आओ-इधर आओ। क्या आप मुर्गा बाजार कर रहे थे? मैं इसकी निंदा करता हूं। आदिवासी लोग और पिछड़े वर्ग के गरीब लोग आपको माफ नहीं करेंगे। इसका परिणाम 8 तारीख को पूरे बस्तर की जनता देगी। माननीय सभापति महोदय, अभी और भी लोग बोलने वाले हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे विस्तार के साथ इसकी शरूआत किया है कि

तामिलनाडु में क्या हुआ, कहां क्या हुआ। हम लोग इस देश में सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, हाईकोर्ट को मानते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में सबसे बड़ा सदन है। प्रदेश में विधानसभा है और देश में लोकसभा और राज्य सभा है। जब सोमनाथ चटर्जी जी लोकसभा अध्यक्ष थे, राजनांदगांव के इनके सांसद प्रदीप गांधी सवाल पूछने के लिए भी पैसा ले लिया था तब उसको लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित किया गया। इन लोग सुप्रीम कोर्ट गये। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद देश के लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है। सोमनाथ चटर्जी जी अब हमारे बीच नहीं हैं। उसने नोटिस को फाड़कर फेका और कहा कि हम कानून बनाते हैं, हम विधान बनाते हैं, सुप्रीम कोर्ट मुझे नोटिस देगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक मिनट दादी, आप कानून को फाड़कर फेकते हैं तो हाईकोर्ट के निर्णय को फाड़कर फेक दो और जो फायनल निर्णय है, उसको लागू करो। अगर आप फाड़ने की बात कर रहे हो तो आप हाईकोर्ट के निर्णय को फाड़कर फेकों नहीं डॉ. रमन सिंह की सरकार ने जो लागू किया था उसको लागू करो। आपमें हिम्मत है तो बोलो न। खाली बात करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को फाड़कर फेकते हैं।

श्री कवासी लखमा :- कभी सोमनाथ चटर्जी को देखे हो या नहीं ? आप संविधान को तो मानते नहीं हो। अभी आपके नेता बोल रहे हैं कि नया संविधान बनायेंगे, रोज बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चेहरे में बृजमोहन अग्रवाल, अजय चन्द्राकर और शिवरतन शर्मा अगले साल विधानसभा में नहीं आओगे। देखो, ईमानदार आदमी चुपचाप बैठा है, वह 15 साल मुख्यमंत्री थे, उनसे सीखो। रमन सिंह साहब से सीखो। हम लोगों को भी उनके साथ काम करने का मौका मिला। आपके नेता प्रतिपक्ष को आपके दो लोग मानते ही नहीं हैं, आप तीन लोग तो मानते ही नहीं हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- तुमने कुछ सीखा ही नहीं है न। सीखे होते तो समर्थन करते।

श्री कवासी लखमा :- आप 3 लोग मानते ही नहीं हो। दोनों का आंय-बांय, आंय-बांय चल रहा है। अजय चन्द्राकर जी को महामंत्री से प्रवक्ता बना दिये, वह उससे परेशान हैं। अजय चन्द्राकर को महामंत्री से ऊपर जाना चाहिए या प्रवक्ता बनाना चाहिए ? वह कभी बयान ही नहीं दे रहे हैं। डॉ. रमन सिंह चुपचाप रहते हैं, बहुत दिमाग वाले आदमी हैं। (हंसी) एक-एक को नहीं छोड़ेगा। धरम लाल कौशिक को किनारे सेट कर दिए, बाजू में दूसरे को बैठा दिये। आपको पता है, ऐसा रहने से बाजू में बैठोगे नहीं तो पीछे बैठोगे। शर्मा जी, हम लोग वहां साथ में बैठते थे। मैं बोलता था कि तुम ज्यादा मत चिल्लाओ, तुमको मंत्री नहीं बनायेंगे। तुम मेरी बात नहीं सुने और तुम मंत्री बने ही नहीं। तो अभी भी मौका है, चुपचाप रहो। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मोदी साहब वहां से सब देख रहे हैं। मोदी जी क्या-क्या कर रहे हैं। आदिवासी का विरोध करना, पिछड़े वर्ग का विरोध करने का मौका मिलेगा। अभी एक साल बचा है।

माननीय सभापति महोदय, यह पहली बार विधेयक आया है। आप सब लोग इसको सर्वसम्मति से पास करे ताकि छत्तीसगढ़ का देश-दुनिया में नाम हो। हमारी सरकार चाहती है कि एक लाईन में, एकमत में पास होगा तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन भटकाने का काम कर रहे है, भानुप्रतापपुर उप चुनाव का बार-बार नाम लेने का काम कर रहे थे। वह अभी चले गये हैं। वह रात को वहीं सोये थे। हम लोग यहां हैं। आदिवासियों में फूट डालो और राज करो। वहां आदिवासी लोगों को कौन उचका रहा है, वह भानुप्रतापपुर की जनता जानती है, चुप है। वह दो दिन उधर ही थे। ईमानदार आदिवासी लोगों के बीच बृजमोहन अग्रवाल जी का चलना नहीं है। आज यह जो विधेयक पेश किया गया है, हम सभी लोग, जितने भी प्रतिपक्ष के विधायक हों, चाहे सत्तापक्ष के मंत्री हो या विधायक हो, हम सब एक गवाह होंगे। मरने के बाद भी बोलेंगे और भूपेश बघेल का नाम सोने के अक्षरों में लिखेंगे , यह जो बिल लाकर हमको आरक्षण दिया है, एक-एक विधायक कौन सी कुर्सी में बैठता था, कौन विरोध कर रहा था, यह ऊपर वाला भी देखेंगे और नीचे वाला भी देखेंगे । इसी आशा के साथ लोग मेरे को बोलने का मौका दिया है, अभी दो में से एक ही बचा है, क्या-क्या बोलेगा, उसको भी सुनेंगे । मेरा उम्मीद है कि बाकी लोग ऐसा नहीं करेंगे । ज्यादा समय न लेते हुये यह जल्द से जल्द पास हो, हमारा जो भर्ती है, कुछ दिनों के लिये रूका है, सभी को फायदा मिले, छत्तीसगढ़ की जनता को मिले । इसी उम्मीद के साथ आपने बोलने के लिये मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद ।

सभापति महोदय :- डॉ.रमन सिंह जी ।

डॉ.रमन सिंह (राजनांदगांव) :- माननीय सभापति महोदय, यह सरकार आरक्षण का कोटा बढ़ाने के लिये विधेयक लेकर आई है । आरक्षण एक जरूरी कदम है, वंचित समाज को आगे बढ़ाने के लिये, उनको मौका देने के लिये । मगर आरक्षण के पीछे जो कारण है, यह चार साल से जो हम अध्ययन कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ने से या घटने से नुकसान या फायदा कैसे होगा, उसका मैं एक कारण बताना चाहूंगा कि यदि आप रोजगार के अवसर ही समाप्त कर देंगे, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी मुश्किल बात यह है कि मुख्यमंत्री जी सबसे कम बेरोजगार दर का दावा करते हैं, मगर सवाल इस बात का है कि यदि चपरासी का भी पी.एस.सी. के माध्यम से 80 पद के लिये, एडवरटिज निकलता है, 90 हजार युवा आवेदन देने पहुंच जाते हैं । इंजिनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, पी.एच.डी., चपरासी बनने के लाईन में लगते हैं, इसका मतलब यह है कि रोजगार के अवसर छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुके हैं, पुलिस भर्ती की प्रक्रिया पिछले महीने रद्द कर दी गई है, शिक्षा विभाग में भर्ती अटकी हुई है, पिछले चार साल में व्यापम में कोई काम नहीं हुआ है, बड़े-बड़े दावे 1 लाख से ज्यादा नौकरी देने के लिये करते हैं, जब विधान सभा में जवाब आता है तो 8 हजार से ज्यादा नौकरी नहीं दे पाये, सवाल आरक्षण का लाभ कहां मिलेगा ? जब जॉब की आपरच्युनिटी नहीं है, संभावना नहीं है, पी.एस.सी. में पोस्ट नहीं भरे जा रहे हैं, शिक्षा में भर्ती नहीं हो रहे हैं, पुलिस भर्ती नहीं हो रही है, सवाल किस दिशा में जायेगा ? सभापति महोदय, इस विधेयक को

इतनी जल्दबाजी में लाने की जरूरत क्यों पड़ गई है ? क्या कारण है कि इमरजेंसी में इसको लाया गया, कौन सी परिस्थिति थी, मुझे लगता है कि यह सामान्य परिस्थिति में नहीं लाया जा रहा है । भानुप्रतापपुर के उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, पूरा जनजातीय समाज सड़क पर उतरा हुआ है, युवा समाज आंदोलनरत् है, पूरे के पूरे बस्तर से सरगुजा तक वनवासी क्षेत्र में, हमारे अनुसूचित जनजाति के लोग आंदोलनरत् हैं, दूसरा भानुप्रतापपुर का चुनाव बीच में आ गया । मुझे लगता है कि समाज का जो प्रेशर पड़ा है, समाज की जो स्थिति बनी है, इसके लिये इन लोगों ने जल्दबाजी में जनजातीय आंदोलन को रोकने के लिये इस आरक्षण की बात कही है, यह आरक्षण लाने का कारण क्या है, यदि 32 प्रतिशत आरक्षण खारिज हुआ, उसका दोष किसको है ? गलती किसको है ? इस दोष के लिये मैं कहूंगा कि वंचित होने का नुकसान सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति को हुआ । सभापति महोदय, दो प्रकार के नुकसान हुये, पहले 32 प्रतिशत आरक्षण का लाभ खारिज होने से जनजातीय समाज की द्वितीय वर्ग एवं उच्च श्रेणी के भती प्रक्रिया में नौकरी एवं शिक्षण संस्थानों को मिलने वाला आरक्षण समाप्त हुआ और दूसरा बड़ा नुकसान हुआ कि जो डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर बनाया था, आपको शायद ख्याल हो, हमने पूरे बस्तर और सरगुजा में स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर देने के लिये डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर बनाया था, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर में हमने जिला स्तर में नियुक्ति का अवसर दिया था, नियुक्ति का अवसर दिया तो जिला क्वार्टर भी, इसका भी खारिज हो गया, इस नुकसान के लिये जवाबदार कौन है ? आरक्षण के लिये यह हमको दोषी बोलते हैं, हमने जनजातीय को 32 प्रतिशत आरक्षण देकर क्या गलती किया, सवाल इस बात का तर्क होता है कि अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 16 से 12 प्रतिशत करना पड़ गया । इसके लिये दोषी भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और अलग-अलग लोगों ने इस बात को बताया कि 16 से 12 प्रतिशत हुआ, मैं इसका कारण बताना चाहता हूँ, स्पष्टीकरण बताना चाहता हूँ कि 5 जुलाई 2005 को केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने आदेश जारी किया जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 2001 की जनगणना के अनुसार आरक्षण में संशोधन किया गया।

समय :
4.00 बजे

माननीय सभापति महोदय, आरक्षण में संशोधन क्या किया गया, यह केंद्र सरकार में जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब यह Notification जारी हुआ। यह 2005 का Notification है, इस Notification में स्पष्ट रूप से कहा गया कि छत्तीसगढ़ में एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. का आरक्षण 32, 12 और 6 किया जाये, यह भारतीय जनता पार्टी, छत्तीसगढ़ सरकार का निर्णय नहीं था, यह निर्णय केंद्र सरकार का निर्णय था, 2005 का निर्णय था। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय आरक्षण हुआ और आरक्षण देने में जो कमी आयी है यदि उसके लिये कोई दोषी है तो Govt. of India, केंद्र सरकार, तत्कालीन सरकार ने इस काम को किया।

सभापति महोदय, अब मैं दूसरे विषय पर आना चाहूंगा कि हमने 2011 में एक बड़ा निर्णय लिया। हमने 32 प्रतिशत जनजाति आरक्षण देने का निर्णय लिया और हमने इस निर्णय में संविधान की पांचवीं अनुसूचि के तहत जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिश को आधार बनाया था। यदि बिना आधार के आरक्षण की बात होगी तो न्यायालय में जाकर परेशानी होती है। हमने 2011 में जब प्रदेश में जनजातीय वर्ग के 32 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाया, उसमें हमने जनजातीय सलाहकार परिषद की सिफारिश को आधार बनाकर इसमें निर्णय लिया और यह निर्णय चलता रहा और इस निर्णय के आधार पर ही जो अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूचि, शैक्षणिक और नौकरी पर चयनित की गयी थी, यह हमें 6 साल तक न्यायालय में अपने पक्ष को मजबूती से रख के आरक्षण को बचाकर रखने में मददगार हासिल हुआ और 32 प्रतिशत जनजातीय आरक्षण में जो नुकसान हुआ, वह नुकसान किसने किया? उसके पीछे किसका हाथ रहा है? जनजातीय समाज के आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक, इस न्यायालय में गये, पूर्व सांसद न्यायालय में गये। उनकी याचिका से 32 प्रतिशत जनजातीय आरक्षण रद्द हुआ और जिस व्यक्ति को 32 प्रतिशत आरक्षण समाप्त करने का श्रेय जाता है, उसी को संवैधानिक पद बैठाया गया। इसका मतलब यह है कि पूरी योजना के साथ कांग्रेस सरकार ने उनको पहले कोर्ट भेजा, बाद में उनको सम्मानित किया, यह पहली घटना है।

दूसरी घटना, 27 प्रतिशत ओ.बी.सी. आरक्षण के विरोध में जो शख्स कोर्ट जाता है, उस शख्स का नाम कुणाल शर्मा है, वह उच्च न्यायालय में याचिका दायर करता है, यह 27 प्रतिशत आरक्षण रद्द होता है, रद्द होने के बाद सरकार इसको आयोग के अध्यक्ष के पद पर बैठाकर सम्मानित करती है। इसका मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण को रद्द करने का यदि कोई दोषी है, तो कांग्रेस से जुड़े वह लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, पूर्व विधायक रहे हैं। दूसरा, उन्हें सम्मानित किया गया, उन्हें आयोग और निगम में लाल बत्ती दी गयी, वह आज भी लाल बत्ती में घूम रहे हैं और सरकार कहती है कि हम आरक्षण लाना चाहते हैं। एक तरफ आरक्षण को रद्द करने के लिये षडयंत्रपूर्वक व्यक्ति को तैयार करके हाई कोर्ट भेजा जाता है और हाई कोर्ट भेजने के बाद उनको सम्मानित पदों में बैठाया जाता है। यह विषय आरक्षण का है । मैंने जो आपको बताया था कि जो दूसरा नुकसान हुआ है डिस्ट्रिक्ट कॉडर में, जिला स्तर में जातिगत आबादी के अनुसार आरक्षण देने की बात। पांचवीं अनुसूचित के अंतर्गत जो जिले आते हैं, उन जिलों में जनसंख्या के आधार पर तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को भर्ती में आरक्षण का लाभ दिया गया। आप आश्चर्य करेंगे कि सरगुजा संभाग में जिला सूरजपुर में 76 प्रतिशत था, बलरामपुर रामानुजगंज में 80 प्रतिशत, जशपुर जिले में 81 प्रतिशत, कोरिया में 66 प्रतिशत और पूरे बस्तर संभाग में 80 प्रतिशत आरक्षण था। डिस्ट्रिक्ट कॉडर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से 80 प्रतिशत आरक्षण, इससे बड़ा लाभ नहीं हो सकता। 32 प्रतिशत आरक्षण के लिये बड़े-बड़े आंदोलन तो हो रहे हैं, लेकिन जिला कॉडर के लिये जो सबसे महत्वपूर्ण था, उसके लिये

कोई आवाज नहीं उठाई गई। मुझे लगता है कि यह सरकार आयी और सरकार में आने के बाद तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों का जो आरक्षण था, उसको समाप्त करने की बात कही।

इन्होंने दूसरी गलती कि 14,580 शिक्षकों की भर्ती के लिए उसी समय 09.03.2019 को विज्ञापन निकाला। अब यह सरकार लगातार गलतियों पर गलती कैसे करती जा रही है? आरक्षण को रद्द करने के लिए सरकार किस प्रकार कमियां रखती जा रही है। उन्होंने 09.03.2019 को विज्ञापन निकाला और 14 हजार पोस्ट के लिए आरक्षण का नोटिफिकेशन 28.05.2019 को निकाला। यानी एक प्रकार से विज्ञापन पहले निकाला जाता है और 3 महीने बाद आरक्षण का नोटिफिकेशन निकाला जाता है। लोग कोर्ट में जाते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं एडवोकेट जनरल से पूछा जाता है कि आपने नोटिफिकेशन बाद में कैसे निकाला ? आरक्षण बाद में कैसे किया ? पहले आपने पद के विज्ञापन निकाले। इस प्रश्न का कोई जवाब देने वाला नहीं है। इस वजह से यह आरक्षण का यह नियम, जो आरक्षण तृतीय और चतुर्थ वर्ग का होना था, वह रद्द कर दिया गया। जहां तक आदिवासियों को आरक्षण देने की व्यवस्था का सवाल है। मैं कुछ महत्वपूर्ण विषय, जिसकी आज सदन में चर्चा हो रही थी उस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा निर्णय लिया। आज इसको बहुत सारे सदस्यों ने रिपीट भी किया कि हम आरक्षण का अध्ययन करने के लिए अलग-अलग राज्यों में टीम भेजेंगे। आज उसको लोगों ने कोट किया, अपने-अपने भाषण में कोट किया कि अलग-अलग टीम तमिलनाडु गई, कर्नाटक गई, हरियाण गई, महाराष्ट्र गई। यह अध्ययन करने के लिए छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की टीम को भेजा गया। अब आपको ऐसा लगता होगा कि आरक्षण के लिए, अध्ययन करने के लिए टीम जा रही है तो इन सभी जगहों में आदिवासियों, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32 प्रतिशत तो होगा। मगर जहां-जहां टीम गई, अनुसूचित जनजाति के 32 प्रतिशत आरक्षण के लाभ को देखने के लिए गई, उन राज्यों में अनुसूचित जनजाति का आरक्षण का प्रतिशत कितना था, यह मैं बताऊंगा तो आश्चर्य करेंगे, मैं इस सदन में जानकारी रखना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति वर्ग को मात्र 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। वहां हम अध्ययन करने के लिए भेज रहे हैं। महाराष्ट्र में जहां सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति वर्ग को मात्र 7 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है वहां 32 प्रतिशत आरक्षण का अध्ययन करने के लिए हमारी विद्वान आई.ए.एस., ट्राईबल वेलफेर विभाग के अधिकारीगण जाते हैं। इसके साथ ही साथ कर्नाटक में आरक्षण के लिए टीम जाती है अभी कर्नाटक में 3 प्रतिशत से बढ़कर, 7 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वर्ग का आरक्षण अभी हुआ है वहां हमारे विशेषज्ञ 32 प्रतिशत आरक्षण का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। हरियाणा में अनुसूचित जनजाति की आबादी नहीं है। वहां आरक्षण का सवाल ही नहीं है। वहां अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं और अध्ययन पर अध्ययन चल रहा है। भाई, जहां आबादी ही नहीं है। यदि आप वहां भेजकर अध्ययन करा रहे हैं। तमिलनाडु का बहुत सारे लोग कोट कर रहे थे 69 प्रतिशत। अरे भाई, आप 69 प्रतिशत की

बात कर रहे हैं 69 प्रतिशत आरक्षण वहां सिर्फ और सिर्फ ओ.बी.सी. का है। वहां अनुसूचित जनजाति वर्ग का जो आरक्षण है, उसका 3 से 5 प्रतिशत अभी किया गया है। पूरा का पूरा आरक्षण तमिलनाडु में 69 प्रतिशत maximum जो है। यह maximum आरक्षण का विषय अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए नहीं है, ओ.बी.सी के लिए है। तमिलनाडु में आरक्षण का इतिहास बताया जा रहा था। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जो acceptation है। जहां आरक्षण की मांग वर्ष 1917 से चल रही है और एक जस्टिस पार्टी थी जिसने सबसे पहले वर्ष 1917 में आरक्षण की बात की। तमिलनाडु हिन्दुस्तान का शायद पहला राज्य है जो स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1951 में पिछड़े वर्ग के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण, आप इस तारीख को ख्याल रखें। यानी वर्ष 1951 में उन्होंने 25 प्रतिशत पिछड़े वर्ग का आरक्षण दिया। फिर उसके बाद स्वर्गीय करूणानिधि आये, 89 आते-आते आरक्षण के कोटे को जो पिछड़े वर्ग का कोटा था, जो 25 प्रतिशत हुआ करता था, स्वर्गीय करूणानिधि ने बढ़ाकर 69 प्रतिशत कर दिया। अब हम वहां अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। जहां अन्य पिछड़े वर्ग का 69 प्रतिशत है और हम कहते हैं कि 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति की आबादी के लिए, आरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ की टीम जा रही है। छत्तीसगढ़ की टीम जहां-जहां अध्ययन करने के लिए जा रही है वहां आरक्षण का प्रतिशत 3, 5, 2, 7 प्रतिशत है जिन राज्यों में 80 प्रतिशत आरक्षण है, आप नार्थ-ईस्ट जाओ न, आप वहां जाकर देखिये न कि वहां क्या स्थिति है और किस प्रकार से केस लड़ा जा रहा है? जिस प्रकार से आपने यहां पर विधेयक लाया है, संकल्प लाया है, उस संकल्प में जब तक आपका अध्ययन पूरा नहीं होगा, उन राज्यों में जाकर वहां की परिस्थिति का अध्ययन नहीं करेंगे और उस परिस्थिति के अनुसार में आरक्षण को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि आरक्षण में जो सर्वोच्च न्यायालय में इंदिरा साहनी के मामले में 50 प्रतिशत तय किया, वह आज तक बरकरार है। हाईकोर्ट से हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने मामला दर्ज किया है। आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण के मामले में अंतिम होता है। क्या इस सरकार को इतना भी धैर्य नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाले 02 महीने में आने वाला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का 02 महीने इंतजार कर लेते। उस फैसले का क्रियान्वयन करना अनिवार्य है। उस आरक्षण के आदेश आने के बाद, सुप्रीम कोर्ट का वेट करने के बाद यदि हम आरक्षण के विषय को छेड़ते तो ठीक होता। आप इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि 05 तारीख को चुनाव है, 05 तारीख को मतदान है। मतदान के लिए इतनी बड़ी आबादी को धोखे में रखकर विधेयक लाये हैं, कोई भी व्यक्ति न्यायालय में चला जायेगा। इन्हीं का व्यक्ति चला जायेगा, कुणाल शुक्ला जैसा व्यक्ति चला जायेगा। पहले जो लोग आरक्षण के विरोध में जाते थे, वह लोग चले जायेंगे। बाद में सरकार बोलेगी कि हम तो नहीं जानते, कोर्ट में चला गया। फिर उसको निगम, मंडल का अध्यक्ष बना दिया जायेगा। इस प्रकार ये स्थिति सरकार की रही है। मुझे लगता है कि आज यह जो कदम उठाया गया है और जिस प्रकार के आरक्षण के विषय को लेकर चर्चा और

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बातचीत हो रही है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि यह पूरे के पूरे सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने का इंतजार करने के बाद आरक्षण के विषय को लाया जाता, सोच-समझकर लाया जाता तो यह भविष्य के लिए अच्छा होता। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह (रामानुजगंज) :- माननीय सभापति महोदय, जब छत्तीसगढ़ में कभी कानून, नियम, संशोधन और आरक्षण के बारे में चर्चा होगी तो आज का दिन, समय सबसे स्वर्ण शब्दों में लिखा जायेगा, जो आज आपने इस विधेयक में चर्चा के लिए समय दिया है और इस विधेयक पर हम इस सदन में आज चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में आज यह चर्चा का विषय क्यों आया, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं वहां से शुरू करता हूं। माननीय सभापति महोदय, यह दिनांक 27.04.2010 की बात है, तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी सरकार के 6 केबिनेट मंत्रियों की समिति थी। जिस समिति में माननीय ननकीराम कंवर जी, बृजमोहन अग्रवाल जी, रामविचार नेताम जी, पुन्नूलाल मोहले जी, चन्द्रशेखर साहू जी, केदार कश्यप जी थे। यह 6 मंत्रियों की कमेटी ने तय किया, यह प्रस्ताव क्या लाते हैं, इस पेज नंबर 02 में देखेंगे। यह पेज नंबर 02 के पैराग्राफ 01 में प्रस्ताव रखते हैं कि अनुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत, और अति गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए 05 प्रतिशत, यानि यह समिति के सामने 80 प्रतिशत आरक्षण का प्रस्ताव लेकर आते हैं। यह घटना दिनांक 27.04.2010 की है। उसी के पैराग्राफ 04 में देखेंगे, यह अपने हाथों से लिखते हैं, प्रस्ताव कितना लेकर आते हैं, 80 प्रतिशत का प्रस्ताव लेकर आते हैं और प्रस्ताव पारित कितना करते हैं, 50 प्रतिशत के नीचे आरक्षण रखा जाये, यह प्रस्ताव पारित करते हैं। तत्कालीन डॉ. रमन सिंह जी की सरकार को यह प्रस्ताव भेज देते हैं और उस समय की तत्कालीन सरकार ने 58 प्रतिशत आरक्षण लागू कर देती है। उसमें विभिन्न समाज के लोग अदालत में जाते हैं। अदालत यह बात बार-बार पूछती है। 2012 से 2018 तक इनकी सरकार लगातार argument करती है, कोर्ट में गवाही होती है, सारे साक्ष्य पेश किये जाते हैं और अदालत लगातार सरकार से यही पूछती है कि आप 80 प्रतिशत का प्रस्ताव रखते हैं और 50 प्रतिशत से नीचे का प्रस्ताव पारित आपकी समिति करती है और सरकार 58 प्रतिशत आरक्षण लागू करती है। यह हम कौन सा तथ्य मानें और किसको सही करें। ... (जारी)

श्री जयप्रकाश

Jaiprakash\02-12-2022\e20\4.15-4.20

पूर्व से जारी (श्री बृहस्पत सिंह) :- हम कौन-सा तथ्य मानें और किसको सही करें? यह इस मामले में कई पार्टी के लोग लगातार पार्टिसिपेट करते हैं। यह आपके अदालत में लंबा चलता है। यह अदालत में अदालत की 96 पेज की फैसले लास्ट में आते हैं। उसमें पार्टिसिपेट सिर्फ 32 प्रतिशत, 16 प्रतिशत और इसीलिए आरक्षण नहीं होता। डिस्ट्रीक्ट कोर्ट को भी चैलेंज किया जाता है, जिसको आपको

मैं बता दूं। यह मामला कहां पर और ज्यादा तूल पकड़ लेता है। अभी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. साहब ने कोट करके कहा। यह साहब, उस मामले में जो पार्टीसिपेट करते हैं, जो अदालत में लगाते हैं। श्री विकास कुमार सिंह, पिता - श्री लल्लन प्रसाद सिंह, 22 वर्ष, यह मायापुर, अंबिकापुर के रहने वाले हैं। वह चैलेंज करते हैं। दूसरा, अमित कुमार सिंह, पिता- श्री कुंदन लाल सिंह, 31 वर्ष, यह चैलेंज इस बात की करते हैं साहब ..।

श्री सौरभ सिंह :- बृहस्पत जी, उसका पहला पेज पढ़ लीजिये। पहला पेज में क्या लिखा है कि पी.आर. खूंटे और पद्मा मनहर। 10 रिट पीटिशन वही फाईल हुई है।

श्री बृहस्पत सिंह :- नहीं, मैं जो बता रहा हूं, वह सुन लीजिये जो । उन्होंने तो पूरे राज्य का बात कही है। जिले की आरक्षण सुन लीजिये। आप पहले इसकी बात सुन लीजिये। इसकी लंबा खिंचाई चलती है, उस मामले में लंबा तर्क रखते हैं और इसकी पैराग्राफ पेज नंबर 92 के कंडिका क्रमांक 81 को आप पढ़ कर देख लीजिये कि इसमें अदालत सारी बात क्या कहती है। यही बात कहा है कि आपकी सरकार ने जो 50 प्रतिशत की नीचे की प्रस्ताव पारित करते हैं, 58 प्रतिशत लागू करते हैं तो हम किसको मानें? यही तो आपसे अदालत बार-बार पूछ रही थी। 2012 से 2018 तक लगातार पूछती रही। आप लगातार अदालत में आरग्युमेंट करते रहे। अदालत में आप जवाब तक नहीं दे सकें। आप सब जानते हैं। सारे विद्वान लोग यहां चुनकर आये हैं कि यदि अदालत किसी भी मामले की सुनवाई करती है, उसकी साक्ष्य पूरी होती है, गवाही दिया जाता है, डाक्युमेंट सारे पूरा करते हैं तो फैसला करते समय क्या भूपेश बघेल की सरकार फिर से बोलेगी? फिर से सुनने को हमें मौका देंगे? यह साहब, पहले तो यहां आपने चुक किया। दूसरा, जिले में जो हमारी व्यवस्था थी, जो आपने लागू किया था। जो स्थानीय तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की भर्ती होती थी। सरगुजा में 76 प्रतिशत, बलरामपुर में 80 प्रतिशत, जशपुर में 81 प्रतिशत और कोरिया में 74 प्रतिशत, इस तरह से यहां आरक्षण में भी नियुक्ति की प्रक्रिया थी, व्यवस्था थी। उसको अदालत ने यह कहा है कि आप 2012 में जो आरक्षण लागू करते हैं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन अधिनियम, 2011 एवं संशोधन नियम 2012 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में दायर याचिका क्रमांक WPC No. 591/2012 एवं अन्य याचिकाकर्ताओं के निर्णय में क्या आता है साहब कि आप जो कानून बनाये थे, आप जो अधिसूचना जारी किये थे, यह आपके सरकार समय का राजपत्र प्रकाशित हुआ है। यह रापजत्र आपने ही प्रकाशित किया है। जो आपने आरक्षण लागू किया था, उसको उन्होंने रद्द कर दिया है। बात यहां से आता है। इसमें सिर्फ एस.टी. का आरक्षण रद्द नहीं किया है। आपके समय में आपने 2012 में जो आरक्षण लागू किया था, यह आप पेज नं. में साफ-साफ देखेंगे। यह 30 मार्च का है। इसमें जो व्यवस्था दिया गया था। यह 32 प्रतिशत सीटें आदिवासियों का, 12 प्रतिशत सीटें एस.सी. का और 14 प्रतिशत सीटें ओ.बी.सी. का, यह तीनों आरक्षण को रद्द किया गया। सिर्फ एस.टी. भर का आरक्षण रद्द नहीं हुआ है। यह उस कानून को ही हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आप ढंग से पढ़कर देख लें। आप

सारे विद्वान लोग हैं। सभापति महोदय, यह पूरे कानून को जो 2012 में नोटिफिकेशन हुये थे, उसको रद्द कर दिया गया। तब से यह प्रदेश में ज्वलंत मुद्दे आई और पूरे प्रदेश में खूब ढोल पीटा गया कि आदिवासियों का 32 प्रतिशत आरक्षण घटा दिया गया। सिर्फ आदिवासियों का नहीं घटा था साहब। एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. तीनों के आरक्षण को रद्द किया गया और उसके विरूद्ध में विभिन्न समाज के लोग सड़क में उतरे, सारे नेताओं के घर घेरने का काम किया और कई समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया और सरकार भी सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटायी। मैं भूपेश बघेल सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जहां तक मुझे जानकारी है कि जो इन्होंने प्रस्ताव लेकर आये हैं, यह बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है । सभी वर्गों के आरक्षण का ध्यान रखा है । इन्होंने 32 परसेंट एस.टी. को और 27 परसेंट ओ.बी.सी. को और 13 परसेंट अनुसूचित जाति को, 13 है न । (हंसी)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- 16 परसेंट है । (हंसी)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, पहला पुण्य का काम किया है। अगर सामान्य वर्ग का गरीब हो जाये तो क्या आप उसको आरक्षण नहीं देंगे ? उसके लिये भूपेश बघेल सरकार ने ख्याल किया है । उसके लिये भी 4 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- उसको 10 प्रतिशत करवा दो ।

श्री बृहस्पत सिंह :- जनसंख्या के अनुपात में इस सरकार ने लगातार प्रयास किया है । जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है ।

डॉ. श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- गरीब को ही देंगे न भई । सब तो धनवान हैं ।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य छत्तीसगढ़ है जहां आज स्वर्ण को भी, सामान्य वर्ग को भी हमने 4 परसेंट आरक्षण देने की व्यवस्था की है ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- बाकी जगह तो 10 परसेंट है । आपने केवल 4 परसेंट किया है ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, यह इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा । मैं आपको यह बता दूं कि चूंकि अभी यहां माननीय बृजमोहन जी नहीं हैं । इनके सभी मंत्रियों के हस्ताक्षर हैं जिनके कारण इन्होंने स्पष्ट नहीं किया और सारे लोगों ने हस्ताक्षर किया है और आप लोग उसी बात को बार-बार कह रहे हैं कि किया नहीं, आखिर किसने किया ? गलती आपकी है । आपने 12 प्रतिशत किया, उसी को विधिवत् कानून बनाकर किया होता तो अदालत में मामला ही क्यों जाता और अगर अदालत में सही आर्गूमेंट और साक्ष्य, दस्तावेज प्रस्तुत किये होते तो फैसला ही विरोध में क्यों आता ? विरोध में फैसला नहीं आता तो आप हमारे कांग्रेस के लोगों का ही घर क्यों घेर रहे हो भैया ? आप सबने यह कानून बनाया है, आपको सबका घर घेरना चाहिए । आप सभी चुनकर आये हैं फिर कांग्रेस के ही लोगों को दोष क्यों देते हैं ? कांग्रेस के लोग ही दोषी क्यों हैं ? यदि हमने पहली बार हिंदुस्तान में आरक्षण नीति लागू की है और जहां तक आप संविधान की बात कर रहे हैं तो न्यायपालिका, विधायिका

और कार्यपालिका सबका अपना-अपना स्थान होता है । आप जो संविधान बनाते हैं, कानून बनाते हैं, लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा में उसी के तहत् न्यायपालिका काम करती है । हिंदुस्तान के कई ऐसे राज्य हैं जहां 50 परसेंट से अधिक आरक्षण चल रहे हैं और यदि हमने लाया है तो कौन सा अपराध कर दिया है ? अगर आदिवासियों के साथ-साथ जनसंख्या के अनुपात में सामान्य वर्ग, पिछड़े वर्ग और एस.सी., एस.टी. सभी के लिये आरक्षण लाये हैं तो हमने कौन सा गुनाह किया है ? मैं तो हमारे सभी साथियों से यह कहूंगा कि यह जो हमारा संकल्प आया है ।

सभापति महोदय :- चलिये, समाप्त करें ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात कम शब्दों में खत्म कर रहा हूं । दिसम्बर 2022 सत्र में माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री निम्नलिखित संकल्प जो लाये हैं यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के संरक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोकसेवा अनुसूचति जनजाति, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिये आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को संविधान की अनुसूचि 9 में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया जाये और हम सब मिलकर सर्वसम्मति से इसे पारित करें और छत्तीसगढ के हित में अच्छा काम करें । मैं तो अपने विद्वान साथी अजय चंद्राकर जी से बोलूंगा कि यह जो फैसले आये थे, ये बहुत अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन शायद आपने पढ़ा नहीं इसीलिये आपने सदन का समय बर्बाद किया है, आपको पाप भी लगेगा और इस बात के लिये आपको अच्छा पुण्य भी मिलेगा कि आप सभी ने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है । बहुत-बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का माननीय पुन्नूलाल मोहले और माननीय ननकीराम कंवर जी ने जो संशोधन दिया है और उस संशोधन में इस बात का उल्लेख है कि अनुसूचित जाति के लिये 13 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत किया जाये और आर्थिक आधार पर आरक्षण को 4 से बढ़ाकर 10 परसेंट किया जाये इस संशोधन के साथ समर्थन करता हूं ।

माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पूर्व अपने प्रदेश के विधि मंत्री आदरणीय मोहम्मद अकबर जी का वर्ष 2012 में जब आरक्षण संशोधन विधेयक पर यहां चर्चा हुई थी, मैं उनके भाषण का उल्लेख करना चाहूंगा । माननीय मोहम्मद अकबर जी ने अपना भाषण देते हुए कहा था कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है यदि 50 प्रतिशत की सीलिंग से ऊपर का कोई विधेयक रहेगा तो यह महामहिम राज्यपाल के यहां से वापस आयेगा । इसके आगे नहीं जायेगा और मैं यह बात मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं कि विधि विभाग ने इस विधेयक को प्रस्तुत करने के पहले अपना परामर्श न दिया हो। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से माननीय मुख्यमंत्री

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर विधि विभाग का परामर्श आया है और विधि विभाग ने 76 प्रतिशत आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट से किसी प्रकार निरस्त नहीं किया जायेगा, ऐसा कोई परामर्श दिया है। अगर ऐसा कोई परामर्श दिया है तो उस परामर्श से इस पूरे सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है। माननीय सभापति जी, 19 सितंबर को वर्ष 2012 में लागू आरक्षण को हाईकोर्ट ने निरस्त किया और हाईकोर्ट का जैसे ही आदेश हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आया, सारे समाचार-पत्रों में छपा कि हम यह स्थिति इसलिए फेस कर रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की डॉ. रमन सिंह की सरकार थी तो उस सरकार ने अपने प्रदेश के पक्ष को अच्छे ढंग से नहीं रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ष 2012 में संशोधन विधेयक पारित हुआ। 29/03/2012 को केस फाइल हुआ और डॉ. रमन सिंह की सरकार वर्ष 2018 तक रही और 29/03/2012 से लेकर वर्ष 2018 तक हाईकोर्ट में सिर्फ एक डेट लगी थी और वह भी लगी थी सिर्फ वर्ष 2016 को। सिर्फ एक डेट। अभी बाकी माननीय सभापति जी, वर्ष 2019 से लेकर 19 सितंबर, 2022 तक हाईकोर्ट में 14 डेट लगी है। आप बोलते हैं कि डॉ. रमन सिंह ने पैरवी ठीक नहीं की। 14 पेशियां आपकी सरकार के पीरियड में हुईं। आपके वकील क्या कर रहे थे? आपकी मानसिकता छत्तीसगढ़ के लोगों को आरक्षण देने की नहीं है। आप आरक्षण के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रहे हैं। आप आरक्षण के नाम पर छत्तीसगढ़ की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है। माननीय बघेल जी की केबिनेट निर्णय करती है कि हम पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे। इन्हीं का खास बंदा हाईकोर्ट में जाता है और 27 प्रतिशत आरक्षण स्टे हो जाता है और उसके स्टे होने के बाद आप उसे पुरस्कृत करते हो। कबीर शोध विद्या पीठ का अध्यक्ष बनाते हो। आपका आदमी आपके निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में स्टे लेने के लिए गया और आप उसे पुरस्कृत कर रहे हैं। इसका सीधा-सीधा मतलब यह है कि उस आरक्षण को स्टे कराने में आपकी भूमिका थी। आप छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा दे रहे थे। माननीय सभापति, आज आरक्षण की बात हो रही है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सभापति महोदय, आदरणीय शर्मा जी ने ढंग से पढ़ा नहीं। उस मामले में जो आर्ग्यूमेंट हुए हैं, जो दस्तावेज और साक्ष्य हुए हैं, इनकी सरकार में हुए हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जब बोल रहे थे तो बोले क्या?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति का आरक्षण आप 13 प्रतिशत कर रहे हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, वर्ष 2011-12 में नेता प्रतिपक्ष थे। अति विद्वान। अब अजय जी ने उनके लिए विदुर शब्द का उपयोग किया था, अब विदुर के महाराजा कौन थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब माननीय सभापति जी, आप वर्ष 2011 में भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो बोलते हैं कि अनुसूचित जाति का 16 प्रतिशत होना चाहिए और अपने भाषण में यह कहते हुए अपनी बात को

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समाप्त किया था कि अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण आप 16 प्रतिशत करते हैं तो आपके इस विधेयक को हम सर्वसम्मत करने को तैयार हैं। वर्ष 2011 में आप 16 प्रतिशत करने की बात कर रहे हैं और जब आपके पास अवसर आया तो आप उसे 13 प्रतिशत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ी में एक ठीक कहावत हे साहब, आप अन्यथा नहीं लेंगे [XX][9], कैसे भाई ओ समय 16 प्रतिशत रहिस अउ आज 13 प्रतिशत कैसे होगे? ए जतेक नेता मत चिल्लावत हे न, बाहर जाके का । सभापति जी, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में कौन गया ? श्री के.पी.खांडे, श्रीमती पद्मा मनहर, इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए । 19 सितम्बर को निर्णय आया, पहला अनुसूचित जाति का अध्यक्ष और दूसरी अनुसूचित जाति आयोग की उपाध्यक्ष । इनको कोर्ट में जाने का पुरस्कार आपने दिया है, इस आरक्षण को स्टे कराने का पुरस्कार आपने दिया है क्या ? यह सदन आपसे जानना चाहता है । सभापति जी, समाचार पत्रों में छपा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने तीन समितियां बनाई हैं । 3 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी, 3 प्रांतों में आरक्षण का अध्ययन करने के लिए जाएंगे । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, ये तीन समितियां बनीं, ये अध्ययन करने कब गए, किस-किस प्रदेश में गए और अध्यन करके आपसे सरकार को क्या रिपोर्ट दी ?

समय :
4.31 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

आप ज़रा इसकी जानकारी देने का कष्ट करेंगे । जैसे आपने आदरणीय सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में शराब बंदी के लिए एक समिति बनाई । आपने समिति बनाई अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के लिए ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय शिवरतन शर्मा जी ने 2012 के मेरे भाषण का उल्लेख किया । उसमें यह लिखा हुआ है कि 50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता । आप लोगों ने किया । मैंने कहा कि यह सक्सेस नहीं होगा । मैंने क्या गलत बोला, हाईकोर्ट ने तो उसको निरस्त कर दिया, उसमें गलत क्या था ? दूसरी बात, आपने यहा कहा कि विधि विभाग ने इसमें परिमार्जन किया है या नहीं, तो विधि विभाग ने परिमार्जन किया है । उसके बाद ही यहां प्रस्तुत् किया गया है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने आपके भाषण की कॉपी निकलवाई है और उसको ही उल्लेखित किया है । आप जिस तथ्य को रख रहे हैं कि विधि विभाग ने स्पष्ट परामर्श में लिखा है क्या । ज़रा इससे अवगत् करा दें कि 76 प्रतिशत अगर आरक्षण देंगे तो कोर्ट से स्टे नहीं होगा, कोर्ट इसको निरस्त नहीं करेगा, ऐसा कोई लेटर है तो आप सदन के पटल पर रख दें, तो हम सबका ज्ञानवर्धन हो जाएगा ।

---

[9] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री मोहम्मद अकबर :- परिमार्जन के समय ऐसा लिखा जाता है क्या, कि कोर्ट से स्टे नहीं होगा, कैसी बात कर रहे हैं आप ? परिमार्जन यह कि रखा जाए या नहीं रखा जाए, यह तय होता है । आपके समय ऐसा हुआ था क्या कि कोर्ट से नहीं होगा ? मतलब, आप ज़रा सोच समझकर बात करिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- पिछले समय आपने ही कहा कि 50 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण कोर्ट से निरस्त होगा फिर इसमें परसेंट बढ़ाने की क्या जरूरत थी ?

श्री मोहम्मद अकबर :- उसका भी कारण बता देता हूं । निरस्तीकरण के पीछे जो बिंदु दर्शाए गए हैं उसमें उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने जिस समय आरक्षण किया था उस समय क्वांटीफायबल डाटा या समर्थन में कोई चीज प्रस्तुत नहीं की गई थी । इसीलिए अभी क्वांटीफायबल डाटा हुआ है उसके आधार पर हम फिर से विधान सभा के सामने आए हैं, यह कारण है ।

श्री पुन्नू लाल मोहले :- यह तो आपका पिछली बार का डाटा है । अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग का डाटा थोड़े ही है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय अकबर साहब से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, उनसे कैसे जान सकते हैं आप । आप उनसे कैसे जान सकते हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके माध्यम से । मैंने कहा आपके माध्यम से जानना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं समझ रहा हूं, यह एस.टी., एस.सी. बिल है, उनके लोगों को ज्यादा समय मिला, आप ज्यादा समय मत लीजिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं समय नहीं ले रहा हूं, मैं मुद्दे की बात कह रहा हूं। ये क्वांटीफायबल डाटा की बात आप कर रहे हैं यह डाटा अगर आप आज विधान सभा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो 2016 के बाद और 2019 से लेकर 19 सितम्बर 2022 के बीच हाई कोर्ट में 14 पेशियां पड़ीं । उन पेशियों के दौरान आपने उसको क्यों प्रस्तुत् नहीं किया ? दूसरी बात, यह डाटा आपने प्रकाशित कर दिया है क्या । अगर प्रकाशित कर दिया है तो इसको सार्वजनिक कीजिए । हमारी जानकारी में तो नहीं हुआ है । अध्यक्ष जी, मैंने एक बात कही कि आपने जो 3 समितियां बनाई, 3 प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों की । ये अधिकारी कब-कब दौरे पर गए, कौन-कौन इनके साथ गये और रिपोर्ट कब प्रस्तुत् की गई । उस रिपोर्ट को भी सार्वजनिक कीजिए । यह सरकार किसी मामले को टालना हो तो समिति बनाओ, एस.आई.टी. गठित करो और लिंगरऑन कर लो। एस.आई.टी. गठित करने वाली सरकार, समिति बनाने वाली सरकार है, यह समिति जब बनती है तो इसका कोई भी मामला नहीं आता है। हमारे आदिवासी साथी बहुत सी बात कर रहे हैं कि हम आदिवासियों के लिए यह कर रहे हैं। मैं माननीय बृहस्पत सिंह जी और माननीय मोहन मरकाम जी को खाली याद दिला देता हूं। वर्ष 2001 से 2003 तक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय अकबर साहब, माननीय साहू जी, माननीय

टेकाम जी, माननीय धनेन्द्र साहू जी, सत्यनारायण जी, यह सब पहली सरकार में मंत्री थे और उस समय आदिवासियों के साथ क्या हुआ था ? रायपुर अंबेडकर हॉस्पिटल मेकाहारा का जो सभागार है, उस सभागार में छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को दौड़ा-दौड़ाकर मारा गया था, उनकी मुंह पर कालिख पोतने का काम हुआ था और यह काम किसी ने नहीं किया था, आपकी पार्टी के नेताओं ने किया था।

श्री मोहन मरकाम :- आपकी सरकार ने 200 लोगों को जेल में ठूंसा था।

डॉ लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय महोदय, आप उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कर रहे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- आप अंबेडकर हॉस्पिटल की घटना के बारे में जो उल्लेख कर रहे हैं, आपकी जानकारी अधूरी है। हम लोग वहां पर थे।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उस सभागार में आदिवासी समाज सिर्फ इस बात का निर्णय कर रहा था कि हमारे प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय अजीत जोगी जी आदिवासी नहीं हैं और उस मुद्दे को वह असली आदिवासी हैं, सर्टिफिकेट देने के लिए सरकार के मंत्रियों ने अपने बंदों को भेजा था और आदिवासियों को अपमानित किया था। जो आदिवासियों को अपमानित करने का काम करते हो, वह आदिवासी हित की बात करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 सितंबर को हाईकोर्ट का डिसीजन आया और 1 और 2 दिसंबर को बुलाया गया। अगर भानुप्रतापुर का चुनाव नहीं होता तो यह सत्र नहीं होता।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, आप एक लाईन में बताईए, जो आरक्षण लाया गया है, आप उसके पक्ष में हो या विरोध में हो।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपने शायद मेरी बात नहीं सुनी।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप विरोध में हो ? विरोध में हैं तो हां बोलिए कि विरोध में हैं और अगर समर्थन करते हैं तो बोलिए कि समर्थन करते हैं, सीधी-सीधी बात है।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, हां या ना में जवाब दीजिए। विरोध में हैं या समर्थन में हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- पूरे प्रदेश की जनता देख रही है। क्या आप इस आरक्षण के विरोध में हैं ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, अब मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मोहन मरकाम जी और माननीय बृहस्पत सिंह जी, कान में रूई डालकर बैठे हैं। मैंने अपनी बात की शुरूआत करते हुए एक बात कही थी और मैंने यह कहा था कि हमारे पार्टी के वरिष्ठ सदस्य पुन्नूलाल मोहले जी ने जो दो संशोधन प्रस्तुत किए हैं, अनुसूचित जाति का आरक्षण 13 के स्थान पर 16 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए और आर्थिक आधार पर 4 प्रतिशत के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। अगर सरकार इस संशोधन को स्वीकार करती है तो हम सर्व सम्मति से इस आरक्षण विधेयक को पारित करने को तैयार हैं। हम 32 प्रतिशत आदिवासियों के आरक्षण का स्वागत करते हैं, क्योंकि इस आरक्षण को हमने दिया है। आपकी सरकार ने नहीं दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- पिछड़ा वर्ग के बारे में का विचार हे।

श्री शिवरतन शर्मा :- जब आपकी सरकार थी तो आदिवासियों का आरक्षण 20 प्रतिशत था। माननीय यादव जी, जरा मुख्यमंत्री जी से पूछिए (व्यवधान) आरक्षण को स्टे करवाया।

श्री बृहस्पत सिंह :- उस समय की बात कर रहे हैं, जब हम मध्यप्रदेश से अलग हुए थे। मध्यप्रदेश के समय हमारी जनसंख्या उतना प्रतिशत था।

श्री मोहन मरकाम :- शर्मा जी, उतने ही हितैषी थे तो वर्ष 2004 से 2012 तक आरक्षण क्यों नहीं दिया।

श्री बृहस्पत सिंह :- वर्ष 2004 से 2012 नहीं, 2004 से 2018 तक क्या कर रहे थे ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न इस बात का है कि हम विधेयक पारित कर देंगे। विधेयक पारित होने के बार यह महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा और महामहिम राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह कानून के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू होगा। कानून बना नहीं, विधेयक पारित हुआ नहीं और इस विधेयक को एक संकल्प के रूप में भेजने के लिए प्रस्ताव भी आज आ गया। क्या यह विधि संगत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जो शब्द का उपयोग किया गया है, ''यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिए पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है। पारित। इसमें मुख्य शब्द, जिसपर मुझे आपत्ति है। कमजोर वर्गों की हितों की रक्षा के लिए पारित। क्या यह पारित हो गया? जब कोई विषय पारित हुआ ही नहीं तो वह संकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत हो गया? अभी आपका बहुमत 71 का है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी हम आप सब मिलकर पारित करेंगे।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप नियम के विपरीत कुछ भी कर देंगे ?

श्री रामकुमार यादव :- कोई चीज ला जागथे...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब समाप्त कीजिए। बहुत हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या आप नियम के विपरीत कुछ भी कर देंगे ? जब यह पारित ही नहीं हुआ तो यह संकल्प कैसे हुआ ?

श्री मोहम्मद अकबर :- शर्मा जी, इसका मतलब यह है कि पारित होने के बाद। आप जरा उसको ध्यान से पढ़िये। पारित मतलब, जब पारित हो जाएगा, तब भेजेंगे। उसके पहले हम उसको थोड़ी न भेज देंगे। आप उसको समझिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बृहस्पत सिंह :- आप इतने विद्वान पंडित हैं उसके बाद भी...।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप मुद्दे पर बात कीजिए न। आप शब्दों को ले-ले कर बाल की खाल उखाड़ रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अकबर जी।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप पढ़िये। आप एक बार फिर से पढ़िये।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, मैं पढ़ रहा हूं। हम लोग यह मानकर चलते हैं कि आप विद्वान व्यक्ति हैं और आप तर्क करेंगे, कुतर्क नहीं करेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- पारित का मतलब यह है कि पारित होने के बाद। पारित हो गया है ऐसा कहां लिखा है ? पारित हो गया है ऐसा लिखा ही नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- थोड़ा ठीक से पढ़िये न।

श्री रामकुमार यादव :- शर्मा जी, पहली मुर्गा अइस कि मुर्गी अइस अइस कि अण्डा अइस ? ऐला बताओं।

श्री सौरभ सिंह :- पारित होने के बाद कहीं पर नहीं लिखा है। कहीं नहीं लिखा है। पारित। पारित होने के बाद कहीं नहीं लिखा है। पारित लिखा है।

श्री मोहम्मद अकबर :- अभी पारित होगा उसके बाद अगला विषय। इसके पहले वाला पारित होने के बाद। इसका जो विषय है यदि पारित हो गया, उसके बाद।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस शब्द को पढ़ लीजिए, इसमें लिखा है। मतलब, आप बहुमत में हैं इसका मतलब आप कुछ भी कर लेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- इसका मतलब यह है कि पारित होगा। इस आशय के साथ वह लिखा गया है कि वह पारित होना है।

श्री शिवरतन शर्मा :- श्रीमान जी, पारित होगा, पारित है और पारित, तीनों में अंतर है।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप उसी को पढ़िये। मैं उसी की बात कर रहा हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, मैं इसको पढ़ लिया। हां, इन तीनों में।

श्री मोहम्मद अकबर :- आप इसको गलत विषय में ले रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, आप इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- इसका मतलब है कि पारित। यानी, पारित होने के बाद। यह इस उम्मीद से किया गया है कि बहुमत है तो यह पारित होगा। इसका मतलब यह है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अच्छा, आप इसको फिर से पढ़ लीजिए। माननीय अकबर जी, आप इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं। हम लोग आप जैसे व्यक्ति से यह उम्मीद करते हैं कि आप सत्य बोलेंगे।

श्री मोहम्मद अकबर :- नहीं-नहीं। आप गलत व्याख्या कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आप गलत व्याख्या कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- बिल्कुल नहीं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बिल्कुल इसकी गलत व्याख्या कर रहे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- पारित यानी पारित होने के बाद। इसका आशय यही होता है।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। पारित मतलब पारित हो गया, तब। अभी तो इस पर चर्चा करनी है।

श्री बृहस्पत सिंह :- भैय्या, यह साफ-साफ हिंदी में लिखा है। संस्कृत में नहीं लिखा है। शर्मा जी, यह संस्कृत में नहीं लिखा है यह हिंदी में लिखा हुआ है।

श्री मोहम्मद अकबर :- पारित होगा तब तो। पारित होगा तब।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो आप लोग लिखे हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- शर्मा जी, यह संस्कृत में नहीं लिखा है। हिंदी में लिखा हुआ है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पूरा विश्वास है कि यह पारित होगा और कोई माई का लाल इसको नहीं रोक पाएगा। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रविन्द्र चौबे :- क्या बात है!

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इनकी बहुमत है तो यह कुछ भी कर लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी या संसदीय कार्य मंत्री का ऐसा-ऐसा इशारा होगा तो यह बाकी लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। भगवान जाने, क्या घुट्टी पिलाये हैं ? आप ही लोग जाने। पर कुछ भी कर लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- अब डहरिया जी नहीं उठेंगे। चाहे लाख ऐसा-ऐसा कर लें।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई से आंख नहीं मोड़ा जा सकता।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, 19 सितम्बर को रिजल्ट आया और 1 और 2 तारीख को सत्र हो रहा है। यह सत्र करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, भानुप्रतापपुर का चुनाव। यदि यह चुनाव नहीं होता तो यह सत्र ही नहीं आता और इस सत्र में आरक्षण की चर्चा नहीं होती। कवासी लखमा जी बाहर चले गये, जब गांव वालों ने, वहां के आदिवासियों ने कवासी जी को घेरा तो इनके पास जवाब देने की स्थिति नहीं थी। यदि हमारी आदरणीय प्रत्याशी सावित्री मण्डावी जी सामने नहीं आती तो उनका वहां से निकलना मुश्किल हो जाता।

श्री बृहस्पत सिंह :- अच्छा, एक बहाना मिल गया है। कितने उप चुनाव हो गये ? इस बीच में कितने उप चुनाव हो गये और आप कितने उप चुनाव जीत गये?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कवासी लखमा जी का सार्वजनिक रूप से बयान आया। इस सरकार के मंत्री का सार्वजनिक बयान किया कि 3 तारीख को हम 32 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था कर देंगे, अन्यथा मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- संन्यास ले लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- राजनीति से संन्यास ले लूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- विश्वास।

श्री शिवरतन शर्मा :- सत्र आज हो रहा है और मोहन मरकाम जी फेसबुक में डाल रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। मरकाम जी, यहां तो आप बहुमत के बल पर कुछ भी कर लेंगे लेकिन इससे ऊपर भी कोई बड़ी अदालत है। आप कम से कम उस अदालत से तो डरो। फिर क्या एक प्रेस-कांफ्रेंस करते हैं।

श्री बृहस्पत सिंह :- क्या आप माननीय लखमा जी की घोषणा से डर गये ? क्या आप लखमा जी की घोषणा से डर गये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, शर्मा जी, अब बहुत हो गया।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मरकाम जी प्रेस-कांफ्रेंस करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िये न। वह तो कर चुके हैं। उनको छोड़ दीजिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आदिवासी हितों की क्या बात ? एक आदिवासी में चरित्र हनन का काम करते हैं। संविधान, हमारे कानून में व्यवस्था है कि धारा 363, 366 और 376 भा.द.वि. में कोई महिला पीड़ित है तो उस पीड़ित का नाम सार्वजनिक नहीं किया जायेगा। आपने वहां विवेचना की जो कॉपी बांटी है, उस विवेचना की कापी में पीड़िता का नाम था।

श्री मोहन मरकाम :- हमको भी पता है महाराज, आपसे ज्यादा ज्ञानी हैं। हमको भी नियम, कानून-प्रक्रिया पता है। हम उनके जैसे नहीं हैं। आप लोग जिस आरोपी को बचाने का प्रयास कर रहे हो, जिस आरोपी को बचाने का काम कर रहे हो, वह गले की फांस बन गई है। मोदी जी डण्डा लेकर घूम रहे हैं इसलिए उगलते नहीं बन रहा है। इसीलिए इतना बचाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उपस्थिति में मरकाम साहब को इतना ही बोलना चाहता हूं कि जैसे आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए चिल्ला रहे हैं, किसी जमाने में टी.एस. सिंहदेव साहब भी वही किया करते थे और टी.एस. सिंहदेव साहब की जो गति हुई है, आप भी उसी गति को प्राप्त करने वाले हो। आप नोट कर लो, उसी गति को प्राप्त करने वाले हो। एक स्वच्छ, सार्वजनिक जीवन जीने वाले ब्रम्हानंद नेताम को बदनाम करने का प्रयास किया है, छत्तीसगढ़ की जनता आप लोगों को माफ नहीं करेगी। आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।

श्री मोहन मरकाम :- इसीलिए आप लोगों की इतनी दुर्गति हुई है कि आप लोग 14 सीट में सिमट गये हो। जो सच्चाई है उसको स्वीकार कर लो। गलत काम करने वाले तो जनता बतायेगी। वहां की जनता बतायेगी, भारतीय जनता पार्टी का क्या हश्र होने वाला है, जनता यह देख रही है।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस आरक्षण में 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 27 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग, 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति और 10 प्रतिशत आर्थिक आधार

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पर आरक्षण दें तो हम सर्वसम्मति से पास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे का समय दिया, धन्यवाद।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- मैं एक सूचना देना चाह रहा था। बस्तर में, जगदलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां पर माननीय मुख्यमंत्री हैं। इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जगदलपुर में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहां मुरूम खदान धसने से 7 मजदूरों की मौत हो गई है।

अध्यक्ष महोदय :- कितने बजे की घटना है ?

श्री नारायण चंदेल :- यह अभी दोपहर की घटना है। वहीं 12 मजदूरों के खदान में नीचे दबे होने की आशंका है। वहां राहत और बचाव की टीम पहुंची है। लेकिन मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर जो भी आवश्यक सुविधाएं हो सके, उपलब्ध करवाये। ताकि हमारे मजदूर फंसे हुए हैं, वह जिन्दा वापस आ सकें, बच सकें।

अध्यक्ष महोदय :- Thank you.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात को माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने उठाया, यहां पर गृहमंत्री जी और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जी भी हैं।

अध्यक्ष महोदय :- गृहमंत्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इसमें बयान आना चाहिए, यह बड़ी घटना है। इसमें क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। उनके लिए कोई मुआवजा वगैरह, ईलाज की व्यवस्था, वहां पर कौन-कौन सी टीमें पहुंची हैं, क्या हो रहा है। रात्रि का समय होने जा रहा है, कोई बयान आ जाये तो अच्छी बात है।

श्री नारायण चंदेल :- सरकार की ओर से कोई बयान आ जाता तो अच्छा रहता।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, चौबे जी, अभी इन्होंने बस्तर में जो घटना हुई है, उसको उठाया है। उस पर कोई बयान आ जाना चाहिए, ऐसा कहना है।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- आदरणीय अध्यक्ष जी, जगदलपुर की घटना पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो बातें कही हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में मौजूद हैं, सरकार वहां निरन्तर सम्पर्क में है। जो भी परिस्थिति होगी, आपको अवगत करा देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- सदन चल रहा है, अवगत करा देंगे, कहने के बजाय वक्तव्य आयेगा या नहीं आयेगा, हमने यह कहा है। आप वक्तव्य देंगे क्या ? हमारी यह मांग थी, यदि हां तो हां, नहीं तो नहीं, उसमें क्या है ? क्या अवगत कराना ? पूरे सदन में सभी सदस्य जानेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- मुझे लगता है कि फिर से थोड़ी न कहूं कि आप विद्वान है। अवगत कराने का आशय ही..।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने विद्वान का ठेका आपको दे दिया है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जानकारी में है, सब चीज हो रहा है।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण संशोधन विधेयक, 2022 माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लेकर आये हैं। मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। विपक्ष को इन शब्दों के साथ कि "पर्दानशी को बेपर्दा ना कर दूं तो मेरा नाम भी अकबर नहीं"। आपने जितना ताण्डव किया है, शुरू से रोकने का कोशिश, दांवपेच किया है। पता नहीं कौन-कौन सी कानूनी किताब ..।

श्री सौरभ सिंह :- अंगेजी बने बोलथ, थोकन अंग्रेजी में फरिया देवा न।

श्री अमरजीत भगत :- अभी ओहू हा आही, चिंता झन करव ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तब से पता उस पार के साथियों को क्या हो गया है, कहां-कहां से किताब और कहां-कहां से नियम, नियमावली का हवाला देते हुये, रोकने का, बाधित करने का बहुत प्रयास किया । हम लोगों ने शुरू से ही यह आव्हान किया कि सबमिलकर इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन जो दिल की बात है, वह जुबान पर आ ही जाती है । आज इस सदन में कई चेहरे बेनकाब हुये हैं, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आता हूँ, सामने तो आरक्षण की बात करते हैं और पीछे दरवाजे से आदिवासियों को भड़काने की बात करते हैं, उनको विधायकों के घर धावा बोलने के लिये, मंत्रियों का घेराव करने के लिये, प्रदर्शन करने के लिये, उकसाने का काम करते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी में कहावत है कि खाय के दांव अलग, अऊ दिखाय के दांत अलग ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सही माना जाये तो आदिवासी भाईयों के लिये, अन्य पिछड़ा वर्ग के साथियों के लिये, एस.सी. और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये, ईडब्लूएस के लिए, ऐतिहासिक दिन है । (मेजों की थपथपाहट) इसके लिये छत्तीसगढ़ की जनता माननीय भूपेश बघेल जी को खूब आर्शीवाद दे रही है । सुबह से मन बहुत प्रसन्न भी है और व्याकुल भी है कि कब यह आरक्षण पारित हो ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं चाहता हूँ कि आप ऐसा मनमोहक भाषण दीजिए कि उनका भी मन मोह लीजिए । किसी को निरूत्साहित करने वाला भाषण मत दीजिए ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं फिल्म की उसी लाईन से अपनी बात शुरू करता हूँ।
कह दूँ तुझे या न कहूं, आज दिल में मेरे क्या है, बुझो तो मैं जानू, तुझे गुरू अपना मानूं, आज यह भी वादा है । (मेजों की थपथपाहट) आदिवासी आरक्षण, पिछड़ा वर्ग आरक्षण, पारित कराने का हमारा मूल उद्येश्य है । लोगों को संवैधानिक अधिकार देने का काम, देश की आजादी के समय...।

श्री धरमलाल कौशिक :- ओ अमरजीत जी, एक मिनट । आप बोल रहे थे ना, अच्छा भी लग रहा है और मन कैसा-कैसा लग रहा है, क्या है रोज जा रहे हो तो सुनने को पड़ रहा है, जो झमेला आ रहा है, आपको लग रहा है कि जाने के बादआराम से सो जाऊंगा । इसलिए विचलित है तो आपको आधा खुशी और आधा गम लग रहा है ।

श्री अमितेष शुक्ल :- कौशिक जी, उनका मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है ।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, देश जब आजाद हुआ, बाबा साहब आम्बेडकर की अध्यक्षता में विधान पीठ बनी, कानून मंत्री माननीय डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी बने, पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, आरक्षण व्यवस्था कमजोर वर्ग के लिये, आदिवासी वर्ग के लिये, उनको मुख्य धारा में लाने के लिये व्यवस्था दी गई । तब से यह व्यवस्था लगातार चल रही है, छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2004 में आपको लागू करना था, आपने वर्ष 2011 में लागू किया, तब तक आदिवासियों के आरक्षण को आपने 12 परशेंट कम किया । आप सबसे बड़े शुभचिंतक बनने की कोशिश कर रहे हैं । माननीय अध्यक्ष जी, संविधान के अनुच्छेद 342 में 32 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर आरक्षण देने का प्रावधान है और एस.सी. वर्ग को जनसंख्या के आधार पर 341 में 13 परशेंट का है । अन्य पिछड़ा वर्ग को मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर 27 प्रतिशत तक का आरक्षण देने का प्रावधान है । ईडब्लूएस की जनसंख्या की प्रतिशत के अनुसार 4 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में देने का प्रावधान है । आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं, विरोध का कारण समझ में नहीं आया । लेकिन कहा जाता है कि जो दिल की बात है, जुबान पर आ ही जाती है । आप लोगों ने खूब उकसाने का काम किया । लोगों को खूब भड़काने का काम किया, जिस दिन सितम्बर में निर्णय आया, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक लाईन में कहा कि हम आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण के साथ खड़े हैं और हम 32 प्रतिशत आरक्षण देंगे। जरूरत पड़ी तो हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम अध्यादेश लायेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम विशेष सत्र भी बुलायेंगे। जितने भी आदिवासी विधायक साथी है, चाहे मंत्री हो या विधायक, हम सभी लोगों ने मीटिंग की और बैठक करके मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि समाज चाहता है, हम सब लोग चाहते हैं कि आप विशेष सत्र बुलाये और सदन में बिल लाये और आदिवासियों के 32 प्रतिशत आरक्षण पर कानून पासे करें। आपने यह कार्य करके दिखाया इसके लिये आपको ह्दय से आभार और धन्यवाद् (मेजों की थपथपाहट)।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष घड़ियाली आंसू बहाता है। कहीं पर नजारा और कहीं पर इशारा। यह लोग बार-बार इंदिरा साहनी केस का उदाहरण देते हैं। इंदिरा साहनी केस में क्या कहा गया था? उसमें उच्चतम न्यायालय के द्वारा कहा गया था कि पैरा 94 'ए' में दिये गये निर्णय के अनुसार, जबकि 50 प्रतिशत आरक्षण नियम होगा, यह आवश्यक है। इस देश और लोगों की महान विविधता में निहित कुछ असाधारण परिस्थितयों को ध्यान में रखा जाये। ऐसा हो सकता है कि दूर-दराज और पहुंच विहीन

इलाकों में रहने वाली आबादी को उनके राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से बाहर होने के कारण और उनके लिये विशिष्ट और विशेष परिस्थितियों को देखते हुए एक अलग तरीके से व्यवहार करने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे में इस सख्त नियम में कुछ छूट अनिवार्य हो सकती है। ऐसा करने में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है और विशेष मामला होने पर ही ऐसा किया जा सकता है। इसमें While 50% shall be the rule, it in necessary not to put out of consideration certain extraordinary situations inherent in the great diversity of this country and the people. It might happen that in far flung and remote areas the population inhabiting those areas might, on account of their being out of the main stream of national life and in view of conditions peculiar to and characteristical to them, need to be treated in a different way, some relaxation in this strict rule may become imperative. In doing so, extreme caution is to be exercised and a special case made out.

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- भैया, हिंदी में बोल के नक्की पाओ।

श्री मोहन मरकाम :- डॉ. साहब, नहीं समझे क्या?

श्री अमरजीत भगत :- साथ ही इसमें कहा गया है कि..। सुन लीजिये।

श्री अमितेश शुक्ल :- They are not understanding then... They stand like that.

श्री अमरजीत भगत :- Okay. You are understand ? Listen.

श्री देवेन्द्र यादव :- हमारे आदिवासी नेता इंग्लिस में बोल रहे हैं तो आपको क्या तकलीफ है?

एक माननीय सदस्य :- भैया, Very nice, very nice.

श्री अमरजीत भगत :- साथ ही इसमें कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 16(1) और 16(4) के अधीन दिया जा सकता है तथा आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से पार होने की स्थिति में यदि किसी को तरजीह दी जा रही हो तो मात्रात्मक डेटा (Quantifiable data) को तर्कसंगत तरीके से प्रस्तुत किया जाना होगा। इसलिये हमारी सरकार इसको Quantifiable data भी सर्वे कराकर के इसको तर्कसंगत ढंग से प्रस्तुत कर रही है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिये। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस विषय परिस्थिति में भी आपने लोगों की भावनाओं को, उनके संवैधानिक अधिकार को बहाल करने की कोशिश की है। विपक्ष चाहे लाख रोकने की कोशिक करे लेकिन "मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है।" हम सब की भावनाएं, दुआएं, सभी लोगों का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री जी के साथ है और यह शब्द के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा और ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

समय :
5.00 बजे

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय,

"आज जो आपने आरक्षण दिया है

गरीबों के जीवन को संरक्षण दिया है।

गरीब, पिछड़े प्रयास कर खुद को तैयार कर लेंगे

आपकी पहल से वह सपने साकार कर लेंगे

एक अभिभावक, एक संरक्षक, एक पिता बन आये दाऊ जी

हर गरीब की शिक्षा लक्ष्य और आकांक्षा में साथ आये दाऊ जी

अभिनंदन आपका, नमन आपका करता हूँ मैं।

वंदन आपका छत्तीसगढ़ महतारी के बच्चों को जीवन समर्पित है आपका।। (मेजों की थपथपाहट)

मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि सर्वसम्मति से इस आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए। आपने मुझे का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्। श्री धरमलाल कौशिक। मोहले जी आपने तो संशोधन दिया हुआ है तो आप उसी समय एक साथ बोलिए। आप संशोधन में ही जोरदार बोलिए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :-माननीय अध्यक्ष महोदय, हां ठीक है।

अध्यक्ष महोदय :- डबल-डबल बोले में...।

श्री पुन्नूलाल मोहले :-माननीय अध्यक्ष महोदय, बटलर मार दूहूं।

अध्यक्ष महोदय :- वही समय बटलर मारबे। (हंसी)

श्री धरमलाल कौशिक (बिल्हा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आरक्षण को लेकर जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और उसमें मुख्य रूप से जो सेवा और शैक्षणिक इन दोनों विषयों को लेकर दो विधेयक प्रस्तुत किये गये हैं। आजादी के बाद में अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए जो आरक्षण दिया गया, मुख्य उद्देश्य था कि समाज के जो कमजोर तबके हैं उन सबको बराबर लाकर समाज अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उनके पैरों पर खड़े होने के लिए यह आरक्षण की व्यवस्था की गई। उसके बाद में जो खासकर पिछड़े वर्ग के लिए जो kaka kalelkar commission का गठन किया गया और उसके बाद में फिर मण्डल आयोग का गठन किया गया। मण्डल आयोग के बाद में फिर 27 प्रतिशत का आरक्षण हुआ। इसका आधार क्या है? तो आधार में हम जो एक देखते हैं कि एक आधार हमारा जो समाज की जो जनसंख्या है, लेकिन उस समय की सोच थी कि उनकी जो शैक्षणिक स्थिति क्या है आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है ? खान-पान कैसा है ? उनके रहन सहन का स्तर क्या है ? उनके प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है और इन सब मामलों को लेकर कि जो कमजोर है जो पिछड़े हुए हैं ऐसे लोगों को एक अवसर मिलना चाहिए। जिससे वे समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इस बात को लेकर आरक्षण को लगातार बढ़ाया गया और उसके बाद में हम लोग मध्यप्रदेश में निर्वाचित होकर गये, मध्यप्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ और राज्य

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निर्माण होने के बाद में पहली बार कांग्रेस की यहां पर सरकार बनी।यहां कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनी तो मध्यप्रदेश का जो आरक्षण था उसको अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया। यहां उसे स्वीकार करने के बाद में प्रथम बार यहां पर चुनाव हुआ, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और यहां सरकार बनने के बाद यह सारी समीक्षा की गई। उसके बाद में यह देखा गया कि जो आरक्षण का जनसंख्या के आधार पर लाभ मिलना चाहिए, कहीं न कहीं उससे वंचित हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको लेकर, डॉ. रमन सिंह जी के द्वारा उस समय आरक्षण के लिए वर्ष 2011 में जो विधेयक आया। उस विधेयक में जो 32 प्रतिशत हमारे अनुसूचित जनजातियों के लिए, 12 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए, 14 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग के लिए किया गया। इस प्रकार से विधेयक के बाद में हमने देखा है कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, चाहे वह अन्य पिछड़े वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो,जनजाति हो, उनको लगातार उसका लाभ मिला है। उसका लाभ मिलने के बाद में अभी जब भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार आयी और सरकार आने के बाद में यह आरक्षण उनका समाप्त हो गया, जो 32 प्रतिशतत के जो हकदार थे। यह आरक्षण समाप्त होने का कारण क्या है ? हमारे सभी वक्ताओं ने इस पर अपनी बातें रखीं हैं कि जो विधेयक आया उसके खिलाफ में कोर्ट में गये। मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतकर आये तो उन्होंने कहा कि हम अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देंगे और उसके लिए अध्यादेश जारी किया गया, लेकिन अध्यादेश जारी करने के बाद में मुझे यह समझ में नहीं आया कि आखिर मुख्यमंत्री जी उस बिल को लेकर विधान सभा में क्यों नहीं आये ? यहां पर विधेयक प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? विधेयक को प्रस्तुत न करके वह हाईकोर्ट में चले गये और वहां जा कर के इसका स्टे कराया। उसके बाद में जो 27 प्रतिशत आरक्षण देने की बात रही, वह स्टे के कारण में खत्म हो गई। मुख्यमंत्री जी यहां पर हैं। मैं दोनों बिल के संबंध में चाहे वह आरक्षण की बात करें, चाहे जो अनुसूचित जनजातियों का 32 प्रतिशत आरक्षण समाप्त हो गया, इसका दो मतलब है। या तो कोर्ट में सरकार के द्वारा जो इस आरक्षण के संबंध में तर्क प्रस्तुत होना चाहिए या रखना चाहिए था उसको रखने में कहीं न कहीं सरकार के द्वारा कोताही बरती गई है। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब तक इसमें कहीं दिक्कत नहीं आई। लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता रहा। लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद में ऐसी कौन सी परिस्थिति का निर्माण हुआ जिसके कारण में उनका आरक्षण समाप्त हुआ है? आज हमारे मित्र लोग बोल रहे हैं कि हमारे लिए आज का दिन स्वर्णिम दिन है। यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन स्वर्णिम दिन में तो आपको 32 प्रतिशत आरक्षण दिया गया था और आप लोगों की सरकार आने के बाद में यह आरक्षण की समाप्ति हुई है। इसके लिए यदि कोई दोषी है तो यह कांग्रेस की सरकार है और उनकी नीति है। क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कोर्ट में बातों को रखा गया और बातों को रखने के बाद में इन वर्गों के आरक्षण में कमी नहीं आई। 27 प्रतिशत आरक्षण की जो बात है, मैं अभी तक यह समझ नहीं

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

पा रहा हूं कि अध्यादेश के बाद में यह बात माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है कि 06 महीने के अंदर में बिल लाना है और बिल ला करके उसको विधेयक रूप के पारित करना है। यदि इनकी सोच, नियत ठीक थी तो इसको क्यों नहीं लाये, यह बिल विधानसभा के अंदर प्रस्तुत क्यों नहीं हुआ? इसमें चर्चा क्यों नहीं कराई गई? इसको पारित क्यों नहीं किया गया? इसके बाद में जो सज्जन वहां पर गये थे और जा करके स्टे कराये। स्टे कराने के बाद में आज उनको राज्य मंत्री, केबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। यह आपकी नीति बता रही है। जो 27 प्रतिशत के आरक्षण को खा गये, इन वर्गों को आरक्षण के लाभ से वंचित किये, उसके बाद में आपके द्वारा उनको जो सम्मानित किया गया है तो यह आपकी सोची-समझी रणनीति के तहत है। हम इसको लेकर तो आयेंगे, उस पर बात करेंगे, लेकिन इन वर्गों को आरक्षण न मिले, न इन वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण का लाभ मिले और न ही उनको कहीं पर सेवा में आरक्षण मिले।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम का वीडियो वायरल हुआ, मैं उसको देख रहा था। उनसे मिलने के लिये ओ.बी.सी. के लोग काफी संख्या में गये थे। उनके जाने के बाद में उनसे जो भी बातें हुई होंगी, 10 मिनट के अंदर में पूरा मैदान खाली हो गया। तब शायद मुख्यमंत्री जी को समझ में आया कि यह बड़ी गलती हो गई है। जो बड़ी गलती हो गई है उसको कैसे सुधार किया जाये। यह मुख्यमंत्री जी की पहली गलती। दूसरी बात जो यहां पर बातें आई हैं कि 32 प्रतिशत आरक्षण के मामले में जिन्होंने याचिका लगाई और कोर्ट में गये और उसके बाद 32 प्रतिशत का आरक्षण कोर्ट ने खत्म कर दिया। उसको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। यह कह सकते हैं कि वह अपने समाज के लिए गया, उन्होंने अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन जिन्होंने हमारी जनजातियों का 32 प्रतिशत आरक्षण खत्म किया और जो लोग इसके कारण सड़कों में बैठे हुए हैं, उनको सम्मानित करने का काम मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। आखिर आप आज किस बात की वाहवाही लेना चाहते हैं। कोई नया 32 प्रतिशत आरक्षण नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपके कारण में जो आरक्षण समाप्त हुआ है, उसके कारण में आज यह वाहवाही लूटने का प्रयास किया जा रहा है। इस आरक्षण को लेकर के हमने पहले ही कहा है कि इस आरक्षण विधेयक में हम लोग सहयोग करेंगे, सर्वसम्मति से पारित करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- बढ़िया, धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ले करके कोई विवाद नहीं है। विवाद की स्थिति इस सरकार के द्वारा बनाई जा रही है। सरकार के द्वारा जो विवाद की स्थिति बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री जी जब बाकी मामलों में बड़े-बड़े वकील ला करके खड़ा करते हैं, स्टेट प्लेन भेज देते हैं, चार्टर प्लेन से ले आते हैं। आखिर जब इस मामले में कोर्ट में बहस हो रही थी तो मुख्यमंत्री जी बाहर से वकील क्यों नहीं ले आये? सुप्रीम कोर्ट के वकील दिल्ली से क्यों नहीं ले आये? उनके द्वारा इस मामले

में बहस के लिए वहां से ला करके वकील को खड़ा क्यों नहीं किया गया ? अगर दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील को लाकर खड़ा किया गया होता तो शायद यह दिन देखने की स्थिति नहीं आती। इसलिए यह कोई नया आरक्षण देने की बात नहीं है। जिस बात की आपने घोषणा की और उस पर अमल नहीं किया और उस पर अमल नहीं करने के कारण में हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ है? उसका जो परिणाम हुआ है? उसका जो परिणाम हुआ है, आज जो नियुक्तियां हुई है, वह अधड़ में लटक गई है। चाहे आपके जिला कैडर का हो या आपके प्रदेश कैडर का हो। इसके कारण में पी.एस.सी. की परीक्षा नहीं हो पा रही है। हमारे विभिन्न विभागों में जो खाली पद हैं, उसमें जो नियुक्तियां होनी चाहिए, वह हो नहीं रही है। लोगों की जो नौकरी लगनी चाहिए, उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। पढ़ने वाले जो छात्र हैं, उनको आरक्षण के तहत में, उनकी वहां पर जो एडमिशन होनी चाहिए, वह नहीं हो पा रही है और उसका मुख्य रूप से जो कारण है, वह कांग्रेस की सरकार और उसकी नीति है। उसके कारण इस प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति निर्मित हो गई है और संवैधानिक संकट निर्मित होने के कारण में यह स्थिति बनी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आज इस चर्चा में हम लोगों ने दो-तीन सुझाव दिये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाईन के अनुसार से 10 प्रतिशत, जो आर्थिक रूप से कमजोर, ऐसे गरीबों के लिए जो रिजर्वेशन का है, हमारे जो अनुसूचित जाति है, उनके लिए जो 16 प्रतिशत की बात है और इसके लिए हमारे सदस्यों ने उसमें जो संशोधन दिया है। हम लोग चाहते हैं कि जब यह विधेयक पारित हो तो इस संशोधन के साथ में सर्व सम्मति से पारित होना चाहिए, जिससे कोई समाज वंचित न रहे और किसी भी समाज को वंचित रहने की स्थिति न आये। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जब यह विधेयक को लेकर कोई भी गये हैं और जाकर स्टे लेकर आ गये हैं। आज जिस बात की आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपका तमिलनाडु का 9वीं सूची का मामला है। 9वीं सूची में 30 प्रतिशत आरक्षण ओ.बी.सी. को और अति पिछड़े ओ.बी.सी. को 20 प्रतिशत का आरक्षण दिया गया। उस 20 प्रतिशत के आरक्षण में से वह दूसरे समाज को 10 प्रतिशत आरक्षण देना चाहते हैं। उस मामले को ले करके कोर्ट की सुनवाई हो रही है। जिस समाज को दिया गया है, उसको निरस्त किया गया है। तो आप जो यहां पर ला रहे हैं, इसलिए हमारा यह कहना है कि आप जल्दबाजी में जो विधेयक लाये हैं, जल्दबाजी में लाने के कारण में यहां पर जो क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए, वह रिपोर्ट भी आप प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं। जब वहां का रिपोर्ट लायी गयी, उसके पहले अलग-अलग बहुत सारे प्रदेशों का उसमें जो सर्वे के बाद में उस प्रदेश के सर्वे के बाद में और सारे आधारों को लेकर जब उसको कितने लोगों को आना चाहिए, उसमें वंचित कितने लोग हैं, किस समाज की कितनी पात्रता है, वर्तमान में वह है या नहीं है और किस समाज को कितना आरक्षण मिलना चाहिए, उनको मिला है या नहीं मिला है और इसके बाद में उनको लाभ मिला, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की नीयत वास्तविक में यहां नहीं, देश में भी आरक्षण देने की नहीं है। जब उस समय तमिलनाडु को 9वीं सूची में लाया गया तो बाकी

प्रदेशों के लिए चिंता क्यों नहीं की गई ? केवल एक प्रदेश के लिए लाने की क्या आवश्यकता थी? एक प्रदेश को कैसे लाये थे, वह सबको जानकारी में है कि सरकार बचाने के लिए उस समय जो आवश्यकता थी, उसके लिए लाये थे, लेकिन यदि आप निष्फल मन से लाये होते तो मुझे लगता है कि पूरे देश में आज जो सफर कर रहे हैं, यह स्थिति का निर्माण नहीं होती।

अध्यक्ष महोदय :- जी, धन्यवाद।

श्री धरमलाल कौशिक :- वहीं से 9वीं अनुसूची के कारण में पूरे देश में लागू होता तो न कोई कोर्ट में चैलेंज होता और न कहीं कोई बात आती, लेकिन आज भी आरक्षण के लिए हम सब लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और अमृत महोत्सव में हम आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं। पहले भी लोग आरक्षण की चर्चा कर रहे थे और आज भी आरक्षण की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आप कुणाल शुक्ला को भेज कर तो आपने स्टे करा दिया और एक रास्ता आपने सबको दिखा दिया है कि आप कोर्ट में जायेंगे तो स्टे हो जायेगा। कल इस बात की क्या गारंटी है कि यहां से विधेयक पारित होने के बाद कि कोर्ट में कोई दूसरा कुणाल शुक्ला चला जाये या वही कुणाल शुक्ला जाने के बाद में उनको भी लाल बत्ती मिल जाये, सम्मानित हो जाये और बाकी वहीं का वहीं धरा रह जाये तो इससे मुझे लगता है कि कोई फायदा होने वाले नहीं है। अब जब गरीबों की चिंता कर रहे हैं कि हम आदिवासियों को दे रहे हैं, बाकी को दे रहे हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय क्या यह जरूरी था कि 5 तारीख को मतदान होना है तो हम 2 तारीख को ही चर्चा करायें । हम उसका कैसे लाभ ले सकें ? आपके लाभ लेने और नहीं लेने से मतलब नहीं है । दिक्कत इस बात की है कि कल को यदि चला जाये, आप इतनी जल्दबाजी में लेकर आये हैं । आपका डाटा यहां पर प्रस्तुत नहीं हुआ है । अगर कोई भी कोर्ट में चला जाये और यह पूछे कि आप कौन सी परिस्थितियों में लेकर आये हैं ? ऐसी कौन सी विकट परिस्थिति का निर्माण हुआ है तो आप बताने की स्थिति में नहीं होंगे और उस स्थिति में पहले जिस प्रकार से कोर्ट भेजकर किया गया है, इन्हीं में से किसी को यदि भेज दिया गया, किसी के माध्यम से भेज दिया गया तो चुनाव तो 5 तारीख को निकल जायेंगे लेकिन आखिर उस पारित हुए बिल का क्या होगा ? आरक्षण का फिर क्या होगा तो फिर उस आरक्षण को लेकर हमको जाना पड़ेगा । दूसरी तरफ संवैधानिक संकट की स्थिति है कि जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने के बाद में आखिर इतनी जल्दबाजी की क्या आवश्यकता है ? मैं समझता हूं कि उसका निराकरण होने के लिये और यदि निराकरण के बाद करते तो मुझे लगता है कि कोई कानूनी पेंच उसमें फंसने की संभावना नहीं थी लेकिन आज एक-तरफ सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और आप उसको बिना तैयारी के, उसमें जो दिया हुआ है । जो-जो चीजें उसमें होनी चाहिए, जो जानकारी आनी चाहिए, जो डाटा आना चाहिए वह भी आपके पास में नहीं है । आज हम चर्चा कर रहे हैं लेकिन यहां भी उपलब्ध नहीं है लेकिन यदि आप इंतजार करके एक सप्ताह बाद आप कर लें, पहले आप डाटा यहां पर

प्रस्तुत करवा लें और प्रस्तुत होने के बाद जब उसमें चर्चा करवायेंगे तो हमको लगेगा कि उसमें कौन सा 41 परसेंट में है ? उसमें कौन सा 32 परसेंट का है, 31 परसेंट का है ? उसमें कौन सा 17 परसेंट से 16 परसेंट है ? पॉपुलेशन के साथ में उसमें जो क्वालिफिकेशन का है, सामाजिक उनका है, आर्थिक उनका है, राजनीतिक उनका है, प्रतिनिधित्व का है । जब यह सारी चीजों की डिटेल आ जाये और डिटेल आने के बाद में यदि पारित करते तो मुझे लगता है कि हम इस प्रदेश में इस विधानसभा के अंतर्गत एक ऐसे बिल को हमने पारित किया है और उस बिल के माध्यम से हमेशा के लिये उनको लाभ मिलेगा लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार ने केवल एक चुनाव को लेकर के जल्दबाजी में जो निर्णय लिया है उसका हश्र न हो । यह मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और आपसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार कठिनाईयों का सामना करना पड़ा है । दूसरी स्थिति निर्मित न हो । इस बिल का हम पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं, इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये और हमारी जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है और जो 4 परसेंट किया है उनको 10 परसेंट मिले, 16 परसेंट मिले और उसके साथ में पारित करें । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने हेतु समय प्रदान किया इसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद ।

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज की कार्यसूची के पदक्रम-10 तक का कार्य पूर्ण होने तक सभा के समय में वृद्धि की जाये, मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सुबह से ही इस संबंध में चर्चा चल रही है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, निश्चित रूप से सभी को उसका समर्थन करना चाहिए । देश में जब संविधान बना उस समय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में, समाज की मुख्यधारा में उनको लाने के लिये जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है । उस व्यवस्था को हमारे मध्यप्रदेश राज्य में भी लागू किया गया और उसको छत्तीसगढ़ में भी लागू किया गया । सबसे पहले वर्ष 2011 और 2012 में डॉ. रमन सिंह जी की सरकार ने इस सद्भावना को बिगाड़ने का काम किया और आरक्षण संशोधन विधेयक लाये । अनुसूचित जाति का आरक्षण उसको 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत कर दिया । इन्हीं लोगों ने कम किया और हमारे मुख्यमंत्री जी ने अनुसूचित जाति का जो 13 प्रतिशत है उसको सुधारकर 12 से 13 प्रतिशत करने का काम किया, बढ़ाने का काम किया । कम करने का काम नहीं किया ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय डहरिया जी, अभी भी तो सुधार कर सकते हो। अभी भी 13 से 16 कर सकते हो । क्या बिगड़ा है ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कर सकते हैं, आपके समय में क्या हुआ ? जो 16 प्रतिशत था उसको 12 प्रतिशत आप लोगों ने क्यों किया उसका जवाब दो ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- उसका कारण क्या था उसको बतायेंगे लेकिन अभी तो आप हो ।

श्री रामकुमार यादव :- डॉ. साहब जनसंख्या के अनुपात में तो मिलही ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी तो हम सुधार ही रहे हैं ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- हम तो आपको बधाई देंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- जनसंख्या के आधार पर ही सुधार होता है । जनसंख्या आपकी बढ़ेगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उसमें हम सुधार करेंगे । आप लोगों ने क्या किया था ? ये सफेद बाल वाले बाबा जी बैठे हैं । जब समाज के लोगों ने इनको पूछा तो इन्होंने कहा था ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपने भी क्या किया है, यह 10 साल में तो बढ़ता ही है, यह 1 परसेंट, कोई भारी बात नहीं हुई है ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आपने क्या कहा था जब समाज के लोगों ने पूछा 16 प्रतिशत से आपने 12 प्रतिशत क्यों कर दिया ? तो आपने क्या जवाब दिया था? माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा था, अंग्रेजी में लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया, मैंने दस्तखत कर दिया। ये इनके शब्द थे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अब बताओ, माननीय डहरिया जी कितना असत्य बोल रहे हैं । आप संशोधन करके 13 से 16 प्रतिशत कर लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अनुसूचित जाति का आरक्षण कम करने का काम आप दोनों के नेतृत्व में रमन सिंह जी ने किया था। रमन सिंह की सरकार ने किया था।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपके मुख्यमंत्री ने कहा था कि 13 प्रतिशत पर दस्तखत करें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 13 इसलिए कि जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी ही मिलेगी। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी, आरक्षण उतना दिया जायेगा। इसीलिए अनुसूचित जाति का आरक्षण आप लोगों ने 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत किया था, उसको बढ़ाकर भूपेश बघेल जी 13 प्रतिशत कर रहे हैं। हमारे आदिवासियों की जनसंख्या के आधार पर उन्हें 32 प्रतिशत दिया जा रहा है। मंडल आयोग की सिफारिश के अनुसार हमारे पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत देना है, उतना दिया जा रहा है। ये आज सामाजिक सद्भाव को ठीक करने का काम माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हो रहा है और जिन लोगों के बारे में आप लोग बोलते हैं, आप लोगों ने 16 प्रतिशत किया। 16 प्रतिशत कम करके 12 प्रतिशत किया गया, इसीलिए कोर्ट में गये और आपका जो संविधान संशोधन विधेयक था अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों का, उसको हाईकोर्ट

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ने निरस्त कर दिया। इसीलिए हमें यह दोबारा संशोधन विधेयक लाने की जरूरत पड़ रही है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप लोग जिम्मेदार हो और इस सद्भावना को ठीक करने का काम भूपेश बघेल जी कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं कि सब लोग सर्वसम्मति से इसे पारित करें।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, कुछ बोलेंगे या संशोधन में बोलेंगे?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- संशोधन में दोनों बातें रख लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, संशोधन में करवा देते हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- थोड़ा सा बोलने के लिए दे दीजिए। बोलने दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- बांधी जी, ये रमन सिंह के पट्टा ला का बांध ले हस। पहली ओहा बांधत रहिस, अब ते बांधथस। का होगे।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी (मस्तूरी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो विधेयक लाया जा रहा है, इसमें दो बातों पर एक धारा में संशोधन की बात करता हूं। एकदम प्वाइंटेड बात करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला, आरक्षण संशोधन में खण्ड 2 पर। खण्ड 2 पर राज्य सरकार उन क्षेत्रों में आरक्षण देना चाहती है, जिन क्षेत्रों में राज्य सरकार का किसी भी प्रकार का अंश है, उसमें एक बात छिप गयी है, जिमसें वित्तीय सहायता या किसी संस्था का, अब देख लीजिए राज्य के भू-भाग भी हमारे वित्तीय संसाधन हैं और जिन भू-भाग का हम किसी भी संस्था को, कंपनी को आर्थिक उपयोग के लिए देते हैं या किसी काम के लिए देते हैं तो ऐसी संस्थाओं में भी आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि उसमें उस संस्था का नाम नहीं है। अगर हमने किसी कंपनी में दे दिया, हमने इतने हजारों एकड़ जमीन दे दिया, 500 हेक्टेयर जमीन दे दिया तो जो संस्था है, उस संस्था में आरक्षण भी लागू होना चाहिए। एक बात। दूसरा, अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन में हमारा दल भी चाहता है कि संशोधन पर 13 की जगह 16 प्रतिशत पर हम लोगों की सहमति है। पिछड़े वर्ग का है, अनुसूचित जनजाति के लिए है और वीकर सेक्शन का है, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए एक आग्रह है कि उसका आरक्षण 13 की जगह में 16 प्रतिशत कर दिया जाये तो इस संशोधन को निश्चित तौर पर हम सर्वसम्मति से पास कर देंगे। दूसरा अध्यक्ष महोदय जी, एक और बात है, हम यह आरक्षण जनसंख्या को आधार मानकर दे रहे हैं, लेकिन जनसंख्या के आधार के पहले भी संविधान में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तौर पर उन प्रावधानों को ध्यान में रखकर सबको संरक्षित करते हैं, आरक्षण देते हैं। अभी भी देखा जाये तो जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं, अगर उसका डाटा देखा जाये, जिस डाटा को प्रस्तुत किया था और उसके पहले भी बता रहा हूं, जब वर्ष 2011-12 में जब यह आरक्षण विधेयक पास हुआ था तो माननीय रविन्द्र चौबे जी ने उस पर कहा कि हम इस विधेयक को तभी पास करेंगे, जब हम 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे। अभी आपके पास बहुत बढ़िया मौका है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कुछ भी बोलते जा रहे हैं। उस समय जो 16 प्रतिशत आरक्षण था, वह मध्यप्रदेश की जनसंख्या के आधार पर था और आज हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 13 प्रतिशत है तो 13 प्रतिशत ही दिया जायेगा न। जिसकी जितनी जनसंख्या है। इन्होंने 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत क्यों किया, यह बताये।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय जी, इस मंत्री को जनसंख्या कैसी है, यह नहीं मालूम। ये असत्य बोल रहे हैं। इसलिए मेरी बारी है। मैं खड़ा हूं। मैं बता रहा हूं कि जनसंख्या कैसे प्रभावित हुआ किस तरीके से हुआ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 16 प्रतिशत से 12 प्रतिशत करने का काम इन लोगों ने किया है और 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- मैं प्रमाणित कर रहा हूं कि जनसंख्या कैसे प्रभावित हुई ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अगर जनसंख्या प्रभावित हुई तो उसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, उस समय जब आरक्षण कम हुआ था निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी ने जगह-जगह पर समाज के लोगों को उकसाने का काम किया ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप यह बताइए कि आपने अनुसूचित जाति का आरक्षण कम क्यों किया था ? 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत क्यों किया था ?

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण में बोल रहा हूं कृपया उनको बैठने के लिए कह दीजिए । अभी मैं बैठा नहीं हूं, बोल रहा हूं । अगर इनमें इतनी विद्वता है, इतने होशियार हैं, इतने जानकार हैं तो 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करने के लिए डॉ. शिव डहरिया क्या प्रयास कर रहे हैं । मैं एक एक बिंदु पर प्रमाण रखने की बात कर रहा हूं तो डिस्टर्ब कर रहे हैं ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बिल्कुल, बिल्कुल हम होशियार हैं । इसमें कोई दो मत नहीं है, आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 16 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत क्यों कर दिया था ।

श्री मोहन करकाम :- अध्यक्ष महोदय, 2008 से 2013 के बीच ये सरकार में मंत्री थे । (व्यवधान)

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए, आपने मुझे अनुमति दी है तो मुझे बोलने दिया जाए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- कुछ भी बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- कुछ भी बोलने दीजिए ना, पता तो लगेगा ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, इन लोगों ने उस समय कांग्रेस के लोगों ने सतनामी समाज को उकसाने, बरगलाने का प्रयास किया । यह भी आश्वासन दिया कि हमारी सरकार आने दो हम

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

निश्चित तौर पर उन्हें 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे। आज इनके पास मौका है और आज जो बिल पास हो रहा है 3 प्रतिशत और बढ़ जाएगी, कुल आरक्षण का प्रतिशत और पार हो जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है लेकिन होगा यह कि इन लोगों ने जो वायदा किया था, इन लोगों का ही सम्मान होगा । यदि इन लोगों ने उस आरक्षण को 16 प्रतिशत नहीं किया तो हमारा अपना निर्णय हम अपने राज्य में सामाजिक परिवेश को ध्यान में रखकर जनता की मांग के अनुसार, जनता की मांग के अनुसार अनुसूचित जनजाति का भी किया, जनता की मांग के अनुसार पिछड़े वर्ग का भी किया तो जनता की मांग अनुसूचित जाति के लिए भी है । जनता चाहती है कि उनका आरक्षण 16 प्रतिशत हो, तो इस पर भी निर्णय होना चाहिए । दूसरी है जनसंख्या, जिस जनसंख्या को आधार बनाकर संशोधन किया जा रहा है, मैं उस पर बात कहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने तो कर लिया ना ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या 2011 की सर्वे सूची के अनुसार है । उसके बाद 2021 की सर्वे सूची आई । इस सर्वे सूची में जनसंख्या की ग्रोथ हुई, जो जनसंख्या बढ़ी है लगभग 29 प्रतिशत जनसंख्या है । 2001 की सर्वे सूची के अनुसार करीब 26 लाख, 18 हजार की जनसंख्या थी । आज 2 जनगणना के बाद उन आंकड़ों को देखें तो 40 लाख 25 हजार की जनसंख्या में हुई है । यह वृद्धि हुई है, अध्यक्ष महोदय इसका परिणाम यह आने वाला है कि यदि कोटा बढ़ेगा तो उसी अनुपात में अनुसूचित जाति के लिए बजट का भी प्रावधान होगा । अगर हमने आरक्षण में प्रतिशत नहीं बढ़ाया तो उसका दुष्परिणाम बजट में भी देखने को मिलेगा । इसलिए इस बात का ध्यान रहे । केवल जनसंख्या की वृद्धि हुई और एक बात और हुई है इसे हमारी चूक कहा जाए, संविधान में एक बात है कि अनुसूचित जाति क्या होती है, हिंदू धर्म होता है । लेकिन कुछ लोगों ने उसको ऐसा प्रभावित किया है हिंदू धर्म में न होकर, सतनाम धर्म बताया, इस चूक के कारण हमारी जनसंख्या का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हुआ, बल्कि उस जनसंख्या का नोटिफिकेशन अन्य लोगों में 1.5 परसेंट तक चला गया । अगर वह जनसंख्या हमारे में आती तो निश्चित तौर पर हमारी जनसंख्या आज अच्छी दिखाई देती । अध्यक्ष महोदय, हमारा जो पिछड़ापन है, हमारा पिछड़ापन भी आरक्षण का आधार बनता है । आज हम इस डाटा में देखते हैं उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत कम हैं । हमारा ड्रॉपआऊट अधिक है, महिलाओं की शिक्षा में देखें तो देश में हम 84 प्रतिशत अनुसूचित जाति की महिलाओं का शैक्षणिक स्तर है तो क्या हमें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए ? क्या हमारी तरफ से मांग नहीं आनी चाहिए ? दूसरी चीज, जो शासकीय सेवा में हैं, आज भी शासकीय सेवकों का बैकलॉग है वह 50 प्रतिशत से भी कम है । अभी भी 14,019 शासकीय पदों में अनुसूचित जातियों की भर्तियां नहीं हुई है। हमारे साथ नौकरी में भी इनजस्टिस हो रहा है। हम उस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि कम से कम हमको उस क्षेत्र में न्याय दिया जाए। इस बैकलॉग का भी मामला है। दूसरा, हम लोग

साक्षरता में भी बहुत पीछे हैं। इस आधार पर भी हमारा आक्षर का मांग करना, माननीय मुख्यमंत्री जी से रखना, हमारा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, रामकुमार जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मैं एकदम प्वाईंटेड बात बोल रहा हूं, हटकर कोई बात नहीं कर रहा हूं। दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। हम कृषि क्षेत्रों मैं भी पलायन कर रहे हैं, हमारे पास अशैक्षणिक है। हम इतना पलायन करते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत प्रभावित है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बहुत सारे पलायन करते हैं, इसलिए भी हमारे एस.सी. वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण हमारा आर्थिक आधार बन सकता है। कृपया उस विषय पर भी हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी भी पी.एस.सी. में जो नियुक्तियां हुई है, उसमें 187 पदों पर जो नियुक्तियों का आदेश दिया है, उसमें आरक्षण की स्थिति पता ही नहीं है। इस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए अन्याय है। मैं एक अनुसूचित जाति का विधायक हूं। मुझे भी पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए हितों में भी काम करना है, साथ ही साथ मेरी प्रतिबद्धता अनुसूचित जाति के प्रति भी है। मैं उनके लिए भी बात कर रहा हूं कि इन पदों के उपर भी नियुक्ति नहीं हुई है। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि यह जो 13 प्रतिशत आरक्षण है, वह 16 प्रतिशत कर दें, वह शिव डहरिया के चक्कर में न रहें कि जो इस पर जनसंख्या का आंकलन करते हैं। वह जनसंख्या को सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि उनको एकपक्षीय दिख रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप मोला बोले के मौका दे हौ। मैं आज छत्तीसगढ़ के मोर सरकार माननीय भूपेश बघेल जी, एक नया इतिहास रचत हे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो गरीब समाज, स्वर्ण समाज हे। आज आरक्षण दे के लिए जो बिल बनात हे, जब तब चंदा सूरूज रही, तोला याद किये जाही। अइसे विधेयक मा आज आप मोला बोले के मौका के हौ। आज मैं ओ बात ला याद करथौं, हमर गुरू बबा कहे हे, ''सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय''। आज हमर ये जो सरकार हे, ये नजर में देखते हुए काम करते हे कि सर्व समाज के व्यक्ति ला, कइसे ओमन ला आरक्षण के लाभ दे करके खुश किया जाए, ओमन ला मजबूत किया जाए, ये दिशा मा काम करत हे। आरक्षण के बात किया जाय ता आरक्षण के पहली मैं विपक्ष के भाई बंधु मन ला बता देना चाहत हौं, जे मन आरक्षण के बारे में नाना प्रकार के तर्क देवत रहिन हे। ऐ देश अंग्रेज मन के गुलाम रहिस हे। महात्मा गांधी जी देश ला आजाद कराईस, आजाद कराय के बाद मा देखिस कि ऐ भारत में कोन धरती से धन से, शिक्षा से, गरीब हे, वंचित हे, ओ मन ला आरक्षण दे के काम करिस। ओ समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, तमाम

महापुरूष मन आरक्षण ला दे करके हम जइसे गरीब समाज ला आगे बढ़ाय के काम करिस। हमर ए प्रदेश में मैं माननीय भूपेश जी ला धन्यवाद देवथौं जेहर आदिवासी समाज 32 प्रतिशत जंगल के भीतरी मा रथय, चाहे सरगुजा के जंगल हो, चाहे बस्तर के जंगल हो, अइसे में 32 प्रतिशत आदिवासी समाज रथय। ओ मन ला 32 प्रतिशत आरक्षण दे के काम करत हे, ओखर बाद में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ए बात ला कहे हे, जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। ए प्रदेश में अनुसूचित जाति, जेमन के जनसंख्या 12.44 प्रतिशत हे, मतलब 12 से थोड़कन ज्यादा अउ 13 से थोड़ा कम। पहली के सरकार ओला काय करिस, ओला 12 प्रतिशत कर दिस, एखर से अब साफ जाहिर हो सकथे कि कोन सरकार ओ मन के साथ रथय। जइसे के मोर अपन भाषा में बताहां। मोर बात ला सुनत होही, अउ जब टी.व्ही. में प्रसारण होही ता ए बात ला देखही, जइसे हमर दाई मर कोनो आदमी ला भात पोरसे, ता जे अच्छा मंजा के भात पोरसे मया करथे, ओ बस कहिथे तभो ले एक मुठा ला गिरा देथय। अउ जे मया नई करय ते गिरथय तहू ला बिन लेथय। उसी प्रकार से मैं कहना चाहत हंव। हमर मन के प्रतिशत 12 से ज्यादा अउ 13 से कम। हमर भूपेश बघेल जी के सरकार बनिस ता ओला 13 प्रतिशत कर दिस अउ ए मन ओला 12 कर दे रहिसे। अब पिछड़े वर्ग मा आ जाओ। पिछड़ा वर्ग के पहिली मैं स्वर्ण समाज के बात करना चाहिओ। आज उहु मन, अइसने हमरो गांव में हैं। मोरो क्षेत्र में महाराज मन हैं। गरीब आदमी। ओमन।

श्री प्रमोद कुमार :- ता आप उहु ला 10 परसेंट करवा दो।

समय :
5:36 बजे

(सभापति महोदय (श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह) पीठासीन हुए)

श्री रामकुमार यादव :- सुनौ न महाराज, बइठो तो। तोला का आरक्षण चाहिये? आरक्षण मोर क्षेत्र के गरीब महाराज ला चाहिए। बाबा साहब का कहे रीहिसे कि संख्या के अनुपात में आरक्षण। ए प्रदेश में आप मन के जनसंख्या गना लौ, आप मन के अनुपात में आप ला ज्यादा मिलत हैं। आज हमर सरकार आप मन ला 4 परसेंट आरक्षण दे के काम करत है। तुहर सरकार रहिसे तो कुछु जुच्छा बुलका दे रहिसे। ओखर बाद पिछड़ा वर्ग मा आ जाओ। मैं धन्यवाद देत हो कि छत्तीसगढ़ के पवित्र सदन के आज अध्यक्ष हवैं, हालांकि अध्यक्ष हा संवैधानिक पद में हवैं। ओ तो सर्व समाज के नेता हैं लेकिन फिर भी ओ एक पिछड़ा वर्ग के कोन से जनम ले हैं। आज मैं मोर अध्यक्ष जी ला धन्यवाद देथौ। जब तक चंदा-सुरूज रही, ओखर अध्यक्षता में ए विधेयक हा पास होत हवै। आज मैं पिछड़ा वर्ग बर कहना चाहत हो। 15 साल के सरकार रहिसे।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- यादव जी, समर्थन कर दो। तुहर यहां के महाराज मन खुश हो जाही। 4 ला 10 करवा दो, महाराज मन खुश हो जाही।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- बइठो-बइठो। एक घाव ए गोठ ला सुन लो, ए जरूरी है। तेखर खातिर पूरा प्रदेश हा जानही कि तुहर मन के 15 साल के सरकार रहिसे अउ ऊंट के मुंह में जीरा। पिछड़ा वर्ग के 52 परसेंट आबादी ला मात्र 14 ठक कुर्सी। मोर ददा हा गरवा चरात-चरात कहे रहिसे कि खइरखा मा पैरा नहीं पूरै। 52 परसेंट आबादी अउ 14 ठक कुर्सी। ओखर बावजूद तुमन का कहात हो कि हम अंधा राज चला रहे हैं। हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। ए 15 साल ला पिछड़ा वर्ग हा हिसाब लीहि। पिछड़ा वर्ग मा कतका झन आथे ? हमन दीदी बइठे हैं, साहू, उहु पिछड़ा वर्ग हैं। ए विधान सभा के हमर नेता बइठे हैं, उहु हा पिछड़ा वर्ग ए। ए मन ला ओ साहू मन पूछही कि हाव गा ओ भूपेश बघेल जी कैसे 14 परसेंट ला 27 परसेंट कर दीस ? तुमन काबर नहीं करैव कहही ता तुमन चेथी ला खुजाए बर लाग जाही? ए भोरहा मा मत रहिहो कि छत्तीसगढ़ के जनता। बांधी जी, छत्तीसगढ़ के जनता पूछही कि तुमन 14 परसेंट काबर देत रहे हो ?

डॉ. कृष्णमूर्ती बांधी :- रामुमार जी, पहिली भी 27 परसेंट रहिसे। पहिली भी रहिसे। अभी तुमन जेन देहो न, तुम सब ला पूछही कि हमर आरक्षण ला कार करे हो, उहु ला नहीं बढ़ा देतेव गा, ता तुहर कन जवाब नहीं है।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ के जनता पूछही कि तुमन 14 परसेंट काबर देत रहे हो ता ओ मन 27 कइसे देत है ? ऐखर हिसाब पूछही ता तुमन चेथी ला खुजा के भागे बर लागहु। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहत हो कि धन्य है मोर भूपेश बघेल जी के सरकार, जेन हा आज ए मण्डल कमिशन के आधार पर 14 परसेंट ला बढ़ाकर 27 परसेंट करे है। एखरे खातिर मैं कहिथो कि अइसे सरकार जे हक, अधिकार के साथ-साथ ए प्रदेश ला रोड, पानी, बिजली ए सब ला दे के काम करत है। तुमन ला 15 साल ले मौका मिले रहिसे, हमन छोटे रहे हन तो चौथी, पांचवी मा एक ठन पढ़े रहे हन कि-

आगे दिन पाछे गये, गुरू से किया न भेंट।
अब पछताये क्यात होत, चिड़िया चुग गई खेत।।

अब तुमन हाथ ला रहजत हो। 15 साल ले मौका मिले रहिसे ता फुलछर्री उड़ीयात कींजरत रहे हों। फर, फर, फर, फर किंजरत रहे हों। ए बात ला छत्तीसगढ़ के जनता देखत हैं। आज मोर सरकार धन्य है। अइसे सरकार में गरीब आदमी, एक गरवा चराने वाला, खइरखा चराने वाला ला मौका मिले हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- यादव जी, ए मन जलेबी खात रहिन हे अउ तुमन बासी खात हों। अतके अंतर है।

श्री रामकुमार यादव :- सुनौ ना। वैज्ञानिक मन कहत हे कि बासी खाए ले शुगर, बी.पी. नहीं होए। तुहु खाए के शुरू कर देहो। पराठा च ला मत खावौ। आज मैं इस अवसर पर कहिऔ कि धन्य है भूपेश बघेल जी के सरकार, जेन हर आदमी के चिंता करथे। जैसे कि मैं आज कहना चाहत हो कि पहिली

पिछड़ा वर्ग बर वैकेंसी निकलत रहिसे ता 52 परसेंट के मात्र 14 ठक कुर्सी में नहीं निकले। अब कोई वैकेंसी निकलही तो हर नौकरी 27 ठक निकलही। मोरो पिछड़ा वर्ग के मन 27 परसेंट के हिसाब से दरोगा, पुलिस, एस.डी.एम., तहसीलदार, पटवारी आज कतका कन बन जाही। ए हिसाब ला जब तुमन ला जाके पोलिंग बूथ में तुमन अउ ओ दिन चले गिस। 70 साल-70 साल कह के बुलकात रहे हो, अब नहीं सुनै, तुमन ला सवाल पूछही। आज महु हा भानुप्रतापुर चुनाव में गे रहे हो। ए मन का करथे कि- 'ओ सार ला जगा देहे अउ चोर ला दता देहे'

छत्तीसगढ़ी में कहावत है। तुम्हर मन के फांस ला सब जान डारे हैं। अब मोर अकलतरा के विधायक ठाकुर साहब बइठे हैं। आज कथनी अउ करनी ला ए पूरा प्रदेश हा देखते। आज इस अवसर पर यह पवित्र सदन धन्य है। आज इतिहास में रच दीस कि पूरा दुनिया देखत हवै कि ए भूपेश बघेल जी वही मुख्यमंत्री हैं, जे 15 साल तक पिछड़ा वर्ग के पैर मा 14 परसेंट के जंजीर बांधी दे रहिसे। हे, यह पूरा प्रदेश के जनता देखत हे। आने वाला समय मा, काबर कि जनता मन गोठायावय नहीं, ओमन वोट के चोट देथे। अभी तुमन देखे हा, का कहे हे ? कि जैसे मालिक लेहे देहे, तैसन लिहो आसीसो, हम यादव मन दोहा पारथन। तुमन 15 साल मा जैसे लेहे-देह रहा, काबर कि तुमन मालिक बन गया रहा, ओइसने तुमन ला 14 सीट के आसीस दे रहिस हावय। ये दारी हमन ला आसीस देही, काबर जैसे मालिक लेहे-देहे , तैसन दिहलो आसीसो अउ वन्य, धन्य घर भरे, भूपेश बघेल जी अउ ओखर सरकार जिहो लाख बरसो। ऐसे हमन ला आशीर्वाद देही।

माननीय सभापति महोदय, मैं पुन: एक बार तुमन से भी निवेदन हे, काबर कि जब इतिहास ला पढ़े जाही, जे-जे मन विरोध करे हा, ते-ते मन हा तुंहर पिछड़ा वर्ग तुहरे समाज के बेटा मन कही कि ये कैसे नेता बने रहिस हे गा, जब आरक्षण देत रहिस हे तो ये मन विरोध करत रहिस हे। तेखर खाती अभी भी बन जाही, सब खड़ा हो जावा अउ भूपेश बघेल जी ला कह देवा कि तै हा बहुत बढ़िया काम करे हस मुख्यमंत्री जी, हमन तुंहर संग मा हन तो तुमन ला इतिहास मा माफ कर दे जाही। आप मोला बोले के मौका देया, तेकर लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबो ला प्रणाम, मैं ये बिल के 100 प्रतिशत ताली बजाके पूरा छत्तीसगढ़ के जनता के तरफ से समर्थन करत हव। बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- यादव जी, इही ला कथे सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली।

श्री सौरभ सिंह (अकलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्‌वारा जो आरक्षण विधेयक लाया गया है, उसका हम सभी लोग समर्थन करते हैं। लेकिन एक बात बोलते हैं कि जो अनुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत आरक्षण है, उसको 16 प्रतिशत किया जाये और ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण है, उसको बढ़ाकर 10 प्रतिशत किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आज हम आरक्षण में 32 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं। हम इसलिए 32 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़

बनाया, नहीं तो हम मध्यप्रदेश के वही 20 प्रतिशत आरक्षण में चलते। अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ बनाया, इसलिए हम 32 प्रतिशत आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो मैं उनको नमन करना चाहता हूं। अभी चर्चा हुई। माननीय शिवरतन शर्मा जी ने बताया कि 2011 में जो विधेयक आया था, उस 2011 के विधेयक में जो लोग इस तरफ बैठते थे, आज उधर बैठने लगे हैं, उनका क्या दृष्टिकोण था ? अकबर भाई ने क्या बोला ? संसदीय कार्यमंत्री जी ने क्या बोला ? मैं भी उस सदन में था, रूद्र गुरू जी भी उस सदन में थे। लेकिन आज दायरा बदल गया है। अगर आपको आरक्षण लाना था तो बोल रहे थे कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण नहीं हो रहा है, कट रहा है तो आज आप जोड़ दीजिये न। जब आप सीलिंग लिमिट 50 प्रतिशत को क्रॉस कर रहे हैं, आप करिये, आपको कौन रोक रहा है ? झारखण्ड में 77 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास हुआ है, आप सीलिंग लिमिट को छोड़कर क्रॉस करिये। आपका आरक्षण का आधार क्या है ? मैं यह पूछना चाहता हूं कि आरक्षण का आधार क्या है ? आप विधेयक के उददेश्य में बोलते है quantifiabale data. आपने इस सदन में quantifiabale data प्रस्तुत ही नहीं किया है। बिना quantifiabale data के प्रस्तुत कर रहे हैं। जब आप बिना quantifiabale data के प्रस्तुत कर रहे हैं तो अगर उनकी 16 प्रतिशत की मांग है तो दे दें। क्या दिक्कत है ? किसने रोका है ? माननीय सभापति महोदय, जब सन् 2011 में आरक्षण का विधेयक पास होता है, बहुत सारे रिट फाइल हुए, हमारे बहुत सारे सदस्य उस चीज की चर्चा करते थे, फायनल जजमेंट आया, 96 पेज का जजमेंट आया। बहुत सारे सामाजिक संगठन, बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले वहां उच्च न्यायालय में रिट फाइल किये थे। दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी के 2 सम्मानित कार्यकर्ताओं ने भी रिट फाइल की। आरक्षण किसी के लिए होता है तो पूरे समाज के सभी वर्गों के लिए होता है। लेकिन राजनीतिक व्यक्ति वहां जाकर रिट फाइल करे, यह नीयत को दर्शाता है। माननीय सभापति महोदय , आज आपके पास, हमारे पास quantifiabale data नहीं है। अकबर भाई बोल रहे थे। अकबर जी बोल रहे थे, बृहस्पत सिंह जी ने भी बोला कि 96 पेज पर quantifiabale data के नाम से हो गया। 2018 में आपकी सरकार आई , वर्ष 2018 से लेकर वर्ष 2022 तक आप quantifiabale data प्रोड्यूस क्यों नहीं कर पाये ? 10 बार हाई कोर्ट ने इस बात को बोले हैं कि आपके आरक्षण का बेसिस क्या है ? quantifiabale date । quantifiabale data की रिपोर्ट आपने हाई कोर्ट में प्रोड्यूस क्यों नही की है ? आपको जहां प्रोड्यूस करना था, वहां प्रोड्यूस नहीं किये ? आज तक यहां प्रोड्यूज नहीं किये, उस पर आप राजनीति कर रहे हैं ? माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से आग्रह है, quantifiabale data की कमीशन की रिपोर्ट अगर इनके पास आ गई होगी, चर्चायें थी कि कैबिनेट में प्रोड्यूज किया जायेगा, उसके बाद विधान सभा में प्रोड्यूज किया जायेगा, एक बार quantifiabale data की रिपोर्ट यहां आ जाये, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये, उसके आधार पर फिर करें । फिर कोर्ट में जायेंगे, फिर राजनीति करेंगे । कोर्ट आपको बोलेगा कि quantifiabale data की रिपोर्ट कहां है, फिर जवाब नहीं दे पायेंगे । सभी वक्ताओं ने कहा कि

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

किस ढंग से वकील आते थे, मैं उस पर बोलना नहीं चाहता । किस ढंग से वकील आते थे, किन केसों के लिये एक बहुत बड़ा उदाहरण था, माननीय डॉ.रमन सिंह जी ने प्रश्न किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया । अध्यक्ष जी की विडियो क्लिपिंग है । अध्यक्ष जी ने बोला, बाकी लोग मत बोलो, पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं । कितने वकील आये, कहां से वह वकील आये, उन वकीलों को कहां पैसा दिया गया, क्या वह बड़े वकील अन्य केसों के लिये आ रहे थे, क्या आरक्षण के केस के लिये नहीं आ सकते थे, क्या वह इस मामले को एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते थे, क्या सरकार को नहीं बता सकते थे, लॉ डिपार्टमेंट को नहीं बता सकते थे, आप इस जगह पर गलत जा रहे हैं, कोर्ट का निर्णय आपके विपक्ष में आ सकता है । सरकार की कहीं नीति नहीं थी । रामकुमार जी बोल रहे थे कि सरकार कथरी ओढ़कर घी पी रही थी । सरकार को क्या मतलब था ? फटाक से जजमेंट आया तो आपका कान खुला कि यह क्या हो गया ? इसी सरकार ने तीन ए.जी. बदले हैं । वह ए.जी. क्या काम कर रहे थे, सरकार के पक्ष को क्यों ठीक से नहीं रख रहे थे, यहां पर नीयत का खोंट है । जब नीयत का खोंट होगा, यह सब तरह की बातें होंगी । माननीय सभापति महोदय, 9 वीं अनूसूची में इस कानून को हम देंगे करके यहां से एक कानून पास किया जा रहा है । माननीय अकबर भाई बोल रहे थे कि प्रारित किया जायेगा । प्रारित कहीं पर नहीं होता । पहले यह विधेयक पारित होगा । विधेयक को कब पारित माना जाता है, जब उसमें गवर्नर का सिगनेचर होगा । बिना गवर्नर के सिगनेचर हुये जो विधेयक अभी पार्ट नहीं हुआ है, उसका राजपत्र में प्रकाशन नहीं हुआ है, उसको सरकार हमसे पास करवाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रही है । इस प्रकार की राजनीति है ? अब फिर राजनीति चालू हो गई ? हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों के साथ, हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ, इस प्रकार से राजनीति कर रहे हैं ? एक और ऐसा ही विधेयक पास हुआ । मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ । यहां से इन्होंने विधेयक पास करके भेजा कि छत्तीसगढ़ में हसदो अरण्य की सारी खदानों पर कोयले की माइंस बंद होनी चाहिये थी । आपने क्यों फारेस्ट का क्लियरेंस दिया ? आप उसको क्यों नहीं रोक रहे हैं ? अगर आपकी नीयत सही थी तो आप फारेस्ट को क्यों नहीं रोक रहे हो ? फारेस्ट की जो कटाई हो रही है, उस कटाई को अभी रोक दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के पाले में खेलकर कथरी ओढ़कर घी पी रहे हैं । आप रोक दीजिए ना ? फारेस्ट क्लियरेंस तो आपने दिया है । पेड़ काटने की परमिशन आप दे रहे हैं । उसी तरह का काम कर रहे हैं । हम 9 शेड्यूल का एक पास कर दिये । अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो quantifiabale data लाईये और इसके बाद बात करिये । माननीय सभापति महोदय, 4 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण दिया जायेगा । आपने 4 परशेंट जोड़ा । मैं यह बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच में यह चैलेंज हुआ, जब वर्ष 2019 में यह विधेयक आया, वर्ष 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कानून लाया, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह कानून लाया, वर्ष 2019 में उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया । जब सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की कांस्टिट्यूशनल बेंच ने यह

तय किया कि 50 परशेंट की सीलिंग लिमिट के ऊपर अगर आप 10 परशेंट आरक्षण देते हो तो वह लाईबल है, लॉजिकली है और सही है । यह निर्णय है । आप 4 परशेंट क्यों दे रहे हो ? अगर ई.डब्लू.एस. के आरक्षण की हम बात करेंगे तो वर्ष 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, राज्य सरकार ने वर्ष 2019 से लेकर आज वर्ष 2022 तक उसको यहां पर लागू नहीं किया है । आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग थे, उनको इतने दिन में जो आरक्षण का लाभ नहीं मिला, राज्य सरकार की पढ़ाई में, राज्य सरकार की नीतियों में, उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? उसके लिये सरकार के पास क्या जवाब है ? आपने क्यों नहीं लागू किया ? वर्ष 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया था, अब तो सुप्रीम कोर्ट का कांस्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट भी आ गया और उसके बाद भी लागू नहीं किया गया । यहां सरकार की नीयत में खोट है। अकबर भाई बैठे हैं, वह 10 प्रतिशत कहीं पर भी 50 प्रतिशत की लिमिट में नहीं आता, अकबर भाई ने बोला है न कि 10 प्रतिशत नहीं आता तो आप 10 प्रतिशत Identify करिये न। आपको कौन रोक रहा है? अभी जो सबसे बड़ी विसंगति है, वह आरक्षण के रोस्टर को लेकर है । आपने पिछले आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से नियुक्तियों को लेकर, नौकरियों को लेकर और Admissions को लेकर Advertisement निकाल दिया। अब आप नया रोस्टर लागू कर देंगे, जैसे यह बिल पास होगा, Governor का दस्तखत होगा, दस्तखत के बाद यह कानून बनेगा। इसके बाद आपने जब फिर से रोस्टर लागू किया, तो जो बच्चे प्रक्रिया में है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि यह उनकी मांग है कि जो प्रक्रिया में है, पिछले रोस्टर के हिसाब से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है या Advertisement निकला है, वह प्रक्रिया चल रही है, उस प्रक्रिया का क्या होगा? जिस दिन हाई कोर्ट का Decision आया तब से लेकर आज तक कोई और रोस्टर लागू था और इनके दस्तखत होने के बाद कोई और रोस्टर लागू होगा, तो तीन रोस्टरों के लागू होने में जिनकी नियुक्ति प्रक्रियाधीन है, जिनका Admission प्रक्रियाधीन है, उनको किस हिसाब से भर्ती किया जायेगा? वह लोग बड़े असमंजस की स्थिति में है कि हमारा क्या होगा और कैसे होगा?

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश हित में मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस चीज को बिल्कुल स्पष्ट करें कि जो प्रक्रियाधीन मामला है, उसका निराकरण कैसे किया जायेगा। मेरा पुन: आग्रह है कि इस विधेयक को हम पास कर रहे हैं, इसका समर्थन कर रहे हैं परंतु इसमें दो चीजों को जोड़ा जाये। आपने बोलने के लिये समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद्।

श्री शिशुपाल सोरी (कांकेर) :- माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यह जो आरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया है, मैं उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक शासकीय सेवाओं में और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का संबंध है। एस.टी. और एस.सी., संवैधानिक प्रावधान के अनुसार इनकी जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिये जाते हैं। इसके लिये किसी Quantifiable data की आवश्यकता नहीं है परंतु जब हम ओ.बी.सी. और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की बात करते

हैं तब Quantifiable data की बात आती है। अभी तक जो 50 प्रतिशत से ऊपर, खासकर जो पूर्वोत्तर राज्यों में हुआ है, वह एस.टी., एस.सी. के पॉपुलेशन के आधार पर हुआ है, इसीलिये कभी चैलेंज नहीं हुआ क्योंकि पॉपुलेशन एक Justifiable data है, जो भारत सरकार प्रकाशित करती है, वह कहीं चैलेंज नहीं होता। अब सवाल आता है कि जो विकर सेक्शन के लोग हैं, इनके लिये भी संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 16(4) के तहत एस.टी., एस.सी. का वहां भी इस बात का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 341, 342 में जो अधिसूचित जातियां हैं, वे उसका लाभ लेते हैं। एस.टी., एस.सी., के मामले में तो चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास इनके परफेक्ट डेटा है। रहा सवाल इनका, तो जो कोर्ट है, अभी हमारे विद्वान मंत्री जी ने जो अंग्रेजी में पढ़कर बताया, उसका आशय यह है कि जब हम 50 प्रतिशत के ऊपर आरक्षण की सीमा को ले जाते हैं तो हमको वह परिस्थितियां बतानी पड़ेगी कि हम क्यों इसमें जा रहे हैं और इनको आरक्षण देने की आवश्यकता क्यों है? इसीलिये Quantifiable data की बात आयी। Quantifiable data के लिये हमारी सरकार ने आयोग बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गयी है। विभिन्न राज्यों में हमारे दल गये थे, वहां से भी दलों का Observation आया है, वह भी सरकार के पास है। अभी हमारे पूर्व सी.एम. साहब डॉ. रमन सिंह कह रहे थे कि ऐसे राज्यों में अध्ययन दल गया,जहां आदिवासियों की संख्या कम है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मेरे ख्याल से माननीय शोरी जी का मेडन स्पीच है।

सभापति महोदय :- नहीं-नहीं। वह पहले भी बोले हैं।

श्री अजय चन्द्राकर:- माननीय सभापति जी, मेरे ख्याल से मेडन स्पीच है। आप दिखवा लीजिए। यदि मेडन स्पीच होगा तो पूरे सदन की ओर से पहली बार विधान सभा में बोलने के लिए उनको बधाई देते हैं।

सभापति महोदय :- वह पहले भी कई बार बोल चुके हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय सभापति जी, मैं अंदाजे में बोला। यदि मेडन स्पीच होगा तो उनको बधाई देते हैं।

श्री शिशुपाल शोरी :- मैं जब भी बोलने के लिए खड़ा होता हूँ तो आप बंद करवा देते हैं। महोदय जी, आज मुझे बोलने का अवसर मिला है तो कम से कम आज तो बोलने दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने आपको बधाई दी है।

श्री शिशुपाल शोरी :- आपको धन्यवाद्। यह जब हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की बात करते हैं तो वह कह रहे हैं कि आप सही रास्ते में आईये। आप अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो राज्य के अधिकार हैं और यह इनके संवैधानिक अधिकार हैं। अगर वहां के रहने वाले लोगों को आरक्षण देना जरूरी है तो आप उन परिस्थितियों को बताईये और उनको आरक्षण दीजिए। हम पहले परिस्थितियां नहीं बता पाये थे। पहले यह नहीं हुआ था, हमें वही गलती को पूरा करने के लिए आज इतनी मशक्कत करनी पड़ रही

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

है। अगर उस समय Quantifiable data और इतने सारे अध्ययन दलों की रिपोर्ट और इनके सबके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण के बारे में सब जानकारी आ गई होती तो शायद हमें आज इस विषय पर यहां बैठने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज बहुत सारे प्रश्न उठाये गये कि क्या अब जो संशोधन आ रहा है क्या उसको कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा ? यह जो न्यायिक व्यवस्था में कोई भी आदमी जा सकता है जो प्रभावित है और जिस हिसाब से आरक्षण विनियम में हर आदमी प्रभावित है, लगभग पौने 3 करोड़ की हमारी जनसंख्या है। इसको हम रोक थोड़ी सकते हैं, पर हम जिस रास्ते जा रहे हैं। वह सही है या नहीं ? वह देखना हमारा फर्ज है। हम जिस रास्ते में जा रहे हैं, वह सही रास्ता है और मुझे नहीं लगता कि इसमें हमको कोई मुंह की खानी पड़ेगी। कोर्ट की जो मंशा है वह हमारी मंशा से विपरीत नहीं है। हम कोर्ट की मंशा के साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत सारी बातें आएंगीं। weaker section के लिए जो बात आ रही है कि इनको 10 प्रतिशत आरक्षण क्यों नहीं है ? हम तो कह रहे हैं कि यह आरक्षण 20 प्रतिशत क्यों नहीं है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो उनके पास Quantifiable data था और पहले जो अविभाजित मध्यप्रदेश में 49.5 प्रतिशत का आरक्षण था। 10 प्रतिशत ई.डब्ल्यू.एस. को करके 59 प्रतिशत आरक्षण हो गया। यह तो आवश्यकता के हिसाब से नियम कानून होता है और हमारे जो भी प्रावधान बनते हैं वर्गों की सुविधा के लिए बनते हैं। अगर वहां के हमारे निवासियों को हम एक अच्छा जीवन और उनको आगे बढ़ने का रास्ता देते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है। पर जो संवैधानिक प्रावधान है इसको अगर हम फिर से इग्नोर करेंगे तो फिर से यह दिक्कतें आ सकतीं हैं। इसीलिए आज का यह जो संशोधन विधेयक आया है, सभी पहलूओं पर विचार करके, लॉ विभाग से इसका परीक्षण करवा जाए। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही युक्तीयुक्त ढंग से इसको लाया है और मुझे विश्वास है कि पूरा सदन सर्वानुमति से इसका समर्थन करेगी और इस संशोधन विधेयक को पास करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपको धन्यवाद्। माननीय चन्द्राकर जी को भी धन्यवाद् देना चाहता हूँ।

श्री सौरभ सिंह :- शोरी जी, आपने बहुत अच्छा बोला। पर आप एक चीज बताईये कि आपने बोला, Qquantifiable data की रिपोर्ट है?

श्री शिशुपाल शोरी :- यह बिल्कुल है और प्रतिवेदन की भी रिपोर्ट है।

श्री सौरभ सिंह :- नहीं प्रतिवेदन की रिपोर्ट नहीं। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट में Quantifiable data की रिपोर्ट दी है?

श्री शिशुपाल शोरी :- जब जरूरत होगी तो हम देंगे।

श्री सौरभ सिंह :- जब आप यहां सदन में विधेयक पास कर रहे हैं तो Quantifiable data की रिपोर्ट क्यों नहीं देते?

श्री शिशुपाल शोरी :- माननीय सभापति जी, वह भी आ जाएगा।

सभापति महोदय :- रजनीश कुमार सिंह जी।

समय :
6.00 बजे

श्री रजनीश कुमार सिंह (बेलतरा) :- माननीय सभापति महोदय, आज जो विधेयक आया है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- विधायक नहीं, विधेयक।

श्री रजनीश कुमार सिंह :- मैं विधेयक बोल रहा हूं। माननीय मंत्री जी, विधेयक बोला हूं। जो विधेयक आया है, उसका हम सबने समर्थन किया है। लेकिन हम सबकी तरफ से यह प्रश्न आ रहा है कि इसकी जो टाईमिंग है और दूसरा जो प्रक्रिया है, क्या आगे चल करके कोर्ट में टिक पायेगी? हम जो आरक्षण विधेयक लाये हैं, उसका छत्तीसगढ़ के लोगों का आरक्षण का लाभ मिल सकेगा? मैं कुछ तीन-चार उदाहरण के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का भी विषय आया, उसमें 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने का आया है। माननीय अध्यक्ष जी, आप बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण देने का निर्णय किया है। लेकिन उसमें परस्थितियां हैं। उसमें लिखा गया था कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दिया जा सकता है, विशिष्ट परिस्थितियों में तथा विभिन्न वर्गों के सरकार में प्रतिनिधित्व के आधार पर 50 प्रतिशत से ज्यादा आरक्षण दिया जा सकता है। लेकिन अभी जो विधेयक आया है इसमें कहीं पर भी यह पता नहीं चल रहा है कि किस वर्ग का सरकार ने नौकरियों में, अन्य महत्वपूर्ण स्थानों में कितना प्रतिनिधित्व दिया है। यदि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण दे रहे हैं तो कोर्ट की पहली शर्त है, यदि माननीय न्यायालय की अपील में जाता है तो न्यायालय को यह बताना होगा कि सरकार ने कितना प्रतिनिधित्व इसमें दिया है। तमिलनाडु की भी बात आई कि तमिलनाडु में 69 प्रतिशत आरक्षण है। तमिलनाडु की सरकार ने 69 प्रतिशत आरक्षण के बाद उसमें 10 प्रतिशत आरक्षण अति पिछड़े वर्ग को दिया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया। इस आधार पर निरस्त किया, अभी 2022 की ही बात बोल रहा हूं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 2022 में निरस्त होता है। सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर निरस्त होता है कि जनसंख्या के आधार पर ही सिर्फ आरक्षण नहीं दिया जा सकता, बल्कि इसके लिए आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति व सेवाओं में वर्ग का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के डाटा के हिसाब से होगा, तभी दिया जा सकता है, इसलिए वह निरस्त हुआ। बाद में उसको 1993 में जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी हमारे मोहन मरकाम जी बात रहे थे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। देश में 12 अनुसूची हैं, जो 9वीं अनुसूची है, उसमें यह प्रावधान है कि उसमें जो आने वाले कानून हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन वह जो 1960 के दशक में कानून बना था, भू-अर्जन में जो दिक्कतें आ रही थीं, कमी आ रही थी, लगभग सारे मामले उसमें जा रहे थे इसलिए इस 9वीं अनुसूची को बाद में शामिल करके उसमें यह जोड़ा गया था कि इस विधेयक में जो चीज है उसको

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। लेकिन जनवरी 2007 में 9 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की जो संविधान पीठ है, उसने निर्णय दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आपने कहा कि इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं जा सकती। वर्ष 2007 में संविधान पीठ ने निर्णय दिया है कि मौलिक अधिकारों एवं संविधान की मूल भावनाओं में परिवर्तन करने वाला कोई कानून 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो न्यायालय सक्षम है कि उस पर विचार कर स्वीकृत, अस्वीकृत करने संबंधित निर्णय दे सकती है। अर्थात आज जो यहां पर विधेयक ला रहे हैं, हम सब उसी चीज को बार-बार बोल रहे हैं। सिर्फ यह 3-4 दिन के लिए, चुनाव के कारण लाये हैं। जैसा कि देखा गया कि वर्ष 2003 से 2018 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुत सारे पी.आई.एल. लगे थे। मैं उन सब चीज का जिक्र नहीं करता। लेकिन कुछ पी.आई.एल. सरकार के खिलाफ में जा रही है तो तब इनको समझ में आ रहा है। यह भी उसमें से एक है। अपने ही कार्यकर्ता गये। उसी प्रकार से संसदीय सचिव में भी आप ही लोग गये थे। उसका भी निर्णय आ गया है, अब वह आपके ऊपर आ रहा है। कुल मिलाकर जो हमारी चिंतायें हैं वह यह है कि आज यदि यह विधेयक पारित होता है तो कल यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में जाता है, यह बार-बार बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं हो सकता। आपका जो डाटा है, पिछड़ा वर्ग को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिये। यह डाटा बता रहा है कि पिछड़ा वर्ग का 42 प्रतिशत है तो फिर 27 प्रतिशत कैसे आया ? उनका तो 42 प्रतिशत आना चाहिए था। हमारी जो चिंतायें हैं, इसी बात पर है। सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए। मैं इस बात को जोड़ते हुए अनुसूचित जाति वर्ग के आरक्षण का जो 13 प्रतिशत प्रावधान किया जा रहा है उसको 16 प्रतिशत किया जाये। ई.डब्ल्यू.एस. में जो गरीब पिछड़े सवर्ण व्यक्तियों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण किया गया है, उसको 10 प्रतिशत किया जाये। इस संशोधन के साथ हम इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। माननीय सभापति महोदय, आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल जी।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय सभापति महोदय, आज ..।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आदरणीय, आज दहाड़ना हे। आपके पहली भाषण हे। । ओती के कुर्सी हा हिल जाय।

श्री अमितेश शुक्ल :- वह तो वैसे ही दहाड़ते हैं।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ये मन एक-दूसरे के कुर्सी हलाय के अलावा दूसरा कोई काम ही नइ करें।

श्री नारायण चंदेल :- अभी तैं तो बइठ जा, तैं मत हाल।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- नेता जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका पहला स्पीच है। लेकिन हिलाने के चक्कर में गिरियेगा मत।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- नेता जी, आपका पहला भाषण है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय सभापति महोदय, आज छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। यह चर्चा सार्थक रूप धारण करें, सर्व सम्मति से यह बिल पारित हो। सारे सदन की मंशा है कि यह बिल बहुमत से पारित होना चाहिए, सर्व सम्मति से पारित होना चाहिए, एक राय से पारित होना चाहिए। लेकिन इस विधेयक के हर पहलू पर सभी माननीय सदस्यों ने चाहे वह सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, विस्तार से चर्चा की है और चर्चा के पीछे में जो भाव है, वह यह है कि कल आने वाले समय में फिर से न्यायालय में यह जो विधेयक है, वह वापिस मत हो जाये, यह असंवैधानिक मत हो जाये, चाहे वह उच्च न्यायालय में हो या सर्वोच्च न्यायाल में हो। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं, लेकिन इस संशोधन के साथ समर्थन करता हूं कि हमारे जनजाति समाज के भाईयों को 32 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए, अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत दिया जाए, ओ.बी.सी. पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत दिया जाए और जो हमारे गरीब सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनको भी 10 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जाए। इस संशोधन के साथ में मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि यह जो बिल है, यह विधेयक बहुत जल्दबाजी में लाया गया है, हड़बड़ी में लाया गया है और अधूरी तैयारी के साथ लाया गया है। मैंने उस समय पहले भी कहा था कि 19 सितंबर को जब माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आया, इसको असंवैधानिक करार दिया गया, तब 2 महीने 10 दिन तक क्या छत्तीसगढ़ की इस सरकार ने कोई सुध नहीं ली? 2 महीने 10 दिन बहुत दिन होता है। यदि एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और सामान्य वर्ग के लोगों की चिंता थी तो हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि वह अध्यादेश ले आये, तत्काल सदन बुला लें, चर्चा कराके उसे पारित करा लें, लेकिन बहुत देर कर दी हुजूर आते-आते।

समय :
6.08 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य को पर्याप्त अधिकार है। विधान सभा को कानून बनाने का पर्याप्त अधिकार है। देश के अंदर में लोक सभा को पूरा अधिकार है कि वह देश के लिए कानून बनाये। राज्य सक्षम है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 (4) एवं अनुच्छेद 335 और राज्य सूची के 2 और प्रविष्टि क्रमांक 41 के अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान करने के लिए राज्य शासन सक्षम है। यह आपके विधेयक के उद्देश्य में लिखा हुआ है। हमारे माननीय सदस्यों ने कहा कि जब तक यहां डाटा प्रस्तुत नहीं हुआ है तो किस आधार पर इस बिल को लाया गया है? डाटा सदन के अंदर में प्रस्तुत होना चाहिए, सारे सदस्यों को वितरित होना चाहिए ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

उसके बाद इस पर विस्तार से चर्चा हो लेकिन किसकी कितनी जनसंख्या है, अधिकृत डाटा इस सदन के अंदर में नहीं आया है ।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, इस 2 महीने 10 दिन तक पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भर्ती रूक गई है । पीएससी की भर्ती रूक गई है, पदौन्नति रूक गई है । प्रशासनिक गतिविधियां रूक गई हैं । करीब 1 लाख से ज्यादा हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनके भविष्य के साथ में यह सरकार खिलवाड़ कर रही है । आपने अध्ययन दल बनाया, कायदे से चर्चा के पहले अध्ययन दल की रिपोर्ट आनी चाहिए कि अध्ययन दल कब-कब, कहां-कहां गया ? कौन-कौन लोग अध्ययन दल में शामिल थे ? और जिन-जिन राज्यों का दौरा करके आये उन्होंने कौन सा अमूल्य धरोहर वहां से लेकर आये कि वे पर्यटन के लिये गये थे ? यह सदन जानना चाहता है । यह लोकधन है और लोकधन को हम ऐसे पर्यटन में नहीं लुटा सकते । अब बार-बार बात आयी, माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंत्रियों का, कांग्रेस के सभी माननीय नेताओं का बयान आता था और आरक्षण के मसले पर केंद्र को कोसना, मोदी सरकार को कोसना, भारत सरकार को कोसना । आप सक्षम हैं, आपकी विधानसभा को इतनी ताकत है कि आप अपना कानून बना सकते हैं । आपने अपना पक्ष मजबूती के साथ नहीं रखा तो इसमें मोदी जी क्या करेंगे कि भारत-सरकार क्या करेगी हाईकोर्ट में, मेरे पास पेशी की तारीख है, 14 पेशी हुई । भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2012 में इस विधेयक को पारित किया और 6 साल तक मजबूती के साथ में अपने पक्ष को उच्च न्यायालय में रखा लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब से भूपेश जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी । इस सरकार ने आरक्षण के विषय पर अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रखा । अब दुर्भाग्य यह है कि आप छत्तीसगढ़ की जनता को क्या समझ रहे हैं ? यानी क्या छत्तीसगढ़ में केवल सुकालू, दुकालू, बैसाखू, समारू, पहाड़ू, डहारू रहते हैं ? क्या छत्तीसगढ़ के लोग जानते नहीं हैं ? जिस व्यक्ति को आपने ही वहां पर भेजकर उस आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया और उसके बाद में उसकी ताजपोशी होती है, शानदार पार्टी होती है कि आरक्षण असंवैधानिक हो गया । आरक्षण निरस्त हो गया । आप स्वयं ओबीसी से आते हैं ।

श्री रामकुमार यादव :- नेता जी, तुमन 15 साल ले छत्तीसगढ़ के जनता ला खाय के लाड़ू समझे रहा ।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है । मैं उन व्यक्तियों का नाम नहीं लूंगा । जिन व्यक्तियों ने एस.टी. और एस.सी. के खिलाफ में वहां पर जाकर याचिका प्रस्तुत की थी लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है । आपने ही उनको भेजा है, हमारा आरोप है । छत्तीसगढ़ में यह कहावत है कि चोर ला पेला दे अऊ साव ला जगा दे । यह आपने किया है और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को भ्रमित करने का कोई अधिकार नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़े पढ़ रहा था । इस सरकार की गलत नीतियों के कारण समय पर नौकरी नहीं मिल सकी, समय पर पदौन्नति नहीं हो

सकी । यहां के बेरोजगार नौजवान अर्जी लेकर के घूमते रहे । ऑफिस का चक्कर काटते रहे। कोई माकूल उनसे जवाब नहीं मिला अधिकारियों से, लेकिन यह दुर्भाग्य और लज्जाजनक है। मैं आंकड़े पढ़ रहा था कि करीब 1258 बेरोजगार नौजवानों ने इस पौने चार या चार साल में आत्महत्या की है। आप आंकड़े निकलवाकर दिखवा लें। हम इस आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन आपको आइना भी दिखाते हैं कि आपने किस मंशा से इस आरक्षण विधेयक को लाया है। 5 तारीख को भानूप्रतापपुर का चुनाव है। 1 तारीख और 2 तारीख को जब सब लोग चुनाव में व्यस्त हैं, उस समय आप आरक्षण का विधेयक ले आये। 1 और 2 तारीख को विशेष सत्र बुला लिये। मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कार्य संचालन में कहां पर विशेष सत्र का उल्लेख है? किस पृष्ठ में है? किस पैरा में है?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए तो हर सत्र विशेष होता है और यह तो पूरे प्रदेश के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के संदर्भ में है। यह विशेष तो है ही भाई। आप इसे बार-बार क्यों कह रहे हैं? अजय जी भी वही पूछे। बृजमोहन जी भी वही पूछे। आप भी वही पूछ रहे हैं। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी, हमारे लिए हर सत्र विशेष है।

श्री कवासी लखमा :- ये दोनों का नकल करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आज की कार्यसूची, आज की पूरी बहस में अब नियम, प्रक्रिया, परंपरा की जरूरत नहीं है। आप जो बोलें वह नियम प्रक्रिया है, वह परंपरा है, यह आज आपने स्थापित कर दिया। साबित कर दिया।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सारे सदस्यों ने आरक्षण के एक-एक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी का दर्द छलक जाता है। नेता प्रतिपक्ष जी पहली बार इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं और बीच में व्यवधान उत्पन्न करने के लिए खड़े हो गये। मतलब नेता प्रतिपक्ष मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं हैं। नेता जी, आपको हमारी शुभकामनाएं हैं।

श्री नारायण चंदेल :- चलिए, धन्यवाद।

श्री बृहस्पत सिंह :- अभी चन्द्राकर जी वही बोल रहे थे कि हमारे नेता प्रतिपक्ष का तेज धार नहीं दिख रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 9वीं अनुसूची की बात इन्होंने की है, खैर वह संकल्प में बातचीत होगी, लेकिन मुझे जो जानकारी है, 9वीं अनुसूची का जो मामला है, वह भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। उस पर अनेक राज्यों ने आपत्ति लगायी है और हम केवल उसकी यहां से खानापूर्ति करने वाले हैं कि हम केन्द्र के पाले में डालने वाले हैं। अभी माननीय राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए हैं। अभी यह विधेयक जिंदा नहीं हुआ है, उसके पहले, मैं उस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृहस्पत सिंह :- नेता जी, आपसे निवेदन है कि इस सदन के बाद राज्यपाल को जायेगा या राज्यपाल के पहले सदन को आयेगा। अभी तो सदन ने पारित नहीं किया है। पहले ही राज्यपाल के दस्तखत हो जायेंगे?

श्री नारायण चंदेल :- तो इस प्रकार से जनता को भ्रमित करना और इस सदन से इसे पारित करके, हमें मालूम है कि सत्ता पक्ष का बहुमत है। वह आसानी से पारित होगा, लेकिन हम सर्वसम्मति से पारित करना चाहते हैं, लेकिन जो शासकीय संकल्प लाया जा रहा है, वह केन्द्र के पाले में डालकर आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। अभी आप पिछड़े वर्ग की बात कर रहे थे। डॉ. रमन सिंह की सरकार ने वर्ष 2006 में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था और मुझे अध्यक्ष बनाया था।

श्री रविन्द्र चौबे :- वहीं से गड़बड़ की शुरूआत हुई थी। (हंसी)

श्री नारायण चंदेल :- वर्ष 2000 से वर्ष 2003 के बीच में नहीं बना था। आप उस समय मंत्री थे और आपने उस समय कोई वकालत नहीं की थी। मुख्यमंत्री जी भी मंत्री थे। अभी माननीय नरेन्द्र मोदी जी की केन्द्र की सरकार ने भारत की सरकार ने पहली बार हिन्दुस्तान की आजादी के बाद केन्द्र में देश में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया और उसे संवैधानिक दर्जा दिया और आप बात करते हैं कि पिछड़े वर्ग की उपेक्षा हो रही है, एस.सी. की उपेक्षा हो रही है, एस.टी. की उपेक्षा हो रही है । जो काम किया है वह चाहे छत्तीसगढ़ की हो या वर्तमान में केन्द्र की हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है । आप तो केवल औपचारिकता ही कर रहे हैं, लेकिन हम आपको समर्थन दे रहे हैं । क्या इसकी गारंटी मुख्यमंत्री जी अपने जवाब में देंगे कि इस विधेयक की अवधि कितने दिन रहेगी, आज यह विधेयक पारित होने के बाद 5 तारीख तक जिंदा रहेगा या उसके आगे भी जिंदा रहेगा । मुझे मालूम है कि आप गांव-गांव में मिठाई बंटवाओगे, गांव-गांव में इसको प्रचारित करोगे । आपने पोस्टर, बैनर सारी चीजें पहले से छपवा ली हैं। यह इस बात को इंगित करता है कि भानुप्रतापपुर के उप चुनाव में कांग्रेस पार्टी हार के कगार पर खड़ी है । इसलिए वह इस विधेयक का सहारा ले रही है ।

श्री रामकुमार यादव :- नेताजी, आप बड़े वैज्ञानिक आदमी हो, कोई हमर बेटी बहिनी मन रथे तो जान डारथौ कि नोनी हे कि दउ ।

श्री नारायण चंदेल :- मैं नइ सुने पाएंव ।

श्री रामकुमार यादव :- पहिली ले जान डारथे नोनी हे कि दउ हे तेला ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माताओं ने आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की है कि समाज में निचले तबके के लोग हैं, जो दलित लोग हैं, जो सुदूर वनांचलों में रहने वाले हमारे वनवासी भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, सामान्य वर्ग में भी गरीब हैं, वह भी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इसलिए आरक्षण की व्यवस्था की है । आरक्षण को राजनीतिक हथियार नहीं बनाना

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चाहिए । समाज में कैसे समता हो, ममता हो, समरसता हो इस भाव से देखने की आवश्यकता है, आरक्षण उसके लिए है कि कैसे उस वर्ग का गरीब बच्चा आरक्षण के सहारे पढ़कर समाज का जिम्मेदार नागरिक बने । लेकिन दुर्भाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और छत्तीसगढ़ की सरकार आरक्षण का राजनीतिकरण कर रही है । इस प्रदेश में जब से आपकी सरकार बनी है लगातार प्रशासन का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आरक्षण सिर्फ शासकीय पदों पर न हो, शासकीय भर्तियों में ही न हो, आरक्षण केवल शैक्षणिक न हो बल्कि आरक्षण की व्यवस्था इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में निजी संस्थानों पर भी लागू हो, औद्योगिक संस्थानों पर भी लागू हो । जो हमारे गरीब बच्चे उद्योगों में नौकरी करते हैं उन पर भी लागू होना चाहिए । हमारा आग्रह है कि 32 परसेंट, 16 परसेंट, 27 परसेंट और 10 परसेंट निजी संस्थाओं में भी लागू हो । जब मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे तो इस बात की घोषणा करेंगे कि निजी संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो । इसके साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आरक्षण का राजनीतिकरण न हो और आरक्षण को बड़े नजरिये से, बड़े मन से पारित करने की आवश्यकता है, हम इस बिल का समर्थन करते हैं । अंत में एक ही बात कहूंगा - चलो जलाएं दीप वहां, चलो जलाएं दीप वहां, जहां अभी भी अंधेरा है । धन्यवाद् ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक क्रमांक 18 पर जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया, माननीय अजय चंद्राकर जी, माननीय मोहन मरकाम जी, माननीय ननकीराम कंवर जी, माननीय संतराम नेताम जी, माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी, माननीय कवासी लखमा जी, माननीय डॉ. रमन सिंह जी, माननीय बृहस्पत सिंह जी, माननीय शिवरतन शर्मा जी, माननीय अमरजीत भगत जी, माननीय धरमलाल कौशिक जी, माननीय शिवकुमार डहरिया जी, माननीय डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी जी, माननीय रामकुमार यादव जी, माननीय सौरभ सिंह जी, माननीय शिशुपाल सोरी जी, माननीय रजनीश कुमार सिंह जी और आज नेता प्रतिपक्ष के रूप में बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर अपनी बात नेता प्रतिपक्ष ने की है, मैं उन्हें पहले वक्तव्य के लिए बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अजय जी उस समय व्यवस्था के प्रश्न में बोल रहे थे कि आपने बधाई नहीं दी।

(माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर जी के खड़े होने पर)

श्री भूपेश बघेल :- बैठो भाई, हर समय क्यों खड़े हो जाते हो।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं आपको दूसरी बात बोल रहा था।

श्री भूपेश बघेल :- मैं नेता प्रतिपक्ष जी को बहुत बधाई देता हूं कि आपने बहुत अच्छे सुझाव दिए। हम लोग बहुत ध्यान से सुन रहे थे। आपको किसी ने बाधित नहीं किया। आप कितना अच्छा बोल रहे थे। आप ऐसे ही बोलते रहिए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- एक ही साल बोलना है।

श्री भूपेश बघेल :- मुझे डर इस बात का है कि अभी तक इस सदन में जितने नेता प्रतिपक्ष हुए, बीच में नहीं बदले। मुझे डर इस बात का है कि एक साल में कहीं नेता प्रतिपक्ष भी न बदल जाएं। इस बात को सुनिश्चित कर लीजिए और हम आपके साथ हैं।

श्री नारायण चंदेल :- बाकी इधर के लोग उधर आने वाले हैं।

श्री भूपेश बघेल :- भैया, जब इधर से उधर जा रहे थे तो अजय जी ने पूरी ताकत के साथ रोका है, तुम वहीं रहो, इधर नहीं आना। (हंसी) अजय जी और बृजमोहन जी ने पूरी ताकत के साथ रोक दिया। हम यहीं रहेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, महत्वपूर्ण दिन है, विशेष सत्र बुलाया गया, विशेष के मामले में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बताया। विशेष इसलिए कि निर्णय बहुत विशेष हुए और इसके लिए सत्र बुलाया गया है, इसलिए विशेष सत्र कहा गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण तथा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर हम लोगों ने चर्चा की। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164, 16(4), 16(6) अनुच्छेद 335 एवं राज्य सूची में राज्य लोक सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनसुचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के हितों में संरक्षण के लिए प्रावधान है। मध्यप्रदेश में वर्ष 1994 में मध्यप्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनसुचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण अधिनियम 1994 का अनुकूलन हुआ था। उसके बाद लंबा समय गुजरा और आदिवासी वर्ग आंदोलन किए, लाठियां भी खाई, जेल भी गये, गिरफ्तारियां भी हुई, तब जाकर वर्ष 2011-12 में तत्कालीन सरकार जागी, तब तक बहुत समय बीत गया था और जो नुकसान हुआ। तब तक वर्ष 2004 से लेकर 2012 तक का समय बहुत कम था लेकिन दो महीने 10 दिन इनको बहुत भारी पड़ रहा है। यह बहुत भारी हो गया, 70 दिन बहुत बड़ा हो गया और 7 साल है, वह बहुत छोटा समय था। जब लगातार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का नुकसान हो रहा था, पिछड़े वर्ग का नुकसान हो रहा था, EWS का नुकसान हो रहा था, तब इनको चिंता नहीं थी। आज बड़ी चिंता कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने सारे नेताओं का भाषण सुना। वह आरक्षण क्यों मिलना चाहिए, क्या परिस्थिति है, विपक्ष से बढ़िया सुझाव आते कि आरक्षण इसलिए मिलना चाहिए, 27 प्रतिशत इसलिए होना चाहिए, EWS के लिए इसलिए होना चाहिए। यह सारी बातें नहीं आई। वह बात घूम फिरकर भानुप्रतापपुर विधानसभा में आई। अध्यक्ष महोदय, दरअसल वह सीट हमारी थी, है, और जनता हमें 5 तारीख को फिर से आशीर्वाद देगी। (मेजों की थपथपाहट) वह सीट हमारी ही रहने वाली है। यह तो उपर वाले जो दिल्ली से आएं हैं, नये बदलकर आए हैं, पहले साउथ से आई थी, हिमाचल से आए थे। और अब माथुर साहब आये हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- राजस्थान से।

श्री भूपेश बघेल :- राजस्थान से आये हैं। उनको क्या बताना है? हारने वाले तो हैं। सारी कोशिशें करके देख लिये। तो एक सबसे बढ़िया बहाना यह आरक्षण का मामला है कि यह विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण लागू कर रहे हैं इसके कारण हम हार रहे हैं। हार गये, यह बहाना बताने के लिए लगातार सारे विपक्ष के साथी एक ही लाइन बोल रहे हैं। मैं आपके प्रति पूरी सहानुभूति रखता हूं क्योंकि आप हारने वाले हैं क्योंकि आपने 15 सालों में ऐसा कुछ काम नहीं किया। आपने आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए ऐसा कुछ नहीं किया। आपने किसानों और मजदूरों के साथ छल किया है और इसलिए लगातार जितने उप चुनाव हुए, उन सब में आप हारते जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा क्यों हुआ? हाईकोर्ट में क्यों नहीं रखा? भैय्या, वर्ष 2011-2012 से लगातार चल रहा था। उस समय तो के.पी. खाण्डे साहब कांग्रेस में नहीं थे। वह अकेले नहीं गये थे बल्कि उसमें तो दर्जनों लोग गये थे। वह पिटीशनर थे और केवल एक ही मुद्दा नहीं था। वह तो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। हमारा 16 परसेंट था, उसको 12 क्यों कर दिये? 12 क्यों किये, इसका कारण कोई नहीं बता पा रहा है। 12 क्यों किये, इसका कोई लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। फिर कोई जिले के रोस्टर के लिए गया। दूसरा, हम लोगों ने अभी और चूंकि ई.डब्ल्यू.एस. आ गया है और पिछड़ा वर्ग का 27 परसेंट किया है, उसको अध्यादेश के माध्यम से किया। कोर्ट में लोग चले गये। एक कुनाल शुक्ला। 41 लोग गये, उसमें से 1 यह भी हैं। 41 लोगों में से 1 कुनाल शुक्ला हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या केवल एक कारण से किसी को किसी निगम मण्डल में पद दिया जाता है? सारे वक्ता एक ही लाइन को बोल रहे थे कि इसलिए उसको निगम मण्डल का अध्यक्ष बनाया गया है। उसका एक गुण जहां activist है वही उसका दूसरा गुण यह है कि उन्होंने आपके शासन में आपके दमदार मंत्री के भाई खिलाफ सड़कों पर लड़ाई लड़ी। जो सड़क को कब्जा कर लिये थे उसके लिए वह लड़ाई लड़े, वह भी एक कारण है जिसके कारण उसको जिम्मेदारी दी गई। वह पढ़ने-लिखने वाला आदमी है इसलिए उसको जिम्मेदारी दी गई। वह कोर्ट में चला गया, इसलिए उसको जिम्मेदारी नहीं दी गई। के.पी. खाण्डे साहब का कितना सामाजिक संबंध है? समाज में उनके कितने प्रशंसक हैं? उनकी कितनी मान्यता है? किसी आदमी को देखना है तो उसको केवल गौर से देखना चाहिए। हर आदमी में 10-20 चेहरे होते हैं। बहुत सारे गुण होते हैं। उसकी नियुक्ति केवल एक गुण के कारण नहीं हुई है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय मुख्यमंत्री जी, के.पी. खाण्डे आरक्षण बचाओ मंच के अध्यक्ष भी रहे हैं और उन्होंने 12-16 परसेंट आरक्षण करने के लिए बहुस प्रयास किया लेकिन अब बैठे हैं।

श्री भूपेश बघेल :- वह सामाजिक व्यक्ति हैं और हर आदमी समाज के हक में लड़ता है। जो अनुसूचित जनजाति का है वह अपने हक के लिए लड़ता है। जो अनुसूचित जाति का है वह अपने हक के लिए लड़ता है। अपर क्लास के लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं। पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं और अल्पसंख्यक अपने हक के लिए लड़ते हैं। उसमें बुराई क्या है? लेकिन दुर्भाग्य यह है कि

आपके शासन काल में कंवर साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी। सरजियस मिंज साहब की अध्यक्षता में कमेटी बनी। आपके पास उसकी रिपोर्ट आ गई लेकिन आपने उसको सबमिट नहीं किया। हम पर जो आरोप लगा रहे हैं कि आप बड़े वकील नहीं रखे। भैय्या, स्थिति यह रही है कि फाइनल डिस्कशन हुआ। हमको कोई डाक्यूमेंट रखने की अनुमति नहीं मिली और आप लोगों को समय मिला था। आप लोगों ने जो कमेटी बनाई, उसकी रिपोर्ट तो रखी ही नहीं। सरजियस मिंज की कमेटी ने क्या कहा कि अन्य प्रदेशों में भी 50 परसेंट से अधिक आरक्षण है तो यहां भी बढ़ाया जा सकता है और कंवर साहब ने भी कहा कि बढ़ाया जा सकता है। मैं तो आदरणीय चौबे जी के मामा जी को धन्यवाद दूंगा। भाटो। यह मोहले जी। उनका दस्तखत नहीं है। उन्होंने दस्तखत करने से मना कर दिया। सब चीज तो टाइप है लेकिन हाथ से एक लाइन लिख दिया कि 50 परसेंट से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसको इतना परसेंट मिलना, इसको इतना मिलना चाहिए। वह सब ठीक है। उसके बाद आखिरी में लिख देते हैं। वह टाइपिंग में नहीं है, हाथ से कलम से लिखा गया कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन यह लोग उस रिपोर्ट को भी हाईकोर्ट में सबमिट नहीं किये। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि यदि उस समय...।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- उसमें मेरा दस्तखत है या नहीं है?

श्री भूपेश बघेल :- नहीं है। कहात तो हो। तोर दस्तखत नहीं है। मोर कर सब कॉपी हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- इस सदन में यह जो डहरिया जी आरोप लगाते रहते हैं कि मेरा दस्तखत है। मैं यही तो बोल रहा हूं न। फिर डहरिया जी गलत हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह विधानसभा के समय की बात है। यह तो रिपोर्ट की बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों अलग-अलग बात हैं। ये मन एक बार मा समझबे नहीं करय।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा साहनी निर्णय के बारे में बात कर रहे हैं। बृजमोहन जी कह रहे हैं कि यह विधेयक लाया ही नहीं जा सकता है। प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए ? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उस जजमेंट भी कहा गया है, जिसको भाई अमरजीत ने पढ़कर सुनाया। उन्होंने अंग्रेजी में पढ़कर सुनाया। पहले हिन्दी में बोले फिर अंग्रेजी में बोले। वह पूछ रही थी कि उसका अर्थ क्या है ? पहले हिन्दी में अर्थ बता चुके थे, फिर वह अंग्रेजी में पढ़े। अध्यक्ष महोदय, उस जजमेंट में कहा गया है कि यदि परिस्थिति उस प्रकार से हो तो राज्य सरकारें निर्णय कर सकती हैं। आपने क्यों 7 साल तक quantifiabale data आयोग नहीं बनाया ? आपको तो मौका था, आपको 15 साल मौका था, लेकिन आपने नहीं बनाया। अध्यक्ष महोदय, जब हमारे संज्ञान में आया तो हमने सन् 2019 में आयोग बना दिया। हमने सन् 2019 में राज्य सरकार की ओर से आयोग का गठन किया और 3 साल में आ भी गया। जबकि 2 साल कोरोना में बीता। आप कहते हैं कि 10 बार समय बढ़ाया गया तो कैसे समय नहीं बढ़ेगा भाई। आप कोरोना को क्यों भूल जाते हैं ? उस परिस्थिति कौन कैसे काम करेगा ? उसके बार रिपोर्ट आई और उसमें सारी चीजें हैं।

अध्यक्ष महोदय, ई.डब्ल्यू.एस. को 4 प्रतिशत ही क्यों किया ? क्योंकि ई.डब्ल्यू.एस. के लिए 3.48 प्रतिशत आया। हमने 4 प्रतिशत किया। दूसरी बात, पिछड़ा वर्ग के लिए 42.41 प्रतिशत आया, सन् 1931 का भी देखेंगे तो 42 प्रतिशत के आसपास है और अभी 42.41 प्रतिशत आया है। 42.41 प्रतिशत के बाद भी आप छत्तीसगढ़ की भौगोलिक, सामाजिक परिस्थिति देख रहे हैं। घना जंगल है, यहां 44 प्रतिशत एरिया जंगल है। बड़ी संख्या में हमारे बस्तर में, सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, राजनांदगांव, बिन्द्रानवागढ़ में पिछड़े वर्ग के लोग भी रहते हैं। यदि आप उनका भी जीवन स्तर देखेंगे तो वह कोई बहुत अच्छी नहीं है। उनका शिक्षा का स्तर देख लीजिये, उनका सामाजिक स्तर देख लीजिये, उनकी आर्थिक स्थिति देख लीजिये। आज इसकी बहुत जरूरत है। यहां अनेक जातियां हैं, जिनके बारे में कह सकते हैं जो आदिवासियों के जीवन के समकक्ष या उनसे भी बुरी स्थिति में समाज के लोग हैं। मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा। मैं उनके नाम का उल्लेख करके अपमानित करने का भाव नहीं है। लेकिन यह बात बिलकुल सही है, ऐसी जातियां हमारे जंगलों में हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं मिल पाती है। दूसरी तरफ, लगातार नक्सली घटनाएं हैं। पूरा 14 जिला नक्सल से प्रभावित है। जहां स्कूल बंद है, अस्पताल बंद है, उसकी स्थिति क्या होगी ? इसलिए जरूरी है कि पिछड़े वर्ग को भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात अनुसूचित जाति की आई कि 16 प्रतिशत आरक्षण होना चाहिए। आपने 12 प्रतिशत क्यों किया ? अध्यक्ष महोदय, जो सन् 2011 की जनगणना 12 प्रतिशत से कुछ अधिक जनसंख्या आया है। 12.5 प्रतिशत से अधिक है इसलिए हमने 13 प्रतिशत किया है। हम भारत सरकार से आग्रह करेंगे कि जल्दी जनगणना कराये, 2021 की जनगणना ड्यू था, वह सी.एन.आर.सी. में भटक गये। जनगणना नहीं हुआ। यदि जनगणना होगा और जिस दिन 16 प्रतिशत आयेगा, हम उसी दिन 16 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए करेंगे। (मेजों की थपथपाहट) क्योंकि संविधान में व्यवस्था है। अनुसूचित जाति, जनजाति के लिए संविधान में व्यवस्था है कि जितनी जनसंख्या है, उतने प्रतिशत आरक्षण देना है। आप उसको कम या ज्यादा नहीं कर सकते। कम भी नहीं कर सकते और ज्यादा भी नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, दसूरी बात कि ये लोग विधेयक तो लाये, लेकिन एजुकेशन का सर्कुलर निकाल दिए। ये लोग आज तक सहकारिता में कुछ नहीं किये। इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, हम चिंता ना करें। सहकारिता में सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसमें सब को आरक्षण का लाभ मिलेगा । अध्यक्ष महोदय, जिला रोस्टर में आप देखेंगे कि जहां आप सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा या बलरामपुर में चल देंगे, अपर क्लाज के लोग कम हैं, वहां कम मिलेगा । लेकिन वहीं आप बिलासपुर में आ जायेंगे, बलौदाबाजार आ जायेंगे, रायपुर आ जायेंगे, दुर्ग आ जायेंगे, वहां अपर क्लॉज की जनसंख्या ज्यादा है। जिला संवर्ग है,

उसमें निश्चित रूप से उसको ज्यादा मिलेगा, केवल 4 परशेंट नहीं है, उसके लिये अलग रोस्टर बनेगा । रोस्टर की बात आप कह रहे थे । निश्चित रूप से लागू होगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने रोस्टर के बारे में दो-तीन बातें कही है । दोहरा देता हूँ । वैसे मैंने जितने मुद्दे उठाये थे, आपके उत्तर में नहीं आये हैं । मैं टोकने के मूड में भी नहीं हूँ । पहला रोस्टर तो मैंने यह बोला कि वर्ष 2021 की पी.एस.सी. का क्या होगा, जो रिजल्ट नहीं निकला है और आज जब आप संकल्प भी ला रहे हैं तो कल रोस्टर जारी करेंगे क्या ? ताकि परीक्षायें हो सकें, मैंने यह पूछा था ।

श्री भूपेश बघेल :- बहुत अच्छी बात । मैं माननीय अजय जी के धन्यवाद देता हूँ । माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी चिंता हम लोगों की है, सदन की है, आपकी है, माननीय सदस्यों की है, ट्रेजरी बेंच की है, उतनी ही चिंता हमारे राज्यपाल भी कर रही हैं । उन्होंने कहा कि अध्यादेश लाईये, नहीं तो विधान सभा बुलाईये । उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा है । हमारे साथियों ने भी कहा, समाज के सभी लोगों ने कहा, विशेष सत्र बुलाईये । चाहे वह राज्यपाल महोदय की बात हो, चाहे हमारे साथियों की मंशा के अनुरूप हो, यह विशेष सत्र बुलाया गया है । यह केवल भानुप्रतापपुर के लिये नहीं है । हम तो वैसे ही वहां, आप कहीं नहीं लग रहे हैं । उसकी चिंता मत करिये । वहां के आदिवासी, वहां के किसान, वहां की महिलायें, वहां के युवा हमारे साथ हैं, हमको विश्वास है । यह पूरे प्रदेश का मामला है । आप 7 साल में कुछ नहीं कर पाये । हमको 70 दिन भी नहीं देना चाहते । यह स्थिति आपकी है । अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात का निवेदन करना चाहूंगा कि अभी यह विधेयक विधान सभा से पारित होगा, मेरे मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य राजभवन समय मांगकर जायेंगे, आज ही दस्तखत करायेंगे । उनसे निवेदन करेंगे कि दस्तखत करिये । (मेजों की थपथपाहट) उन्होंने मंशा जाहिर की है । इसमें हमारे वरिष्ठ मंत्री लोग जायेंगे । अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रयास करने की बात है, quantifiabale data के बारे में हाई कोर्ट ने कहा कि आपने किस आधार पर किया ? इसीलिए तो quantifiabale data का आयोग बनाया गया । अध्यक्ष महोदय, जहां जरूरत पड़ेगी तो दिखायेंगे कि हमारी स्थिति है । सामाजिक परिस्थिति है, भौगोलिक परिस्थिति है, आर्थिक, शैक्षणिक परिस्थिति है, उस आधार पर हम आरक्षण दे रहे हैं । न्यायालय में जायेंगे तो निश्चित रूप से रखेंगे । हमारे पास quantifiabale date है, हमारी सामाजिक परिस्थितियां हैं, इसलिए हम सारे प्रयास करना चाहते हैं, एक तरफ विधान सभा से भी तो दूसरा भारत सरकार से भी आग्रह करेंगे, जैसे अनुसूची 9 में दूसरे प्रदेशों को मिला है, छत्तीसगढ़ की विशेष परिस्थिति जैसे कह रहे थे ना कि अटल जी ने बनाया, तब यह 32 परशेंट मिला है, निश्चित रूप से आप लोग बनाये हैं, अच्छी बात है । मांग हम लोगों ने किया था । मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रस्ताव करने वाले लोग यहां बैठे हैं, जब बना उस समय आप विधान सभा में थे । सारे लोगों के प्रयास से बना है । मैं तो विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा कि इसमें कोई दलगत बात नहीं होनी चाहिये । पूरे छत्तीसगढ़ का मामला है । यह मील का पत्थर साबित होने वाला है । इसलिये आप चलिये, नेता

प्रतिपक्ष जी रहे, भूतपूर्व नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, अजय जी रहे हैं, बृजमोहन जी रहे हैं, धर्मजीत सिंह जी रहे हैं, चलिये प्रधानमंत्री जी से समय मांगते हैं और इस बात को रखते हैं, राष्ट्रपति के पास जाते हैं, सभी दल के लोग चलें । बसपा के लोग चलें, जोगी कांग्रेस के लोग चलें, निर्दलीय चलें, आप चलें, समय लेंगे, साथ में चलते हैं। संयुक्त रूप से प्रयास होगा, क्यों नहीं होगा ? केवल कोर्ट का आदेश हो गया है । 50 परशेंट सीलिंग लग गया है तो आखिर बढ़ा तो ? कुछ लोग कहते हैं कि 10 परशेंट ई.डब्लू.एस. के लिये है । वह देश भर का मामला है । राज्य में ई.डब्लू.एस. में, हमारे अपर क्लॉज में, उतने हमारे पास डाटा है तो उतना किया । आज स्थिति यह है कि सब वर्गों के लिये है, ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग को छोड़ा गया है । यदि जनजाति की संख्या घटती-बढ़ती है तो उसके हिसाब से मिलेगा । अनुसूचित जनजातियों की संख्या बढ़ती है, बहुत सारे साथियों ने कहा कि सतनाम धर्म लिख दिये, कोई और कुछ कर दिये, अभी जल्दी सब लोग मांग करते हैं, जल्दी जनगणना हो, ताकि हमारा प्रतिशत बढ़े । हम तो इस पक्ष में है अध्यक्ष महोदय कि मिलना चाहिये । मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि इसे सर्वसम्मति से पारित करें । इसके साथ ही भारत सरकार के पास चलकर भी प्रधानमंत्री जी से, राष्ट्रपति जी से मिलकर, सभी दल के लोग चले, विधान सभा का पूरा प्रतिनिधित्व हो, अध्यक्ष महोदय, हम सब आपके नेतृत्व में चले और निश्चित रूप से इस बात को रखे तो यह जो प्रस्ताव हो रहा है वह फलीभूत हो, सफलीभूत हो, यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद्। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 3 इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- इस विधेयक के खण्ड 4 के पद (एक) में श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री धर्मजीत सिंह, श्री केशव प्रसाद चंद्रा, श्रीमती इंदू बंजारे, प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यों की ओर से संशोधन हुआ है।

आदरणीय पुन्नूलाल मोहले जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री पुन्नूलाल मोहले (मुंगेली) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 4 के पद (एक) में अंक एवं शब्द ''13 प्रतिशत'' के स्थान पर ''16 प्रतिशत'' तथा ''4 प्रतिशत'' के स्थान पर ''10 प्रतिशत'' किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- आप कुछ कहना चाहते हैं तो उसके बाद कह सकते हैं। बोलिये। क्यों होना चाहिये यह बताईये।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत से सदस्यों के विचार को सुना और बहुत से सदस्यों ने अपना-अपना पक्ष रखा, मैं उस विषय पर तो नहीं जाना चाहूंगा। वह जो बांधी जी ने कहा, उसमें कोट करना चाहता हूं। संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन अधिनियम 2016, दिनांक 06.05.2016 को छत्तीसगढ़ क्रम में परिशिष्ट 25 के स्थान पर रखें, इसमें जाति घासी, घसिया, सारंग, सहोरा, सारथी, सूद, थनवार, तुरी, इन सात जातियों को शामिल किया गया है, इस कारण इनकी जनसंख्या बढ़ जाती है। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर 10 वर्ष में Census बढ़ता है, Census का Publication होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह आरक्षण पिछले समय किया गया, वह Census के आधार पर किया गया है। यदि मैं उन परिस्थितियों पर कहना चाहूंगा कि प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या का निर्धारण, 2001 की जनगणना में अनुसूचित जाति की संख्या 28 लाख 18 हजार 722 थी, 2011 में अनुसूचित जाति की संख्या 32 लाख 74 हजार 269 थी और 2021 की जनगणना में 40 लाख 25 हजार 591 है, इस तरह कुल वृद्धि 39.91 प्रतिशत हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि गुरू घासीदास अकादमी एवं संस्कृति साहित्य के द्वारा और अन्य याचिकाकर्त्ताओं के द्वारा उन्होंने अपने 16 प्रतिशत आरक्षण को 12 प्रतिशत तक, कम करने के कारण याचिका दायर की और हाई कोर्ट में फैसला पक्ष में आया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से उस परिस्थिति में आग्रह करना चाहूंगा कि आप यदि अनुसूचित जाति का हित चाहते हैं तो कोर्ट के मामले में जब डिसीजन हो जाता है, उन परिस्थितियों में यहां का आरक्षण नियम भी परिवर्तन की स्थिति में है, स्थिर है, पदों में भर्ती नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो पा रही है, आप उन परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे। मैं ऐसी आशा करता हूं कि आप अनुसूचित जाति के हितवर्धक है, मैं ऐसा मानता हूं कि आप अपील किये हैं इसका मतलब आप अनुसूचित जाति के विरूद्ध में किये हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए मैं और ज्यादा कोट नहीं करूंगा। अनुसूचित जाति में अभी 14 हजार पद रिक्त है, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर है, आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर है। जो आरक्षण दिया जाता है उसका सिर्फ एक आधार नहीं होता, वह भेदभाव के आधार पर, शैक्षणिक आधार पर एवं आर्थिक आधार पर होता है। इन परिस्थितियों को ध्यान दें और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में यह भी प्रावधान है कि राज्य की शासन चाहे तो जनसंख्या के अनुपात को भी बढ़ाया जा सकता है। एक परिस्थिति में आर्थिक स्थिति में जनसंख्या के आधार पर जिले में, इन सब जनसंख्या में आरक्षण होता है और प्रदेश में प्रतिशत के आधार पर होता है। आपने उन परिस्थितियों का जिक्र

किया है तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि उन परिस्थितियों को देखते हुए आप चाहे, राज्य सरकार चाहे, मंत्रिमण्डल के सदस्य हों, यहां पूरी विधान सभा बैठी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत की जगह 16 प्रतिशत आरक्षण दिया जाये। क्योंकि इन लोगों का भी आर्थिक विकास कमजोर, कम है, शैक्षणिक विकास कम है और परीक्षाओं, भर्ती में भी कमी है अभी सभी वर्गों में 14393 पद रिक्त हैं। उन परिस्थितियों में आपसे आग्रह करूंगा कि इन सब बातों को देखते हुए, अगर इनके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोण से चाहें तो जनसंख्या के अनुपात के आधार पर जो प्रतिशत बढ़ा है, मैंने 39 प्रतिशत कहा। इनको भी नजरअंदाज करें, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। मैं आपको धन्यवाद् भी देता हूँ। अभी तक पिछली सरकार में आरोप-प्रत्यारोप लगते रहा है कि मोहले जी ने आंख मूंदकर दस्तख्त कर दिया, मैं तो पढ़ा-लिखा नहीं हूँ। मैं कितना पढ़ा-लिखा हूँ, यह नहीं बताऊंगा, पर यह बताना चाहूंगा चाहे हमारे भाई डहरिया हों या अन्य कोई हों। इसको आज क्लियर कर दिया। पिछली सरकार पर आरोप लगते रहा। मुझे समाज देखते रहा।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भईया, वह दूसरी बात है। दूसरा मामला है।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन परिस्थितियों को देखते हुए, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद् दूंगा, जिसको आपने कोड किया है मोहले जी ने दस्तख्त नहीं किये हैं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद् देता हूँ। मुझे आशा है और मैं आपका भरोसा करता हूँ कि आप जरूर अनुसूचित जाति का आरक्षण 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत आरक्षण देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद्।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
संशोधन, इस पर धर्मजीत सिंह जी बोलेंगे।

श्री धर्मजीत सिंह (लोरमी) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जो आरक्षण का बिल पेश हुआ है, उसका समर्थन कर रहा हूँ। किसी को कोई तकलीफ नहीं है। यह बहुत अच्छी बात है आपने आदिवासी समाज के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। वह भोले भाले भगवान सरीखे समाज है जो जंगलों में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं उनको सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने के लिए सरकार के प्रयास को हम समर्थन देते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा और उन्होंने यह कहा कि यह जो आंकड़े वगैरह है उसके कारण हमको फैसला लेने में तकलीफ हो रही थी। तो पुरानी सरकार की गलतियों को सहारा लेकर, अपनी कमजोरी और अपनी सुस्ती या अपनी देरी को बचाने का प्रयास मत करिये। जब सितम्बर माह में फैसला आ गया था तो आपको उसी वक्त, यह जैसे सत्र आज बुलाया गया था उस वक्त सत्र बुला लेते जो डाटा वगैरह 1 महीने में मिल सकता था, वह एक महीने पहले भी मिलता। जो पी.एस.सी. की परीक्षा है, पुलिस गार्ड की भर्ती है, व्यापम है विज्ञापन निकले हैं आरक्षण का कोई अता-पता नहीं है उसकी कोई वैधता नहीं है तो उन सब लोगों, बेरोजगार बच्चों को

फायदा मिलता। यह मैं कह सकता हूँ कि 3 महीने से इस प्रदेश में भर्ती और आरक्षण के मामले में आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई थी। अनुसूचित जाति का आरक्षण 13 प्रतिशत है उसको मैंने 16 प्रतिशत करने के लिए संशोधन पेश किया है, यह कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास जो आंकड़े हों वही सही हो या सरकार का ही आंकड़ा सही हो, अभी कई जातियों का संविलियन हुआ है तो आपका विवेक है अनुसूचित जाति का समाज भी उतना ही पीड़ित, शोषित, दु:खी है और इस प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं और प्रदेश के नवनिर्माण में अपनी भागीदारी करते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका भी ख्याल रखते हुए, आप कृपा करके 13 से 16 प्रतिशत आरक्षण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरी बात यह है कि कल ही ने के लिए क्रेविएट दायर करा दीजिएगा। क्योंकि जब पिछली सरकार के एक फैसले के खिलाफ लोग कोर्ट चले गए तो आप यह मत मानिएगा कि आपके फैसले के खिलाफ भी कोई कोर्ट नहीं जाएगा। तो जो भी फैसला हुआ है, गरीब, वंचित, शोषित समाज के पक्ष में हो रहा है उनकी रक्षा करना है। अगर शराब के लिए मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल या खदान के लिए बड़े-बड़े वकील आ सकते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- उन्होंने वकीलों का नाम भी बताया था।

श्री धर्मजीत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हां। मरकाम जी अध्यक्ष महोदय ने बताया था। तो वैसे ही यहां पर बड़े-बड़े वकीलों को लाकर के इनकी पैरवी कराईये। क्योंकि बाबा अम्बेडकर के द्वारा स्थापित संविधान में आरक्षण है उसमें ये दो समाज बहुत प्रमुख रूप से आते हैं और छत्तीसगढ़ के जंगल, जल, जमीन के असली मालिक आदिवासी हैं। उन मालिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए वकील लगाईयेगा। केविएट दायर होना चाहिए। मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि constitution is good or bad it will depend on the person who are called to work on it। संविधान अच्छा है या बुरा, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करेगा जिसे उस पर काम करने के लिए बुलाया जाता है। बाबा साहब अंबेडकर के ये शब्द माननीय मुख्यमंत्री जी आपके ऊपर लागू है। संविधान की रक्षा करने का दायित्व आपका है। सदन में प्रस्ताव पास होने के बाद आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसका क्रियान्वयन कितने अच्छे और प्रभावी ढंग से हो सके। सदन की मंशा है। आपके प्रयास की सराहना करते हैं और इस प्रदेश की जनभावना का सम्मान करते हैं। गरीब आदिवासियों, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के साथ ही और सामान्य वर्ग के लोगों को भी 04 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत आरक्षण करिये। सामान्य वर्ग में भी हमने बहुत गरीब और गरीबों को देखा है। ऐसा नहीं है कि उनका सामान्य वर्ग से आना उनके लिए कोई अभिमान का विषय नहीं है। वह अभिशाप में जीते हैं, ग्रस्त हो करके जीते हैं, तकलीफ में जीते हैं। उनका 04 प्रतिशत से 10 प्रतिशत आरक्षण करिये। जब आरक्षण बढ़ ही रहा है तो बढ़ा दीजिए न। 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत, 04 प्रतिशत से 10 प्रतिशत, 27 प्रतिशत से 32 प्रतिशत कर दीजिए, प्रस्ताव पास दीजिए। दिल्ली भेज दीजिए, मुम्बई भेज दीजिए।

हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाईये। आप जहां भी जाईये, यह सदन आपके पीछे है, आपके साथ है। अगर आप प्रदेश की जनता की ऑख से आंसू पोंछ सकेंगे तो यह प्रयास होगा। इसका भी हश्र उन प्रस्तावों के समान मत हो जो कोर्ट, कचहरी, दलील, अपील के चक्कर में फंसा रहे। इसलिए हम जो बोल रहे हैं उसका आप समर्थन करिये। अगर आप अनुसूचित जाति के लोगों का प्रस्ताव 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत नहीं करेंगे तो उसकी तकलीफ भी आपको उठानी पड़ेगी। इसलिए उस समाज के लोगों से भी बात करिये, उनको 13 से 16 प्रतिशत आरक्षण करने में सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 13 की जगह 16 लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है या अभी प्रस्ताव में सुधार कर दीजिए और पास कर दीजिए। आप बधाई ले लीजिए, हम आकर आपको बधाई देंगे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भानुप्रतापपुर, जबलपुर, रायपुर चुनाव के चक्कर में बात नहीं कर रहा हूं। यह उपचुनाव, चुनाव तो आते जाते रहते हैं। अभी तो हिमांचल, गुजरात में चुनाव हो रहा है। गोवा, उत्तरप्रदेश में चुनाव हुआ है। अभी और कहां-कहां हुआ है, चुनाव होते रहेगा। यह तो चलते रहता है। कहीं 2 सीट आती है, कहीं 100 सीट आती है, कहीं 50 सीट आती है, कहीं बुरी तरह से हारते हैं, कहीं बुरी तरह से जीतते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन चुनावों के रिजल्ट से इन गरीबों के हित और हक में कोई डाका नहीं पड़ना चाहिए। यह हमारी मंशा है। आपने यह जो प्रस्ताव लाया है, यह गरीबों के हित में है। हमारे जल, जंगल, जमीन के मालिकों के हित में है। वह स्वागत योग्य है। हम उसका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन हमारे सतनामी समाज के बारे में सोचकर अभी आप बोलकर उनका 13 से 16 प्रतिशत विधेयक में सुधार संशोधन करा दीजिए और इसको सर्वसम्मति से पास करा लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा (जैजेपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज माननीय मुख्यमंत्री जी जो विधेयक लाये हें, ओमा में संशोधन देहों, तेकर बर चर्चा करना चाहथन। सबसे पहली माननीय मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद कि वो प्रदेश के गरीब आदमी मन के चिंता करिन। केवल अनुसूचित जनजाति नहीं, बल्कि पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, ओखर भी आज ये व्यवस्था करे हवें। प्रकृति के उपासक, जल, जंगल, जमीन के रक्षा करने वाला और बहुत बड़ा आबादी जेमन जंगल में रहिथे। आज आरक्षण के कम होयले, आरक्षण के उद्येश्य जो सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्र में पीछे हवें, ओमन आरक्षण के माध्यम से शिक्षा मा, नौकरी मा, समाज मा ओ स्थान हासिल कर लेवें, जेमा ओमन ला बराबरी के दर्जा मिल सकय, यह उद्येश्य है। वैसे जंगल के रहवैया आदिवासी समाज के आज 32 प्रतिशत पुन: आरक्षण मिलै तेकर लिये आप विधेयक लाये हा। हम ओकर स्वागत भी करत हन और समर्थन भी करत हन। मैं हमर माननीय मंत्री कवासी लखमा जी ला धन्यवाद भी देत हवौं। राजनीतिक व्यक्ति होते हुए समाज के चिंता करिन। एक पेपर में पढ़े रहेंव कि अगर मैं 32 प्रतिशत आरक्षण नई दिवाहौं तो राजनीति से दूर हो जाहूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, एकर लिए धन्यवाद कि आप राजनीतिक व्यक्ति हो

करके समाज के चिंता करा और समाज के लिए आप अपन आप ला समर्पित कर अपनी विधायकी और मंत्री जैसे पद ला भी छोड़े बर तैयार होवा। संभवत: ये एक अच्छी राजनीति के पहचान है। अगर हर आदमी अपन समाज के प्रति ओतके अतन दायित्व के निर्वहन करैं तो शायद कोई समाज के साथ ये अन्याय नई होय सकै। माननीय चन्द्राकर जी संभवत: जब आप 16 प्रतिशत ला 12 प्रतिशत करा, ओ दिन भी अगर अनुसूचित जाति के विधायक मन ये संकल्प के साथ खड़ा हो जातीन, आपके मंत्री मन खड़ा हो जातीन कि आप 12 प्रतिशत कर दिहा ता मैं मंत्री पद ले इस्तीफा दे दिहा तो शायद आज अनुसूचित जाति के साथ यह प्रदेश मा अन्याय नइ होतीस। ओमन साहस नइ करीस, तेकर परिणाम हे कि हमन ला संशोधन लाय बर पड़त हे, हमन ला सरकार करा निवेदन करे बर पड़त हावय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरोप-प्रत्यारोप तो लगत रइथे। येती के मन ओती के आरोप लगाही, ओती के मन येती आरोप लगाही, लेकिन ये सदन के जिम्मेदारी हे, बाबा साहब भीमराव अंबेडर जी के संविधान में जो लिखे हे, देश के लिए जो चिंता करे हे, समाज के लिए जो कानून बनाहे, ओला पारित करवाना यह सदन के जवाबदारी अउ जिम्मेदारी हे। चुनाव हे तेकर कारण विधेयक लाहे। नइ लाहे अलग विषय हे। लेकिन आज पूरा प्रदेश के आदिवासी समाज आंदोलनरत हें, ये बात बिल्कुल सत्य हे अउ स्वाभावित रूप से काकरों साथ अगर लगहीं कि अन्याय होथे तो सड़क म उतरबे करहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो अनुसूचित जाति है, यह प्रदेश मा बहुत पिछड़ा समाज हे, उपेक्षित समाज हे। आप अगर ओकर सामाजिक स्थिति ला गांव मा देखिहा तो आज भी बस्ती के बाहर, काबर की पहली जो व्यवस्था रहिसे, अलग बस्ती मा ओमन के निवास रहय। ओमन उपेखित रहीन हे। तिरस्कार के जीवन झेलत रहीन हे अउ आज भी ओ स्तर मा नइ आ हे। भले ही भारत संविधान समानता के अधिकार दे दिस, भले ही कानून मा भेदभाव के छुआछूत कर दिस, लेकिन व्यावहारिक रूप से आज भी वह पूर्णरूपेण लागू नइ होय हावय। आप 12 दशमलव कुछ प्रतिशत आंकड़ा बताय हौं। पिछड़ा समाज के भी 42 आंकड़ा बताय हौं, लेकिन समय अउ परिस्थिति के हिसाब से हो सकथे ओ आंकड़ा बदलत होही। आपसे हमर एके ठन निवेदन हे कि ओ समाज के भी सम्मान होय, ओमन ला भी पढ़े-लिखे के अधिकार मिलय, नौकरी मा जाय के अधिकार मिलय, तो यह पूर्व मा आप 12 प्रतिशत ला 13 प्रतिशत करे हौं, निवेदन हे कि ओला 16 प्रतिशत कर देवा, काबर कि आपके जन-घोषणापत्र मा भी रहीस। आप यह बोले हां कि भाई ओकर आबादी के हिसाब से देथन, लेकिन घोषणा-पत्र बनाय के समय मा भी आप मन ला मालूम रहीस होही कि आबादी काहे अउ काबा ये हा सदन मा 12 प्रतिशत होय रहीस। तो उम्मीद करे हौं कि प्रदेश के उपेक्षित समाज हा, अनुसूचित जाति हा, अउ महोदय, हमू मन करा आए रहिन, हमू मन ला कहन हे कि भाई ये बात आही ता प्रमुख रूप से सदन मा रखिहा। तो हम तो ये करा ले निवेदन ही कर सकथन, फैसला आपला करना हे।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दू मिनट। पिछड़ा वर्ग के लिए आप 27 प्रतिशत के आप व्यवस्था करे हा। पूर्व मा करे रहा, कोर्ट मा कोई कारण से स्टे हो गे, ये हा अलग विषय हे, लेकिन आप 27 प्रतिशत आरक्षण देहे के साहस तो करा। भाई रामकुमार यादव जब आपके दल म नइ रहीस ता साइकिल यात्रा करे रहीन। पिछड़ा समाज ला ओकर आबादी के हिसाब से हिस्सा दे। ये अलग बात हे कि सदन मा आय के बाद केवल 42 प्रतिशत के बाद नइ करत हे, 27 प्रतिशत के बात करथे। जबकि इहां तो 42 प्रतिशत के बात होना चाहिए। काबर की आर्टिकल 340 मा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हर पिछड़ा समाज के भी आरक्षण के बार करे हे कि ओला चिन्हांकित किया जाए अउ ओकर आबादी के हिसाब से सामाजिक जीवन ओकर ऊपर उठ सकैं तेकर लिये शिक्षा मा अउ नौकरी मा ओमन आरक्षण दिया जाये, तेकर लिये ये व्यवस्था हे। दूसर चीज, विद्यार्थी मन के साथ, पिछड़ा वर्ग के साथ स्कालरशिप मा शोषण होत हावय।

श्री संतराम नेताम :- चंद्रा जी, पहले अपनी मांग कर लीजिये।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मोरे बर मांगत हौं। मैं जेकर बर मांगत हौं, मोर क्षेत्र के जनता अउ जनता माने मैं हौं। मांगे तो हमन सकथन, देना तो आप ला हे संतराम जी। अब देने वाला बन गे हा। हमन तो आज भी मांगने वाला हन। स्कालरशिप पिछड़ा वर्ग के समान एस.टी./एस.सी. के समाज ला भी आरक्षण मिलना चाहिए। स्कालरशिप के जो सीमा हे, एस.टी./एस.सी. के लिए केन्द्र सरकार के आधार पर ढाई लाख इनकम हे, लेकिन ओ.बी.सी. के लिए सालाना इनकम केवल 1 लाख हे। जब ओहर 1 लाख के इनकम सर्टिफिकेट दिही तभे स्कालरशिप मिलहीं। तो ओ.बी.सी. के भी इनकम ला जो ढाई लाख किया जाय, ए मोर माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन हे । साथ ही साथ केवल आरक्षण दे देहे ले कछु नइ होए, कागज में आरक्षण से कछु नइ होए ।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय विधायक जी, शायद आपके जानकारी में होही। नइ होही ता मैं बता दूहूं कि माननीय भूपेश बघेल जी के छत्तीसगढ़ में ए पहला सरकार हे जे हर एस.टी., एस.सी. मन जइसे पिछड़ा वर्ग के भी हॉस्टल खोले के काम करे हे । 15 साल ले ऐमन नइ करे रिहीन हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अब्बड़ अकन धन्यवाद दिंहा, अउ कतका अकन दिंहा? सदन ले बाहिर अलग मा आप ला अउ धन्यवाद दे दुहूं । बेकलॉग भर्ती होना चाहिए, अभी 4 साल में कहीं कोई बैकलॉग भर्ती नइ होए हे । सीट खाली है ता आरक्षण के कोई औचित्य नइ हे । दूसर ए अलग-अलग ढंग के विज्ञापन निकालथें जेमा आरक्षण के रोस्टर लागू मत होए । कम पद के निकाल दिहीं जेमा आरक्षण लागू मत होवए । ऐमा भी हमर निवेदन हे कि आप भर्ती अईसनहा ढंग के करओ जेमा आरक्षण के लाभ ए वर्ग मन ला जेला आप आरक्षण देहे बर तय करे हा, तेला मिल जाये । स्वर्ण के कोई आरक्षण नइ हे, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं तेकर लिये आरक्षण हे । जो आप 4 प्रतिशत के प्रावधान करे हावा ।

श्री टी.एस. सिंहदेव :- इन तीनों को छोड़कर के बाकी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी, यही तीनों को छोड़कर जितने भी लोग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तेकर बर 4 प्रतिशत के आरक्षण है ओमा निवेदन हे कि ओला 10 प्रतिशत किया जाये । पिछड़ा वर्ग के लिये जो आप संभाग स्तर में करे हा, आप सामान्य के लिये तो 4 प्रतिशत से लेकर के आबादी के हिसाब से अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत रखे हा लेकिन पिछड़ा समाज के लिये आप आबादी के हिसाब से अधिकतम 27 प्रतिशत रखे हा । एकर लिये निवेदन हे, स्थानीय स्तर मा तृतीय-चतुर्थ जो कर्मचारी के भर्ती होवए ता ओकर आबादी के हिसाब से मिलय जहां कम होही तहां कम मिलही लेकिन अधिकतम सीमा आप ओकर लिये 27 प्रतिशत रख देहा जबकि ईओडब्ल्यू के आप 4 प्रतिशत रखे हा लेकिन अधिकतम सीमा यानी आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं ओकर लिये तो ये मोर निवेदन हे । माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐकर साथ ही साथ एक महरा माहरा अऊ माहारा जाति हे । माननीय मुख्यमंत्री जी ला मालूम है, बहुत दिन ले ओमन लड़ाई लड़त हें, आवेदन करत हें । पूर्व में एमन अनुसूचित जाति में सम्मिलित रहिन अऊ आज भी ओमन के जीवनशैली अउ ओमन के असामाजिक जो स्थिति हे तेहर बहुत कमजोर हे, अनुसूचित जाति के लिये ऐमन प्रयास करत हें कि हमन ला अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया जाये ताकि ओ समाज के उत्थान हो सकय । संभवत: प्रदेश सरकार हा केंद्र सरकार ला ऐकर लिये प्रस्ताव भी भेजे हे । मैं ऐकर लिये भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय करा निवेदन करत हंओं कि ए महरा अऊ महरा जाति ला जो हे अनुसूचित जाति में शामिल कर लेवा और पुन: एक-बार बहुत-बहुत धन्यवाद के साथ ए विधेयक के मैं हा समर्थन करत हंओं । इसके साथ ही साथ पुन: एक-बार निवेदन करत चाहत हंओं कि अनुसूचित जाति के लिये जो 13 प्रतिशत आरक्षण के आप प्रावधान करे हओ तेला आप 16 प्रतिशत कर देवओ । इही निवेदन के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय आप हमर संशोधन ला स्वीकार करेओ, बोले के मौका देहा तेकर लिये धन्यवाद ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन स्वीकार नहीं किया हूं, संशोधन पर आपको सुन रहा हूं । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हां-हां । संशोधन मतलब संशोधन ला भई बात रखे बर आप स्वीकार करा न । (हंसी)

श्रीमती इंदू बंजारे (पामगढ़) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी द्वारा लाये गये आरक्षण अधिनियम जो अनुसूचित जाति का 13 प्रतिशत है, उसमें संशोधन करने के लिये जो 16 प्रतिशत का संशोधन मैंने दिया था उसमें बोलने के लिये खड़ी हुई हूं । सबसे पहले अपनी बातों को रखने से पहले छत्तीसगढ़ सरकार के सम्मान के लिये दो लाईन बोलकर अपनी बातों को रखना चाहूंगी - कि अड़े थे जिद पर कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे, अड़े थे जिद पर कि सूरज बनाकर छोड़ेंगे । पसीने छूट गये साहब पिग्गियां बनाने में । (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे कि पूर्व में अविभाजित मध्यप्रदेश में जो अनुसूचित जाति का आरक्षण था वह 16 प्रतिशत था लेकिन उस समय के पूर्ववर्ती जो सरकार थी उन्होंने उसको काटकर 4

प्रतिशत कम कर दिया और 12 प्रतिशत कर दिया था और इस समय वर्तमान सरकार फिर से जो हमारी अनुसूचित जाति का 12 प्रतिशत आरक्षण था उसको 1 प्रतिशत बढ़ाकर 13 प्रतिशत लायी है वह बिल्कुल उचित नहीं है, चूंकि छत्तीसगढ़ सरकार जब सत्ता में आने से पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में बोला था कि सत्ता में आने के बाद अनुसूचित जाति का आरक्षण 16 प्रतिशत करेंगे लेकिन आज वह अपनी बातों से मुकर रही है इससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार अनुसूचित जाति की मंशा के अनुरूप जातिगत भावना रखती है और अनुसूचित जाति का जो 1 प्रतिशत बढ़ाने का जो काम है वह बिल्कुल उचित नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, सभी साथियों ने बोला कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। बहुजन समाज पार्टी का हमेशा से यह नारा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी और जनसंख्या के आधार पर जाति सर्वे के आधार पर जिसकी जितनी संख्या होती है, उसको शिक्षा में, सत्ता में, राजनीति में और शासन-प्रशासन में उसकी जनसंख्या के आधार पर उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि हमारे जो अनुसूचित जनजाति जो हमारे जल, जंगल, जमीन के रखवाले हैं, जो हमारी संस्कृति के रखवाले हैं, उन्हें आप लोगों ने जनसंख्या के आधार पर 32 प्रतिशत आरक्षण दिया है, लेकिन ऐसी क्या महामारी आ गयी, जिसमें छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटने लग गई। ऐसा कौन सा भूचाल आ गया, जिसके कारण अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या बढ़ने के बजाय कम हो गया। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि जब अनुसूचित जाति का जाति सर्वे किया जायेगा तो 16 प्रतिशत क्या वह 17 प्रतिशत बढ़ जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि आप जो हमारे अनुसूचित जाति को 13 प्रतिशत आरक्षण दिये हैं, उसे संशोधित करके 16 प्रतिशत बढ़ायें, ऐसा मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती इंदू बंजारे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने बताया कि जो आरक्षण विधेयक लाया गया है, वह वर्ष 2011 के जनसंख्या के आधार पर है और क्या वर्ष 2011 की जनसंख्या से आज तक जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए विशेष कानून व्यवस्था बनाकर जो अनुसूचित जाति का 13 प्रतिशत है, उसे 16 प्रतिशत करेंगे। इस जगह पर हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब आरक्षण बेस पर आरक्षण कोटे से आप यहां चुनकर आये हुए हैं। तो आप सभी से मैं यह कहना चाहती हूं कि भले हम किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हों, किसी भी संगठन से जुड़े हों, लेकिन जब अनुसूचित जाति के मान-सम्मान की, उनके हक-अधिकार की बात आती है तो सभी को एक आवाज में एक साथ देना चाहिए। आप सभी को मैं इस सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रमोद कुमार शर्मा।

श्रीमती इंदू बंजारे :- चूंकि जब इस सदन से हम जब हम अपने क्षेत्र में जायेंगे तो हम उन्हीं अनुसूचित जाति के समाज के बीच में जायेंगे, उन्हीं लोगों के बीच में जायेंगे, जिनके वोट और जिनके आरक्षण के बेस पर आज हम यहां चुनकर एक विधायक और मंत्री के रूप में बैठे हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुसूचित जाति के आरक्षण में संशोधन करने के लिए हम केवल एक, दो जनसंख्या में हैं और जितने भी जो आरक्षण बेस पर चुनकर आये हैं, वे मौन बैठे हुए हैं। हमारे लिए व अनुसूचित जाति के वर्गों के लिए बहुत दुख की बात है। बहुत लज्जा की बात है और सम्मानीय हमारे मंत्री महोदय जी, सम्माननीय शिवकुमार डहरिया जी बार-बार पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं। मैं मानती हूं कि इनकी सरकार ने हमारे आरक्षण को कम करके 12 प्रतिशत किया, इसीलिए इनकी जनसंख्या 14 सीटों में ही सिमट गई है। आने वाले 1 साल में चुनाव सिर पर है तो कहीं ये न हो कि इनके पदचिन्हों पर चलते-चलते आपका भी स्थल वहां से यहां आ जाये। तो इस बात को विशेष ध्यान देते हुए अनुसूचित जाति का आरक्षण 13 प्रतिशत से 16 प्रतिशत करने का मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती हूं और आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद देती हूं।

श्री संतराम नेताम :- मैडम, अभी 25 साल लगेगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- डहरिया जी, सावधान। डहरिया जी, सावधान हो जाइए।

श्रीमती इंदू बंजारे :- सम्मानीय संतराम नेताम भैया जी, जनता के मत का कोई उद्देश्य नहीं होता है, चूंकि 15 साल इन्होंने राज किया और इनकी गलती की वजह से इन्हें केवल 14 सीटों में सिमटा दिया गया है और अगर छत्तीसगढ़ सरकार अपनी नीति को बदलेंगे तो आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जगह-जगह जनआंदोलन चल रहा है। जन आक्रोश जन मानस में बढ़ा हुआ है। तीसरी बात, मैं सबको आगाह कर रही हूं कि आने वाले समय इनके जैसे आपकी स्थिति मत हो और आप अपनी सत्ता पर बने रहें, इसीलिए 13 प्रतिशत से आप 16 प्रतिशत बढ़ायें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- मैडम, मैं आपके संज्ञान में ला देता हूं कि छत्तीसगढ़ विधान सभा में 90 में से 40-45 लोग ही सदन में दोबारा वापस आते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- श्री प्रमोद कुमार शर्मा।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदाबाजार) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरक्षण संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ, माननीय अध्यक्ष महोदय, आज का जो विधेयक था, इसमें विरोध वाला या फिर पास नहीं होने वाला कोई बात ही नहीं था। चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सभी तैयार हैं, क्योंकि सभी राजनीति से जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा खतरा कोई मोल नहीं लेगा और सब जनप्रतिनिधि यह बात जानते हैं। (हंसी) माननीय महोदय, अभी तक जो बात कर रहे थे, वह सब

दिखावा वाला था कि मैं प्रिय हूं, मैं प्रिय हूं, इस वर्ग का मैं प्रिय हूं, यही सिर्फ वाहवाही लूटने का काम हो रहा है, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मेरी एक पीड़ा है, हम लोग पूरा समर्थन करते हैं, अनुसूचित जनजाति को 32 प्रतिशत दें, पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत दे, पूरा समर्थन है, अनुसूचित जाति का 13 से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दें, पूरा समर्थन है किसी को कोई विरोध नहीं है । लेकिन अध्यक्ष महोदय, एक वर्ग आता है सवर्ण वर्ग, गरीब के लिए पूरे देश भर में केवल 10 प्रतिशत लागू है । उसे 10 प्रतिशत से कम करके यह सरकार 4 प्रतिशत पर ले आई, इस बात का दुख है । अध्यक्ष महोदय, सवर्ण गरीब वर्ग में सबसे ज्यादा लाभान्वित होंगे गरीब ब्राह्मण। इसमें 80 प्रतिशत आएगा लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सदन में उस गरीब ब्राह्मण के बारे में अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई । बिना आरक्षण के यहां ब्राह्मणों की 10 प्रतिशत उपस्थिति है । उसके बाद भी उस गरीब ब्राह्मण के बारे में इस सदन में चर्चा नहीं हो रही है, यह बहुत ही दुख की बात है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- पंडित जी अमीर भी रहेंगे तो पूरी बात गरीब ब्राह्मण से ही शुरू होगी ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- एक गांव में गरीब ब्राह्मण था । अब पता नहीं, ब्राह्मण गरीब ही क्यों रहते हैं । अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्य की बात है कि जो इस ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं वे भी मुंह में दही जमाकर रहते हैं । आज गरीब ब्राह्मण वर्ग की स्थिति देख लीजिए कोरोनाकाल में जो मंदिर में पूजा करते हैं, जो कथा वाचन करते हैं ऐसे ब्राह्मण समाज की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, इनको खाने के लाले हो गए थे । सरकार हो या कोई भी वर्ग हो, उनकी ओर कोई भी देखने वाला नहीं था । आज सौभाग्य की बात है अगर ब्राह्मण के लिए आरक्षण मिल रहा है तो 10 परसेंट से काटकर 4 परसेंट पर ला रहे हैं । इससे स्पष्ट होता है कि यह ब्राह्मण विरोधी सरकार है । मैं यही निवेदन करूंगा कि भले ही ब्राह्मण जनसंख्या में कम हैं, गांव में एक-दो रहेंगे । भले ही वे लोग शंख बजाएंगे, घंटी बजाएंगे लेकिन वक्त आएगा तो वे घंटा भी जा सकते हैं । नेतागण इस बात को ध्यान रखें । यहां जितने भी नेता हैं वे पूछ रहे थे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को आपका समर्थन है या नहीं है । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 10 परसेंट लागू करने में किसका किसका समर्थन है या नहीं है । उनके क्षेत्र में भी गरीब ब्राह्मण हैं। जब आप क्षेत्र में जाएंगे तो वे भी आपसे पूछेंगे । एक बात ध्यान रखिए कि एक ब्राह्मण पूरे गांव को हिलाने की शक्ति रखता है ।

श्री उमेश पटेल :- शर्मा जी, भगवान करे आप जैसा गरीब ब्राह्मण पूरे छत्तीसगढ़ को मिल जाए ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- अगर 10 परसेंट से घटाकर 4 परसेंट करते हैं तो इस सरकार को ब्रह्म दोष लगेगा । इतिहास गवाह है जब-जब ब्राह्मण बोला है, राज सिंहासन डोला है । जय परशुराम । आप इतिहास देख लीजिए, इसके पहले जो जो कृत्य किया था, ब्राह्मण नाराज हुआ तो पूरा इतिहास बदल गया है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री उमेश पटेल :- एक गरीब ब्राह्मण इधर है, एक गरीब ब्राह्मण उधर है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- चौबे जी को छोड़कर ।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा :- मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि अभी भी इस छवि को बचा लो कि यह सरकार ब्राह्मण विरोधी मत कहलाए । इस 4 परसेंट को 10 परसेंट कर दीजिए ताकि आपका भी हित हो । यह सरकार ब्राह्मणों के भी हित में है ऐसा आग्रह करता हूं । अन्यथा यही इस सरकार के पतन का कारण होगा । यह भी एक इतिहास बनेगा । जय परशुराम ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 4 में संशोधन माननीय पुन्नूलाल मोहले जी, धर्मजीत जी, चंद्रा जी, इंदू जी, प्रमोद शर्मा जी ने अपनी बात रखी । अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि पिछली सरकार ने इसे सर्क्यूलर के रूप में जारी किया था, हमने इसको एक्ट में लाया है । दूसरी बात यह है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ग पदों के राज्य स्तर पर किसी भर्ती में वर्ष में उद्भुत होने वाले रिक्तियों के संबंध में जो प्रतिशत है, अनु सूचित जाति 13, अनुसूचित जनजाति 32, अन्य पिछड़ा वर्ग 27, आर्थिक रूप से कमजोर 4 । यह प्रदेश संवर्ग के लिए है । माननीय पुन्नूलाल जी मोहले और अन्य साथी कह रहे थे कि हमारी अनुसूचित जाति की जनसंख्या ज्यादा है, हो सकती है । मैंने इसीलिए निवेदन किया कि 2021 में यदि जनगणना हो जाती और वे आंकड़े आ जाते तो हमें बढ़ाने में कोई तकलीफ नहीं होती । अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दो ऐसे वर्ग हैं जिसका आरक्षण सीधे जनसंख्या के आधार पर है । पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर लागू हुआ और ई.डब्ल्यू.एस. का अभी भारत सरकार ने 2019 में लोक सभा में पारित, उसके आधार पर है। अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत जी ने कोर्ट वगैरह के बारे में बात कही, हम लोग उसी दायरे में रहना चाहते हैं। ऐसा आंकड़ा न कर दें वह तत्काल निरस्त हो जाए। अध्यक्ष महोदय, हम अधिकार दिलाना चाहते हैं, हमने बहुत पवित्र मन से इस प्रस्ताव को रखा है। बहुत सारे साथियों ने 16 प्रतिशत की बात कही लेकिन यदि इन नियमों देखें तो जितनी जनसंख्या है। पिछली सरकार ने 12 प्रतिशत क्यों किया था, कोई कारण नहीं था। 13 प्रतिशत करना था जो नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं आज इस सदन को विश्वास दिलाता हूं, जनगणना होगी, यदि 15 प्रतिशत, 16 प्रतिशत, 17 प्रतिशत, 20 प्रतिशत जितना हो, निश्चित रूप से अनुसूचित जाति को दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। (मेजों की थपथपाहट) दूसरी बात, चूंकि अधिकांश भर्तियां संभाग और जिला संवर्ग के आते हैं। यह तो प्रदेश स्तर का है, प्रदेश स्तर में कम भर्तियां निकलती है लेकिन संभाग और जिला संवर्ग है, इसमें तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में पदों में जो आरक्षण है, उसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुसार होगा। निश्चित रूप से बस्तर या सरगुजा में हमारे अनुसूचित जाति की संख्या कम है लेकिन मैदानी हिस्से में अनुसूचित जाति की संख्या ज्यादा है। उस जिले में निश्चित रूप से उसके जितने प्रतिशत होंगे, मान लो मुंगेली जिले की बात करें, बिलासपुर जिले की बात करें या सारंगढ़ की

बात करें या रायपुर दुर्ग की बात करें, जहां पर इनकी बसाहट ज्यादा है तो निश्चित रूप से उसमें उतने प्रतिशत के हिसाब से उनको पद मिलेगा। इसमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो गरीब लोग हैं, वे निश्चित रूप से तृतीय, चतुर्थ श्रेणी में ज्यादा ही आते हैं। दूसरी बात, अन्य पिछड़ा वर्ग की बात है, जिसके बारे में चंद्रा जी ने कहा। अब हमारे पास तो सिलिंग है, 27 प्रतिशत भारत सरकार ने भी माना है, उससे अधिक जा नहीं सकते। जिन जिलों में कम प्रतिशत है, वहां कम मिलेगा लेकिन जिन जिलों में पिछड़े वर्ग की संख्या अधिक है, वहां 27 प्रतिशत तक जाया जा सकता है। परशुराम समर्थक हमारे प्रमोद भाई खड़े हो गये थे। उन्होंने फरसा दिखाया, थोड़ा लहराया और कहा कि श्राप वगैरह मिल जाएग, उन्होंने भले ही नहीं कहा होगा लेकिन इशारा वही था। श्राप यदि ब्राम्हण देवता दे दे तो बड़ा मुश्किल होगा। अध्यक्ष महोदय, हम तो शुरू से ही इसके पक्षधर हैं लेकिन अभी जो क्वांटीफायबल डाटा आया...।

श्री अजय चंद्राकर :- ब्राम्हण के श्राप से बच्चा भी पैदा हो जाता है। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- भाई, आशीर्वाद से होता है, श्राप से तो नहीं सुने थे।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को जिले और संभाग में जनसंख्या के स्तर पर आरक्षण दिया जाता है। हमारी सरकार में भी थी। मैं बस इतना कोड करना चाहता हूं।

श्री भूपेश बघेल :- मैं कहां कह रहा हूं। आपने विधान सभा में एक्ट नहीं लाया था। मैंने यह भी कहा।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आरक्षण में भर्ती हुई थी....।

श्री भूपेश बघेल :- नहीं-नहीं, आपने आरक्षण में 32, 12 ,14 प्रतिशत वाला एक्ट लाया था। आपने जिला और संभाग स्तर वाला सकुर्लर जारी किया था। यह जो हाईकोर्ट में नहीं टिका उसका एक कारण यह भी था जिसके कारण से हाईकोर्ट ने निरस्त किया। आपने दूसरी बात कही, हाईकोर्ट में उसके पक्ष में फैसला आया। आप बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं। फैसला यह आया है कि आपने जो 58 प्रतिशत किया था, आपने बिना क्वांटीफायबल डाटा के प्रस्तुत किया, उसमें कोई तर्क नहीं रखे, इस कारण से उस आदेश को निरस्त किया है। उसके पक्ष में फैसला नहीं आया है। आप इस बात को समझिए। यह उस फैसले को पिछली सरकार ने जो वर्ष 2012 में पारित किया था, उस आदेश को ही निरस्त किया है तो फिर मध्यप्रदेश का जो वर्ष 1994 को जो आदेश है, उसके आधार पर यह लागू हो गया। अब हमारे इंदू बहन बोल रही थीं कि भू-चाल आ गया, भूकंप आ गया। दरअसल बात यह है कि यह वर्ष 1994 मध्यप्रदेश के समय का प्रावधान है, जिसमें वहां आदिवासी 20 प्रतिशत थे, अनुसूचित जाति के लोग 16 प्रतिशत थे, इस कारण से वह लागू हो गया। क्योंकि हमने विधानसभा में ही मध्यप्रदेश की सब चीजों का अनुकूलन किया था। जब वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ अलग बना, इस कारण से वह लागू हो गया। लेकिन अब जो जनसंख्या है, अब यहां वह जनसंख्या बदल गयी। आदिवासी 20

प्रतिशत नहीं, 32 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति 16 प्रतिशत नहीं, 13 प्रतिशत हैं तो यह बदला है और दूसरा, केवल ब्राम्हणों का नहीं, ई.डब्ल्यू.एस. में जो एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. से जो छूट गये।

श्री अजय चंद्राकर :- ठाकुर मन भी हैं।

श्री भूपेश बघेल :- हां, ठाकुर का भी है। ठाकुर हैं, अग्रवाल हैं। यह सब आएंगे, जो अपर क्लास में आते हैं। उन सबका है केवल ब्राम्हण देवता भर का नहीं है। लेकिन ज्यादा हिस्सा ले लेंगे, वह अलग बात है। दूसरी बात....।

श्री अजय चंद्राकर :- एक मिनट, क्या है कि...।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संभाग और जिला स्तर से आरक्षण हुआ था, उसमें मुंगेली में 23 प्रतिशत है, बलौदा-बाजार में 21 प्रतिशत आरक्षण निर्धारित है। सबका निर्धारित हुआ है और उसी के अनुसार भर्ती होती है न कि प्रतिशत के आधार पर आरक्षण दिया गया है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ओ समय भी एला समझ नहीं आए रहिसे। अंग्रेजी मा लिखाये रहिसे। ए बार भी निर्णय आए है ओ भी अंग्रेजी में आये हैं एखरे कारण ऐला बिल्कुल समझ ए नहीं आत हैं।

श्री भूपेश बघेल :- अजय जी।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आपको होश नहीं है कि मैं कॉलेज पढ़ा हूं। (हंसी)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि ठाकुरों के लिए भी है लेकिन आपके राज में ठाकुरों के तेज को माहु चूहक दिया है। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- अब ऐसा है कि आप लोग कभी माहु चुहकने की बात कहते हैं तो कभी मुसवा बना देते हैं तो कभी बिलई बना देते हैं तो कभी कुकुर बना देते हैं तो आप लोगों को मुबारक हो। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो जनगणना होती है उसमें जाति प्रमाण पत्र लेकर जनगणना करने आते हैं वह उसके पास नहीं आते हैं। वह सेल्फ डिक्लियरेशन होता है और उसमें यह जाति छूट गया, वह जाति छूट गया, यह नहीं है। इसमें खुद जो घोषित करते हैं कि वह अनुसूचित जाति के हैं, जनजाति के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं और अपर क्लास के हैं। वह खुद सेल्फ डिक्लियरेशन होता है और इसलिए जो बातें अभी पुन्नूलाल मोहले जी ने कहा कि मुंगेली में 23 प्रतिशत, बलौदा-बाजार में 21 प्रतिशत तो यह अपर क्लास और ई.डब्ल्यू.एस. के लिये भी जहां जितनी जनसंख्या है अभी राज्य के लिए तो 4 परसेंट हुआ लेकिन संभाग और जिला के लिए तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में वह जनसंख्या के आधार पर मिलेगा और वह अधिकतम 10 परसेंट तक मिलेगा। (मेजों की थपथपाहट) यह व्यवस्था की गई है तो मैं समझता हूं कि इसको एक्ट बनाया है। इसको एक्ट नहीं बनाया गया, वही तो गड़बड़ी हुई।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, एक मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे केवल यही आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो आज विधेयक का प्रस्ताव पास हो रहा है तो कल सबेरे से कोर्ट-कचहरी शुरू हो जाएगा।

श्री अजय चंद्राकर :- कल शनिवार है।

श्री धर्मजीत सिंह :- आप रात को महामहिम राज्यपाल से दस्तखत करवा लेंगे। हम उनको भी दस्तखत करने के लिए धन्यवाद दे देते हैं लेकिन वकील कल से ही तैयारी करेगा तो जरा आप बड़े-बड़े वकील लगा दीजियेगा, जैसे-शराब-वराब में आते हैं। थोड़ा-सा इसमें भी दिखवा लीजिएगा। (हंसी)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- आप लोग संशोधन वापस ले लीजिए न।

श्री भूपेश बघेल :- धरम भैय्या, आप से पूछ लेंगे।

श्री अजय चंद्राकर :- यह तो भाजपा में आ चुके हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है। वही लोग ले आएंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- सर, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। यह तो आपके अध्यक्ष जी वकील का नाम बताये हैं। मैं आपको उसी को याद दिला रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है न। जितने बड़े वकील हैं, हम उन सबको लाकर खड़े कर देंगे।

श्री धर्मजीत सिंह :- नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं।

श्री भूपेश बघेल :- जो आरक्षण के बारे में जानते हैं, हम उन सारे वकीलों को लाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। (मेजों की थपथपाहट)

श्री धर्मजीत सिंह :- मैं तो आपसे यही विनती करता हूं क्योंकि मैं तो आज तक डी.जे. कोर्ट के वकील को भी नहीं जानता कि वह कौन है ? कोर्ट के बारे में अकबर भाई ज्यादा जानते हैं।

श्री भूपेश बघेल :- ले, ठीक है न भैय्या।

श्री धर्मजीत सिंह :- तो आप कृपा करके इसका ख्याल कर लीजिएगा।

श्री भूपेश बघेल :- ठीक है। धरम भैय्या, अब आप अपना स्थान ग्रहण कर लें। तो यह सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं और मैंने सारे सवालों के जवाब दे दिये हैं तो मैं सारे माननीय सदस्यों से, जिन्होंने संशोधन दिया है उनसे आग्रह करूंगा कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड-4 के पद 1 में अंक एवं शब्द 13 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत तथा 4 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत किया जाए।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, डिवीजन।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इतना बड़ा विधेयक आया है तो मैं समझता हूं और मैंने कहा भी है कि जिस दिन जनगणना होगी और वर्ष 2021 ड्यू था। जिस दिन भारत सरकार

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

जनगणना कराएगी और रिजल्ट आएगा, उस दिन हम लोग जनसंख्या के आधार पर करेंगे। आपसे आग्रह है कि आप संशोधन को वापस ले लें।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- आप आश्वासन दे रहे हैं न ?

श्री भूपेश बघेल :- हां जी, बिल्कुल आश्वासन दे रहे हैं।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- ठीक है। आप जो बिल लाये, उसका हम समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, मैं पुन: दोहरा रहा हूं।

श्री पुन्नूलाल मोहिले :- आपने जो बिल लाया है, हम उसका समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इस विधेयक के खण्ड 4 के पद (एक) में अंक एवं शब्द "13 प्रतिशत " के स्थान पर "16 प्रतिशत" तथा "4 प्रतिशत" के स्थान पर "10" प्रतिशत किया जाये।

संशोधन अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 4 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज यह महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक आया, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग तथा ई.डब्ल्यू.एस. के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। पूरे प्रदेश की निगाह इस पवित्र सदन पर है। मैं आपके माध्यम से इस अवसर पर मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अशासकीय/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 18 सन् 2022) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री भूपेश बघेल :- मैं पूरे सदन को धन्यवाद देता हूं कि आपने सर्वानुमति से पास किया। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपको भी धन्यवाद।

2. छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आरक्षण की व्यवस्था नौकरियों में है, शासकीय पदों पर है, वही आरक्षण की व्यवस्था जो एडमिशन है, उसमें भी किया गया है। मैं समझता हूं कि सारी चर्चा हो चुकी है, पहले भी आ चुका है। इसलिए मैं सदन से अपील करता हूं कि इसे भी पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा क्या है, वह तो हम सब समझ रहे हैं। हम आगे संकल्प पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरा संकल्प है, हम उसके लिए भी प्रस्ताव करते हैं कि इसको सर्वानुमति से बिना चर्चा के भी पारित कर सकते हैं। यदि वह सही उदेद्श्यों से लाये हैं तो, क्योंकि अभी तक ला तो देते हैं, मगर उदेदश्यों में कभी सफल नहीं हुए हैं।

श्री प्रमोद कुमार शर्मा (बलौदा बाजार) :- अध्यक्ष महोदय, एक कन्फ्यूजन है। आप जो सर्वण वर्ग के लिए 4 प्रतिशत का आरक्षण लागू कर रहे हैं, तो फिर वह पदोन्नति में कैसे आयेंगे ? क्योंकि वह तो नौकरी वाले रहेंगे। मतलब वह इस क्रायटेरिया से बाहर रहेंगे ? इसका कैसे निर्धारण करेंगे, इसको बता देते।

श्री पुन्नूलाल मोहिले :- अध्यक्ष महोदय, एक संशोधन है । विधेयक खंड 4 के (1) में 13 प्रतिशत के स्थान पर 16 प्रतिशत और 4 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े वर्ग को दिया जाये ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- इसमें तो संशोधन नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष महोदय :- है ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- संशोधन इसमें भी है, लेकिन सर्वसम्मति अब उसमें हो गया है, चर्चा इसमें भी हो जाये । (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- इस विधेयक के खण्ड 2 के पद (ख) तथा पद (घ) में श्री पुन्नूलाल मोहले, श्री धर्मजीत सिंह, श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, श्रीमती इंदू बंजारे, श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्यों की ओर से संशोधन प्राप्त हुआ है । इसलिए इस पर भी आपका मत लेना चाहता हूँ ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- अध्यक्ष महोदय, विधेयक के खण्ड 2 के पद (ख) में शब्द "तेरह प्रतिशत" के स्थान पर "सोलह प्रतिशत" तथा पद (घ) में शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" किया जाये ।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- इसमें बोलने देंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- अऊ काय बोलबे ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- समर्थन कर रहे हैं भाई, सभी कर रहे हैं । बोलने में क्या तकलीफ है भाई । दो मिनट बोलने में क्या तकलीफ है । हम तो समर्थन करेंगे, सब का समर्थन है ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बोलिये ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- डोकरा सठिया गे हे ।

श्री रामकुमार यादव :- बबा के मति छरिया गे हे ।

अध्यक्ष महोदय :- आप सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं । ऐसा करके बार-बार बत्ती को बुझा देते हो । उसको जलते रहने दीजिए । (हंसी)

श्री पुन्नूाल मोहले :- चूंकि आप बोलने नहीं देते हैं अध्यक्ष महोदय तो आपसे निवेदन करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिये, आप बोलिये ।

श्री पुन्नूलाल मोहले :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें ज्यादा बोलना नहीं है, 4 प्रतिशत से 10 प्रतिशत क्यों किया जाये, मैं बताना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का भी गाईड लाईन है कि 10 प्रतिशत होना चाहिये । केन्द्र सरकार की मंशा है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को 10 प्रतिशत होना चाहिये । इन परिस्थिति से मेरा आपसे अनुरोध है कि 10 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर तो आप दे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

ही रहे हैं, 4 प्रतिशत क्यों न किया जाये, जिसमें बौद्ध भी आते हैं, सिक्ख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, अन्य वर्ग आते हैं, जैन भी आते हैं, पिछड़े वर्ग से सभी लोग हैं, उन सब का 10 प्रतिशत इसी में आशा करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद । चूंकि आपने इसमें भाषण दे दिया । इसलिए मैं पुन: मत लूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :-प्रश्न यह है कि विधेयक के खण्ड 2 के पद (ख) में शब्द "तेरह प्रतिशत" के स्थान पर "सोलह प्रतिशत" तथा पद (घ) में शब्द "चार प्रतिशत" के स्थान पर "दस प्रतिशत" किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- संशोधन प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- विधेयक के खण्उ 2 के पद (ख) में शब्द तेरह प्रतिशत के स्थान पर सोलह प्रतिशत तथा पद घ में शब्द चार प्रतिशत के स्थान पर दस प्रतिशत किया जाये ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय **:-** प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि-छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2022 (क्रमांक 19 सन् 2022) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ ।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मेरी बात सुन ली जाये। संकल्प प्रस्तुत हो रहा है इसीलिये एक मिनट, मेरी बात सुन ली जाये।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट मेरी बात सुन ले। आज छत्तीसगढ़ विधान सभा के लिये ऐतिहासिक दिन है। मैं सभा के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूं कि आज लगभग 7 घण्टे से ज्यादा लंबी चर्चा के बाद प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिये और गरीब वर्ग के कल्याण के लिये एक ऐतिहासिक विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ। आप सब को बहुत-बहुत बधाई। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता के साथ, न इसको व्यवस्था का प्रश्न बोल रहा हूं, न औचित्य का प्रश्न बोल रहा हूं। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपको सभी सत्रों का अनुभव है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी यह कहा कि यह पारित होगा और हमारे वरिष्ठ मंत्रीगण गवर्नर साहब के पास जायेंगे। हम विधान सभा में संकल्प रखते है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नर के दस्तखत के बगैर हम इस संकल्प में चर्चा कर सकते हैं? यदि आप हां बोलेंगे तो मैं चर्चा करूंगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं करूंगा। एक, आप यह बता दीजिये कि यदि आज चर्चा करना जरूरी है तो इनके माननीय मंत्रीगण तैयार है, दस्तखत करवाकर ले आये, आप तीन घण्टे तक सदन स्थगित करवा दीजिये फिर चर्चा कर लीजिये। आप इसमें व्यवस्था दे दीजिये, मेरी इतनी छोटी-सी बात है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय अजय चंद्राकर जी ने जो विषय रखा है। वैधानिक प्रक्रिया तो पूरी होनी चाहिये और नहीं तो यह सदन गलत दिशा की ओर जायेगा फिर आने वाले समय के लिये नज़ीर बनेगी। इसीलिये जो वैधानिक प्रक्रिया है वह पूरी करके फिर इस संकल्प पर चर्चा करे तो ज्यादा बेहतर होगा।

श्री बृहस्पत सिंह :- सब कुछ अच्छा-अच्छा करके लास्ट में क्या गड़बड़ कर रहे हैं?

श्री संतराम नेताम :- साहब, यह स्थायी हल हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नगत संकल्प छत्तीसगढ़ विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के अध्याय 13 में वर्णित संकल्प संबंधी प्रावधानों नियमों के अनुरूप होने के कारण ही मैंने इसे ग्राह्य किया है। आज की कार्यसूचि में सम्मलित किये जाने के पूर्व कार्यमंत्रणा समिति के समक्ष भी इस संकल्प पर चर्चा का प्रस्ताव उपस्थित किया गया था व चर्चा हेतु आज के लिये समय निर्धारित हुआ था। तत्संबंधी कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन भी सभा द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। इस प्रकार प्रश्नगत संकल्प नियमानुरूप होने के कारण ही स्वीकार किया गया है। संकल्प नियमों के अंतर्गत ही ग्राह्य किये जाते हैं। अत: स्वीकृत संकल्प के विषय वस्तु पर आपत्ति करना उचित नहीं है। केंद्र सरकार के विषयों पर इस सदन को अनुशंसा करने, अनुरोध करने का अधिकार है। राज्य शासन कोई भी संकल्प ला सकता है, उसके माध्यम से केंद्र शासन से अनुरोध किया जा सकता है। इस पर किसी प्रकार की आपत्ति का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे केवल एक शब्द बोलना है। आपने जो पढ़ा है, मैं उस पर कोई संदेह नहीं कर रहा हूं। आपने मेरी बात पर व्यवस्था नहीं दी। मैं चाहता हूं कि उस पर व्यवस्था दे दीजिये। केंद्र सरकार के संकल्प में हमको अनुरोध करने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री अजय चंद्राकर :- अध्यक्ष महोदय, संसदीय इतिहास में मेरा ज्ञान बहुत संक्षिप्त है। गवर्नर के बिना दस्तखत के आकार लिये, मैं नहीं जानता कि प्री-मेच्योर चीजों में संकल्प आया हो। मैंने आपसे इस बारे में कहा था प्रक्रिया सम्मत है, आपने कार्यमंत्रणा समिति में किया, मेरा वह विषय नहीं था। यदि इसमें व्यवस्था दे दें कि प्री-मेच्योर में भी हम संकल्प ला सकते हैं, आप यह व्यवस्था दे दें तो मैं चर्चा में भाग लूंगा।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब अभी यह विधेयक अस्तित्व में आया नहीं है। छत्तीसगढ़ के 22 सालों के इतिहास में शायद यह पहली बार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह पहली बार हो रहा है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर पहले ऐसा कभी हुआ हो तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा, आप बता दें।

श्री अजय चन्द्राकर :- हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, हम 3 घण्टे स्थगित कर देते हैं। ठीक है आपके पास बहुमत है, लेकिन परम्पराओं को प्रभावित मत करिये। मेरा आपसे विनम्र आग्रह है।

अध्यक्ष महोदय :- आप बोलिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आसंदी से व्यवस्था देने के बाद इसमें प्रश्न के लिए कोई औचित्य बचता नहीं है। जहां तक दूसरी बात है इस समूचे सदन में बैठकर सर्वानुमति से इस विधेयक को पारित कर दिया। हमें उम्मीद करना चाहिए। जब राज्यपाल महोदया ने कह दिया कि इसमें दस्तख्त भी हो जाएगा और उसमें कोई समस्या नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक है। हम तीन घण्टे रूक जाते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, तो दस्तख्त के बाद ही केन्द्र सरकार को जाएगा।

श्री अजय चन्द्राकर :-हम लोग 3 घण्टे रूक जाते हैं।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मुझे लगता है कि इसको पारण करना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :-हम लोग 3 घण्टे रूक जाते हैं। 3 घण्टे बाद बहस करके पारित कर लेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, सच्चाई तो यह है कि चन्द्राकर जी चाहते हैं कि इनका नाम हेड लाईन में छपे, इसलिए सब कुछ होने के बाद यह अंडंगाबाजी कर रहे हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री नारायण चंदेल :- नहीं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो बात कही।

श्री अजय चन्द्राकर :-आपको तो कम से कम ऐसी बात को रोकना चाहिए। legislative बातें बहुत कम होती हैं। legislative बात में ऐसी हल्की टिप्पणी में आपको प्रतिकार करना चाहिए।

श्री नारायण चंदेल :- देखिए, हमने विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया। अभी विधेयक अस्तित्व में नहीं आया है और हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। हमको भारत सरकार को संकल्प भेजना है। पहले विधेयक तो अस्तित्व में आ जाये। यहां की प्रॉपर्टी बन जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, चन्द्राकर जी के कहने पर कहां बात कह रहे हैं। आप बहुत सज्जन और विद्वान आदमी है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोगों ने सर्वानुमति से पारित कर दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मेरी दूसरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय:- मैं आपकी बात सुनूंगा। आपने सर्वानुमति से पास किया। यह पारित हो गया। हम यही मानेंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं।

अध्यक्ष महोदय :-महामहिम के हस्ताक्षर अलग बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्री-मैच्योर में बात कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय:- मैं प्री-मैच्योर की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप सबने पारित कर दिया तो संकल्प पारित हो गया। यह माना जायेगा। माननीय राज्यपाल जी का उसमें हस्ताक्षर अब आवश्यक है। अब है। वह एक दूसरी बात है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कह रहा हूँ।

श्री नारायण चंदेल :- संकल्प को बाद में लेना था।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कि ऐसा संकल्प, बिना मैच्योर हुए हमने विधेयक को कभी 22 सालों में पारित नहीं किया।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- भईया, संकल्प में राज्यपाल के दस्तख्त की जितनी जरूरत नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 3 घण्टे रूक जाते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अच्छा। संकल्प को पारित करने की इतनी जल्दी क्या है ? आज क्या आवश्यक है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 3 घण्टे रूक जाते हैं।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह अनावश्यक रूप से आपत्ति लगाने का काम हर बार करते हैं।

श्री नारायण चंदेल :- अभी तो आप शीतकालीन सत्र बुला रहे हैं। उस पर हम व्यापक रूप से चर्चा करेंगे।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में भी ऐसा हुआ। तमिलनाडु ने पारित किया और सीधे महामहिम राष्ट्रपति को भेजा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 22 सालों में आप एक भी उदाहरण बता दें। माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी बता दें कि इन 22 सालों में ऐसा हुआ है(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय:- आप लोग बैठिए।

श्री संतराम नेताम :- इसे भेजने में क्या आपत्ति है ?(व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, तमिलनाडु ने 69 प्रतिशत पारित किया और सीधे महामहिम राष्ट्रपति को भेजा। यह पहली घटना नहीं है।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ विधान सभा की अपनी उच्च परम्पराएं हैं। छत्तीसगढ़ विधान सभा की जितनी नज़ीर बनी है। जब पूरे देश की विधान सभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का सम्मेलन होता है तो यहां की विधान सभा की प्रशंसा की जाती है। हम कोई ऐसा गलत कदम मत उठाये। जिसके बारे में कोई उंगली उठाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय नेता जी, उच्च परम्पराओं के नाम पर अडंगाबाजी ठीक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- क्योंकि मैंने इस पर व्यवस्था दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी आप चर्चा में बोलें।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि :- "यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिए पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची-9 में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- संकल्प प्रस्तुत हुआ। अब आप कहते रहिए, जो कहना है।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जो कहना है अभी दो मिनट में खत्म करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- मोहन मरकाम जी।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री अजय चन्द्राकर :- नहीं-नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो मिनट में खत्म करूंगा, कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर क्या समझते हैं मैं नहीं जानता हूँ और माननीय संसदीय कार्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहता हूँ।सबसे पहले कि [XX] [10] इसलिए [XX] हुई है कि परम्पराओं को तोड़ा गया । यह सदन नियम और परम्परओं से चलती है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह बहुत ही अफसोस की बात है। बहुत ही गंभीर बात है। जो लोगों को आरक्षण दे रहे है उसको [XX] बोल रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस सदन का कुछ नहीं हो सकता है । यह छत्तीसगढ़ का अपमान है। आपने जो [XX] शब्द बोला है, छत्तीसगढ़ के लोगों का आरक्षण देने को [XX] बोला।

श्री अजय चन्द्राकर :- हॉ बोला।

श्री बृहस्पत सिंह :- आदिवासियों को, ओ.बो.सी. वर्ग के लोगों को आरक्षण देने पर [XX] बोला। यह गंभीर बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह [XX] शब्द का वापिस लेना चाहिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था है कि जातिगत शब्दों का उपयोग नहीं करना है।

श्री बृहस्पत सिंह :- यह [XX] शब्द आपने कैसे कहा ? आप आरक्षण का विरोध करते हैं। एक तरफ आप आरक्षण का समर्थन करते हैं, दूसरी तरफ यहां [XX] शब्द कहकर आदिवासियों का अपमान करते हैं। यह शब्द सदन से वापस लीजिए। आप आरक्षित वर्ग के लोगों का अपमान कर रहे हैं। यह गंभीर बात है।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, अब शांत हो जाईये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो उस शब्द को विलोपित कराया जाये। आप कह चुके हैं कि आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आपने पूरे सदन को संबोधित किया है कि आज का ऐतिहासिक दिन है, आज आरक्षण विधेयक पारित हुआ है। माननीय विद्वान सदस्य आज के दिन को [XX] बता रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। इस शब्द को विलोपित किया जाये।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय चन्द्राकर जी, सदन के सामने अपने शब्द वापिस लें या विलोपित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मैं कह रहा हूं कि आप विद्वान सदस्य हैं।

---

[10] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया.

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जो आदेश करें।

अध्यक्ष महोदय :- मैं बोल रहा हूं कबीर जी का वह कथन याद कर लीजिए।

शब्द सम्हारे बोलिये, शब्द के हाथ न पॉव।

एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव।

उधर आपने घाव दे दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपको घाव लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उधर आपने कुछ सदस्यों को घाव दे दिया।

श्री अजय चन्द्राकर :- यदि आपको घाव लगा हो तो क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात आपकी व्यवस्था का उल्लंघन हुआ, उस पर आपने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं दुखी होता हूं। जातिवादी शब्द हर चीज में उपयोग नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय:- प्लीज, जातिवादी शब्दों का उपयोग न करें।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जातिवादी शब्द कहां से आ गया। हम लोगों ने जातिवाद नहीं किया, इन्होंने ऐसा शब्द बोला।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिये। आज अच्छा दिन है। आप सुनिये और ज्ञानवर्धन करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात कह रहा था। मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूं। मैं हिन्दी साहित्य का विद्यार्थी हूं, कानून का विद्यार्थी नहीं हूं। यहां विधि सचिव बैठे हैं। हिन्दुस्तान में नार्थ-ईस्ट के विषय को छोड़ दें, नार्थ-ईस्ट दूसरे विषय से govern होता है। जो राज्य हैं, वर्ष 1994 में तमिलनाडु 9वीं अनुसूची में शामिल हुआ। जिस दिन 9वीं अनुसूची आई, उस दिन उसमें सिर्फ 13 कानून थे। आज की तारीख में उसमें 284 कानून हैं। 9वीं अनुसूची की पृष्ठभूमि क्या थी ? भूमि सुधार में बिहार सरकार ने स्टे दे दिया तो भारत का यह पहला संविधान संशोधन था जिसको पंडित जवाहर लाल नेहरू ने लाया कि हम भूमि सुधार जरूर करेंगे। इसलिए एक रक्षा कवच, सुरक्षा कवच, एक इम्युनिटी उनको दी गई कि इसमें संवैधानिक समीक्षा नहीं हो सकती। 1973 में भारत सरकार बनाम केशवानंद में एक लंबी- चौड़ी बहस हुई। उस लंबी-चौड़ी बहस में जो महत्वपूर्ण बात है, उसमें मैं एक लाईन को कोड कर देता हूं। मैंने एक आलेख पढ़ा। मैं देखकर नहीं बोलता, लेकिन आपकी अनुमति से इसको पढ़ देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आपने आलेख किसमें पढ़ा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- इंडियन एक्सप्रेस में।

अध्यक्ष महोदय :- पेपर में पढ़ा न ?

श्री अजय चन्द्राकर :- जी। 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आये निर्णय के बाद संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किये गये किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि- "9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून यदि मौलिक अधिकारों या संविधानों की मूल संरचना का उलंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकेगी।" आरक्षण हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। इस संविधान पीठ ने व्यवस्था दी कि किसी कानून को बनाने और उसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति किसी एक संस्था पर नहीं छोड़ी जा सकती। संसद द्वारा बनाये गये कानूनों की व्याख्या नयायपालिका को करनी है। उनकी वैधानिकता की जांच संसद के बजाय न्यायालय ही करेगा। जो एक निर्णय 1981 में आया। संविधान सभा द्वारा समरचित है, संशोधन का अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूं। अत: मेरी राय में जानते हुए भी राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून न्यायालय द्वारा संज्ञान में अवश्य ही लिया जायेगा। क्योंकि 9वीं अनुसूची का कवच 1981 के वामनराव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के उपरांत अभेद्य नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने मेरी राय पढ़ा, यानी किसकी राय थी?

श्री अजय चंद्राकर :- यह एक केस का प्रकरण है। मेरी राय, मगर न्यायालय ने कहा है।

श्री बृहस्पत सिंह :- सर, उसका फोटोकारी करके सबको भेज दीजिये। सब लोग पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है सर, पढ़ने की जरूरत क्या है। अभी जब मोहन मरकाम साहब पढ़ रहे थे तो आप बोल रहे कि क्यों पढ़ रहे हैं और आपके पढ़ने से छूट है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, समाचार पत्रों के फोटो कापी का कोई औचित्य नहीं है।

श्री बृहस्पत सिंह :- की जा सकती है लिखा है, किया जा सकता है लिखा है। करेगा अनिवार्य है, ऐसा नहीं लिखा है।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी राय का मतलब क्या है? वह न्यायालय का न्याय है न?

श्री अजय चंद्राकर :- मेरी राय का मतलब यह है कि वामनराव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अभेद्य नहीं है। यह सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है।

अध्यक्ष महोदय :- इसीलिए मैं जानना चाहता हूं कि मेरी राय, मतलब किसकी राय?

श्री अजय चंद्रदाकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जितने राज्य हैं। तमिलनाडु 1994 में दिया, उसकी मैं पृष्ठभूमि आपको बता देता हूं। 1994 में जयललिता जी मुख्यमंत्री थी, जब 9वीं अनुसूची में आई तो। नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, जय ललिता जी समर्थन कर रही थीं। हो सकता है कि आप उस लोक सभा में रहे होंगे। उन्होंने समर्थन की कीमत वसूली। एकमात्र संविधान है, एकमात्र आरक्षण है जो 9वीं अनुसूची में आया। उसी समय ही रायपुर के एक महान आदमी मेहता जी, वह काण्ड भी उसी

समय हुआ था। तो यह समर्थन की कीमत है, न कि काई मौलिकता है। मैं इसमें और ज्यादा नहीं जाना चाहता। उसके अतिरिक्त तमिलनाडु, कर्नाटक और ..।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसे शब्दों को आप अन्यथा ना लें।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, लोकसभा में लिये गये फैसले को चुनौती देने का अधिकार विधान सभा के सदस्यों को नहीं है और लोक सभा में यदि लिये गये फैसले को इनको चुनौती देने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं विलोपित करूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- मैं विलोपित कर दूंगा। अब आप देखिये कि पांच राज्य है, जो 50 प्रतिशत से ऊपर है। सबके सब न्यायालयीन समीक्षा के ऊपर हैं और कोर्ट के कारण तीन-चार जगह में 50 प्रतिशत से ऊपर लागू नहीं है। अब माननीय अध्यक्ष महोदय, आप विलोपित करें। मैंने आपको कहा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि आर्टिकल 16 (4) और एक-दो आर्टिकल का नाम कहा कि विधान सभा सक्षम है, राज्य विधान मण्डल सक्षम है। 9वीं अनुसूची न्यायिक समीक्षा के दायरे में है। यह जानते हुए भी मैं तो आपको यह बोल रहा हूं, फिर आप जो कदम उठायें कि कुछ अफसर कार्यपालिका, विधान पालिका के प्रति जवाबदार होती है। उसका काम गुमराह करना नहीं है। इसमें कार्यपालिका के द्वारा विधायिका को जान-बूझकर गुमराह किया जा रहा है। जान-बूझकर यह संकल्प लाया गया है। मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कह रहे थे कि मैं बड़े पवित्र मन से। आप पवित्र मन से आप नहीं ला रहे हो। आप यह जानते हो कि इसका हश्र क्या होगा? आपने मेरे भोले-भाले जितने वर्गों का उल्लेख किया और समय का जो चयन किया, वह आपके भोलेपन और पवित्र मन को नहीं दर्शाता। विशुद्ध और विशुद्ध रूप से यह राजनीतिक कवायद है और राजनीतिक कवायद को असफल होने की दृष्टि से यह कहा जा सके कि हमने केन्द्र सरकार ..।

श्री बृहस्पत सिंह :- आपने 15 साल तक लगातार राजनीति करके शोषण किया है और अभी जब सही काम होने जा रहा है, फिर भी अडंगाबाजी, बार-बार उंगली कर रहे हैं। यह बार-बार क्या है?

श्री अजय चंद्राकर :- जान-बूझकर केन्द्र सरकार की 9वीं अनुसूची में, एक को छोड़कर बाकी 9वीं अनुसूची में नहीं है। डालने के लिये नहीं हो रहा है, उसके बाद भी इसको लाया गया है। इसलिए कि आगे में एक साल तक इस बारे में कह सकूं कि भाई मैंने तो Unmature कानून को एक संकल्प के तौर पर लाया और मैंने अच्छी राजनीति कर ली। साहब, अब इसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे और यह बात आपने सुनी नहीं, मैं संकल्प चर्चा करता हूं, इसलिए मैंने इस रूप में कही। मैं अब माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से आगे बात करने के लिए आग्रह करता हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- साहब, आप तो पारित कर चुके।

श्री अजय चंद्राकर :- ज्यादा खड़े मत होईये। समझ में नहीं आता तो हम बात नहीं करते।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री कवासी लखमा :- अध्यक्ष जी, आपको उधर से अलग करना है या उसको करना है, बताईये। नेता जी क्या बोल रहे हैं, नेता जी बोलो। यह क्या चल रहा है? यह फर्क कैसा है?

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) एवं अनुच्छेद 335 और राज्य सूची 2 की प्रविष्ट क्रमांक 41 के अंतर्गत राज्य लोक सेवाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान करने के लिए राज्य शासन सक्षम है। जब राज्य शासन सक्षम है, यह सरकार सक्षम है। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरसकार को 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए भेजने का क्या औचित्य है? यह फिर से असंवैधानिक करार होगा, जबकि सबको मालूम है, पूरा प्रदेश जानता है। क्या राज्य की सरकार अनभिज्ञ हैं कि 9वीं अनुसूची में हमारे इस विधेयक का किस प्रकार से हश्र होगा? और इससे हम असहमत हैं । भारत सरकार के पाले में गेंद क्यों डालना चाहती है ? ये क्या बताना चाहते हैं ? पवित्र मन से इस विधेयक का पालन करवायें । हर बात में भारत सरकार को भेजना, केंद्र सरकार से चर्चा करना । जब राज्य की सरकार सक्षम है, यह विधानसभा सक्षम है, क्या हम असक्षम हैं ?

श्री अजय चंद्राकर :- कार्यपालिका के ऊपर कार्यवाही भी होनी चाहिए ।

श्री नारायण चंदेल :- और जिसने भी ऐसी सलाह दी है, वह उचित नहीं है । वह इस सदन को गुमराह कर रहे हैं । हमारी विधानसभा को गुमराह कर रहे हैं । नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिये भारत सरकार को भेजने का क्या औचित्य है? हम इससे असहमत हैं और हम इसका विरोध करते हैं और आगे की सदन की कार्यवाही में हम भाग नहीं लेंगे, हम बहिर्गमन करते हैं ।

समय :
8.01 बजे

बहिर्गमन

भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में

(नेता प्रतिपक्ष, श्री नारायण चंदेल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा संकल्प के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- नेता जी, जवाब सुन लीजिये फिर आप बहिर्गमन करिये न ।

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सच्चाई यह है कि इनको मोहन भागवत जी का फोन आया कि आरक्षण का विरोध क्यों नहीं किये तो इसलिये ये डर से सदन से भाग रहे हैं । ये मोहन भागवत जी के डर से भाग रहे हैं ।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज ऐतिहासिक विधेयक पारित हुआ और विधेयक बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है और आपके मार्गदर्शन में यह संपन्न हुआ इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं और पूरे सदन को बधाई देता हूं। (मेजों की थपथपाहट) विपक्ष के साथियों ने भी इसमें

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

सर्वसम्मति व्यक्त की । मैं उसके लिये भी उनको धन्यवाद दूंगा लेकिन जब यह मामला आया । अभी धर्मजीत जी बोल रहे थे कि केविएट के लिये अच्छा बड़ा वकील लाना, केविएट लगा देना, बड़ा वकील लाना तो यह उसी कड़ी का तो हिस्सा है कि हम जो कर रहे हैं वह पवित्र मन से कर रहे हैं और इसमें कहीं रूकावट नहीं होनी चाहिए तो सारे जहां-जहां से हमको सहयोग मिल सकता है । हम पूरा सहयोग लें, प्रधानमंत्री से सहयोग लें, राष्ट्रपति से सहयोग लें, राज्यपाल जी तो इससे सहमत ही हैं तो उसी आधार पर तो यह फैसला लिया गया और यह केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं है । तमिलनाडू का केवल अनुसूची-9 में नहीं भेजा बल्कि उसके सारे एक्सरसाईज जो क्वांटीफायबल डाटा है, उन्होंने इकट्ठा किया तब उन्होंने भेजा । दूसरी बात झारखंड सरकार ने भी, विधानसभा ने भी प्रस्ताव पारित किया है अनुसूची-9 में भेजने के लिये और कर्नाटक में जहां इनकी सरकार है वहां भी यह कहा जा रहा है कि हम अनुसूची-9 में भेजेंगे उनके द्वारा भी और यह बात मैं कहता, वे सुनते लेकिन भाग गये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण जो विधेयक पारित हुआ है उसका लाभ छत्तीसगढ़ के सभी वर्ग के लोगों के लिये जिसके लिये यह व्यवस्था की गयी वह मिले और इसके लिये यह सारी कवायद, अध्यादेश से हम लोग इसको ला सकते थे, विशेष सत्र बुलाये आपकी सहमति से इसका कारण यह है कि इस सदन में चर्चा हो ताकि पूरे प्रदेश में बात जाये, प्रदेश से बाहर बात जाये ताकि इस मामले को छत्तीसगढ़ सरकार और यहां की विधानसभा ने कितनी गंभीरता से लिया है और सारे बिंदु आये हैं जिसके कारण से आरक्षण जरूरी है चाहे ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे पिछड़े वर्ग के हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों या जनजाति के हों इसलिये इसको विधानसभा में चर्चा करवाये । दूसरी बात यह है कि भारत सरकार भी हमको समर्थन दे, जहां भारत सरकार का नाम आता है, ये लोग भाग जाते हैं, बिदक जाते हैं । जैसे ही भारत सरकार का नाम लो, ये तुरंत बिदकते हैं । जब यहां प्रस्ताव पारित कर दिये तो वहां समर्थन में चलने के लिये मैंने तो निवेदन किया कि प्रधानमंत्री जी के पास चलिये, राष्ट्रपति जी के पास चलिये, आपके प्रतिनिधि हो जायें, हमारे बहुजन समाज के हो जायें, जोगी कांग्रेस के हो जायें, निर्दलीय भी हो जायें, हमारे दल के भी होंगे, हमारे मंत्रिमण्डल के लोग होंगे । सब लोग जायेंगे और अनुरोध करेंगे तो अनुरोध करने में तकलीफ क्या है ? ये नहीं चाहते कि आरक्षण लागू हो, क्योंकि अजय चन्द्राकर जी ने अपने भाषण में कहा कि दलगत भावनाओं से मैं बंधा हुआ हूं, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से आरक्षण योग्यता के आधार पर पद मिलना चाहिए, आरक्षण के आधार पर नहीं। यह रिकॉर्ड निकालकर देख लीजिए। इनकी व्यक्तिगत भावनाएं क्या हैं, वह सब जानते हैं, लेकिन राजनीति करना है, इस कारण से ये विरोध कर रहे हैं और इस प्रकार से अड़ंगा डाल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह जो प्रस्ताव है, जिससे सभी लोग लाभान्वित हो, इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि भारत सरकार से यह अनुरोध किया जाये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिए इसे अनुसूची-9 में

सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदन उठाने हेतु अनुरोध करें। अध्यक्ष महोदय, इसे सर्वसम्मति से पास करायें। धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि -

"यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिये पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधित) विधेयक, 2022 को संविधान की अनुसूची-9 में सम्मिलित करने के लिये भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है।"

संकल्प स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- जगदलपुर की घटना के बारे में चर्चा हुई थी। कृपया गृह मंत्री इस पर अपनी बात कहें।

समय :
8.06 बजे

वक्तव्य

जिला जगदलपुर में घटित घटना

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जगदलपुर में जो आज एक घटना हुई, उसके विषय में प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला जगदलपुर के थाना नगरनार से लगभग 20 कि.मी. दूर ग्राम मालगांव में सफेद छुही मिट्टी निकालते समय ऊपर से मिट्टी धसकने से 06 लोगों, जिसमें 01 पुरूष और 05 महिला की मृत्यु हुई है, जिनके नाम क्रमश: 01. रामेश्वर बघेल, 35 वर्ष, 02. दशमती नाग, उम्र 35 वर्ष, 03. कुमारी नाग, उम्र 23 वर्ष, 04. कमली, उम्र 25 वर्ष, 05. शांति नाग, उम्र 35 वर्ष, 06. सैतो साय, उम्र 32 वर्ष है। इसके अतिरिक्त 03 महिला घायल हुई हैं, जिनके नाम क्रमश: 01. पूर्णिमा, उम्र 14 वर्ष, 02. मनमती, उम्र 32 वर्ष, 03. लखमी कश्यप, उम्र 35 वर्ष है, उन्हें कमर, हाथ एवं पैर में चोट आयी है। डॉक्टर के अनुसार सभी घायलों की स्थिति खतरे से बाहर है। मौके पर पुलिस, प्रशासन एवं एस.डी.आर.एफ. की टीम वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैं। जानकारी आने के समय बचाव कार्य जारी था।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023 को 11.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित।

(रात्रि 8 बजकर 8 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023 (पौष 12, शक संवत् 1944) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ़) **सचिव**

दिनांक 02 दिसंबर, 2022 **छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं